खण्ड-388, अंक-2
मंगलवार, 12 आश्विन, शक संवत् 1910
(4 अक्टूबर, 1988 ई0)

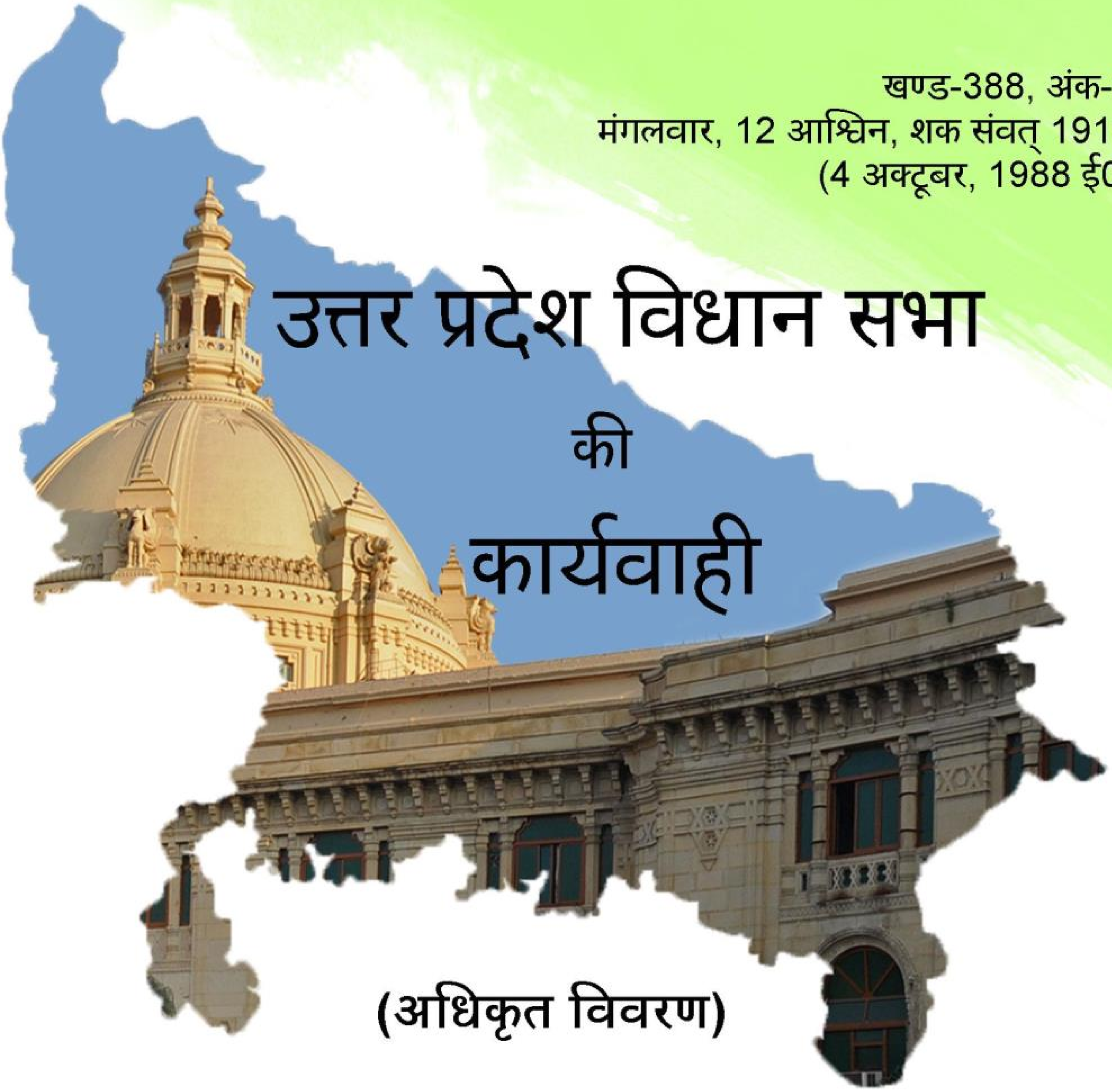

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 388 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ग–ङ
प्रश्नोत्तर	1–97
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	98
राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिये प्रकाशित वेतन समिति की रिपोर्ट में व्याप्त विसंगतियों को समाप्त करने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना	99
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिकरण कार्यालय, लखनऊ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के चयन में हुई अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
जिला हरदोई के तहसील बिलग्राम में बाढ़ से प्रभावित गांवों के निवासियों को आवश्यक सहायता सामग्री न मिलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	100
सीतापुर नगर के बालाजी वैजिटेबुल प्रा0 लि0 और प्लाईवुड प्रोडक्शन लि0 में मजदूरों तथा मालिकों के बीच हुए समझौते का अनुपालन न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
जिला देवरिया में जल जमाव की समस्या का स्थायी हल निकालने तथा उससे प्रभावित गांवों के क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को अहेतुक सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
जिला उन्नाव के पुरवा विधान सभा क्षेत्र में बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण उत्पन्न सिंचाई समस्या तथा पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
जनपद मेरठ के किठौर क्षेत्र के कोआपरेटिव शीतगृह में कार्यकर्ताओं की लापरवाही के कारण बर्बाद हुए आलू की क्षतिपूर्ति किसानों को दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	102
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	102
मुख्य मन्त्री श्री नारायण दत्त तिवारी को नेता, सदन माने जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	103–146
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (सदन के पटल पर रखा गया)	147
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1988 (सदन के पटल पर रखा गया)	147
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (सदन के पटल पर रखा गया)	147
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (सदन के पटल पर रखा गया)	148
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	148

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, 1988 .. .. (सदन के पटल पर रखा गया) ..	148
उत्तर प्रदेश जिला-परिषद् अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (सदन के पटल पर रखा गया)	148
उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	148
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	148
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1988 .. (सदन के पटल पर रखा गया) ..	148
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली, 1988 .. (सदन के पटल पर रखी गयी)	149
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स (बावनवां संशोधन) नियमावली, 1988 .. (सदन के पटल पर रखी गयी)	149
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालिकर) (पंचम संशोधन) नियमावली, 1988 .. (सदन के पटल पर रखी गयी)	149
उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1988 .. (राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त)	149
लखनऊ जिले के सरोजनी नगर विकास खंड के ग्राम रामचौरा व बंथरा सम्पर्क मार्ग पर नभवा नाले पर पुल निर्माण विषयक श्री चन्द्रभान सिंह आदि की याचिका .. .. (उपस्थित की गयी) ..	150
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	150–151
हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए विधान मंडल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	152
उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि-विधेयक, 1985 पर नियुक्त प्रवर समिति की अवधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव .. (स्वीकृत) ..	152
भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 (पुरः स्थापित) ..	153
उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन निधि (संशोधन) विधेयक, 1988 .. (पुरः स्थापित)	153
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 (पुरः स्थापित)	153
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1988 .. (पुरः स्थापित)	154
कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं .. .. (जारी) ..	154–178
श्री भोपाल सिंह का उपवेशन के शेष समय के लिए सदन से निलम्बन ..	179
कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	180

विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनके जीवन यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्च स्तर का है, क सम्पूर्ण कार्य कलापों एवं सम्पत्तियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किये जाने के संबंध में संकल्प (जारी)	181–200
कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के सम्बन्ध में समय परिवर्तन की सूचना ..	201
राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनके जीवन यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्च स्तर का है, के सम्पूर्ण कार्यकलापों एवं सम्पत्तियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (जारी)	202
प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवाएं तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत योजना बनाने हेतु सदन को एक समिति का गठन करने का संकल्प (जारी)	202–204
आज की कार्यसूची में निर्धारित नियम 52 की सूचनाओं पर चर्चा हेतु कार्यमंत्रणा समिति द्वारा पुनः समय निर्धारण किये जाने की सूचना	205
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	206
नत्थियां	207–211

मध्यप्रदेश पदेश्वर पदेश्वर

मुद्रेश्वर महादेव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 4 अक्तूबर, 1988

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अफजल अन्सारी, श्री .. गाजीपुर
अमीर आलम खां श्री .. मुजफ्फरनगर
कल्याण सिंह, श्री .. अलीगढ़
काशी सिंह ऐरी, श्री .. पिथौरागढ़
किशोरी लाल सकलानी, श्री देहरादून
कृष्ण कुमार शर्मा, श्री .. गाजियाबाद
गंगा स्वरूप मटनागर, श्री सीतापुर
गुलाब सिंह, श्री .. देहरादून
जय नारायण शर्मा, श्री .. मेरठ
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री .. आजमगढ़
नरेन्द्र पाल सिंह, श्री .. बरेली
निर्भय पाल शर्मा, श्री .. सहारनपुर
बलदेव सिंह, कैप्टेन .. अलीगढ
बेनी बाई, श्रीमती .. झांसी
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री .. मुरादाबाद
मंगलदेव, श्री .. गोंडा
महावीर सिंह, श्री .. सहारनपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री .. इटावा
मोहम्मद असलम खां, श्री सहारनपुर
रमाकान्त, श्री .. आजमगढ़
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री .. रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री .. बाराबंकी
राजेन्द्र सिंह, श्री .. अलीगढ़
रामपाल वर्मा, श्री .. हरदोई
राम सजीवन, श्री .. बांदा
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री बरेली
लक्ष्मी नारायण, श्री .. मथुरा
लोकपति त्रिपाठी, श्री .. मिर्जापुर
वीर बहादुर सिंह, श्री .. गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर कानपुर
शिव बालक पासी, श्री .. रायबरेली
शेर बहादुर सिंह, श्री .. फैजाबाद
संजय सिंह, डा0 .. सुल्तानपुर
सखावत हुसैन, श्री .. गाजियाबाद
सतीश अजमानी, श्री .. खीरी
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री खीरी
सुरेश प्रताप सिंह, गांधी, श्री अलीगढ़
हर नारायण सिंह, श्री .. रायबरेली
हरशरन सिंह, श्री .. मेरठ
हरेन्द्र सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर
हर्ष वर्द्धन, श्री .. गोरखपुर
हीरा सिंह बिष्ट, श्री .. देहरादून

विधान सभा

सत्यमेव जयते

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 4 अक्टूबर, 1988 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

नत्थी ''क''

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, इसे प्रश्न प्रहर के बाद ले लें ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

अधिवक्ताओं के लिए भविष्य निधि के प्राविधान की रूप रेखा

**1–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए भविष्य निधि का प्राविधान किए जाने का निर्णय अभी हाल में ही सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो इसकी रूप रेखा क्या है तथा यह व्यवस्था कब से लागू की जायगी ?

न्याय एवं विधायिका राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 1988) विधायी अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या-992/सत्रह-वि-1-2(क) 14–1988 दिनांक 17-8-1988 द्वारा प्रख्यापित किया जा चुका है और जिसमें अधिवक्ताओं के कल्यार्थ ''अधिवक्ता सामाजिक सुरक्षा निधि योजना'' लागू की गयी है जो ऐसे अधिवक्ताओं के लिए होगी जो इस योजना के सदस्य बन जायेंगे । यह योजना अधिसूचना जारी किए जाने के दिनांक से लागू होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस तरह की योजना अन्य राज्यों में पहले से ही है । इस योजना में अभी बहुत सुधार की सम्भावना है । मैं दो बातें जानना चाहता हूं । एक तो यह कि यह योजना कब से लागू की जायेगी ? दूसरी बात यह कि इसके अनुसार मुख्य-मुख्य सुविधाएं कौन सी होंगी ?

श्री ओमप्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, 17 अगस्त, 1988 से यह लागू हो गयी है । इस योजना के अंतर्गत जो भी इसके सदस्य बनेंगे उनको इसका लाभ होगा । इसमें एक लाख रुपया बार काउंसिल का होगा और एक लाख उत्तर प्रदेश शासन का होगा । साथ ही 25 फीसदी जो प्रति वर्ष रजिस्ट्रेशन में वकीलों का आयेगा वह भी इस निधि में जमा होगा । वकीलों को

5 रुपए का अपनी तरफ से वकालतनामा पर टिकट लगाना पड़ेगा जो हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के वकील होंगे उनको । जिला कोर्ट तथा दूसरी कोर्ट के वकीलों को 2 रुपए का का हलफनामा लगाना होगा । वार्षिक शुल्क का भी प्राविधान किया गया है । जो नए वकील होंगे, जहां उसने अधिवक्ता के रूप में 5 से अधिक वर्ष के लिए विधि व्यवसाय किया हो, उनसे 50 रुपया, जिनकी 5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से अनधिक की प्रैक्टिस हो गयी हो, उनके लिए 100 रुपए तथा जो ज्यादा सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनकी 10 वर्ष से अधिक की प्रैक्टिस हो, उनके लिए 250 रुपए रखे हैं । यह चन्दा उनको देना होगा । इस तरह से यह एक निधि बन जायेगी जिसका उनको लाभ मिलेगा । इसमें फण्ड का भी प्राविधान किया गया है । 5 वर्ष तक जो अपना रुपया जमा करायेगा वह 5 वर्ष के बाद यदि निकालना चाहता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की गयी है कि वह प्रतिवर्ष कितना रुपया निकाल सकेगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी वकील ने 50 रुपए जमा किए हैं, किसी ने 100 रुपए तथा किसी ने 250 रुपए, तो अब जो वापसी होगी उसकी प्रक्रिया क्या होगी ? उसका रूप क्या होगा ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसमें एक यूनिफार्म रेश रखा गया है । इसमें जो वार्षिक चन्दा है, वह चाहे 50 रु0 हो, चाहे ढाई सौ रुपया हो, उसमें एक हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से गणना की जायगी । चूंकि कुछ वकीलों को आगे प्रैक्टिस में दिक्कतें आती हैं, इसलिए यह शासन की ओर से सुविधा दी गयी है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है और जो कल्याणकारी योजना अधिवक्ताओं के भविष्य निधि के रूप में बताया है, उससे ऐसा लगता है कि मानों सरकार ने कोई चिट फण्ड योजना या पियरलेस योजना चालू की है । पहले इस योजना में सदस्य बनने के लिए अधिवक्ता से प्रवेश-शुल्क के रूप में 100 रु0 लिया जायगा और 50 वर्ष के बाद उसे 50 हजार रु0 मिलेगा । इसको कलकुलेट करने पर 100 रु0 का 50 वर्ष का 1 लाख 2 हजार 4 सौ रु0 हो जाता है । यह प्रवेश शुल्क रिफण्डेबुल भी नहीं है । इसके अतिरिक्त, इसके बाद 5 वर्ष तक की वकालत के अधिवक्ताओं से 50 रु0 प्रति वर्ष लेंगे, और 10 वर्ष तक की वकालत के अधिवक्ताओं से 100 रु0 प्रति वर्ष और 10 वर्ष से अधिक की वकालत के अधिवक्ताओं से 250 रु0 प्रति वर्ष लेंगे । इसके अतिरिक्त 2 रु0 प्रति वकालतनामा जिला कचहरियों में तथा 5 रु0 प्रति वकालतनामा हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल में वकीलों को अलग से अपनी जेब से लगाना पड़ेगा । यही नहीं 1 लाख रु0 बार-कौंसिल प्रति वर्ष अंशदान देगी । इन सबको भी जोड़ा नहीं गया है । यदि जोड़ा जाय, तो 50 वर्ष बाद 3 लाख रु0 प्रति अधिवक्ता यह धनराशि बनती है । महाराष्ट्र सरकार ने एडवोकेट वेलफेयर एक्ट, 1981 में यह प्राविधान रखा कि वे 5 वर्ष के अधिवक्ता से कुछ भी नहीं लेंगे और 5 वर्ष से 15 वर्ष के अधिवक्ता से 50

रु0 और 15 वर्ष से अधिक की वकालत के अधिवक्ता से मात्र 100 रु0 प्रति वर्ष लेंगे । क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में भी महाराष्ट्र की भांति अधिवक्ताओं के कल्याणकारी योजना में संशोधन करने की घोषणा करेंगे और प्रवेश-शुल्क के 100 रु0 तथा अन्य धनराशि जो जमा होगी, वह वकालतनामा पर लगी फीस का 50 वर्ष बाद हुए 3 लाख रु0 में से या तो 3 हजार रु0 वार्षिक पेंशन या 3 लाख रु0 अतिरिक्त देने की घोषणा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, यह योजना वकीलों के वेलफेयर के लिए है उसको लागू करने को पहले इसके बारे में महाराष्ट्र सरकार से सूचना मांगी गयी थी । इस योजना का जो स्ट्रक्चर बना, मैं नहीं कहता कि यह सही ही है । अगर किसी अधिवक्ता की वकालत 5 वर्ष है और उसको 20 साल बाद 20 हजार रुपये देंगे, जबकि उसका कलकुलेशन करने पर 20 हजार रुपया नहीं होता है, बल्कि 2 हजार रुपया होता है । तो इसमें थोड़ा किसी को नुकसान होगा, किसी को थोड़ा लाभ होगा । इसमें थोड़ा टेक्निकल सर्वे है । चूंकि यह अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना है, इसलिए हम इसमें किसी संशोधन के लिए हिचकेंगे नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने महाराष्ट्र वेलफेयर एक्ट का उल्लेख किया कि उसको ध्यान में रखकर यहां प्राविधान किया गया है । मान्यवर, जो प्रथम 5 वर्ष का अधिवक्ता है उनसे भी अंशदान करने का इसमें प्राविधान है जबकि 5 वर्ष तक अधिवक्ता सही रूप में अपने को जमा नहीं पाता है प्रैक्टिस में । मान्यवर, महाराष्ट्र वेल्फेयर एक्ट 81 की धारा 16 की उपधारा 5 में प्राविधान है कि प्रथम 5 वर्ष के अधिवक्ता कोई भी अंशदान नहीं करेंगे । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में तो व्यवस्था है कि प्रथम 5 वर्ष का अधिवक्ता कोई अंशदान नहीं करेगा तो क्या महाराष्ट्र वेल्फेयर एक्ट को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में भी प्रथम 5 वर्ष के अधिवक्ताओं को अंशदान करने से छूट देने पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा था कि महाराष्ट्र का जो नियम था उसको वैसे ही एडाप्ट कर लिया है, मैंने यह कहा कि उसके अनुभवों को मैंने देखा है वैसे किसी के प्राविडेन्ट फण्ड में दुनिया में कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि अंशदान न करना पड़े । मान्यवर, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि यह अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना है अब इसमें जो भी अच्छी बात आती है, अच्छे सुझाव आते हैं, उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने बताया कि हाईकोर्ट में 5 रुपये का और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 रुपये का स्टैम्प लगेगा ऐसा लगता है कि इस पर गहराई से विचार नहीं किया गया हमारा विश्वास है कि इसका सारा बोझ वादकारी पर ही पड़ेगा, अधिवक्ता अधिकांश रूप से इसको नहीं देंगे इस बात को ध्यान में रखते हुए जो यह कल्याणकारी स्टैम्प योजना है इसको वापस लेने पर विचार करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन् इसमें अधिवक्ता समाज का जिम्मेदार आदमी है उसका यह दायित्व है। मैं नहीं समझता कि वह इसका मिसयूज करेंगे लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो इस पर बाद में विचार कर लिया जायेगा।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया मैं ऐसा ही कुछ पूंछना चाहता था। वास्तव में अदालतों में वैसे ही कोर्ट फीस काफी बढ़ी हुई है और यह 5 रुपये और 2 रुपये का बोझ वादकारी पर ही पड़ेगा अगर यह मान भी लिया जाय कि वकील अदा करेगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रैक्टिस के दौरान कितने वकालत-नामा लगाये या कितनी धनराशि अदा की, इसको कलेक्ट करने का कोई प्राविजन है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन् अभी जो प्राविधान किया गया था यह फीस कलेक्ट करने का किया गया था। जैसा मैंने अर्ज किया कि 50 रुपये की जो फीस जमा करेगा वह 5 साल में 250 रुपये ही जमा करेगा लेकिन उसको एक हजार रुपये सालाना के हिसाब से 6 हजार रुपये दिये जायेंगे। मान्यवर, इसके लिए जो यह स्टैम्प का उदाहरण दिया गया तो इसमें एक ही बात को ध्यान में रखा गया था कि जो नया प्रैक्टिशनर है, वह लाभ से वंचित न हो सके इसलिए ऐसा किया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया कि यह योजना अधिवक्ताओं के हित के लिए बनाई गयी है लेकिन इसमें हो सकता है कि लाभ किसी को कम मिले और किसी को ज्यादा मिले। सबको समान लाभ मिल सके इसके लिए मेरे सुझाव पर विचार करने की कृपा करेंगे कि जो पुराने वकील हैं उनको तो इससे कोई लाभ नहीं होगा तो उनकी प्रैक्टिस का कुछ अंश इसमें जोड़ लिया जाय और जैसा कि एल0 आई0 सी0 वगैरह में बोनस की व्यवस्था है उसी तरह से इनके लिए भी बोनस की व्यवस्था की जाय यह दो सुझाव हैं।

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, यह जो अधिनियमन् किया गया है, यह उत्तर प्रदेश के बार एसोसियेशन के परामर्श से, उनकी सहमति से और यहां तक कि यह कहिये कि उन्हीं के प्रस्तावों पर उनसे बातचीत करके यह प्रस्तुत किया गया है। यह उनकी पूर्ण सहमति के साथ ही, उत्तर प्रदेश बार एसोसियेशन की सहमति के साथ ही अधिनियमन किया गया है। उसमें जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उसके पदाधिकारी हैं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने अवश्य ही अधिवक्ताओं की सहूलियतों को ध्यान में रखा होगा। यदि उत्तर प्रदेश बार एसोसियेशन, जिनके परामर्श से यह अधिनियम बनाया गया है और यह योजना लागू की गयी है, वे यदि कोई संशोधन चाहते हैं तो हम उनसे परामर्श करने के लिये तैयार हैं जिससे कि यह और परिष्कृत और परिमार्जित हो सके और जिससे कि लक्ष-लक्ष अधिवक्ताओं का कल्याण हो सके।

जनपद बरेली के थाना कोतवाली तथा थाना फतेहगंज में दो नवयुवकों की पुलिस द्वारा की गई हत्या की जांच

**2—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि गत 19/20 जुलाई की रात्रि में बरेली नगर के एक निर्दोष नवयुवक कमल की थाना कोतवाली के अन्तर्गत चौकी बिहारीपुर में व एक अन्य युवक चन्द्रपाल की थाना फतेहगंज पूर्व में पुलिस द्वारा हत्या कर दी गई थी ? यदि हां, तो दोनों हत्याओं की किस-किस माध्यम से जांच कराई गई और जांच रिपोर्ट क्या है ? हत्याओं के लिए दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? पुलिस द्वारा इस प्रकार की निर्दोष हत्याओं व निर्दोष नागरिकों को प्रताड़ित किए जाने से रोकने के लिए क्या मंत्री जी कोई कार्यवाही कर रहे हैं ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)—

प्राप्त सूचना के अनुसार बरेली की पुलिस चौकी बिहारीपुर, थाना कोतवाली क्षेत्र में गत 19/20 जुलाई की रात्रि किसी कमल नामक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है ।

इसके अतिरिक्त बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी पर श्री चन्द्रपाल के मारे-पीटे जाने के सम्बन्ध में चन्द्रपाल के भाई द्वारा थाना फतेहगंज पूर्वी पर अंकित कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में कानिस्टेबिल शिशुपाल सिंह व दूधवाला प्रेम सिंह को नामजद किया गया था । इस सूचना के आधार पर अपराध सं0 78/88, धारा 308 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ था । चन्द्रपाल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित किया । पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपर्युक्त मुकदमा धारा 304 भा0 दं0 वि0 में तरमीम किया गया ।

श्री चन्द्रपाल की हत्या के संबंध में पंजीकृत अभियोग की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की गई । विवेचना से दोनों नामजद अभियुक्तों को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर उन्हें दिनांक 21-7-1988 को बन्दी बना कर जेल भेजा गया और अब दोनों जमानत पर हैं । विवेचनोपरान्त दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध 12-8-1988 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । अभियुक्त कानिस्टेबिल शिशुपाल सिंह को निलम्बित भी किया जा चुका है ।

जनता के प्रति अत्याचार करने अथवा किसी प्रकार का अपराध करने पर दोषी पाये जाने से सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय एवं वैधानिक कार्यवाही की जाती है ।

(श्री सईदुज्जमा, गृह राज्य मंत्री द्वारा उत्तर पढ़े जाने के मध्य)

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके शांत रहें । वह प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं ।

(श्री सईदुज्जमा द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ चुकने पर)

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

व्यवस्था के प्रश्न का सवाल ही नहीं है । मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप कृपा करके बैठें ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में आये दिन पुलिस निर्दोष लोगों की हत्याएं करती रहती है, इनकाउंटर करती रहती है, लेकिन कभी पुलिस कटघरे में नहीं खड़ी होती ।

मान्यवर, बरेली में एक ही रात में दो घटनाएं हुई हैं । पुलिस ने दो नवयुवकों को मारा । बरेली के थाना फतेहपुर पूर्वी में एक नवयुवक छोटा सा होटल चलाता था, उसने जब खाने के पैसे मांगे, तो शिशुपाल ने उसको मारा । कुल्हाड़ी से उसको मारा गया । दूसरी हत्या बरेली शहर के बिहारीपुर पुलिस चौकी में हुई । मंत्री जी इस मामले को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मंत्री जी उत्तर में कह रहे हैं कि कमल नामक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई । उसे उसकी मां कमल के नाम से बुलाती थी हो सकता है कि पुलिस रिकार्ड में उसका नाम मोहन दर्ज हो । मोहन नाम के व्यक्ति की हत्या पुलिस चौकी में हुई ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न करें ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, गलत उत्तर दिया गया है, उसी के बारे में बता रहा हूं । माननीय मंत्री जी बता दें कि 19/20 जुलाई की रात्रि में मोहन नाम के व्यक्ति की हत्या बरेली के थाना कोतवाली में पुलिस द्वारा की गयी या नहीं ?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, जो आपने प्रश्न पूछा, उस नाम के व्यक्ति की कोई हत्या उस रोज नहीं हुई । अगर इसके अलावा आपके पास कोई सूचना हो कोई दीगर नाम हो तो उसकी सूचना मंगवा ली जायेगी ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, उसी के दो नाम हैं मोहन और कमल, मंत्री जी कमल कहकर बता रहे हैं ।

श्री मैनेजर सिंह–

मंत्री जी ने बताया कि कमल नाम के व्यक्ति की हत्या पुलिस ने नहीं की । क्या किसी मोहन नाम के व्यक्ति की हत्या उस दिन पुलिस चौकी में हुई ?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इस संबंध में तो जैसा प्रश्न पूछा गया, उसका उत्तर आया । इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी जरा इनको समझाइये कह रहे हैं कि सूचना की आवश्यकता पड़ेगी । इनको सारा विवरण लाना चाहिये था । मान्यवर, गृह विभाग की माननीया मंत्री जी रोहतगी जी बैठी हुई हैं उनसे कहें कि उत्तर दें । यह अभी नयी हैं इनको ट्रेनिंग की जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बुजुर्ग हैं आप सबको ट्रेनिंग दे देंगे ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं क्या ट्रेनिंग दूं ?

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, माननीय जौहरी जी ने बड़ा स्पष्ट सवाल किया है कि बरेली शहर में जो हत्यायें हुई हैं उनके लिए जो पुलिसकर्मी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? आगे उन्होंने आश्वासन चाहा कि प्रदेश में इस तरह से निर्दोष लोगों की निर्मम पिटाई पुलिस द्वारा न हो और हत्या न हो, इसके लिए मंत्री जी आश्वासन देंगे ? मान्यवर उदाहरण के लिए खीरी में कल एक व्यक्ति की हत्या हो गयी ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें ।

श्री मनोहर लाल–

क्या इस मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी कोई आश्वासन देंगे कि आगे प्रदेश में पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों की निर्मम पिटाई नहीं होगी, हत्या नहीं होगी, अंकुश लगायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न नहीं कर रहे हैं, यह कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैंने अपना प्रश्न ही किया है, उसका जवाब दिला दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैंने शाही जी को बुला लिया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय जौहरी जी ने बड़ा स्पष्ट सवाल किया है कि क्या 19/20 जुलाई की रात्रि में बरेली नगर की चौकी बिहारीपुर के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की हत्या की गयी या नहीं, नाम उन्होंने कमल बताया था । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कमल हो या विमल, उस तारीख को पुलिस चौकी के भीतर कोई हत्या का प्रकरण हुआ था या नहीं ?

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, प्रश्न में जिस नाम को अंकित किया गया है, उस नाम के किसी भी आदमी की हत्या नहीं हुई है । दूसरी हत्या के संबंध में जो दोषी व्यक्ति थे, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजा जा चुका है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने स्थान पर बैठें, मैंने मंत्री जी को उत्तर के लिए पुकारा है, आप उनकी बात सुनें ।

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य ने एक स्पष्ट प्रश्न किया था कि फलां तारीख को फलां-फलां नाम के व्यक्ति की हत्या हुई अथवा नहीं । उसके संबंध में स्पष्ट उत्तर दिया गया है कि कमल नाम के किसी व्यक्ति की उस दिन हत्या नहीं हुई है । यदि माननीय सदस्य कोई और जानकारी करना चाहते हैं तो हम उनके बारे में जानकारी करा लेंगे । मान्यवर, यह जो आरोप लगाया जा रहा है कि आये दिन पुलिस हत्या करती है और कठघरे से बच जाती है और मंत्री महोदया भी उसे बचाने-छिपाने का प्रयास कर रही हैं, तो यह सही नहीं है । हम लोगों को जहां-जहां इस तरह की सूचना प्राप्त होती है, बिना किसी रुकावट के हम लोग तुरन्त कार्यवाही करते हैं । लेकिन जहां पर दोष सिद्ध नहीं होता, उसके लिए कार्यवाही करना संभव नहीं होता । अतः इस तरह के आरोप जो लगाये जा रहे हैं, उन्हें हम स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, बहुत स्पष्ट सवाल था और अफसोस इस बात का है कि माननीया गृह मंत्री जी भी इसको टाल रही हैं। प्रश्न सिर्फ यह था कि 19/20 जुलाई की रात में बरेली नगर के पुलिस चौकी बिहारीपुर, थाना कोतवाली में युवक की हत्या कर दी गयी अथवा नहीं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसी तारीख को इसी समय पर किसी अन्य व्यक्ति की हत्या की गयी, जिसमें रिपोर्ट दर्ज कराई गयी और जिसमें पुलिस को भी इम्प्लीकेट कराया गया ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, चूंकि यह प्रश्न स्पष्ट रूप से कमल नाम के व्यक्ति के बारे में था, इसलिए जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, उसमें यह दिया गया है कि चन्द्रपाल नाम के व्यक्ति की पिटाई की गयी । उसके भाई ने थाना फतेहगंज पूर्वी में रिपोर्ट अंकित कराई थी, जिसमें कांस्टेबिल शिशुपाल सिंह तथा दूधवाला प्रेम सिंह को नामजद

किया गया, यह अपराध पंजीकृत हुआ । बाद में जब चन्द्रपाल को अस्पताल ले जाया गया, तो उसे वहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य कोई और सूचना चाहते हैं, तो हम उनको प्राप्त कर लेंगे ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। दो व्यक्तियों की हत्याओं का उल्लेख किया गया है। दोनों हत्यायें अलग-अलग थानों में हुई हैं। कमल की हत्या थाना कोतवाली में और चन्द्रपाल की हत्या थाना फतेहगंज में हुई है । श्री चन्द्रपाल की हत्या का तो विवरण दे दिया गया, किन्तु थाना कोतवाली में जो हत्या हुई, और मंत्रिमंडल ने उसका नाम कमल दे दिया, हो सकता है कि मंत्रिमंडल को दूसरा नाम बताया ही गया हो, किन्तु उस तारीख को उसी समय थाना कोतवाली में कोई हत्या हुई, यह तो प्रश्न के साथ ही उत्तर आना चाहिए था। इसलिए हमारा प्रश्न यह है कि थाना कोतवाली के अंतर्गत उसी दिन उसी तारीख को कमल नाम का न सही किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या हुई कि नहीं? दूसरा, यह कि पुलिस द्वारा हत्या की जांच का [illegible] के लिए जिम्मेदार थी, तो फिर स्वयं पुलिस द्वारा इस प्रकरण की जांच कराने का औचित्य क्या है, दूसरी एजेन्सी द्वारा जांच क्यों नहीं कराई गई?

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने [illegible] दी है और दूसरा नाम बताया है। हम इसकी पूर्ण जांच करके ही माननीय सदस्य को अवगत करा पायेंगे ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता--

माननीय अध्यक्ष जी, आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, यह एक सुनेता सवाल है, आगे इसमें सुनेता करी की जायेगी और जैसा माननीया मंत्री जी ने [illegible] कर रखी है, उन्हें इसे सुनेता सवाल नहीं देना चाहिए था। बताया जाता है कि आज तो बड़ी विडम्बना है, जैसा उत्तर आपने दिया, ऐसा उत्तर तो हम रोज इस सदन में मंत्रियों से सुनते आये हैं। आपका व्यवहार तो ऐसा है, जैसे पुलिस के एजेंट की तरह आप बात कर रही हैं । 19/20 जुलाई को थाना कोतवाली में कमल नहीं किसी दूसरे नाम के व्यक्ति की हत्या हुई कि नहीं? इसकी सारी रिपोर्ट यहां पर आनी चाहिए थी। ऐसे माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन है कि आपने जिस तरह की यह टीम बनाई है, इनके [illegible] में भाग लेज कीजिए, यदि आप सरकार चलाना चाहते हों तो, [illegible] आदेश निर्गत दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संकल्प समिति को सुपुर्द करता हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में स्थित अगसौली पर गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने की मांग

*1—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी (अनुपस्थित)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के सिकन्दराराऊ क्षेत्र में स्थित अगसौली मंदिर स्थान पर गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित करने के संबंध में क्षेत्रीय विधायक ने गन्ना आयुक्त से मांग की थी ? यदि हां, तो क्या किसान सहकारी मिल साथा (अलीगढ़) अथवा न्योली शुगर मिल (एटा) में से किसी एक का क्रय केन्द्र अगसौली मंदिर स्थान पर स्थापित कराने की व्यवस्था आगामी पिराई सत्र से पूर्व करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

प्रस्तावित क्रय केन्द्र से समीपवर्ती केन्द्रों की दूरी तथा गन्ने की कम उपलब्धता के कारण नया क्रय केन्द्र स्थापित कराना सम्भव नहीं है ।

बाढ़-सूखा पीड़ित लघु सीमान्त कृषकों और अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों को प्रदत्त केन्द्रीय सहायता में की गई अनियमितताओं की जांच

*2—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 एवं 1985-86 में बाढ़ सूखा से पीड़ित लघु सीमान्त कृषकों और अनुसूचित जन जाति के काश्तकारों को सहायता हेतु भारत सरकार ने सहायता प्रदान की थी ? यदि हां, तो वह केन्द्रीय सहायता का धन कितना था और क्या वह सम्पूर्ण धन उक्त काश्तकारों में वितरित हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त केन्द्रीय सहायता के उपयोग में हुई अनियमितताओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखाकार ने सरकार को इंगित किया है ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री माता प्रसाद)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह प्रश्न मैंने किया था पिछले सत्र में, 18-3-88 को यह प्रश्न सूचना एकत्रित करने के नाम पर स्थगित किया गया था । आज मूल प्रश्न को देखें मैंने अनुरोध किया है कि क्या वर्ष 1983-84 एवं 1985-86 में बाढ़, सूखा से पीड़ित लघु सीमान्त कृषकों और अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों को सहायता हेतु भारत सरकार ने सहायता प्रदान की थी ? यदि हां, तो वह सहायता जो आती उसको मानकों के अनुरूप खर्च किया या नहीं ? इतना सा सवाल था । नियंत्रक महालेखाकार, भारत सर-

कार से जो आडिट हुआ है 83-84 और 85-86 का, उसमें जो भारत सरकार के यहां रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ आरोप है कि जिस मद के लिये भारत सरकार ने सहायता दी थी, उस पर खर्च न करके उसे दूसरी जगह खर्च किया गया है। माननीय मंत्री जी, जो रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है, उसकी सूचना एकत्रित करने के नाम पर इस प्रश्न को टाल कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि 1983-84 और 85-86 की रिपोर्ट 88 में भी नहीं आयेगी तो कब आयेगी ? यह एक गम्भीर बात है, उत्तर दिलवाने की कृपा करें।

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, जो सूचना प्राप्त हुई थी, वह पूरी सूचना नहीं थी, उससे मैं स्वयं सन्तुष्ट नहीं था, इसलिये पूरी सूचना नहीं दी जा रही है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि जो सूचना प्राप्त हुई अधूरी थी, 83-84,, 85-86 की रिपोर्ट अभी तक नहीं आयी। उस रिपोर्ट का एक अंश सुनाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि 770 लाख रुपये इनको मिला, कृषि उपकरण खरीदने के लिये 100 लाख रुपया मिला, पौष्टिक आहार के लिये रुपया मिला, चिकित्सा के नाम पर जो रुपया मिला, वह कहां गया ? सबसे बड़ी बात यह है कि चिकित्सा के मद में जो दवायें दीं उसका वितरण सूखे और बाढ़ के दौरान नहीं किया गया। महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, उसका प्रकाशन हो चुका है, उसको बताने में क्यों डर रहे हैं ? उत्तर प्रदेश सरकार दोषी साबित हो चुकी है, फिर भी छिपाये बैठे हैं। मैं श्री नारायण दत्त तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि देखें कि उनका शासन क्या कर रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर इस प्रश्न के दो भाग हैं। एक भाग जो 1983-84, 85-86 से सम्बन्धित है, वह बाढ़-सूखा पीड़ित लघु सीमान्त कृषकों और अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों को सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में है। अभी जैसा माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा, जो सूचना उनके पास आयी, उससे वह स्वतः सन्तुष्ट नहीं थे क्योंकि मूल प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, माननीय मन्त्रियों को इस बात को देखने का अधिकार होता है कि उनके पास पर्याप्त सामग्री आ गयी है या नहीं। सदन की परिपाटी रही है, मंत्री का दायित्व होता है कि अगर पूरी सूचना नहीं आयी है और सन्तुष्ट नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अच्छा किया। और यह जो माननीय प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा है उसके अनुक्रम में ही उन्होंने यह उत्तर दिया है। दूसरा प्रश्न जो है इसका उल्लेख होना चाहिये था इसको मैं मानता हूं। इसमें यह है कि केन्द्रीय सहायता के उपयोग में हुई अनियमितताओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखाकार ने क्या सरकार को इंगित किया है ? तो यह जो उद्धरण मैंने यहां प्रस्तुत किया है, इसके लिये मैं कहना चाहूंगा कि जब इस तरह की रिपोर्ट आती है तो भारत के नियंत्रक और महालेखाकार के सम्मुख और लोक लेखा समिति के सम्मुख वह जाती है और लोक लेखा समिति उस पर विस्तार से जांच करती है और बात करती है और कभी-कभी तो वर्षों तक उस पर विचार चला करता है। मैं समझता हूं

कि इस विषय पर भी अवश्य ही लोक सेवा समिति विचार करके अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी और मामले की पूरी [illegible] करेगी । माननीय सदस्य को भी इसकी जानकारी अवश्य होगी क्योंकि [illegible] हैं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि लोक सेवा समिति इस पर विचार करेगी । कदाचित् माननीय मुख्य मंत्री जी का [illegible] कहना है कि इस प्रश्न का यहां आना ही गलत हुआ है, इसे [illegible] के लिए जाना चाहिए था, यहां के लिये यह प्रश्न [illegible] है । तो मान्यवर, प्रश्नों को स्वीकार करने का अधिकार आपको है, [illegible] उत्तर देना पड़ेगा । इस संबंध में लोक सेवा समिति [illegible] माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट आयी थी और [illegible] । माननीय मंत्री जी ने सही बात को स्वीकार कर लिया, [illegible] कहना चाहता हूं कि प्रश्नोत्तर को भेजने वाले अधिकारी में अपने [illegible] का [illegible] है, जिसने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है तथा माननीय मंत्री जी उसको दण्डित करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

मान्यवर, यह प्रश्न कई विभागों से संबंधित था जैसे कि कृषि विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से तथा सिंचाई विभाग से [illegible] करने में समय लगा और लग रहा है। अभी तक केवल कृषि विभाग से [illegible] अन्य विभागों की सूचना एकत्रित करनी शेष है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से [illegible] करना चाहता हूं कि पीड़ित लघु-सीमान्त कृषकों और अनुसूचित [illegible] जो भारत सरकार ने सहायता प्रदान की थी, [illegible] क्योंकि उसमें प्रदेशीय सरकार द्वारा भी [illegible] रही है? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के [illegible] पर विचार कर रही है?

माता प्रसाद–

मान्यवर, यह सत्य नहीं है।

जनपद बस्ती के नौगढ़ तहसील में [illegible] के निर्माण में किसानों की ली गयी भूमि का मुआवजा [illegible] दिये जाने की कार्यवाही

*3–श्री धनराज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में महेशनालोटन मार्ग जिसका [illegible] हुआ, उस सड़क में जो जमीन किसानों की ली गयी है, [illegible] के बावजूद मात्र तीन गांवों (मधुकली, [illegible] रोप गांव अमवानस्तिया, दफालीपुर, [illegible] मुसौलामीकी

सुमनहा-कुरमी, महदेइया-तरधौना, लोटन की जमीन का मुआवजा सा0 नि0 वि0 ने यह कहकर नहीं दिया कि चकबन्दी प्रक्रिया के तहत किसानों की जमीन सा0नि0वि0 को मिल गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि काश्तकारों की जो जमीनें सा0नि0 वि0 के नाम हो गयीं, उसकी मालियत लगी थी ? यदि मालियत नहीं लगी, तो क्या चकबन्दी प्रक्रिया में किसानों को मुआवजा देने का निर्देश देंगे? यदि नहीं, तो किसानों की जमीन सा0नि0वि0 के नाम कर देने का क्या कारण है?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम मधुबनी, शिवपति नगर व दुल्हानूवी से संबंधित भू-स्वामियों को आपसी समझौते के आधार पर उनकी भूमि का प्रतिकर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिया गया है ।

इन ग्रामों की प्रश्नगत भूमि पर चकबन्दी प्रक्रिया शुरू होने के पहले ही सड़क बनी हुई थी । चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान इसे चकबन्दी से बाहर कर दिया गया ।

जी नहीं।

चकबन्दी प्रक्रिया में किसानों को मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान संबंधित ग्रामों के काश्तकारों की जमीन सा0नि0वि0 के नाम अंकित नहीं की गई है बल्कि सड़क के रूप में दर्ज की गई है।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि कि मोहाना लोटन मार्ग नाम की एक ही सड़क बनी जिसमें मधुबनी, शिवपति नगर, दूल्हगनूवी इत्यादि की जमीन यानी कि जिनकी जमीन चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत सड़क के नाम दर्ज नहीं की गयी परन्तु इसके कारण वहां के लोगों को मुआवजा मिल गया। इसके साथ ही कुछ गांव ऐसे थे जैसे कि दफालीपुर आदि जिनके नाम सड़क के लिये दर्ज कर दिये गये इसलिये सा0नि0वि0 ने उनको मुआवजा नहीं दिया तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन किसानों का इसमें क्या दोष है? जमीनें तो सब की एक साथ एक्वायर की गयीं और जिस पर सड़क कहीं पहले बन गयी और कहीं बाद में बनी तो जिनकी भूमि पर सड़क पहले बन गयी उन किसानों को तो मुआवजा मिल गया और जिनकी भूमि पर सड़क नहीं बन सकी, उन किसानों को मुआवजा आज तक नहीं मिला। तो क्या माननीय मंत्री जी सा0नि0वि0 विभाग को निर्देश देंगे कि जिन किसानों को अभी मुआवजा नहीं मिला है, दे दिया जाए?

श्री माता प्रसाद–

मान्यवर, सड़क पहले बन गयी है, चकबन्दी बाद में वहां पर हुयी है इसलिए मुआवजे का भुगतान का प्रश्न इस विभाग द्वारा नहीं उठता है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

जैसा कि माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि सड़क पहले बन गयी और चकबन्दी बाद में प्रारम्भ हुयी तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सड़क बनने के कितने दिनों बाद किसानों को मुआवजे का भुगतान हुआ और जो मुआवजे के भुगतान में विलम्ब हुआ दूसरे क्या उन काश्तकारों को उनकी ली गयी भूमि के एवज में कोई दूसरी भूमि दी गयी या नहीं?

श्री माता प्रसाद–

मान्यवर, तीन गांवों को सड़क हेतु लिया गया और सड़क उस पर बन भी गयी उसके उपरांत उन गांवों की चकबन्दी हुयी, इसलिए इस का ताल्लुक हमारे इस विभाग से नहीं है ।

श्री जवाहर सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों की भूमि ली गयी और उन्हें मुआवजा उन्हीं को 10 सालों बाद और किन्हीं को 15 वर्षों के बाद और बहुतों को तो अभी मिला भी नहीं है तो जिन किसानों की जमीनें 2, 4, 6, 10 और 15 वर्षों पहले लेकर उन्हें खेती से वंचित कर दिया गया तो क्या इनके इस नुकसान को देखते हुए उस समय का भी मुआवजा इनको दिया जाएगा और जिन काश्तकारों को अभी तक मुआवजा मिल नहीं सका है, एक तो वह उस भूमि पर खेती नहीं कर पा रहे हैं और दूसरे उनको अभी तक मुआवजा भी नहीं मिल सका है, तो क्या तत्काल मा0 मंत्री जी इसमें कोई निर्देश विभाग को देंगे जिससे उनको मुआवजा मिल सके ?

श्री माता प्रसाद–

पहले मान्यवर, सड़क बनी है और बाद में उसकी चकबन्दी हुयी है इसलिए इस विभाग द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा देने का सवाल नहीं उठता है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि सड़क पहले बन चुकी थी उसके बाद फिर चकबन्दी प्रारम्भ हुयी है । जब सड़क सा0 नि0 विभाग द्वारा बनायी गयी तो उस समय काश्तकारों से उनकी भूमि ली गयी, जब उनसे भूमि ली गयी तो उस भूमि की क्षतिपूर्ति भी उनको उसी समय दिया जाना चाहिए था जो किसी को दिया गया और किसी को नहीं दिया गया, और यदि जिन किसानों को मुआवजा दिया नहीं जा सका तो क्या उनकी भूमि की जो मालियत थी उसके अनुसार कोई दूसरी भूमि उनको दी गयी या नहीं ? इसमें किसानों का क्या दोष है ? उन्होंने सरकार को एक चीज दी उसके बदले में दूसरी भूमि या तो उनको दी जाती या फिर उसके एवज में उनको कोई भूमि दी जाती ।

श्री माता प्रसाद–

मान्यवर, जिस समय चकबन्दी होती है तो वहां पर पूरी तरह से सर्वे होता है जहां-जहां जो चीजें होती हैं, वह दिखाई जाती हैं जैसे जहां पर सड़क है, तो सड़क, जहां पर गड्ढा है, वहां पर गड्ढा और जहां पर कोई आबादी होती है तो आबादी यह सारी चीजें दिखाई जाती हैं फिर उसके अनुसार वहां पर कार्यवाही होती है, यहां पर जो मामला निहित है, यहां पर चकबन्दी से पहले वहां पर सड़क बनायी हुई थी, वहीं सड़क वहां पर लिख दिया गया और उसी हिसाब से बाकी की कार्यवाही हुयी ।

श्री आसान सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सभी ग्रामों में एक साथ सड़क का निर्माण हुआ है और वहां एक साथ आरम्भ हुआ है और एक साथ समाप्त हुआ है, तो इसका क्या कारण है कि किन्हीं गांवों को मुआवजा दे दिया गया है और किन्हीं को मुआवजा नहीं दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री आसान सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सारा कार्य एक साथ प्रारम्भ हुआ और एक साथ समाप्त हुआ, तो कुछ गांवों को मुआवजा दिलाया गया और कुछ को नहीं दिलाया गया, तो जिन अधिकारियों ने मुआवजा दिलाने का कार्य किया और कुछ दिलाया और कुछ नहीं दिलाया, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या माननीय मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ? दूसरा सवाल यह है कि जो गांव मुआवजा पाने से वंचित रह गये हैं, उनको मुआवजा दिलाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि चकबन्दी जब शुरू हुई थी, उसके पहले सड़क बनी हुई थी । चकबन्दी के कर्मचारी जो स्थिति होती है, उसको लिख देते हैं । इसलिए सड़क के मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता है, इस विभाग से ।

(प्रश्न संख्या—4 पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । माता प्रसाद जी सक्षम नहीं हैं, उत्तर देने के लिए, तिवारी जी कह दें हम सन्तुष्ट हो जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें । मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

लखनऊ तहसील सदर के लेखपालों को देय बकाया धनराशि के भुगतान में विलम्ब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

*4—श्री मनोहर लाल,
श्री राम आसरे वर्मा तथा
श्री राम करन पटेल—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सदर, लखनऊ के लेखपालों को देय बकाया (एरियर) जो पिछले वेतन आयोग की संस्तुतियों (जुलाई, 1979 से) के आधार पर भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भुगतान कब तक किया जायेगा ? क्या इस अप्रत्याशित विलम्ब करने वाले संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

पिछले वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर तहसील लखनऊ के लेखपालों को देय बकाया (एरियर) का भुगतान कार्य की अधिकता एवं कर्मचारियों की कमी के कारण सभी लेखपालों को नहीं किया जा सका है। 119 लेखपालों में 69 लेखपाल का बकाया वेतन बिल बन चुका है और 54 का कोषागार भेजा जा चुका है, 2 का भुगतान हो गया है। 15 लेखपालों का और वेतन बिल बन चुका है तथा कोषागार को भेजा जा रहा है। अब केवल 50 लेखपाल के बकाया वेतन का कार्य शेष है। जिलाधिकारी को शीघ्रता करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। चूंकि कार्य की अधिकता के कारण भुगतान में विलम्ब हुआ फिर भी जिलाधिकारी द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री मनोहर लाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग यह समझते थे कि माता प्रसाद बहुत ही भले मंत्री हैं, यह इम्प्रेशन था, लेकिन इस प्रश्न में बिल्कुल झूठ बोला है।

श्री अध्यक्ष–

यह शब्द मुनासिब नहीं है।

श्री मनोहर लाल–

मैं "झूठ" वापस लेता हूं। असत्य बोले हैं। सत्य से परे हैं। जो कुछ कहा है असत्य है। पूरी लखनऊ सदर तहसील में लेखपालों को एरियर मिला था, लेकिन 119 लेखपालों में से अब तक 69 लेखपालों का बकाया बन चुका है और 54 लेखपालों का कोषागार को भेजा जा चुका है, यह माननीय मंत्री जी ने बताया है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से आप जोड़ें, एक तरफ 190 होता है और एक तरफ 136 होता है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 119 है। तो मैं जानना चाहता हूं कि लेखपालों की संख्या 190 है या 119 है। दूसरा सवाल यह है कि अगर कार्य की अधिकता के कारण वेतन भुगतान नहीं हो सका, जो 1979 से होना था। कार्य की अधिकता बताते हैं और उसके कारण देरी हुई है, तो उसके लिए जो दोषी कर्मचारी हैं, क्या उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री माता प्रसाद–

मान्यवर, यहां पर जो कर्मचारी थे वह कम थे। स्टाफ कम था..

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

संख्या कितनी थी ? 119 थी या ज्यादा थी ?

श्री माता प्रसाद–

मान्यवर, जोड़ा तो नहीं है, जोड़ना पड़ेगा।

इसमें 52 का कोषागार में भेजा जा चुका है..

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, आप देख लीजिए । लाखों रुपये का तो इसमें जोड़ नहीं है । उसे भी नहीं जोड़ पा रहे हैं ।

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सुनिये ।

श्री माता प्रसाद–

मान्यवर, 119 पद स्वीकृत हैं . . .

श्री मनोहर लाल–

जवाब आपने क्या दिया है?

श्री माता प्रसाद–

उनमें से 69 लेखपालों का अवकाश वेतन बिल बन चुका है । 52 का कोषागार भेजा जा चुका है, दो का भुगतान हो चुका है ।

श्री मनोहर लाल–

आप जोड़ते चले जायें, कितना आता है . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूँ ।

जनपद एटा ग्राम नगला भिखारी में हुए भीषण अग्निकाण्ड से हुयी क्षति एवं राहत कार्य में विलम्ब

*5–श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जनपद एटा की तहसील पटियाली के ग्राम सरावल के उप ग्राम नगला भिखारी में दिनांक 28-11-87 को हुए भीषण अग्निकाण्ड में भारी क्षति होने के बावजूद तहसील पटियाली के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण शासन द्वारा राहत सहायता प्रदान करने में विलम्ब हो रहा है ? यदि हां, तो शासन दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत अग्निकांड से प्रभावित 10 परिवारों को राहत सहायता का वितरण दिनांक 28-2-88 को किया जा चुका है । राहत सहायता वितरण में हुए विलम्ब के लिए दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है ।

[मंगलवार, दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 को निम्नलिखित तारांकित प्रश्न]

*1–श्री रघुवर दयाल शर्मा–

[करण 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

विधान सभा

जनपद लखीमपुर खीरी, सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर में हुयी अनियमितताओं की जांच में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

*2—श्री मैनेजर सिंह—

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री बतायेंगे कि सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर, जनपद लखीमपुर खीरी से संबंधित अनियमितताओं की जांच संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (द्वितीय) (श्री रणविजय प्रताप सिंह) सहकारी चीनी मिल संघ, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा की गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है एवं जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध संघ व शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

सम्पूर्णानगर सहकारी चीनी मिल के तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (द्वितीय) द्वारा जांच कराई गयी एवं जांचोपरान्त प्रथम दृष्टया अनियमितता किये जाने का मामला प्रकाश में आया, जिसमें तत्कालीन प्रधान प्रबन्धक द्वारा 79 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये नियमित नियुक्ति कर दी गयी थी। सम्बन्धित प्रधान प्रबन्धक को इस अनियमितता के लिये एक भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दे दी गयी है एवं उनके द्वारा की गयी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रथम दृष्टया नियुक्तियों में गड़बड़ी पायी गई तो मैं यह जानना चाहता हूं कि और जो शिकायतें थीं उनमें जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया और आपने उस रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की? आपने कहा है कि वहां पर गड़बड़ी पायी गयी जिसके लिए आपने प्रतिकूल प्रविष्टि देने की सूचना दी है। लेकिन और जो शिकायतें थीं उनके बारे में जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया, कौन दोषी पाया गया ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, प्रथम दृष्टया ही आखिरी दृष्टया है। 79 की नियुक्ति गलत हुई थी, वह निरस्त कर दी गई।

श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, शास्त्री जी हमारे पुराने साथी हैं। प्रथम दृष्टया आपने बता दिया लेकिन मूल जांच जब हुई उसमें अंतिम निष्कर्ष क्या निकला ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

पूरी जांच में केवल यही एक बात थी कि यह जो नियुक्तियां की गयी थीं वह अनियमितता थीं। इन अनियमित नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया। सम्बन्धित अधिकारी जिन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया उनके खिलाफ कार्यवाही की गई और वह मैंने आपको बता दिया कि उसमें प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये तो मैं इस मामले में यह जानना चाहता हूं कि जो बाद में जांच हुई वह रिपोर्ट क्या है क्या वह आ गयी है ? अब उसके आधार पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

दूसरा यह कि उन कर्मचारियों की जिनकी नियुक्ति अनियमित पायी गयी उनको निकाल दिया गया, अनियमित नियुक्ति पाने के लिए उनका क्या दोष है ? क्या उनसे जो पैसा लिया गया था वह उनको वापस किया गया, उन अभ्यर्थियों को क्या कोई राहत दी गयी है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, 79 कर्मचारी अनियमित पाये गये यह दैनिक वेतन भोगी थे । कायदे के मुताबिक जो प्रक्रिया निर्धारित है उसके अनुसार नहीं किया । उसके बाद नियमानुसार गुणदोष के आधार पर 49 लोगों की नियुक्ति को उचित समझा गया और पुनः उनको नियुक्त कर दिया गया । शेष की जब विनियमितीकरण की बात आयेगी तो विचार किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने प्रथम प्रश्न पूछा था कि जब प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये उसके बाद जांच हुयी होगी तो क्या वह रिपोर्ट आ गयी है और उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

प्रथम दृष्टया जो गलती मिली उसमें 79 की गलत नियुक्ति पायी गयी और वही पूरी जांच रिपोर्ट है ।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो अनियमित रूप से नियुक्तियां हुईं उसमें क्या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी रखे गये अगर नहीं रखे गये तो क्या भविष्य में इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

नहीं यह इससे संबंधित नहीं है, यह प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गाजियाबाद, ग्राम सभा भगेल बेगमपुर के कतिपय खसरा नम्बरों पर महर्षि योगी द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे को बेदखल करने की कार्यवाही

*3–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भगेल बेगमपुर, तहसील दादरी, जनपद गाजियाबाद की खसरा नं0 407, 233, 241, 267, 272, 229, 238, 227, 248, 245, 259, 263 कुल रकबा 8-0-0 पर महर्षि योगी द्वारा संचालित वेद विज्ञान संस्थान नामक संस्था ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या शासन इस संस्था को बेदखल करने की कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम सभा [illegible] जनपद-बिजनौर में केवल खसरा नम्बर 259 एवं 263 के रकबा 1-3-0 पर संस्था द्वारा अवैध कब्जा करने के कारण 122-बी का वाद तहसीलदार [illegible] के न्यायालय में चला था, जिसमें संस्था को उक्त नम्बरों से बेदखल करते हुए उस पर रु0 1,447.50 हर्जाना किया गया था । संस्था से हर्जाना की वसूली की जा चुकी है । बेदखली के बाद दिनांक 8-10-87 को संस्था से कब्जा लेकर गांव सभा को दिला दिया गया है ।

श्री महेन्द्र भाटी–

मान्यवर, इस संस्था ने 7 बीघे [illegible] जमीन बिना शासन की अनुमति के खरीदी थी । जहां तक मेरी जानकारी है उस भूमि को अतिरिक्त भूमि कागज में घोषित कर दिया गया लेकिन आज भी उसमें [illegible] का कब्जा है । पिछले साल भी इस पर प्रश्न हुआ था [illegible] के [illegible] को उसमें जमीन दी गयी थी रिहायस के लिये ?

उसका भी कब्जा कागज पर दिखा दिया था शासन ने उसके बाद भी फिजीकल पजेशन आज भी उनके पास है । मैं बिना शासन पर मंत्री जी को कह रहे हैं कि उन लोगों से कब्जा लेकर पजेशन ग्राम समाज को दिला दिया जाय ।

श्री माता प्रसाद–

मान्यवर, उन्होंने 8/10 को कब्जा संस्था से ले लिया है लेकिन अदालत में बाद दायर कर दिया गया है और इन से सारे पर ग्राम समाज का कब्जा है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जैसा मंत्री जी ने [illegible] कि अपने स्तर पर बेदखल कर दिया लेकिन पुनः बाद दायर कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप यह कब्जा अपना रखते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या [illegible] का संशोधन करेंगे मंत्री जी करायेंगे कि जो जमीन ग्राम समाज की है [illegible] कब्जा कर ले और उसे बेदखल करने के [illegible] बाधा नहीं डालेगा क्या इस तरह का आप विधान में संशोधन करेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

मान्यवर, [illegible] दो गांवों का संबंध है वह ग्राम समाज के कब्जे में है लेकिन औरों में न्यायालय में वाद चल रहा है ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, कब्जा ले लिया गया, यह जवाब दिया लेकिन उसके बाद अदालत में वाद दायर किया । कब्जे के बाद स्टे आर्डर अदालत कर सकती है और वह उस समय जब कब्जा नहीं लिया गया है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि कब्जा लेने के बाद अदालत ने किस चीज का स्टे दिया था ?

श्री माता प्रसाद–

मान्यवर, कब्जा लिया गया लेकिन उसके बाद मामला अदालत में गया है ।

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, किसी एक चीज का हुक्म दे सकता है स्टे आर्डर कि कब्जा न लिया जाये और यह स्टे आर्डर उस समय तक कब्जा लेने की अधिकता में सरकार का आदेश हो गया हो, और कब्जा न लिया गया हो और कब्जा न लिया जा सकता है। मंत्री जी ने कहा कि कब्जा ले लिया गया है और उसके बाद अदालत में गये हैं, तो कब्जा ले लिया गया है, तो कानूनन कैसे लिये गये और कब्जा किस तरह दे दिया गया है ?

श्री माता प्रसाद—

विधायक 28-9-88 की बहस ले लेंगे पढ़ी है उन्हों। उसे मा0 सदस्य ने कहा है उसकी सूचना नहीं हुई है।

श्री मोहम्मद आजम खां—

मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं आया है। कानून तौर के तहत स्टे आर्डर किस चीज का दिया गया है ? क्या उत्तर दिया है। मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर पहली बार सदन संज्ञान में आया जो उसके साथ ही गांव समाज के पक्ष में निर्णय हो गया और निर्णय हो गया है से समझता हूं कि उस बीच वह अदालत में चले गये होंगे।

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, मेरे कानों मंत्री जी ने सुनी है। एक तो सहारिया योगी से कब्जा ले लिया गया है, उसे कुछ जमीन दे दी गई। उन्हीं जमीन अनुसूचित जनजातियों और हरिजनों में बांट दी गयी और उसके बाद स्टे आर्डर होकर के तो वह स्टे आर्डर हरिजनों के हक में होना चाहिए। मंत्री महोदय के कथन से ऐसा लगता है, सरकारी लोगों द्वारा ग्राम समाज की जमीन को जमीनों के रूप में उन्हीं गरीब युवकों को बंदोबस्त कर देते हैं। तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि किस परिस्थिति के आधार पर भूमाफिया लोगों द्वारा कब्जा की गई भूमि को ग्राम समाज के रूप में उसको की कार्यवाही की जाएगी ?

श्री माता प्रसाद—

मान्यवर, जब उच्चतम न्यायालय में मामला गया, कोई भी नहीं मिला पात्र व्यक्तियों को आवंटन का, तो वापस कर दिया है। वे न्यायालय में शामिल हैं, इसलिए आवंटन नहीं किया जा सका।

श्री लाल प्रताप सिंह—

एक बार जब स्थगन आदेश किस आधार पर किस परिस्थितियों में वह कब्जा छूट गया आप से ? किस महीने ? कानून का क्या विचार था ?

श्री माता प्रसाद—

अदालत से नहीं दी, मान्यवर सदस्य, उसके बाद ही वह न्यायालय में चले गये।

(दोपहर 1 बजे 2 बजे बाद पुनः समवेत)

श्री महेन्द्र भाटी–

धन्यवाद, मुझको मौका तो दें, मंत्री जी का कथन है कि हर्जाना वसूल कर लिया और कब्जा भी ले लिया, तो क्या वह आदेश कैसा, जिसको महर्षि महेश योगी ने न्यायालय से प्राप्त किया है ? जो मुझको जवाब दिया गया है, वह निश्चित रूप से झूठा है, मैं विशेषाधिकार हनन की सूचना देता हूँ ।

श्री माता प्रसाद–

इस समय जमीनें ग्राम समाज के कब्जे में ही हैं ।

जनपद जौनपुर के ग्राम सभा गौरा की भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

*4–श्री राम लखमी नारायण सिंह (मछलीशहर)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील मछलीशहर, जनपद जौनपुर की चकबन्दी जो वर्ष 1985 में शुरू की गई थी, का कार्य कब पूरा किया गया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम सभा में कितनी भूमि ग्राम समाज के अंतर्गत आती है और उसकी गाटा संख्या क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम सभा की जमीन में अवैध लोगों का कब्जा है ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और मंत्री जी उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत ग्राम गौरा में चकबन्दी अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत गजट का प्रकाशन दिनांक 10 दिसम्बर, 1981 को हुआ था । चकबन्दी कियायें धारा 24 के अधीन कार्य परिसमाप्ति तक की जा चुकी है सकी । ग्राम गौरा में कुल 417 गाटों की 33.68 एकड़ भूमि [illegible] । [illegible] में निहित भूमि पर सर्वश्री राम [illegible], [illegible] (मृत अधिवक्ता), [illegible], [illegible], [illegible], शिवप्रसाद, रामदयाल, [illegible], [illegible] (मृत अधिवक्ता), [illegible] रघुनाथ, भूप नारायण, सैयद [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] तथा [illegible] का अवैध कब्जा [illegible] । अतः अधिनियम अधिकारियों के विरुद्ध कब्जेदारी विवाद अधिनियम 1976 की धारा 122-ब के अंतर्गत वाद पंजीकृत किया जा चुका है और कार्यवाही विचाराधीन है ।

श्री हृदयराम प्रसाद [illegible] के संबंध में [illegible] यह विवरण

फाटा

*5–श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री हर्ष वर्धन तथा श्री यदुनाथ सिंह–

प्रथम मार्च 1980 को गोपाल सेमरौता ने वास्तविक प्रवर संख्या 49–50 के उत्तम को [illegible] में [illegible] रखी मांगने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा उनके परिवार के [illegible] कौन कौन कृषि भूमि [illegible] नियमावली

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–5 श्री भोपाल सिंह को स्थगित कर दिया गया ।

के नियम 9 (क) 2 के अंतर्गत श्री हनुमान प्रसाद कुरील, प्रमाण-पत्र देने वाले दोनों स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लाग, कब से कब तक और किस-किस जेल में सहबंदी रहे और यदि सहबंदी नहीं रहे तो प्रमाण-पत्र किस आधार पर अनुमन्य पाए गए ?

जेल राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह)–

श्री हनुमान प्रसाद कुरील को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात के प्रमाण-पत्र के आधार पर स्वीकृत की गई है न कि सहबन्दी प्रमाण-पत्रों के आधार पर । दोनों स्वतंत्रता सेनानियों ने श्री कुरील के सहबन्दी होने का प्रमाण-पत्र नहीं दिया है, बल्कि उनके विधान भवन पर सत्याग्रह करने तथा गिरफ्तार होकर दण्डित होने को प्रमाणित किया है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि माननीय कुरील जी किस धर्म में और किस जुर्म के तहत बन्दी बनाए गए थे ?

श्री मानपाल सिंह–

मान्यवर, 14 अप्रैल 1947 को धारा 147, 448 के अंतर्गत विधान भवन के सामने सत्याग्रह करने पर बन्दी बनाए गये थे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, यह प्रश्न जो पूछा गया है यह इससे पिछले सत्र में भी पूछा जा चुका है यह अतारांकित प्रश्न संख्या–49-50 के सन्दर्भ में पूछा गया है उसमें जो जवाब आया था उसमें से सहयात्री जेल के थे उन्होंने सार्टिफिकेट दिया था वह उ0 1931-32 में जेल काटे थे। आज जो विवरण आया है उसके आधार पर नहीं बल्कि जिलाधिकारी के प्रमाण-पत्र के आधार पर आया है। सत्तारूढ़ दल के सदस्य द्वारा इतना अनुचित आचरण किया गया है . . .

(शोर)

जिन सदस्य द्वारा इतना अनुचित आचरण किया गया है उनको सदस्यता से निष्कासित किया जाना चाहिए । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सह-बन्दियों के प्रमाण-पत्र के आधार पर पेंशन नहीं दी गई, तो सन् 1947 में जिस महीने की सजा को आधार बनाया गया है उस महीने में कांग्रेस ने कौन सा आन्दोलन सत्याग्रह का चलाया था, जिसके तहत उन्होंने गिरफ्तारी दी थी ?

श्री मानपाल सिंह–

मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि अतारांकित प्रश्न संख्या–49 का जो उत्तर दिया गया था, उसमें कहा गया था कि डी0 ओ0 नं0 स0 वि0 91 जेड/6-बी-87-66/87 दिनांक 24-6-87 में श्री हनुमान प्रसाद कुरील को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के फलस्वरूप राजनैतिक पेंशन स्वीकृत की गयी है । श्री हनुमान प्रसाद कुरील ने दिनांक 26-3-87 को जिलाधिकारी कानपुर देहात का प्रमाण-पत्र, दो विधायकों

सर्वश्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित तथा मेहर चन्द पाण्डेय और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर्वश्री मन्ना लाल द्विवेदी तथा राम नारायण त्रिपाठी के प्रमाण-पत्रों के साथ आवेदन पत्र दिया था। 50वें प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सर्वश्री मन्ना लाल द्विवेदी और राम नारायण त्रिपाठी के प्रमाण-पत्रों में यह प्रमाणित किया गया है कि श्री हनुमान प्रसाद कुरील विभिन्न समय पर गिरफ्तार होकर गिरफ्तार हुये और जेल गये। उन्होंने जेल में सहबन्दी सेना प्रमाणित नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह उत्तर तो हमारे पास भी है। समय बर्बाद हो रहा है, एक सवाल पूछ लेने दें।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री मानपाल सिंह—

श्री हनुमान प्रसाद कुरील ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध . . .

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह हमारे पास है इसको क्यों पढ़वा रहे हैं ?

(व्यवधान)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो और लोग सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री सत्यपाल सिंह—

सन् 1947 में पंत जी की सरकार थी उस समय कौन स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(शोर)

(श्री विजय सिंह राणा, श्री भोपाल सिंह आदि सदस्य अपने आसन से उठकर वेल आफ द हाउस पर आ गये और नारे लगाने लगे।)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है।

श्री भोपाल सिंह—

सन् 47 में सरकार थी उस समय कौन सा आंदोलन था ?

श्री शारदा नंद अंचल—

गलत पेंशन ले रहे हैं।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, इस प्रश्न के संदर्भ में माननीय सदन की बहुत बड़ी जिज्ञासा है । इस संबंध में पहले भी अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गये हैं और आज भी इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है । दोनों में विसंगति है । विसंगति के साथ-साथ स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति फर्जी रूप से पेंशन ले रहा है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस मामले को देख लूं तभी फैसला कर सकूंगा ।

श्री सत्यपाल सिंह –

आपने जवाब सुन लिये । दोनों में विसंगति है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको देखकर जो निर्णय होगा, कर दूंगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं सुझाव देता हूं इसलिये कि विवाद न बढ़े । उसको आप मान नहीं रहे हैं । मैंने प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द करने के लिए कहा है तो कौन सी बड़ी चीज कही है ?

श्री अध्यक्ष–

जो पहले जवाब आया है और जो जवाब अब आया है, दोनों को देखकर निर्णय कर दूंगा । मुझे देख तो लेने दीजिये ।

श्री सत्यपाल सिंह–

सन् 1947 में कोई आंदोलन था ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज ही निर्णय कर दूंगा, मैं इसको देखकर आज ही निर्णय कर दूंगा ।

जनपद लखीमपुर खीरी, सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर के दैनिक वेतन, मस्टर रोल तथा डिमान्ड आदि पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

*6–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन व सहकारी चीनी मिल संघ के बार-बार निर्देश के बावजूद सहकारी चीनी मिल, सम्पूर्णानगर, जनपद-लखीमपुर खीरी के दैनिक वेतन, मस्टररोल, डिमाण्ड आदि पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

किसान सहकारी चीनी मिल सम्पूर्णानगर, खीरी में सृजित पदों के अन्तर्गत रिक्तियां होने पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को उनके अनुभव कार्य कुशलता एवं ज्येष्ठता के आधार पर नियमित किया जा रहा है । मस्टररोल एवं डिमाण्ड पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने का प्रश्न ही नहीं है ।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

किसानों की भूमि पर देय भू-राजस्व को समाप्त करने की घोषणा

*7—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार किसानों द्वारा उनकी भूमि पर देय भू-राजस्व को समाप्त करने की घोषणा तत्काल करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो इसे समाप्त न करने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद—

प्रदेश में 3.125 एकड़ तक के खातेदारों को मालगुजारी के भुगतान के दायित्व से मुक्त किया जा चुका है । इससे अधिक जोत रखने वाले खातेदारों को राज्य की अर्थोपाय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मालगुजारी के दायित्व से मुक्त करना संभव नहीं है ।

जनपद कानपुर (देहात) के श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा अपराधियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई रिपोर्ट

*8—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 सितम्बर, 1985 की रिपोर्ट संख्या 258 व अपराध संख्या 292/85 धारा 147/436 के अन्तर्गत थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर (देहात) में रिपोर्टकर्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद ने किन लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी ? क्या यह सत्य है कि इस मामले के सभी अपराधी राजनैतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इसीलिए अपराधियों के थाना पर आने जाने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तथा आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल होने के बावजूद भी मुकदमा वापस ले लिया गया ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद ने 4 व्यक्तियों-1-पुत्तन लाल पुत्र सोमदत्त 2—विनोद कुमार द्विवेदी पुत्र ओम प्रकाश द्विवेदी, 3—सुशील कुमार उर्फ बउआ पुत्र चुकट्टा उर्फ राजकुमार तिवारी, 4—पुत्तन का नौकर निवासीगण कस्बा बिल्हौर, कानपुर देहात के विरुद्ध लिखित सूचना देकर थाना बिल्हौर पर अ0 सं0 292/85 धारा 147/436 भा0 दं0 वि0 की रिपोर्ट दर्ज कराई ।

जी नहीं । प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित 4 अभियुक्तों में 3 की गिरफ्तारी घटना के दिन की गयी । केवल एक अभियुक्त विनोद कुमार द्विवेदी की गिरफ्तारी नहीं हुई । जी हां ।

जनपद मुरादाबाद के उपगन्ना आयुक्त (श्री रामभूर्ति सिंह) द्वारा ह्यूम पाइप की आपूर्ति में घोटाला

*9—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि मुरादाबाद क्षेत्र के विभिन्न गन्ना विकास परिषदों में वर्ष 1985-86 में उप गन्ना आयुक्त (श्री राम मूर्ति सिंह) द्वारा उन फर्मों को जिनके कोटेशन भी प्राप्त नहीं हुए थे, सप्लाई आदेश देकर ह्यूम पाइप की आपूर्ति

कराई गई और हजारों रुपयों का घोटाला किया गया ? यदि हां, तो क्या उप गन्ना आयुक्त के विरुद्ध कोई जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्नगत मामले में प्राप्त शिकायतों पर उप गन्ना आयुक्त मुरादाबाद (श्री राम मूर्ति सिंह) के विरुद्ध अपर चीनी आयुक्त से जांच कराई जा रही है । जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में स्थित श्री गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान में बीज-गन्ना उत्पादन में कमी

*10–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84, 84-85, 85-86 एवं 86-87 में देवरिया जनपद स्थित श्री गेंदा सिंह, गन्ना शोध संस्थान सेवरही में कितने हजार क्विंटल बीज तथा कितने हजार क्विंटल कामर्शियल गन्ने का उत्पादन और आपूर्ति हुई ? क्या यह सत्य है कि उक्त अवधि में बीज तथा कामर्शियल गन्ने के उत्पादन में भारी कमी आयी जिसमें शोध केन्द्र को भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? इस क्षति का दायित्व किस पर है और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्री गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान, सेवरही में वर्ष 1983-84 से वर्ष 1986-87 तक वर्षवार गन्ना बीज एवं गन्ने के उत्पादन की स्थिति निम्नवत् है :–

वर्ष	गन्ना बीज (हजार क्विंटल में)	अन्य गन्ना उत्पादन
83–84	4.17	8.16
84–85	4.31	9.24
85–86	3.42	8.31
86–87	3.22	2.93

वर्ष 1983-84 एवं 84-85 में गन्ना बीज उत्पादन तथा अन्य गन्ने के उत्पादन में गिरावट नहीं आई है । वर्ष 1985-86 में मात्र गन्ना बीज उत्पादन में थोड़ी कमी तथा वर्ष 1986-87 में गन्ना बीज उत्पादन तथा अन्य गन्ना उत्पादन में कमी आयी है ।

वर्ष 1986-87 में कमी दैविक विपदा व अनुकूल मौसम न होने के कारण हुयी है ।

अतः उत्तरदायित्व निर्धारण का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद एटा न्यौली शुगर फैक्ट्री में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत-कार्यवाही

*11—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 20-6-88 जो कि जनपद एटा न्यौली शुगर फैक्ट्री में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में जिला मंत्री, महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, जनपद एटा की श्रीमती पुष्पा उपाध्याय के नेतृत्व में सोरों क्षेत्र के किसानों के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा एटा में दिनांक 18-1-88 को कृषि मंत्री उ0 प्र0 को ज्ञापन देने और कार्यवाही की मांग करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सोरों क्षेत्र के किसानों की मुख्य मांगें क्या थी और उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सन्दर्भित पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी की चीनी मिल बुढ़वल के सेवा निवृत कर्मचारियों के ग्रेच्युटी, प्राविडेन्ट फण्ड तथा ओवर टाइम के पैसे का भुगतान

*12—श्री फरीद महफूज किदवई—

क्या गन्ना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुढ़वल चीनी मिल, बुढ़वल, जिला बाराबंकी के श्रमिकों जो 1968 से 1978 के दौरान रिटायर हुए थे, उनके ग्रेच्युटी, प्राविडेन्ट फण्ड तथा ओवर टाइम का पैसा अब तक क्यों नहीं दिया गया है ? क्या सरकार उन गरीब श्रमिकों को यह पैसा दिलाने की कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

राज्य चीनी निगम को, बुढ़वल चीनी मिल का कब्जा दिनांक 16-5-79 को मिल सका था और तभी से निगम उक्त मिल को चला रहा है इसलिए वर्ष 1968 से 1978 के दौरान सेवा निवृत्त हुये कर्मचारियों के ग्रेच्युटी, प्राविडेन्ट फण्ड व ओवर टाइम के पैसे का भुगतान निगम द्वारा नहीं किया गया।

उपरोक्त परिस्थिति में सरकार द्वारा इन श्रमिकों के देय धन का भुगतान कराना सम्भव नहीं हो सका।

जनपद लखनऊ में स्थित मोहन मीकिन्स शराब खाने से गोमती नदी में गिरने वाले प्रदूषित जल को शुद्ध करने हेतु संयंत्र का लगाया जाना

*13—श्री अर्जुन सिंह यादव तथा मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर स्थित मोहन मीकिंस शराब कारखाने से गोमती नदी में गिरने वाले अशुद्ध एवं प्रदूषित जल को शुद्ध करने हेतु फैक्ट्री में कोई संयंत्र लगाया गया है ? यदि हां, तो उस पर देखरेख एवं निरीक्षण हेतु किस का अधिकारी नियुक्त है ? क्या सरकार सम्पूर्ण (संयंत्र का) नियंत्रण अपने हाथ में लेने पर विचार करेगी जिससे कारखाने से होने वाले जल प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोका जा सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

उक्त औद्योगिक इकाई द्वारा लगाए गए संयंत्र की देखरेख एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व इकाई का स्वयं है । बोर्ड के अधिकारियों द्वारा संयंत्र की कार्यक्षमता का निरीक्षण संकलित उत्प्रवाह के नमूनों के आधार पर किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक इकाईयों के संयंत्रों का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लिया जा सकता । बोर्ड द्वारा केवल प्रदूषण नियंत्रण संबंधी निर्देश औद्योगिक इकाइयों को दिए जाते हैं । बोर्ड द्वारा अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन किया जा रहा है ।

जनपद गाजियाबाद में चीनी मिल स्थापित करने की मांग

*14–श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार गाजियाबाद जनपद में गन्ने की पैदावार को देखते हुए उक्त जनपद में चीनी मिल लगाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित लाइसेंस संबंधी शर्तों के अनुसार गाजियाबाद में नई चीनी मिल की स्थापना सम्भव नहीं है ?

उत्तर प्रदेश में कार्यरत टेली प्रिंटर आपरेटरों को स्थायी किया जाना

*15–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उ0 प्र0 में जिला हेड क्वार्टर पर जिला अधिकारियों के यहां लगे टेलीप्रिंटरों पर कार्यरत टेलीप्रिंटर आपरेटर वर्ष 1980 से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो 8 वर्षों तक कार्य करते रहने के बाद भी उन्हें स्थायी न करने का क्या कारण है और उन्हें शासन द्वारा कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

प्रदेश के कुल 46 जनपदों में टेलीप्रिंटर सेवा चालू हैं जिनसे संबंधित समस्त अस्थायी पदों को शासन द्वारा स्थायी किया जा चुका है । इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कालान्तर में अन्तिम हो जायेगी ।

*16–श्री समर पाल सिंह–

[मंत्रिमण्डल में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बाराबंकी में ड्राइवरों की पुलिस द्वारा पिटाई के संबंध में जांच आख्या

*17—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 31-3-88 को रात 9 बजे कस्बा देवा जनपद बाराबंकी में देवा कोल्ड स्टोरेज के सामने खड़े वाहनों के ड्राइवरों को देवा पुलिस ने अकारण पीटा था और दिनांक 1-4-88 को लगभग 500 लोगों ने ए0 डी0 एम0 वित्त एवं राजस्व बाराबंकी को जो उस दिन इन्चार्ज जिलाधिकारी थीं उक्त घटना के संबंध में शिकायती पत्र देकर देवा पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की थी ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन्चार्ज जिलाधिकारी ने घटना की जांच प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को सौंपी थी ? यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्रश्नगत शिकायत के सम्बन्ध में संदर्भित शिकायती-पत्र प्रभारी जिलाधिकारी बाराबंकी को प्राप्त हुआ था जिन्होंने उपर्युक्त घटना की जांच एक मजिस्ट्रेट को सौंपी । मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट से पूर्ण स्थिति स्पष्ट न हो पाने के कारण उपर्युक्त प्रकरण की पुनः गहराई से जांच अपर जिला मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी से कराने के निर्देश दिए गए हैं ।

शुगर फैक्ट्री हरदोई द्वारा प्राप्त धनराशि का किसानों को भुगतान

*18—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शुगर फैक्ट्री हरदोई द्वारा इस सत्र में बैंक को प्लेज की गई शकर के विरुद्ध कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा प्राप्त धनराशि का कितना प्रतिशत किसानों को भुगतान किया गया ? क्या यह भुगतान निर्धारित मानक के अनुसार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए दोषी कौन है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई हरदोई द्वारा इस सत्र 1987-88 में बैंक को प्लेज की गई चीनी की बोरियों से 609.76 लाख रु0 प्राप्त हुआ ।

दिनांक 29-9-88 की स्थिति के अनुसार प्राप्त धनराशि का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को किया जा चुका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के थाना शिवपुर में बैल बध करने वालों की गिरफ्तारी

*19—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, अप्रैल, 88 में थाना शिवपुर जिला वाराणसी द्वारा कुछ बैल बध करने के आरोप में पकड़े गए थे ? यदि हां, तो वह कितने थे, कहां से आ रहे थे तथा कहां जा रहे थे ? उनकी गिरफ्तारी किस धारा के अन्तर्गत हुई थी ? क्या स्थानीय पुलिस ने उन बैलों को किसी की सुपुर्दगी में दे दिया है ? यदि हां, तो किनको और वे बैल किनके पास हैं तथा अब तक उन पर सरकार का कितना व्यय हुआ है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार पकड़े गए बैलों की संख्या 104 थी । ये बैल हरदोई, गोण्डा, जौनपुर तथा बरेली जनपदों से लाए गए थे और हावड़ा को ले जाए जा रहे थे । बैलों को गोवध अधिनियम की धारा 3/8/5 ए एवं अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई नियमावली के नियम 16 (3) के अंतर्गत कब्जे में लिया गया । स्थानीय पुलिस ने पकड़े गए बैलों को भारतीय गोरक्षा प्रचारक मण्डल काशी के जनरल सेक्रेटरी श्री रमाशंकर पाण्डेय पुत्र श्री हुकलाल निवासी एस-15/182 शिवपुर भोलाई थाना शिवपुर वाराणसी की सुपुर्दगी में दे दिया था । इस मामले में शासन द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया है ।

*20–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[1ले बुधवार में ता0 प्र0 सं0 1 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

सुरिंगाड विद्युत परियोजना के कर्मचारियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने के संबंध में मण्डलीय अध्यक्ष श्री नवीन चन्द्र के पत्र पर कार्यवाही

1–श्री काशी सिंह एरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रांक 340/85 दिनांक 31-8-85 के साथ श्री नवीन चन्द्र कर्नाटिक, मण्डलीय अध्यक्ष, विद्युत मजदूर परिषद्, नैनीताल का मूल प्रार्थना-पत्र सुरिंगाड विद्युत परियोजना के कर्मचारियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने के संबंध में, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस संबंध में दिनांक 19 अक्टूबर, 87 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां । प्रश्नगत प्रकरण में जांच के उपरान्त दोषी पाए गए उप निरीक्षक श्री गोविन्द लाल शाह (तत्कालीन थानाध्यक्ष, मुनस्यारी) के विरुद्ध धारा / पुलिस एक्ट के अन्तर्गत पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 490 के अनुसार कर्तव्य पालन में शिथिलता, लापरवाही व अनुशासनहीनता हेतु विभागीय कार्यवाही किए जाने के फलस्वरूप उन्हें घटना के वर्ष की वार्षिक वेतन-वृद्धि घटना के बाद एक वर्ष के लिए रोक दी गई है । उन्हें विभाग द्वारा दण्ड दिया जा चुका है ।

जनपद आगरा–फिरोजाबाद में बढ़ते अपराधों की रोकथाम

2–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा-फिरोजाबाद और आगरा नगर में वर्ष 1986-87 और 1987-88 में हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट और चोरी की कितनी घटनाएं हुईं और उनमें कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए तथा कितनों की गिरफ्तारी शेष है ? उक्त अपराधों की बढ़ती गति को नियंत्रित करने हेतु शासन ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्रश्नोल्लिखित अवधि में जनपद आगरा के फिरोजाबाद एवं आगरा नगर में घटित

अपराधिक घटनाओं तथा उनमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में वांछित विवरण की तालिका संलग्न है ।

अपराधों में हुई आंशिक वृद्धि को रोकने हेतु गस्त व्यवस्था तेज कर दी गई है और निरोधात्मक कार्यवाही के लिए भी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 207 पर)

3—श्री यदुनाथ सिंह—

[करण संख्या 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद बुलन्दशहर के डकैती से प्रभावित व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स न दिया जाना

4—श्री किरन पाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बुलन्दशहर के उन आवेदकों को जिनके यहां पर कत्ल-डकैती की घटनायें हो चुकी हैं, शासन की नीति के विरुद्ध आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि गत दो वर्षों में जनपद बुलन्दशहर के कितने ऐसे लोगों ने हथियारों के लिए आवेदन किया जिनके यहां पर हत्या-डकैती हो चुकी है तथा उनमें से कितने आवेदकों को आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस दिए गए ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार जनपद बुलन्दशहर में प्रश्न में उल्लिखित घटनाओं से सम्बद्ध व्यक्तियों को गुणावगुण के आधार पर आग्नेयास्त्र लाइसेंस स्वीकृत किए जा रहे हैं ।

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में उक्त प्रकार की घटना से पीड़ित 72 आवेदकों के आग्नेयास्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुए, इनमें से अब तक 36 मामलों में आग्नेयास्त्र लाइसेंस निर्गत किए जा चुके हैं ।

टार्च सेल की खरीद पर कर मुक्ति के संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य श्री यदुनाथ सिंह के पत्र पर कृत कार्यवाही

5—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि शासन ने अपने अ0 शा0 पत्र सं0—एस0 टी0 टी0-2-828/दस--86-9 (125)/, दि0 29-7-87 से आयुक्त, बिक्रीकर को सूचित किया कि केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट/मिलीटरी केन्टीन तथा उत्तर प्रदेश राज्य कल्याण निगम की बिक्री-कर से करमुक्ति संबंधी विज्ञप्ति के अधीन टार्चसेल की खरीद पर कर मुक्ति उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 653 सचिव संस्थागत वित्त को ता0 20-11-87 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? तीनों विक्रेताओं से किस-किस वर्ष का कितना कर व ब्याज जमा कराया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं । तथापि आयुक्त बिक्रीकर का पत्र संख्या-एस0 टी0-2-8208/दस-86—9(125)/85, दिनांक 29-7-87 भेजा गया था ।

जी हां ।

आयुक्त बिक्री कर से आख्या/सूचना मांगी गई ।

इन व्यापारियों पर विभिन्न वर्षों में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट/मिलीटरी कैन्टीन उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को की गई बिक्री सहित अन्य समस्त बिक्री पर कर लगाया गया , जिसमें से व्यापारी द्वारा जमा किये गये कर का लाभ देते हुए शेष धनराशि की मांग निकाली गयी । सर्वश्री जीप इण्डस्ट्रियल सिंडिकेट ने वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक के लिए निर्धारित किये गये कुल कर के संबंध में विभिन्न आधार पर अपीलें दायर कर रखी हैं और विवादित कर की वसूली का स्थगन प्राप्त कर लिया है । सर्वश्री पंजाब आनंद बैटरीज लिमिटेड के मामले में 1979-80 का कर निर्धारण उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित है । वर्ष 1980-81 के बाद में प्रतिप्रेषण आदेश के विरुद्ध व्यापारी उच्च न्यायालय में गये हैं वर्ष 1981-82 में कर राशि समय से जमा है । वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक से संबंधित आदेशों के विरुद्ध व्यापारी ने द्वितीय अपीलें दायर कर रखी हैं, जिसमें विवादग्रस्त कर का क्रमशः 60 · 60 तथा 67 प्रतिशत स्थगित है तथा शेष राशि जमा है । सर्वश्री तोषीबा आनन्द के मामले में वर्ष 1983-84 के मामले में 15456 · 96 रुपये के विक्रयधन पर बिक्रीकर अधिकारी ने छूट प्रदान कर दी थी, जिसके संबंध में धारा 10—ख में कार्यवाही की जा रही है । उक्त सभी मामलों में ब्याज की गणना का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा में आयोजित किसान रैली में प्रयुक्त सरकारी वाहनों का भुगतान

6—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 26-10-87 को आगरा में आगरा मण्डल की कांग्रेस (ई) की किसान रैली का आयोजन हुआ था ? यदि हां, तो क्या उसके लिए मुख्य मंत्री और अन्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने प्रदेश सरकार के सरकारी वाहनों का प्रयोग किया ? यदि हां, तो क्या उन वाहनों का किराया और पेट्रोल आदि का व्यय कांग्रेस (ई) कमेटी आगरा ने अदा किया ? यदि नहीं, तो सत्ताधारी पक्ष की रैली पर राज्य सरकार द्वारा धन व्यय किये जाने के क्या कारण थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, मुख्य मंत्री तथा प्रदेश सरकार के कतिपय अन्य मंत्रियों ने दिनांक 26-10-87 को आगरा की यात्रा की थी तथा किसान रैली में भी भाग लिया था । चूंकि उनकी यात्रायें अपने अधीनस्थ विभागों से सम्बन्धित शासकीय कार्यों के संबंध में थीं, अतएव उनके द्वारा प्रयुक्त वाहनों का किराया तथा पेट्रोल का व्यय कांग्रेस (ई) कमेटी आगरा द्वारा वहन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद कानपुर में 37वीं वाहिनी पी0 ए0 सी0 में कार्यरत कुछ रसोइयों को लिपिक परीक्षा में बैठने की अनुमति न मिलना

7—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि 37वीं वाहिनी पी0 ए0 सी0 कानपुर में हाई स्कूल पास ऐसे कितने रसोइये हैं जिन्हें लिपिक परीक्षा में सम्मिलित होने के अवसर आवेदन करने के बाद भी नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पीड़ित पक्ष को न्याय देकर उत्पीड़क पक्ष को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

37वीं वाहिनी, पी0 ए0 सी0 कानपुर, में कुल 5 हाई स्कूल पास रसोइये थे, जिन्होंने कान्सटेबुल (एम) के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र दिया था । इसमें से केवल दो रसोइये जो परीक्षा के लिए निर्धारित अर्हतायें एवं शर्तें पूर्ण करते थे, को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गयी थी ।

शेष 3 रसोइयों में से दो रसोइये पांच वर्ष की निर्धारित निरंतर सेवा पूर्ण नहीं किये थे , अतएव उनके प्रार्थना पत्र वाहिनी स्तर से पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को अग्रसारित नहीं किये गये तथा एक रसोइये का प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत न कये जाने के कारण पुलिस मुख्यालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया ।

इस प्रकार किसी कर्मचारी को उत्पीड़ित नहीं किया गया । अतएव उत्पीड़ित पक्ष को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील अकबरपुर के हरिजन श्री अलगू के पत्र पर जांच तथा श्री आर0 पी0 सुमन के पत्र पर कृत कार्यवाही

8–डाक्टर विनोद तिवारी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 पी0 सुमन सांसद का दिनांक 27 जुलाई, 1987 का कोई पत्र, नायब तहसीलदार, अकबरपुर (श्री गुलाब चन्द्र मौर्य) द्वारा ग्राम सभा हरखपुर कोड़हा, तहसील अकबरपुर के निवासी श्री अलगू हरिजन के प्रार्थना-पत्र पर जांच के आदेश शासन से प्राप्त होने पर की गयी जांच रिपोर्ट क्या है, जानने के संबंध में प्राप्त हुआ है और क्या यह सही है कि श्री आर0 पी0 सुमन ने इसी संबंध में जिलाधिकारी को भी कोई पत्र माह अगस्त 1987 में लिखा है , प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि जांच में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां ।

इस पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा कोई जांच नहीं करायी गयी । जिलाधिकारी को यह निर्देश दिये गये कि किसी वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शीघ्र जांच करा लें ।

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज के ग्राम शहजादपुर के प्रधान द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में प्रश्नकर्ता सदस्य श्री शारदा प्रताप के पत्र पर कार्यवाही

9–श्री शारदा प्रताप–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1988 जिसे उनके द्वारा जिलाधिकारी , लखनऊ को भेजा गया है जिसकी प्राप्ति पत्रांक249/बी0 आई0 पी0/88, दिनांक 20-1-1988 द्वारा प्रश्नकर्ता को दी गई है, में संदर्भित ग्राम प्रधान शहजादपुर, तहसील मोहनलाल गंज जनपद-लखनऊ की गम्भीर अनियमितताओं की जांच किस अधिकारी से करायी गयी ? जांच रिपोर्ट क्या है ? इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1988 की जांच तहसीलदार मोहनलालगंज से कराई गयी जिसमें ग्राम प्रधान शहजादपुर के विरुद्ध ग्राम सभा सम्पत्ति के दुरूपयोग करने, अपने पद से अनुचित लाभ उठाने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहने की अनियमिततायें प्रथम दृष्टया सत्यापित हुई हैं । फलतः ग्राम प्रधान श्री राम खेलावन को दिनांक 19-2-88 से निलम्बित कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के काश्तकारों द्वारा अवैध रूप से कब्जा की भूमि को जनपद गाजीपुर के भूमिहीनों में वितरित किया जाना

10–श्री अफजाल अंसारी–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मुहम्मदाबाद के ग्राम सुरनी में भूमिहीन परिवारों की संख्या कितनी है और इस गांव सभा में गांव समाज की कुल कितनी भूमि है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जनपद बलिया के ग्राम नरायनपुर के कुछ काश्तकारों द्वारा जनपद गाजीपुर की ग्राम सभा सुरनी में ग्राम समाज की जमीनों को अवैध रूप से जोत लिया गया है ? यदि हां, तो कब तक बेदखली की कार्यवाही करके इन जमीनों को खाली करके भूमिहीनों में वितरित कर दिया जायेगा ? क्या इस ग्राम की समस्त चकरोडों को जो काश्तकारों द्वारा जोत ली गयी है, तत्काल खाली कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री माता प्रसाद–

जनपद गाजीपुर के कथित ग्रामों में भूमिहीन परिवारों की संख्या-71 है और उक्त गांव सभा में ग्राम समाज की कुल भूमि 60-3-6 बीघे है । ग्राम सुरनी में ग्राम समाज की कुछ जमीनों पर काश्तकारों द्वारा अवश्य कब्जा लिया गया था, किन्तु तहसीलदार द्वारा उन्हें बेदखल कर इसका पट्टा पात्र व्यक्तियों को किये जाने हेतु ग्राम सभा को निर्देश दिया जा चुका है । इस ग्राम की 4 चकरोडों पर अनधिकृत रूप से काबिज व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है ।

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना के ग्राम बहुरावा की सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की कार्यवाही

11–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्रोत्तर के संदर्भ में उनके पत्र संख्या 265 आरएल एम0 एम0 पी0/वी आई0 पी0 86, दिनांक 29-3-86 के संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? सार्वजनिक भूमि संख्या 3472 एवं 3473 स्थित ग्राम बहुरावा, तहसील मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर के अवैध कब्जे हटाने एवं नाजायज तरीके से भूमि हड़पने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत ग्राम बहुरावां के भूखण्ड संख्या-3472 तथा 3473 पर 1384 फ0 से, 1386 फ0 की खतौनी में श्री जंत्री सिंह का नाम श्रेणी 4 में अनधिकृत कब्जेदार

के रूप में अंकित था । खतौनी 1384 फ0 में ही धारा 229-बी जमींदारी विनाश अधिनियम के अधीन बाद में दिनांक 7-6-1979 को हुए निर्णय के आधार पर श्री बाबू सिंह सुत कलपनाथ सिंह के नाम भूमिधर अंकित किये जाने के आदेश की अमलदरामद की गई । जांच में पाया गया कि फर्जी आदेश की अमलदरामद की गयी है । मुख्य राजस्व अधिकारी के आदेश दिनांक 13-2-1987 के द्वारा नामान्तर बही पर अंकित उक्त अमलदरामद को निरस्त किये जाने के आदेश दिए जा चुके हैं । वर्तमान में चल रही चकबन्दी क्रियाओं के दौरान फर्जी आदेश के अमलदरामद के आधार पर चकबन्दी में श्री बाबूराम के नाम चक निर्मित हुआ है, जिसके विरुद्ध गांव सभा द्वारा चकबन्दी अधिनियम की धारा 9 क(2) के अन्तर्गत आपत्ति की गई है । चकबन्दी में बाद के निर्णय के पश्चात ही अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही सम्भव होगी ।

दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

12-13—श्री सुखपाल पाण्डे—

[करण संख्या 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद बलिया के तहसील रसड़ा के मौजा पशुहारी में ग्राम समाज की भूमि की जालसाजी

14—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के तहसील रसड़ा अंतर्गत मौजा पशुहारी में ग्राम समाज की जमीन को हड़पने के लिए कुछ व्यक्तियों ने सरकारी कागजात पर जाल साजी किया था, जिसके संदर्भ में कुछ लोगों पर जालसाजी का मुकदमा थाना उभांव में दर्ज है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जालसाजी के रजिस्टर की जांच कराकर जालसाजी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

ग्राम पशुहारी स्थित गांव सभा भूमि पर अवैध रूप से इन्द्राज कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 420/467/468 के अंतर्गत थाना उभांव में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । थाना द्वारा प्रस्तुत की गई चार्जशीट में विधिक त्रुटियां होने तथा मुकदमा न्यायालय में चलने के अयोग्य पाये जाने के कारण चार्जशीट निरस्त करके फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई । अवैध इन्द्राज के निरसन के लिए संस्थित वाद इस समय राजस्व परिषद् में विचाराधीन है ।

जनपद बलिया की तहसील रसड़ा के ग्राम चिनह की भूमि को हड़पने वालों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

15—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता को भेजे गये उनके पत्र संख्या 566/बी0 आई0 पी0/87, दिनांक 19-11-87 विधान भवन, लखनऊ के संदर्भ में ग्राम चिनह, तह0 रसड़ा, जिला बलिया में ग्राम समाज की भूमि हड़पने संबंधी ग्राम वासियों के शिकायती पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

ग्रामवासियों के कथित शिकायती पत्र की जांच के फलस्वरूप मात्र गाटा सं0 174 की 2.27 एकड़ भूमि पर 6 व्यक्तियों का अनधिकृत कब्जा पाया गया । अनधिकृत अध्यासियों की बेदखली हेतु यथाविधि कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद उन्नाव व रायबरेली की सीमा पर स्थित मन्दिर से होने वाली आय का बंटवारा

16–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली जनपद और उन्नाव जनपद की सीमाओं पर स्थित ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के मंदिर भवरेश्वर पर प्रतिवर्ष मार्च में लगने वाले विशाल मेले में आने वाले दुकानदारों से भूमि के किराये का राजस्व कितना आता है ? राजस्व कौन वसूल करता है एवं मेले की परिधि में ग्राम समाज की कितनी भूमि आती है और इस भूमि पर लगने वाली दुकानों से राजस्व वसूली में किस ग्राम समाज को कितना लाभ होता है ?

श्री माता प्रसाद–

जिला प्रशासन से प्राप्त सूचनानुसार कथित मेला जनपद रायबरेली की सीमा पर स्थित ग्राम रामपुर सुदौली तहसील महाराजगंज में संक्रमणीय भूमिधर वाले काश्तकारों की भूमि पर लगती है । उक्त मेले में जन मेला एवं पशुमेला से क्रमशः 23,000 रुपये एवं 45,000 रुपये लगभग की आय अनुमानित है, जिसे श्री राजा कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह, निवासी कुर्री सुदौली द्वारा वसूल किया जाता है । जिला प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार गांव सभा की किसी भूमि पर मेला नहीं लगता है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद के हरिजनों को सीलिंग की भूमि का कब्जा

17–श्री कनक सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम शाकरपुर, त0 गढ़मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद के 20 हरिजनों को अब से 10 वर्ष पूर्व सीलिंग की जमीन के पट्टे दिए गये थे और आज तक उनको कब्जा नहीं दिलाया गया ? क्या यह सही है कि वह जमीन अभी तक जमींदारों के कब्जे में है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम शकरपुर, तह0 गढ़मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद में अतिरिक्त घोषित की गयी भूमि का आवंटन दिनांक 15-4-78 को 11 व्यक्तियों को किया गया था, जिनमें हरिजन जाति का कोई आवंटी नहीं था । उक्त सभी आवंटियों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है । अतः अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं है ।

जनपद फैजाबाद के तहसील बीकापुर मौजा सराय धनेठी में, ग्राम समाज की भूमि का आवंटन एवं बंजर भूमि को भूमिहीनों में वितरित किये जाने की मांग

18–श्री भगौती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के तहसील बीकापुर अंतर्गत मौजा सराय धनेठी में किस-किस नम्बर की जमीन आबादी एवं ग्राम

समाज की छोड़ी गयी थी और क्या उसका आवंटन भूमिहीनों में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम सराय धनेठी, परगना खण्डासा तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद में कुल 82-10-16 बीघा क्षेत्रफल ग्राम समाज तथा 1-17-10 बीघा क्षेत्रफल भूमि आवादी हेतु उपलब्ध है । (नम्बरों की सूची विस्तृत होने के कारण उसे किसी भी कार्य दिवस में राजस्व अनुभाग-2 में देखा जा सकता है) ।

कुल 43 पात्र व्यक्तियों को कृषि हेतु ग्राम समाज भूमि से 15-14-10 बीघा का आवंटन किया गया । 10 पात्र व्यक्तियों को ग्राम सभा भूमि से 0-7-0 एवं आबादी भूमि से 0-3-0 आवास हेतु आवंटित की गयी । ग्राम समाज की अवशेष भूमि 62-19-6 बीघा तथा आबादी की 1-14-10 बीघा भूमि आवंटन योग्य नहीं है । ग्राम समाज की शेष भूमि 3-10-0 बीघा पर आवंटन की कार्यवाही की जा रही है ।

19–श्री भगौती सिंह–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि फैजाबाद जनपद के तहसील बीकापुर अंतर्गत ग्राम सभा सराय धनेठी के ग्राम पूरा शिवबक्श पाण्डेय में आबादी एवं नजूल की भूमि पर गांव के कुछ सरहंग किस्म के लोग जबरिया मकान बना चुके हैं व कब्जा किये हैं तथा अब पुनः उक्त ग्राम सभा से गुजरने वाली मिल्कीपुर-अमानीगंज मार्ग के किनारे पड़ी बंजर भूमि पर भी जबरिया कब्जा कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त जमीनों को भूमिहीनों में बांटने के लिए कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

फैजाबाद जनपद के तहसील-बीकापुर अन्तर्गत ग्राम सराय धनेठी के पूरा शिव बख्श पाण्डेय में आबादी एवं ग्राम समाज की भूमि पर 40 वर्षों से 100 वर्षों के बीच 48 परिवार मकान बनाकर रहे हैं । किसी भी सरहंग किस्म के व्यक्ति ने जबरिया कोई मकान नहीं बनाया है बल्कि सामान्य रूप से लगभग सभी जाति के व्यक्ति निवास करते हैं । ग्राम सभा सराय धनेठी से गुजरने वाली मिल्कीपुर अमानीगंज मार्ग के किनारे पड़ी बंजर एवं कुम्हार की मिट्टी निकालने की भूमि पर 7 व्यक्ति अवैध निर्माण कर रहे थे, जिन्हें निर्माण करने से रोकवा दिया गया है और उनके विरुद्ध ज0 वि0 एवं भू0 व्यवस्था अधिनियम की धारा-122 बी के अन्तर्गत बेदखली का वाद दायर किया जा चुका है, जो न्यायालय तहसीलदार बीकापुर में विचाराधीन है । वादों के निर्णय के उपरान्त ही उक्त भूमि को भूमिहीनों में आवंटन की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

जनपद वाराणसी के श्री झिलमिट को आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी को भेजा गया प्रार्थना पत्र

20–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री झिलमिट पुत्र बसावन, ग्राम उदयराजपुर परगना कसवार राजा तहसील व जिला वाराणसी को 5-6-76 को भूमि का पट्टा मिला था किन्तु सरकश गिरोहबंद लोगों की आतंकपूर्ण कार्यवाहियों से उसे आज तक

कब्जा नहीं मिला ? क्या यह भी सही है कि उसने अभी हाल में अनेक बार तहसीलदार, परगनाधिकारी व जिलाधिकारी को पैमाइश करने और कब्जा दिलाने के लिए प्रार्थना पत्र दिये थे ? पैमाइश न कराने और कब्जा न दिलाने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ? पैमाइश कराकर कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री झिलमिट को भूमि का पट्टा देने का प्रस्ताव गांव सभा द्वारा दिनांक 1-3-1976 को पारित किया गया था, किन्तु परगनाधिकारी द्वारा उस पर औपचारिक अनुमोदन नहीं दिया गया । स्पष्टतया आवंटी श्री झिलमिट का नियमानुसार पट्टा नहीं हुआ है और न ही उसे भूमि पर कभी कब्जा दिलाया गया है । ग्राम उदयराजपुर चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत था और जुलाई 87 में ही अभिलेख तहसील में प्राप्त हुए हैं । चकबंदी में प्रश्नगत भूखण्ड की नयी गाटा संख्या पर दयाशंकर का कब्जा पाया गया और उसके विरुद्ध वाद चल रहा है और न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी पारित किया गया है । वाद अभी विचाराधीन है । फलतः पैमाइश न कराने तथा कब्जा न दिलाने के लिए न कोई दोषी है और न उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न उठता है ।

जनपद जौनपुर में आरक्षित भूमि पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा किये हुए कब्जे को बेदखल करना

21–श्री राज किशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जमदहा, परगना अंगुली, जनपद जौनपुर में गांधी चबूतरा, कब्रिस्तान, मस्जिद और अस्पताल किस-किस नम्बर पर स्थित हैं ? उनका रकबा क्या है ? क्या यह सच है कि उक्त जमीनों पर क्रमशः अब्दुल मन्नान, अब्दुल बारी, मु0 हासन, बेनी माधव, फिरतू, रामदवर, नाजिरुद्दीन उर्फ पथरू, मुस्ताकीम, रामधारी, श्यामधारी, जगई, मगई, स्मारू बाबूराम, जित्तु, गिरधारी आदि ने अवैध कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो इन सभी व्यक्तियों को बेदखल करने के कोई प्रभावी आदेश जारी किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम जमदहा, परगना अंगुली तहसील शाहगंज में गांधी चबूतरा नहीं स्थित है और इसके लिए कोई भूमि भी आरक्षित नहीं है । वर्तमान चकबन्दी अभिलेख में गाटा संख्या 51/10-48, 161/0-17, 386/1-95, 387/11-73, 393/6-29, 532/0-57, 549 मि/2-49, 549/1 मि/0-10, 721/0-21, 730/0-82 कब्रिस्तान के खाते में तथा गाटा नं0 450/0-14, 521/0-04, 525/0-06, 753/0-01 मस्जिद के खाते में अंकित है । गाटा नं0 394/0-31, 395/0-13, 396 मि/0-09 अस्पताल के लिए आरक्षित किया गया है ।

सर्वश्री अब्दुल मन्नान, रामधारी तथा रामदवर का कब्रिस्तान के गाटा सं0 393 पर और सर्वश्री रामधारी व अब्दुल मन्नान का अस्पताल के लिए आरक्षित गाटा सं0

395 तथा 396 पर अवैध कब्जा है । इनके विरुद्ध ज0 वि0 अधि0 की धारा 122 बी के अन्तर्गत वाद चलाया गया था जो कि स्वत्व का विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण समाप्त कर दिया गया ।

प्रश्न में उल्लिखित अन्य व्यक्तियों का अनाधिकृत कब्जा नहीं पाया गया ।

जनपद जौनपुर में अस्पताल व कब्रिस्तान के लिए आरक्षित भूमि पर कब्जा

22–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम जमदहा प0 अंगुली जनपद जौनपुर में कब्रिस्तान व अस्पताल के लिये कितनी भूमि (कौन-कौन नम्बर) में आरक्षित की गई थी ? क्या यह सही है कि चकबन्दी अधिकारियों एवं हाकिम परगना ने अवैध ढंग से उक्त भूमि पर अब्दुल मन्नान, रामधारी, बेनी माधव तथा अन्य बहुत से लोगों का कब्जा करा रखा है? क्या यह सही है कि ग्राम प्रधान व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जनपद जौनपुर ने अवैधानिक कब्जा हटाने हेतु व अन्य मांगों को लेकर 15-10-81 से आमरण अनशन जिलाधिकारी कार्यालय पर किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने अवैध कब्जा करने वालों को बेदखल कर दिया है? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद–

जनपद जौनपुर के कथित ग्राम में कब्रिस्तान गाटा संख्या 51/10-48, (6)/0-17, 386/1-95, 387/11-73, 393/6-29, 532/0-57, 549 मि0/2-49, 549/मि0/0-10, 721/0-21, 730/0-82 पर अंकित है। अस्पताल हेतु गाटा संख्या-394/0-31, 395/0-13, 396 मि0/0-09 आरक्षित है। यह सही नहीं है कि चकबन्दी अधिकारियों एवं हाकिम परगना ने अवैध ढंग से उक्त भूमि पर बेनी माधव अब्दुल मन्नान तथा रामधारी तथा अन्य बहुत से लोगों को कब्जा करा रखा है।

ग्राम प्रधान व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अवैधानिक कब्जा हटाने हेतु व अन्य मांगों के लेकर किये गये कथित आमरण अनशन के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी कब्रिस्तान के भूखण्ड संख्या-393 पर सर्व श्री अब्दुल मन्नान, रामधारी तथा रामदवर और अस्पताल के भूखण्ड संख्या-395 पर श्री रामधारी तथा भूखण्ड संख्या-396 पर श्री अब्दुल मन्नान द्वारा किये गये अनाधिकृत कब्जे को हटाने के लिए जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 122-ख के अधीन वाद चलाया गया था जो स्वत्व का विवाद उत्पन्न हो जाने से समाप्त कर दिया गया है।

जनपद फैजाबाद में मटरू हरिजन को आवंटित की गयी भूमि पर भवन निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

23–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि नं0 378/2/11/2-3 स्थित इसमाइलपुरगंज प0 व तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद मटरू हरिजन को कृषि कार्य हेतु ग्राम सभा द्वारा आवंटित की गई है? यदि हां, तो उक्त असंक्रमणीय भूमि पर भवन निर्माण करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री माता प्रसाद--

जी हां।

सन्दर्भित गाटा संख्या-378/2 के कुल रकबे 0-12-3 में से 0-1-0 भूमि पर दो व्यक्तियों द्वारा श्री मटरू की सहमति से भवन निर्माण कराया गया है। श्री मटरू द्वारा निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध दीवानी न्यायालय में वाद संख्या-432/87 दायर कर दिया गया है जिसमें निर्माणकर्ताओं के साथ श्री मटरू की मिली भगत बताई जाती है।

इसलिए श्री मटरू के विरुद्ध आवंटित भूमि में से एक बिस्वा भूमि पर बेदखली की न्यायिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है

जनपद पौड़ी गढ़वाल, तहसील कोटद्वार के किसानों तथा मजदूरों को प्रदत्त सूखा-राहत सहायता

24--श्री शूरवीर सिंह सजवाण--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 21-8-87 को परगना अधिकारी कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के माध्यम से शासन को एक पत्र सूखा राहत के सम्बन्ध में श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस के द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उनकी क्या मांगें थी? क्या यह सच है कि सूखा राहत के नाम पर मिलने वाला अनाज तथा खाद बीज आदि की छूट तथा अन्य राहत सुविधायें तहसील कोटद्वार की जनता को नहीं दी गई हैं? क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के किसानों तथा मजदूरों में सूखा राहत के नाम पर इस वित्तीय वर्ष में सरकार कोई सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं है? यदि हां, तो सूखा राहत से प्राप्त धनराशि का उपयोग किस मद में किया गया? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद--

प्रश्नगत मांग पत्र परगना मजिस्ट्रेट, कोटद्वार को प्रस्तुत किया गया था। मांगे निम्नवत् थी:--

1. तहसील कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के समस्त भूमिधरों को उनकी फसल की क्षतिपूर्ति यथाशीघ्र दिलायी जाय ।

2. सूखा राहत के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता नकद व अनाज राजस्व विभाग के द्वारा सीधा भूमिधरों को आवंटित किया जाय ।

3. कृषक तथा अकृषकों के ऋणों की वसूली स्थगित कर दी जाय ।

4. सिंचाई के पानी के वितरण की व्यवस्था सिंचाई विभाग के द्वारा ही निपटायी जाय क्योंकि सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इन मामलों को निपटाने में सक्षम हैं ।

5. समस्त तहसील कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के आश्रितों की फीस माफ की जाय ।

6. तहसील कोटद्वार के समस्त क्षेत्र को सूखा ग्रस्त घोषित किया जाय ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

उपयोग की स्थिति निम्नवत है :—

1. प्रभावित काश्तकारों को अहेतुक सहायता की मद में 70 हजार रु0 वितरण करने की व्यवस्था की गयी थी जिसमें से 51,669 रुपये की धनराशि 15 मार्च, 88 तक वितरित की जा चुकी थी और वितरण कार्य जारी था।

2. निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को 13,750 रु0 मूल्य के कपड़े निःशुल्क वितरित किये गये एवं 10 किलोग्राम गेहूँ प्रति माह की दर से उपलब्ध कराया गया।

3. पेयजल की सुविधा प्रदान करने हेतु 25 हजार रु0 की व्यवस्था की गयी, जिससे कुछ ग्रामों में टैंकरों द्वारा जल आपूर्ति करायी गयी।

4. प्रभावित काश्तकारों को 40 हजार रु0 का तकावी ऋण वितरित किया गया।

5. विकास खण्ड दुगडडा के लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि विभाग द्वारा 2480 रुपये तथा सहकारिता विभाग द्वारा 72020 रुपये उर्वरकों पर अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराया गया। चूंकि उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गयी है अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के राजा खगेन्द्र प्रताप बहादुर शाही तमकुही स्टेट द्वारा हदबन्दी से बचने हेतु कतिपय व्यक्तियों के नाम भूमि का फर्जी इन्द्राज

25—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-धिपरा थाना-कसया, परगना-सिधुवाजोबगा, तहसील-पडरौना, जनपद-देवरिया में हदबन्दी से बचने के लिए राजा खगेन्द्र प्रताप बहादुर शाही तमकुही स्टेट ने अपने ससुराल खदौली, आनापुर, इब्राहिमपुर जनपद-इलाहाबाद के अनेक लोगों के नाम फर्जी तौर पर इन्द्राज करा दिया है? क्या वह सही है कि उक्त राजा की ससुराल आनापुर है और ये फर्जी नाम वहां के कुछ नौकरों के हैं जिनका कभी भी इस भूमि पर कब्जा नहीं रहा है? यदि हां, तो इस भूमि को हदबन्दी में लाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री माता प्रसाद—

राजा खगेन्द्र प्रताप शाही की ससुराल ग्राम आनापुर जनपद इलाहाबाद में नहीं है बल्कि उनके पिता राजा विजेन्द्र प्रताप शाही की ससुराल आनापुर इलाहाबाद में है। ग्राम धिपरा इस समय चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है। आधार वर्ष की खतौनी में 18 ऐसे व्यक्तियों के खाते हैं, जिनकी सकूनत ग्राम चन्दौली, आनापुर, इब्राहिमपुर, प्रहलादपुर जनपद इलाहाबाद अंकित है, परन्तु ये व्यक्ति स्थायी रूप से यहां नहीं रहते हैं और न ही उनके मकानात इस ग्राम में हैं। इनके विरुद्ध सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ करने के सिलसिले में 15—96 एकड़ तथा 148—24 एकड़ भूमि का सीलिंग प्रपत्र-5 बनाकर तहसीलदार तमकुहीराज को दिनांक 4-4-88 को कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

जनपद फैजाबाद के ग्राम ससपना के प्रधान के विरुद्ध पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली एवं श्री आर0 पी0 सुमन के पत्र पर कार्यवाही

26—श्री शेर बहादुर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद के ग्राम ससपना के प्रधान के विरुद्ध ग्रामवासियों द्वारा फर्जी पट्टों, ग्राम समाज की भूमि को बगैर पट्टों के पैसा लेकर कब्जा कराने, जोतवाने की शिकायत पर कोई जांच जिलाधिकारी के आदेश से चल रही है और उक्त संबंध में पूर्व विधायक प्रियदर्शी जेतली व मा0 सांसद आर0 पी0 सुमन ने भी शिकायती पत्र जिला अधिकारी व परगना अधिकारी को जनवरी 1987 से माह अगस्त के बीच लिखे हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

जांच के परिणाम अभी तक शासन में उपलब्ध नहीं हो सके हैं ।

जनपद पिथौरागढ़ में हाई स्कूल एवं इण्टर कक्षाओं हेतु भूमि का आवंटन

27—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या राजस्व मंत्री को प्रश्नकर्ता के पत्रांक 592/85 दिनांक 18-12-85 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में हाईस्कूल व इण्टर कक्षाओं में कृषि विषय खोलने हेतु तथा इन विद्यालयों के आस पास की बंजर भूमि का आवंटन बाहरी व्यक्तियों को तुरन्त रोकने एवं उसे विद्यालय को दिये जाने हेतु तुरन्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां, तो इस विषय में दिनांक 8 जून, 87 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां । प्रश्नकर्ता का पत्र शासन को प्राप्त हुआ था जिसको जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ने विद्यालयों के आस पास की बंजर भूमि का आवंटन किसी व्यक्ति विशेष को नहीं किया है। अवैध कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में केवल स्कूल के आस पास ही नहीं अपितु जहां भी अवैध कब्जों की जानकारी होती है नियमानुसार उसको हटाने की कार्यवाही की जाती है।

जनपद गाजीपुर के नगर पालिका क्षेत्र मुहम्मदाबाद में ओलावृष्टि के कारण प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

28—श्री अफजाल अन्सारी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष 2 मई को हुई भयंकर ओलावृष्टि के कारण जनपद गाजीपुर के नगर पालिका क्षेत्र मुहम्मदाबाद के वार्ड सं0 1 लगायत 6 के पात्र व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने की सूची जांच उपरान्त तथा स्वीकृत होने के उपरान्त भी आज तक शासन द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाने वाला धन किन कारणों से नहीं दिया जा रहा है ? कब तक पात्र व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति का धन आवंटित कर दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

दिनांक 2 मई, 1987 को हुई भयंकर ओलावृष्टि के कारण गाजीपुर जनपद की तहसील मुहम्मदाबाद के नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड सं0 1 लगायत 6 के 297 पात्र व्यक्तियों की सूची क्षतिपूर्ति स्वरूप गृह अनुदान वितरित करने हेतु बनाई गई थी जिसके अनुसार 59400 रु0 की धनराशि का वितरण गृह अनुदान के रूप में किया जा चुका है। अन्य कोई स्वीकृत सूची वितरण हेतु अवशेष नहीं है।

जनपद बांदा के तहसील नरैनी के हरिजनों को भूमि पट्टा किया जाना

29–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र बांदा जनपद ग्राम खुहरन्ड स्टेशन (मऊवा पुरवा) तहसील नरैनी के हरिजनों को भूमि पट्टों के संबंध में उन्हें दिनांक 13 नवम्बर, 86 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां। प्रश्नकर्ता का सन्दर्भाधीन पत्र भूमिहीनों को पट्टे दिये जाने व पट्टों का कब्जा दिलाये जाने से सम्बन्धित है।

ग्राम खुरहण्ड स्टेशन में चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है। चकबन्दी पूर्ण होने के उपरान्त ही भूमि का बन्दोबस्त किया जा सकेगा। जहां तक पट्टे की भूमि पर पट्टा दिये जाने का प्रश्न है सभी पट्टेदारों को पट्टे की भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है।

खुरहण्ड स्टेशन में जिस भूमि पर इस समय हरिजन आवासित हैं उसका बन्दोबस्त चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।

जनपद लखनऊ के ग्राम जैतीखेड़ा में ग्राम समाज की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा एवं भण्डा-फोड़ करने वाले व्यक्ति की जान-माल की सुरक्षा व्यवस्था

30–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-तहसील लखनऊ के ग्राम जैतीखेड़ा में मोहम्मद अयूब खां, श्रीमती नजीज बानों आदि 53 व्यक्तियों द्वारा ग्राम समाज की लग-भग 625 बीघे भूमि को बिना किसी आदेश के खतौनी में फर्जी रूप से अंकित करा लिये जाने का प्रकरण वर्ष 1981 में परगनाधिकारी लखनऊ के समक्ष विचाराधीन था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या उक्त व्यक्तियों से भूमि मुक्त करकर ग्राम सभा में निहित कर दी गई है और उन्हें गरीबों में आवंटित करने पर विचार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

परगनाधिकारी, लखनऊ के न्यायालय में 457-17-12 क्षेत्रफल भूमि से सम्बन्धित 49 वाद विचाराधीन थे, जिनका निस्तारण परगनाधिकारी ने विभिन्न तिथियों को करते हुए अनधिकृत काबिज व्यक्तियों का नाम निरस्त कर भूमि को ग्राम सभा में निहित कर दिया। उपर्युक्त 457-17-12 क्षेत्रफल भूमि में से 23 व्यक्तियों से सम्बन्धित 284-1-10-0 क्षेत्रफल भूमि के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही आयुक्त न्यायालय से निग-

रानी में निर्णय तक स्थगन आदेश प्राप्त हो [illegible] भूमि का आवंटन नहीं हो सका है। शेष 173-16-2 [illegible] नहीं हो पा रही है।

इसके अतिरिक्त [illegible] यह भी संज्ञान में आया है कि ग्राम-सभा की 152-15-3 भूमि पर 73 काश्तकारों के [illegible] न्यायालयों के आदेश दर्ज हैं। फिलहाल इन आदेशों के [illegible] न होने सम्बन्धी जांच प्रगति पर है, जांचोपरान्त अग्रिम कार्यवाही पर [illegible] कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार फर्जी [illegible] 4-[illegible]-12 भूमि ग्राम सभा के नाम [illegible] न्यायालयों के तथाकथित आदेश से [illegible] 610-12-15 होती है।

31—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या राजस्व [illegible] भूमि स्कैण्डल का भण्डाफोड़ जिला अध्यक्ष भारतीय [illegible] लाल साथी द्वारा किए जाने के कारण उनके जान-माल को [illegible] ? यदि हां, तो क्या इसकी जानकारी करके लाल साथी की भूमि अपने [illegible] निर्बल करने वाले काश्त को जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की [illegible] करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त भूमि स्कैण्डल में [illegible] परिवारजनों के नाम भी फर्जी तौर पर नाम दर्ज कराया जाना पाया [illegible] तो उसे गिरफ्तार न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री माता प्रसाद—

उक्त भूमि स्कैण्डल [illegible] किसी तरह के कारण की [illegible] लाल साथी, अध्यक्ष भारतीय [illegible] के जान-माल के खतरे से संबंधित तथ्य जानकारी में नहीं है। [illegible] 1989 से [illegible] लाल साथी की सुरक्षा हेतु गार्ड की व्यवस्था [illegible] कर दिया। फिर भी पुलिस उनकी सुरक्षा [illegible]। [illegible] उनके परिवार जनों के नाम फर्जी [illegible] नहीं हुई है।

जनपद [illegible] में [illegible] कब्रिस्तान को बेदखल करने की मांग

32—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री [illegible] ग्राम सभा जमनगवां, रूपापुर (कुड़वार) [illegible] कब्रिस्तान है? उनका निर्धारित रकबा (एरिया) और [illegible] क्या अवैध रूप से बनाये गये हैं ? [illegible] ? क्या अवैध रूप से निर्माण किये गये कब्रिस्तान [illegible] के संबंध में कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जिला प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम जमनगवां, में पांच पुराने कब्रिस्तान हैं, जो गाटा संख्या—[illegible] (0-10-0), 107 (0-4-0), 107 (0-4-0),

322 (0-7-0), 322 (0-4-0) तथा 409 मि0 (0-4-5) में स्थित है। ग्राम रूपापुर में कोई पुराना कब्रिस्तान नहीं है। ग्राम दभनगवां तथा रूपापुर में कोई नया कब्रिस्तान नहीं बनाया गया है। चूंकि गांव सभा भूमि पर नये कब्रिस्तान नहीं बनाये गये हैं, अतएव बेदखली का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विधायक श्री जावेद अली द्वारा श्री शेषनाथ राय सर्वे नायब तहसीलदार पर भूमि हड़पने सम्बन्धी आरोप

33--श्रीमती शारदा देवी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विधायक श्री जावेद अली की आराजी स्थित ग्राम डोमिनगढ़ तप्पा रेटे परगना हवेली तह0 सदर की भूमि रकबा 7 एकड़ 18 डि0 गलत ढंग से सर्वे नायब तहसीलदार श्री शेषनाथ राय ने, दूसरे के नाम कर दिया है जिसकी लिखित शिकायत विधायक श्री जावेद अली ने दिनांक 12-5-86 व 24-5-86 तथा 28-6-86 को जिला प्रशासन व शासन को की थी? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद--

जी नहीं।

श्री जावेद अली विधायक के पत्र दिनांक 10-5-1986, 12-5-1986, 22-5-1986 तथा 30-6-1986 शासन में प्राप्त हुये हैं। शिकायती पत्रों में श्री शेषनाथ राय, सर्वे नायब तहसीलदार के विरुद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के ग्राम भानपुर तप्पा छपिया, परगना रसूलपुर की भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

34--श्री राम शरण दास--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम भानपुर तप्पा छपिया, परगना रसूलपुर, तहसील हर्रैया जनपद बस्ती में गाटा संख्या 378 ग्राम समाज की सम्पत्ति है जिस पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए ग्राम प्रधान प्रधानमंत्री व अधिकारियों से 11-5-87 से लगातार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध [illegible] क्या कारण है कि अब तक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद--

जी हां।

संदर्भाधीन गाटा के कुल 0-11-4 रकबे में से 0-1-10 रकबे पर श्रीमती प्रभा सिंह पत्नी श्री [illegible] सिंह द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर अवैध निर्माण प्रारम्भ किया गया था। अवैध निर्माण रोक दिया गया है और अनाधिकृत अध्यावासियों के विरुद्ध उपजिलाधिकारी हर्रैया एवं भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम 115-सी के अंतर्गत [illegible] की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज में घर-गिराई की क्षतिपूर्ति में वितरित धनराशि

35—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री वीरेन्द्र शाही—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 87 में महराजगंज तहसील (गोरखपुर) में कितनी धनराशि किन-किन लोगों को घर-गिराई की क्षतिपूर्ति के रूप में बांटी गई है ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जनपद गोरखपुर की तहसील महराजगंज में वर्ष 1986-87 की वर्षा में घर क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप प्रभावित 4090 पात्र व्यक्तियों को माह मार्च, 1987 में 9,76,900 रु0 की धनराशि गृह अनुदान के मद में वितरित की गयी है ।

चूंकि सूची लम्बी है और सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है अतः माननीय राजस्व मंत्री जी के कार्यालय कक्ष में उक्त सूची को देख सकते हैं ।

जनपद हरदोई में सूखा राहत के नाम पर धनराशि का आवंटन

36—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या सूखा राहत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 87-88 के भीषण सूखे में हरदोई जनपद को सूखा राहत के नाम पर कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी तथा उसमें कितनी खर्च में आयी? जनपद हरदोई में सूखा राहत के नाम पर कितने मानव दिवसों का सृजन किया गया ?

श्री माता प्रसाद—

वर्ष 87-88 में जनपद हरदोई को सूखा राहत हेतु कुल 188.405 लाख रुपये की धनराशि एवं 1239 मी0 टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया जिसके सापेक्ष 101.79 लाख रुपये की धनराशि एवं 802.82 मी0 टन खाद्यान्न व्यय हुआ ।

7,94,052 मानव दिवसों का सृजन किया गया ।

जनपद सीतापुर की सीलिंग की भूमि का विवाद

37—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर नवीनगर स्टेट की सीलिंग की भूमि का विवाद क्या है और कब तक उसका निस्तारण कर दिया जायेगा ?

श्री माता प्रसाद—

जनपद सीतापुर नवीनगर स्टेट के खातेदार कुंवर भानु प्रताप सिंह पुत्र श्री प्रताप बहादुर सिंह की नियत प्राधिकारी, सीतापुर के निर्णय दिनांक 30-6-76 द्वारा 219.31 एकड़ भूमि सिंचित अर्थात् में अतिरिक्त घोषित की गयी थी । उक्त निर्णय के विरुद्ध खातेदार द्वारा प्रस्तुत अपील सिविल जज, सीतापुर के निर्णय दिनांक 29-1-77 द्वारा निरस्त कर दी गयी थी । अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध खातेदार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गयी, जिसे मा0 उच्च न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 17-9-88 द्वारा अपील खारिज कर दी गयी है ।

जनपद बांदा के श्री भवानीदीन हरिजन के पट्टों के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

38—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री [illegible] हरिजन ग्राम सुदिनपुर, तहसील नरैनी, जनपद बांदा के श्री प्रश्नकर्ता के संलग्न पत्र के साथ भूमि के पट्टों के सम्बन्ध में, दिनांक 13 नवम्बर, 1988 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पत्र में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां । जांच से विदित हुआ कि श्री [illegible] को भूमि संख्या 144/4-9-0, 170/0-4-0, 172/1-1-0, 176/0-5-0, 182/0-6-0 तथा 202/2-6-0 कुल 8-11-0 भूमि का पट्टा किया गया था, जिसमें से भूमि संख्या 144/4-9-0 न्यायालय द्वारा पट्टेदार के नाम से खारिज कर दिया गया है । शेष भूमि पर उनका कब्जा पहले से ही चला आ रहा है ।

जनपद बांदा तहसील नरैनी के श्री राजाराम सोंधरा को भूमि के पट्टे के संबंध में कृत कार्यवाही

39—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री [illegible] राजाराम सोंधरा, तहसील नरैनी, जनपद बांदा को [illegible] भूमि के पट्टे के संबंध में दिनांक 13 नवम्बर, 88 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पत्र में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां । श्री राजाराम द्वारा भूमि के पट्टे करने का अनुरोध किया गया था । उन्हें भूमि प्रबन्धक समिति, [illegible] के प्रस्ताव दिनांक 23-12-87 के अनुसार भूमि संख्या—752 मि0 रकबा 0-19 हे0 का पट्टा किया गया है ।

जनपद बांदा के आब तहसील में तहसीलदार नरैनी के पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता सदस्य श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा का भूमि के पट्टे के सम्बन्ध में पत्र एवं उस पर कृत कार्यवाही

40—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ए/56/राजस्व/87, दिनांक 14-10-87 जो जनपद के नरैनी तहसील के ग्राम करतल के श्री भोलानामदेव व श्रीमती गन्नी पुत्री [illegible] ग्राम बिल्हरका के श्री [illegible] के पत्र के साथ भूमि के पट्टों की माफी व कब्जा के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां । जांचोपरान्त, ग्राम करतल के श्री भोला नामदेव व मरी नामदेव के नाम भूमिहीन की सूची में दर्ज पाये गये । भूमि प्रबन्धक समिति, करतल द्वारा उनको पट्टा दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। ग्राम बिल्हरका के

मूरा केशट को लेखपाल द्वारा पट्टा नाप कर दिया गया था । इस समय ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अधीन है । अतः चक परिवर्तन होने पर ही दुबारा पैमाइश की जा सकेगी ।

41—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ए/55/राजस्व/87, दिनांक 14-10-87 बांदा जनपद की तहसील नरैनी के ग्राम खसी के श्री कल्लू हरिजन व श्री अर्जुन हरिजन तथा ग्राम बिल्हरका के श्री गणेश हरिजन व श्री बारे लाल हरिजन के पत्र के साथ प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री माता प्रसाद—

जी हां। प्रकरण की जांच करायी गयी, जांचोपरान्त यह पाया गया कि सर्वश्री कल्लू, अर्जुन व रामधनी आदि हरिजन साकिनान खसी को पट्टे पर भूमि दी गई है और कब्जा भी दिया जा चुका है। पट्टेदार भूमि को परती डाले हुए हैं। किसी अन्य का इस भूमि पर कब्जा नहीं है।

श्री अर्जुन हरिजन ग्राम साढ़ा के पिता को पट्टे पर भूमि दी गई थी । भूमि नाप कर बता दी गई थी। बारे पुत्र भरोसा, सोना पुत्र लक्ष्मन, मोहन पुत्र बारे, जहिरिया पुत्र श्री अधीन, रमइया पुत्र अधीन, परसू पुत्र जिरजंवा, दीनदयाल पुत्र अधिनवा व सुरजा पुत्र मइयादीन के भी पट्टे हुए थे तथा कब्जा भी दिया गया था । इस समय ग्राम चकबन्दी क्रियाओं के अंतर्गत है। श्री गनेश निवासी बिल्हरका तथा श्री बाबू लाल, गनेश, रामहित मिर्चइया पुत्रगण, जहिरिया एवं भूरा पुत्र रमइया के नाम भी पट्टे नहीं हुए हैं।

42—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ग, 021741 दिनांक 19-10-87 बांदा जनपद के ग्राम सभा अतर्रा रूरल मजरा शब्दापुरवा के श्री निबुआ हरिजन के पत्र के साथ प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री माता प्रसाद—

जी हां। प्रार्थना-पत्र मरे हुए जानवरों को दफनाने की जगह सुरक्षित करने के संबंध में था। अभिलेखीय जांच में पाया गया कि सबदापुरवा में सड़क के पास गाटा संख्या—4435, रकबा 0-04 डि0 तथा इसके अतिरिक्त गाटा संख्या-6864, रकबा-0-05 डि0, 9307/2, 0-02 डि0 7792/0-05 डि0, 7666/0-04 डि0, 7356/2, 0-07 डि0 कुल 6 स्थानों पर मरे हुए जानवरों के दफनाने हेतु भूमि सुरक्षित की गयी है। इस सम्बन्ध में निबुआ को अवगत कराया दिया गया है, जिससे वह सहमत है।

जिलाधिकारी फैजाबाद से मांगी गयी रिपोर्ट आख्या एवं बैची आपदा की क्षतिपूर्ति सहायता

43—श्री मित्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके पत्र संख्या 102/बी0 आई0सी0/88 दिनांक 6-1-88 के संदर्भ में जिलाधिकारी, फैजाबाद से मांगी गयी रिपोर्ट आख्या

प्राप्त हो गयी है? यदि हां, तो क्या शासन उस पर क्षतिपूर्ति के संबंध में विचार करेगा?

श्री माता प्रसाद–

जी हां। प्रश्नगत प्रकरण की जांच परगनाधिकारी, सदर के माध्यम से कराई गई। मामला दैवी आपदा की परिधि में न आने के कारण राजस्व विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति दिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी में मत्स्य पालन हेतु तालाब के आवंटन में की गयी धांधली की जांच एवं तालाब के 10 वर्षीय पट्टा का प्रस्ताव

44–श्री कृष्ण कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामफल पुत्र श्री रामसुफल पासी ग्राम सभा बरांव परगना रुदौली तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी का मत्स्य पालन हेतु तालाब आवंटन में की गई धांधलेबाजी की जांच के संबंध में शिकायती पत्र द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या 1317 दिनांक 25-11-1987 परगनाधिकारी रामसनेहीघाट बाराबंकी को एवं पत्रांक 36/एस0 एम0 आर0/जी0/88, दिनांक 4-1-88 मा0 राजस्व मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री माता प्रसाद–

कथित तालाब के आवंटन में की गयी धांधलेबाजी से संबंधित परगनाधिकारी, रामसनेहीघाट को प्रेषित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ एवं मा0 राजस्व राज्य मंत्री को प्रेषित शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

परगनाधिकारी को प्राप्त शिकायती पत्र पर जांचोपरान्त यह विदित हुआ कि तालाब संख्या 70/3 रकबा 5-6-3 बीघा का प्रस्ताव भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा दिनांक 7-3-82 को रामफल के पक्ष में पारित किया गया था, जो अनुमोदन हेतु तहसील में प्राप्त न होने के कारण अनुमोदित नहीं हुआ। पुनः उक्त तालाब का पट्टा श्री जंगबहादुर पुत्र गुरुदीन व महेश पुत्र रामहेत के नाम दिनांक 4-6-87 को भू0 प्र0 स0 द्वारा पारित हुआ, जिसे अनुमोदित नहीं किया गया। एक ही तालाब के आवंटन का प्रस्ताव अलग अलग तिथियों में अलग अलग व्यक्तियों के नाम पारित किये जाने के कारण ग्राम प्रधान को दुबारा प्रस्ताव पारित किये जाने का निर्देश दिया गया है।

45–श्री कृष्ण कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिन्द्रा प्रसाद पुत्र श्री राम नाथ तथा भगवान दास पुत्र श्री बाबूलाल ग्राम सभा पूरेकलहन परगना रुदौली तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी को आवंटित तालाब नं0-209 को दुरुस्त करने के संबंध में शिकायती पत्र द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या 1316 दिनांक 25-11-87 परगनाधिकारी रामसनेहीघाट बाराबंकी को एवं पत्रांक 35/एस0 एम0 आर0/जी0/88 दिनांक 4-1-88 माननीय राजस्व राज्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री माता प्रसाद–

कथित तालाब को दुरुस्त किये जाने संबंधी परगनाधिकारी को प्रेषित शिकायती पत्र प्राप्त हुआ एवं मा0 राजस्व मंत्री को प्रेषित शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

परगनाधिकारी को प्रेषित शिकायती पत्र पर जांचोपरान्त यह विदित हुआ कि भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 4-6-87 के अनुसार बिन्द्रा प्रसाद पुत्र रामनाथ व भगवान दास पुत्र बाबूलाल कहार के नाम गाटा सं0 209/2-19-17 अंकित किया गया था जिसे समिति के समक्ष ही दुरुस्त करके गाटा संख्या 14/1-7-10 अंकित किया गया एवं जवाहर पुत्र छंगूलाल के नाम गाटा संख्या 209/2-19-17 अंकित किया गया था।

प्राप्त सूचनानुसार भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा वास्तव में बिन्द्रा प्रसाद पुत्र रामनाथ व भगवान दास पुत्र बाबूलाल के नाम गाटा संख्या 14/1-7-10 का प्रस्ताव पारित हुआ था जो त्रुटिवश गाटा संख्या 209/2-19-17 अंकित हो गया था, को दुरुस्त किया जा चुका है।

46–श्री कृष्ण कुमार–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम फिरोजपुर मखदूमी परगना रुदौली, तहसील रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी के श्री अजय प्रताप सिंह के नाम मत्स्य पालन हेतु तालाब का 10 वर्षीय पट्टा करने के संबंध में भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 6-3-86 अनुमोदन हेतु एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य बाराबंकी को पट्टा दिये जाने की संस्तुति विषयक पत्रांक-524-26 दिनांक 3-5-87 तथा पत्रांक 2165-68 दिनांक 28-8-87 परगनाधिकारी रामसनेहीघाट बाराबंकी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर पट्टा दिए जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद–

जी हां । भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव दिनांक 6-3-86 त्रुटिपूर्ण होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया।

भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव फिरोजपुर-मखदूमी के तालाब संख्या-1452/3-17-0, 1557/2-4-10, 1593/2-3-0 व 517/4-17-0 को श्री अजय प्रताप सिंह के पक्ष में आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में था। सम्बन्ध तालाबों को एक ही व्यक्ति के नाम आवंटित किया जाना उचित न होने तथा साथ ही ग्राम में प्रथम वरीयताक्रम में आने वाले तथा इच्छुक गोंड़िया व कहार पात्र व्यक्तियों के उपलब्ध होने के कारण प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया।

जनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर के ग्राम रया ब्लाक भदोही में ग्राम सभा की भूमि का हरिजनों में आवंटन

47–श्री राम सजीवन–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रया ब्लाक भदोही, तह0 ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में ग्राम सभा व राज्य सरकार की कितनी जमीन उपलब्ध

है ? उन जमीनों के आवंटन के लिए भूमिहीनों व हरिजनों द्वारा लगातार मांग करने के बावजूद उन्हें पट्टे पर न दिए जाने के क्या कारण हैं? क्या उक्त ग्राम सभा की जमीनों पर ग्राम प्रधान के सहयोग से अराजक तत्वों द्वारा नाजायज कब्जा किए जा रहे हैं और हरिजन बस्ती के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगाकर रास्ते रोके जा रहे हैं तथा उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है ? यदि हां, तो आवंटन के लिए क्या त्वरित कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे?

श्री माता प्रसाद--

ग्राम रया ब्लाक भदोही तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी में ग्राम सभा की कुल 396 बीघा 5 बिस्वां 8 धुर एवं राज्य सरकार की 19 बीघा 18 बिस्वां 10 धुर भूमि उपलब्ध है जो कृषि प्रयोजन हेतु उपयुक्त न होने के कारण आवंटित नहीं की जा सकी है। ग्राम सभा की प्रश्नगत भूमि पर ग्राम प्रधान के सहयोग से अराजक तत्वों द्वारा कोई कब्जा नहीं किया जा रहा है। हरिजन बस्ती के चारों ओर कांटेदार झाड़ियों को लगातार रास्ते नहीं रोके जा रहे हैं और न ही उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है। हरिजन आबादी के समीप वन विभाग द्वारा लगायी गयी पौधशाला को सुरक्षित रखने हेतु कांटेदार तार लगाये गये हैं किन्तु उससे हरिजन आबादी के रास्ते अवरुद्ध नहीं हुए हैं।

जनपद सहारनपुर की तहसील हरिद्वार के कतिपय ग्रामों के बन्दोबस्त की कार्यवाही एवं प्रश्नगत भूमि के स्थल, निरीक्षण एवं बन्दोबस्त क्रियाओं पर शासन के अंतिम आदेश

48--श्री महावीर सिंह राणा--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर की तहसील हरिद्वार के अंतर्गत धारीवाला शिवगढ़ टिकोला, दुर्गागढ़ गोविन्दगढ़, फूलगढ़, हरशीवाला आदि ग्रामों को जनपद मुजफ्फरनगर से इस क्षेत्र में सन् 1952 में पुनर्वासित किया गया था ? यदि हां, तो क्या इन उपरोक्त ग्रामों की बन्दोबस्त की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद--

धारीवाला शिवगढ़ टिकोला, दुर्गागढ़, गोविन्दगढ़, फूलगढ़ और हरशीवाला स्वयं राजस्व ग्राम नहीं है बल्कि टिकोला जदीद, शिवनगर व बानगंगा राजस्व ग्रामों के मजरे हैं। इनमें मुजफ्फरनगर के बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वासन किया गया है। इस ग्राम में भूमि मापन एवं अभिलेख क्रियाओं का कार्य 1976 तक पूरा करा लिया गया था।

49--श्री महावीर सिंह राणा--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धारी वाला शिवगढ़, टिकोला, दुर्गागढ़, गोविन्दगढ़, फूलगढ़, हरशीवाला के किसान मुजफ्फरनगर से बाढ़ के कारण जनपद सहारनपुर की तहसील हरिद्वार में बसाये गये थे, वह किसान सरकार द्वारा दी गयी भूमि पर भूमिधर अथवा पट्टेदार की किस हैसियत से काश्त कर रहे हैं? उनकी वैधानिक स्थिति क्या है?

श्री माता प्रसाद–

बाढ़ पीड़ित किसानों को भूमि इस शर्त पर दी गयी है कि वह मुजफ्फरनगर में स्थित अपनी सीरदारी व भूमिधरी को क्रमश: गांव सभा व शासन के पक्ष में समर्पित कर देंगे। किसी भी किसान ने भूमिधरी भूमि को समर्पित नहीं किया है। जिन किसानों ने अपनी सीरदारी भूमि का इस्तीफा दे दिया है उनमें से 654 एकड़ के 165 मौरूसी काश्तकार की श्रेणी में दर्ज है, शेष अनधिकृत अध्यासीन की श्रेणी में अंकित है। शासन द्वारा प्रश्नगत भूमि के स्थल निरीक्षण एवं बन्दोबस्ती क्रियाओं को प्राथमिकता आधार पर करने के अन्तिम आदेश शासन स्तर से दे दिये गये हैं।

51–श्री मूल चन्द–

[दिनांक 27-4-88 को ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

जनपद वाराणसी के तहसील अपर जिलाधिकारी ज्ञानपुर के न्यायालय में लम्बित वादों का निस्तारण

51–श्री मूल चन्द्र–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील अपर जिलाधिकारी ज्ञानपुर जनपद वाराणसी के न्यायालय में, भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198/4 के अंतर्गत कुल कितने पट्टा मन्सूखी के वाद लम्बित हैं और कितने दिन से और कितनों में स्टे आर्डर जारी किया गया है ? लम्बित वादों का निस्तारण कब तक हो जायेगा ?

श्री माता प्रसाद–

अपर जिलाधिकारी ज्ञानपुर के न्यायालय में भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 (4) के अंतर्गत कुल 262 वाद लम्बित हैं, जिसमें सबसे पुराना वाद वर्ष 1979 का है। कुल 54 वादों में स्थगन आदेश जारी किया गया है। वादों का निस्तारण गुण दोष के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पक्षों का साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद किया जाता है। निस्तारण हेतु कोई निश्चित अवधि नियत किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद गोरखपुर के फरेन्दा तहसील में श्री राम सुभाग लाल के निलम्बन के सम्बन्ध के प्रश्नकर्ता श्री धनराज यादव के पत्र पर कृत कार्यवाही

52–श्री धनराज यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के फरेन्दा तहसील में लेखपाल श्री राम सुभाग लाल हल्का नं0 52 सन् 1976 के वर्ष में निलम्बित हो गए थे और जिन्हें बाद में बरखास्त कर दिया गया ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि प्रश्नकर्ता लेखपाल ने ए0 डी0 एम0 (प्रशासन) गोरखपुर के यहां अपने बरखास्तगी के विरुद्ध अपील संख्या 4 प्रस्तुत किया, जिसका निर्णय ए0 डी0 एम0 ने 23-4-77 को देते हुए बरखास्तगी को गैर कानूनी माना और परगनाधिकारी को पुन: विचार करने हेतु वापस कर दिया ? यदि हां, तो इन सब तथ्यों के साथ प्रश्नकर्ता ने भी जिलाधिकारी, गोरखपुर अतिरिक्त आयुक्त गोरखपुर को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो परगनाधिकारी ने अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री माता प्रसाद--

जी हां । स्व0 श्री राम सुभग लाल, लेखपाल के मामले में परगनाधिकारी, फरेन्दा ने दिनांक 31-3-88 को निर्णय ले लिया है, उक्त निर्णय की प्रति उनकी पत्नी को भेज दी गयी थी । श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी स्व0 श्री राम सुभग लाल की मृत्यु हो गयी है । उनके विधिक उत्तराधिकारियों को देय धनराशि का शीघ्र भुगतान करने हेतु जिलाधिकारी ने परगनाधिकारी फरेन्दा को आदेश दे दिया है ।

53--श्री धनराज यादव--

[करण सं0 26 (1) के अन्तर्गत उत्तरित]

54--श्री अकबर हुसैन बाबर--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद गाजीपुर के करहरिया गांव में सकराडीह नामक टीले की भूमि से प्राप्त आय का उपयोग

55--श्री अफजाल अंसारी--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के करहिया गांव के समीप एक ऊंचा सा टीला है, जिसे सकराडीह कहते हैं इसके अधीन कितनी भूमि है और किन-किन ग्राम सभाओं में है ? यह भूमि वर्तमान समय में किस उपयोग में ली जा रही है ? क्या यह ग्राम सभा की सम्पत्ति है ? यदि हां, तो उक्त भूमि की पिछले 10 वर्षों की आय किसके द्वारा किस-किस उपयोग में लाई गयी इसकी व्यवस्था और देखरेख का कौन-कौन जिम्मेदार है ? क्या उक्त भूमि का उपयोग निजी स्वार्थों में किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री माता प्रसाद--

ग्राम करहिया के समीप राजस्व ग्राम पथरा में एक सकराडीह नामक टीले का रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा 16 धूर है यह टीला गांव सभा पथरा में स्थित है । यह भूमि विभिन्न काश्तकारों की थी, जिनके द्वारा उनका विनिमय 1987 में ग्राम सिकन्दरपुर स्थित गांव सभा पथरा की भूमि से करा लिया गया है । विनिमय के पश्चात् टीले की भूमि पर गांव सभा का कब्जा मिला । गांव सभा द्वारा टीले की भूमि के विकास हेतु उसे हरियाली पट्टा कार्यक्रम के अंतर्गत जंगल विभाग को देने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका अनुमोदन परगनाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है । चूंकि पूर्व में यह भूमि काश्तकारों की रही है, अतएव पिछले 10 वर्षों की आय का प्रश्न नहीं उठता । विनिमय के बाद ही भूमि गांव सभा के कब्जे में आने और उसके पूर्व काश्तकारों की भूमि होने के कारण उसकी देख-रेख के लिये किसी के उत्तरदायी होने, उसे निजी स्वार्थों में उपयोग किये जाने अथवा किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी को सुखलाल द्वारा भेजे गये प्रार्थना-पत्र में झूठे आरोप एवं रामसनेही घाट में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु कृत कार्यवाही

56—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने सुखलाल पुत्र श्री बाबू आदि की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में दिनांक 14-3-88 को कोई आदेश थानाध्यक्ष, रुदौली, बाराबंकी को दिये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

श्री सुखलाल के प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र के आधार पर दिनांक 15-3-88 को थाना रुदौली में मु0 अ0 सं0 45/88 धारा 147, 142, 149, 436, 448, 323 भा0 द0 वि0 कायम किया गया । विवेचना से अपराध का होना नहीं पाया गया तथा प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप झूठे एवं निराधार पाये गये । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

57—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या गृह मंत्री की जानकारी में है कि परगना अधिकारी रामसनेही घाट ने अवैध निर्माण रोकने एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में दिनांक 6-3-88 को कोई आदेश थानाध्यक्ष, रुदौली, बाराबंकी को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

परगनाधिकारी, रामसनेहीघाट के आदेशों की तामीली विपक्षी श्री शिव कुमार सिंह पर उसी दिन करा दी गई थी । शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 के अंतर्गत कार्यवाही पहले ही की जा चुकी थी जोकि न्यायालय में 22-8-88 तक लम्बित थी ।

जनपद बाराबंकी थाना रुदौली के उपनिरीक्षक के स्थानान्तरण की मांग

58—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना रुदौली जनपद बाराबंकी में कितने उपनिरीक्षक ऐसे हैं जिन्हें 3 वर्ष से अधिक कार्य करते हो गया है और उनको स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ? कब तक उनके स्थानान्तरण कर दिये जायेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचनानुसार थाना रुदौली जनपद बाराबंकी में कोई भी उप निरीक्षक ऐसा नहीं है जिसे थाना रुदौली पर नियुक्त हुए तीन वर्ष पूरे हो गये थे ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी के काश्तकारों के चक दुरुस्ती की मांग

59—श्री भगवान दीन कुशवाहा—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—108 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी अधिकारी रामसनेही घाट स्तर पर बढ़े हुए 10 बिस्वे रकबे के संबंध में विचाराधीन संदर्भ को अंतिम रूप दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या मौके पर पैमाइश कर प्रश्नगत रकबा काश्तकार को दिया गया ?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं ।

चकबन्दी अधिकारी द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 1987 को संदर्भ सुनवाई करके उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है, जिसमें अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी के ग्राम बरावां में चकबन्दी प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत

60—श्री भगवान दीन कुशवाहा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 4थ शुक्रवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—50 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण कुमार विधायक के शिकायती पत्र के आधार पर मामले की जांच बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बाराबंकी कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच आख्या सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

माननीय विधायक जी के शिकायती पत्र दिनांक 28-1-1988 पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बाराबंकी द्वारा जांच की गई है । जांच आख्या मेरे कार्यालय कक्ष में किसी कार्य दिवस में देखी जा सकती है ।

जनपद फैजाबाद में अनुसूचित जाति (पासी) के श्री सर्वादीन की हत्या में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग

61—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 21-2-88 को श्री सर्वादीन पुत्र श्री मोहन अनुसूचित जाति (पासी) निवासी ग्राम-कलन्दरपुर, थाना-खण्डासा, जनपद-फैजाबाद की हत्या अराजकतत्वों द्वारा कर दी गयी थी? यदि हां, तो किन-किन धाराओं में रपट अंकित की गयी है और हत्या के मुख्य अभियुक्त कौन-कौन हैं ? उनको गिरफ्तार कर अब तक जेल न भेजे जाने का क्या कारण है ? इसके लिए शिथिलता बरतने एवं अपराध छिपाने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त मृतक के आश्रितों को कितनी आर्थिक सहायता दी गई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

इस सम्बन्ध में थाना खण्डासा में धारा 302 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी । हत्या के मुख्य अभियुक्त (1) शिव कुमार दुबे एवं (2) घनश्याम दुबे साकिन मितई दूबे का पुरवा मौजा कलन्दरपुर थाना खण्डासा (3) रमाकान्त दुबे साकिन ईंट गाव थाना इलायतनगर तथा (4) एक व्यक्ति और नाम पता अज्ञात हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा अनेकों बार दबिश दी गई परन्तु अभियुक्तगण अपने-अपने घरों से फरार हो जाने के कारण अथक परिश्रम के बाद भी गिरफ्तार नहीं किये जा सके । इसी बीच उपयुक्त अभियोग की विवेचना अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के सुपुर्द कर दी गई ।

अब तक प्राप्त सूचनानुसार शिथिलता बरतने एवं अपराध छिपाने हेतु कोई पुलिस कर्मी दोषी नहीं पाया गया । मृतक सर्वादीन के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई ।

जनपद बाराबंकी के थाना रुदौली में कतिपय लोगों के विरुद्ध हरिजन अपहरण संबंधी शिकायती पत्र

62–श्री कृष्ण कुमार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फकीरे पुत्र श्री भदई हरिजन निवासी ग्राम सभा बराबां थाना रुदौली जनपद बाराबंकी का श्री माता बदल सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह व अन्य के विरुद्ध हरिजन अपहरण संबंधी शिकायती पत्र दिनांक 22-12-87 थानाध्यक्ष रुदौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभियोग पंजीकरण की तिथि एवं आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित करने की तिथि क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप निराधार व असत्य पाये गये। जिस कारण कोई अपराध पंजीकृत नहीं किया गया । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

63–श्री कृष्ण कुमार–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती ननकुना पत्नी श्री राम विलास हरिजन निवासी ग्रामसभा अमहटा थाना रुदौली जनपद बाराबंकी का श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री सूर्यभान सिंह के विरुद्ध हरिजन अपहरण संबंधी शिकायती पत्र दिनांक 22-12-87 थानाध्यक्ष रुदौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभियोग पंजीकरण की तिथि एवं आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित करने की तिथि क्या है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

जांच से किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया । अतः कोई अभियोग नहीं पंजीकृत किया गया और न किसी कार्यवाही की आवश्यकता समझी गयी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव चीनी मिलों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों का निर्धारित वेतनमान

64—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश चीनी निगम और उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव चीनी मिलों में कार्यरत चिकित्साधिकारियों जो0 एम0 बी0 बी0 एस0 हैं, के वेतनमान द्वितीय सुगर वेजबोर्ड के निर्धारित वेतनमान से बदलकर पी0 एम0 एस0 ग्रेड या उससे भी अधिक किये हैं ? यदि हां, तो कब से ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि यही वेतनमान कानपुर सुगर वर्क्स, पड़रौना फैक्ट्री ब्रांच और गौरी-बाजार चीनी मिलों के चिकित्साधिकारियों को दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाईयों में कार्यरत एम0 बी0 बी0 एस0 चिकित्साधिकारियों को दिनांक 12-4-82 से पी0 एम0 एस0 में बदलकर अधिक वेतनमान रु0 900-1770 तथा उ0 प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ की मिलों में एम0 बी0 बी0 एस0 योग्यता वाले चिकित्साधिकारियों को पी0 एम0 एस0 का वेतनमान रु0 550-1200 दिया जा रहा है ।

निजी क्षेत्र की कानपुर शुगर वर्क्स पड़रौना तथा गौरीबाजार चीनी मिलों में एम0बी0 बी0 एस0 योग्यता वाले चिकित्साधिकारियों को द्वितीय वेजबोर्ड के अन्तर्गत निर्धारित सुपरवाईजरी ए—1 श्रेणी का वेतनमान रु0 525-1150 दिया जाता है।

65—श्री महेन्द्र भाटी—

[न्यायिक कृत्य से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

गाजियाबाद में स्थित ओरियन्टल कार्बन केमिकल्स लिमिटेड कारखाने में वायु प्रदूषण की जांच

66—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा के तृतीय सत्र 87 के पहले मंगलवार के अता0 प्रश्न संख्या-136 के उत्तर में बताया गया था कि ओरियन्टल कार्बन एण्ड केमिकल्स लि0 गाजियाबाद में जांचोपरान्त कारखाने से निकलने वाले उत्सर्जन, निर्धारित मानकों से कम पाये गये हैं ? यदि हां, तो यह जांच किस एजेन्सी से करायी गयी है ? क्या जांच की विस्तृत रिपोर्ट सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

यह जांच उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला मेसर्स इन्वारोटेक कन्सल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के एयर मानिटरिंग डिवीजन, नई दिल्ली द्वारा जनवरी, 1986 में की गयी थी जिसकी विश्लेषण रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद संलग्न है ।

इस उद्योग की नवीनतम जांच बोर्ड द्वारा जून, 1988 में की गयी है जिसमें इस उद्योग से प्रदूषण होना पाया गया है। इस उद्योग द्वारा बायलर वेस्ट हीट इनसीनेटर का प्राविधान कर लिया गया है किन्तु इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है। बोर्ड

द्वारा उस उद्योग की सहमति दिनांक 15-3-1988 को अस्वीकार की जा चुकी है तथा उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण की पूर्ण व्यवस्था करने के निर्देश बोर्ड द्वारा दिये गये हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 208 पर)

जनपद जौनपुर ग्राम भेलूपुर के श्री कृपा शंकर को सीलिंग भूमि का आवंटन

67—श्री राय लक्ष्मी नारायण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सौरा, विकास खण्ड बदलापुर तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर के ग्राम भेलूपुर के काश्तकार श्री कृपा शंकर की लगभग 6 एकड़ जमीन जो सीलिंग में थी, का आवंटन भूमिहीनों को किये जाने का आदेश कई वर्ष पूर्व हो जाने के बाद भी अभी तक उक्त जमीन को आवंटित न किये जाने का क्या कारण है ? इसमें सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री माता प्रसाद

श्री कृपा शंकर पुत्र गजाधर, निवासी ग्राम भेलूपुर विकास खण्ड बदलापुर, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर की भूमि सीलिंग में अतिरिक्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के न्यायालय में दायर की गयी अपील विचाराधीन है। अतः सम्प्रति भूमि के आवंटन का प्रश्न नहीं है।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील की अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सत्याग्रह में गिरफ्तारी विषयक सूचना

68—श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री शारदा प्रताप, श्री हर्ष वर्धन तथा श्री यदुनाथ सिंह—

प्रथम सत्र 1988 के पाँचवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0 49-50 के दिए गए उत्तरों के संदर्भ में क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री हनुमान प्रसाद कुरील ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध किस तारीख व किस माह तथा किस सन् में विधान भवन पर सत्याग्रह किया था और उन्हें कितने सत्याग्रहियों के साथ गिरफ्तार कर किस न्यायालय द्वारा किस धारा के अन्तर्गत 3 माह का कारावासीय दण्ड दिया गया था ? क्या इसी प्रसंग में कृपया यह बतायेंगे कि श्री हनुमान प्रसाद कुरील ने 3 माह का कारावासीय दण्ड किस कारागार में किस तिथि से किस तिथि तक भोगा है ?

श्री मानपाल सिंह—

जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ के कार्यालय में तत्कालीन न्यायिक अभिलेख उपलब्ध नहीं है। श्री कुरील के कथनानुसार उन्हें दिनांक 14-4-1947 को विधान भवन के सामने शिडयूल्ड कास्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित सत्याग्रह में भाग लेने के फलस्वरूप गिरफ्तार किया गया था। उन्हें तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट, लखनऊ के द्वारा धारा 147/448 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत 3 माह की सजा से दण्डित किया गया था। श्री कुरील ने उक्त सजा तत्कालीन माडल जेल (वर्तमान आदर्श कारागार) लखनऊ, में दिनांक 9-5-1947 से 10-7-1947 तक भोगी थी।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील के निरपराधी शिक्षक कारागार के प्रमाण पत्रों के बिना प्रमाण-पत्र का आधार

69—श्री रविन्द्र नाथ तिवारी, श्री हर्ष वर्धन तथा श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पांचवें मंगलवार अतारांकित प्रश्न सं0-49-50 के दिए गए उत्तर के संदर्भ में क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत मामले में जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) ने दिए गए अपने प्रमाण-पत्र में क्या लिखा है और उन्होंने संबंधित न्यायालय व सम्बन्धित कारागार के प्रमाण-पत्रों के बगैर अपना प्रमाण-पत्र किस आधार पर दिया है ?

श्री मानपाल सिंह—

जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) के द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र दिनांक 19-3-87 की प्रतिलिपि संलग्न है। उन्होंने उक्त प्रमाण-पत्र अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, लखनऊ के प्रमाण-पत्र दिनांक 6-3-87 व श्री हनुमान प्रसाद कुरील द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र व सत्यापन के आधार पर दिया है।

(शेष भाग 'ग' आगे पृष्ठ 209 पर)

श्री हनुमान प्रसाद कुरील के परिचय-पत्र का सम्पूर्ण विवरण

70—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पांचवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-49-50 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली सुविधायें संबंधी नियमावली के पृष्ठ 31 पर अंकित प्रपत्र के अनुसार क्या श्री हनुमान प्रसाद कुरील ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिया है? यदि हां, तो उसमें वर्णित सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री मानपाल सिंह—

जी हां, । विवरण इस प्रकार है—

1—नाम सेनानी—हनुमान प्रसाद कुरील, एम0एल0ए0, कानपुर।

2—पिता का नाम—श्री प्रभु दयाल ।

3—आयु—62 वर्ष ।

4—पूरा पता—9/45 ए, 370 अम्बेदकर मार्ग, बेनाझावर, डाकघर-नवाबगंज, तह0 कानपुर—2, जिला—कानपुर महानगर।

5—पेंशन यदि पाते हों, तो उसका विवरण-पी0 पी0 ओ0 संलग्न—

	भारत सरकार	स्वीकृत पेंशन की धनराशि	पी0 पी0 ओ0 संख्या	
राज्य सरकार उ0प्र0		300	31044 दिनांक—24-6-87	87—88

6—ताम्र-पत्र यदि मिला हो, केन्द्र राज्य सरकार—
7—सजा का विवरण—संलग्न नत्थी है।
8—आश्रितों का विवरण:—

	नाम	आयु	सम्बन्ध
(1)	श्रीमती नराइन देई	54 वर्ष	पत्नी
(2)	हरिश्चन्द्र कुरील	32 वर्ष	भान्जा
(3)	श्रीमती कमला देवी	28 वर्ष	भान्जा की बहू
(4)	कु0 चन्द्रप्रभा	14 वर्ष	पौत्री
(5)	नरेन्द्र कुमार	7 वर्ष	पौत्र
(6)	भीमराव	3 वर्ष	पौत्र

दिनांक—12-1-88

हस्ताक्षर सेनानी/आवेदक
ह0/हनुमान प्रसाद कुरील

श्री हनुमान प्रसाद कुरील को दी जाने वाली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन का आधार

71—श्री यदुनाथ सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पांचवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या—49-50 के दिए गए उत्तर के संदर्भ में क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा इनके आश्रित परिवार को दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी नियमावली के पृष्ठ 10 पर अंकित नियमावली के नियम 10 की टिप्पणी के अनुसार क्या प्रमाण कर्ताओं ने प्रमाण-पत्र के साथ-साथ अनिवार्य अनुबंध पत्र भी दिए हैं ?

श्री मानपाल सिंह—

जी नहीं।

श्री हनुमान प्रसाद कुरील को राज्य की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन सहबन्दी प्रमाण-पत्र के आधार पर नहीं स्वीकृत की गयी है।

जनपद गाजियाबाद की तहसील दादरी के श्री मामचन्द्र उर्फ नैनी पुत्र गोपी को सीरदार घोषित करने के आदेश को निरस्त किया जाना

72—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सीरखा जातियाबाद तह0 दादरी, जिला गाजियाबाद के खसरा नं0-255 रकबा 9-0-0 पर दिनांक 21-8-77 को परगना अधिकारी दादरी के आदेश से श्री मामचन्द्र उर्फ नैनी पुत्र गोपी चन्द्र नि0 छपरौला, तहसील दादरी जिला गाजियाबाद का जो मूल निवासी है, को सीरदार घोषित किया गया ? क्या यह भी सही है कि देवेन्द्र कुमार लेखपाल नि0 सीरख जातियाबाद का निवासी है और उक्त मामचन्द्र श्री देवेन्द्र कुमार लेखपाल का ससुर है ? यदि हां, तो इस अवैधानिक आदेश को निरस्त करने की कार्यवाही शासन करेगा ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां । खसरा नं0-255 रकबा 9-0-0 के इन्द्राज से संबंधित परगना अधिकारी दादरी का कथित आदेश दिनांक 21-8-77 का न होकर दिनांक 21-8-66 का है, जो अवैध होने के कारण परगनाधिकारी के अनुवर्ती आदेश दिनांक 7-11-1987 द्वारा निरस्त किया जा चुका है और भूमि पुनः ग्राम सभा सम्पत्ति (बंजर) अंकित कर दी गयी है ।

जनपद इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र के नेवादा समोगर पोलिंग स्टेशन पर कब्जा

73—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 जून, 1988 को जनपद इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र के नेवादा समोगर पोलिंग स्टेशन पर श्री नरेन्द्र पाल सिंह, विधायक तथा उनके साथ कुछ और लोगों पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा जो उक्त बूथ पर कब्जा करना चाहते थे, प्राण घातक हमला किया था तथा जिसकी सूचना श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के चुनाव कार्यालय से उसी रात जिलाधिकारी इलाहाबाद को भेज दी गई थी ? क्या पुलिस ने उक्त मामले में अपराध पंजीकृत करके कोई कार्यवाही प्रारम्भ की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नैनी पर मुकदमा अपराध सं0 475/88 धारा 144/323/171 च/379/511/427 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद के चकबन्दी अधिकारियों के यहां लम्बित मामलों के संबंध में श्रीमती फूलकुमारी, मेरठ का पत्र एवं कृत कार्यवाही

74—श्री कल्यान सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्यमंत्री को संबोधित दिनांक 13-3-87 का श्रीमती फूलकुमारी विधवा पत्नी स्व0 बृजेश कुमार एडवोकेट म0 नं0 611-मोहल्ला-बेगमबाग-मेरठ का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है जिसमें इन्होंने ग्राम-अनवरपुर, तहसील-हापुड़ जिला-गाजियाबाद में अपनी भूमि के संबंध में जिला-गाजियाबाद के चकबन्दी अधिकारियों द्वारा गत लगभग 14 वर्षों से अन्याय और अत्याचार किये जाने के गम्भीर आरोपों का उल्लेख किया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? जिला गाजियाबाद के चकबन्दी अधिकारियों के यहां 14 वर्षों की अवधि से निलम्बित इनके मामले में निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं ? निर्णय कब तक कर दिया जायेगा ? इस विलम्ब के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

उक्त शिकायती पत्र उप संचालक चकबन्दी गाजियाबाद को जांच हेतु भेजा जा चुका है ।

चकबन्दी अधिकारी, हापुड़ द्वारा संबंधित वाद दिनांक 16-4-79 को निस्तारित किया गया था । प्रतिपक्षी द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 17-3-80 को पुनः सुनवायी हेतु रिमाण्ड की गई । विपक्षी द्वारा बार-बार समय बढ़वाये जाने के कारण उक्त वाद चकबन्दी अधिकारी स्तर पर निस्तारित नहीं हो सका था । इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया में रहने के कारण समय लगा ।

संबंधित वाद चकबन्दी अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 14-9-88 को निस्तारित कर दिया गया है ।

विलम्ब के लिए संबंधित चकबन्दी अधिकारी दोषी हैं । इनके स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी गाजियाबाद को लिखा गया है ।

जनपद फर्रुखाबाद के मजरा बली पट्टी में अग्निकाण्ड से पीड़ित हरिजनों को आर्थिक सहायता

75—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर स्थित ग्राम बौकीक की मड़ैया मजरा बली पट्टी में माह अक्तूबर, 87 में हुए भीषण अग्निकाण्ड में चार हरिजन परिवारों सहित लगभग डेढ़ दर्जन मकान जलकर पूर्ण रूपेण स्वाहा हो गये ? क्या उक्त पीड़ितों को कोई आर्थिक सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नगत बस्ती में दिनांक 9-10-87 को अग्निकाण्ड हुआ था जिसमें ग्राम के 6 हरिजन परिवारों सहित कुल 18 परिवार प्रभावित हुए थे । इन प्रभावित 18 परिवारों को प्रति परिवार 500 रु0 की दर से अहेतुक सहायता दिनांक 30-12-87 को दी गई ।

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम सभा रिसौरा में तूफान से हुई मृत्यु के संबंध में आर्थिक सहायता

76—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-152/सी0 एम0/99, दिनांक 30 जनवरी, 88 श्री मइयादीन पुत्र श्री झुर्री मजरा पट्टीदार का पुरवा ग्राम सभा रिसौरा तहसील नरैनी, जनपद बांदा के पत्र के साथ तूफान में लड़के की हुई मृत्यु के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो संलग्न पत्र का विवरण क्या है ? क्या आर्थिक सहायता प्रदान की गई ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां । पत्र में मृतक के परिवार के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग की गई थी । जिलाधिकारी, बांदा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मृतक के पिता को रु0 5000/- की अनुग्रह अनुदान सहायता प्रदान की जा चुकी है ।

जनपद बांदा के कतिपय हरिजनों के नाम पट्टा तथा कब्जा के संबंध में प्रश्नकर्ता श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा के पत्र पर कार्यवाही

77—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा तहसील नरैनी के ग्राम जाऊ के श्री बदलू पुत्र श्री मैकू व ग्राम महोतरा के श्री राम आसरे तथा ग्राम नौगवां के श्री रामा किशुन व ग्राम बदौसा के श्री रामहित आदि तथा तुरां ग्राम के श्री बहोरी हरिजन आदि के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का दिनांक 17-8-87 का पत्र संख्या ग0 13401 भूमि के पट्टों के नाम एवं कब्जा के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो संलग्न पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा में चकों की नाप तहसील कर्मचारियों के द्वारा कराया जाना

78—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के संलग्न पत्र के साथ श्री छोटे लाल ग्राम प्रधान रौली (कल्यानपुर) तहसील नरैनी जनपद बांदा का पत्र दिनांक 13 नवम्बर, 86 का चकों की चकरोड तथा नालियों की पैमाइश कराने के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि ग्राम रौली (कल्यानपुर) में चकबन्दी की धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है और ग्राम के राजस्व के मसलें के सभी कागजात तहसील कार्यालय नरैनी जा चुके हैं ? यदि हां, तो क्या तहसीलदार नरैनी तथा ग्राम प्रधान रौली एवं ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति में चकों, चकरोडों तथा नालियों की नाप तहसील के कर्मचारियों द्वारा कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां । ग्राम रौली (कल्यानपुर) में धारा 52 के प्रकाशन का प्रस्ताव किया जा चुका है और तहसील-नरैनी के कार्यालय में उक्त ग्राम के अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं । लेखपाल एवं भूलेख, निरीक्षक, द्वारा ग्राम सभा के प्रधान एवं सदस्यों तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति में चकरोड, नालियों एवं सेक्टर आदि की पैमाइश करा दी गई है ।

79-80—श्री अर्जुन सिंह यादव तथा श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाये गये]

श्री हनुमान प्रसाद कुरील के संबंधित राजनैतिक दल अथवा संगठन का नाम एवं आन्दोलन का विवरण

81—श्री विजय सिंह राणा तथा श्री अशोक बाजपेयी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पांचवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0—49—50 के दिए गए उत्तर के संबंध में क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विधान भवन पर सत्याग्रह करते समय श्री हनुमान प्रसाद कुरील किस राजनैतिक दल या संगठन से संबंधित थे और क्या उनके इस दल अथवा संगठन ने गांधी जी द्वारा आहूत सत्यागृह से भिन्न कोई सत्याग्रह करने का आह्वान किया था ? यदि हां, तो उनके इस दल अथवा संगठन ने उस माह व सन् में किन-किन स्थानों पर सत्याग्रह किये थे ?

श्री मान पाल सिंह—

जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ, के कार्यालय में तत्कालीन ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है जिससे यह स्पष्ट रूप से कहा जा सके कि श्री हनुमान प्रसाद कुरील किस राजनैतिक दल से संबंधित थे तथा उनके द्वारा किया गया सत्याग्रह किस दल से संबंधित था । श्री कुरील के कथनानुसार वे परिगणित जाति संघ (शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन) से सम्बद्ध थे और उक्त आन्दोलन अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध हरिजनोंत्थान हेतु किया गया था तथा महात्मा गांधी के अछूतोद्धार आन्दोलन के समतुल्य था, तथा उक्त संघ ने दिनांक 14 अप्रैल, 1947 से प्रदेश स्तर का सत्याग्रह विधान भवन पर आयोजित किया था ।

जनपद गाजियाबाद में कब्रिस्तान की भूमि पर बनी दुकानों से श्री ऋषि पाल प्रो0 धर्मा प्रापर्टी डीलर द्वारा किराया वसूल किया जाना

82—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम नयाबांस तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद के गाटा सं0 321 में कब्रिस्तान दर्ज है ? क्या यह सही है कि उक्त कब्रिस्तान की भूमि पर लगभग 15 दुकानों का निर्माण बिना किसी सक्षम संस्था की अनुमति के कराया गया है ? यदि हां, तो इन दुकानों का किराया किस आधार पर ग्राम नयाबांस का निवासी श्री ऋषि पाल प्रो0 धर्मा प्रापर्टी डीलर वसूल कर रहा है ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्नगत ग्राम नयाबांस के गाटा सं0-321 रकबा 0-12-0 पर अभिलेखों में कब्रिस्तान अंकित था । भू-राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 33/39 के अधीन दिनांक 27-8-1984 को परगनाधिकारी द्वारा वाद सं0-11 ग्राम नयाबांस बनाम गोपी आदि में यह आदेश पारित किया गया कि उक्त गाटा के रकबा 0-6-0 पर कब्रिस्तान गांव सभा का नाम खारिज करके श्री गोपीचन्द की आबादी दर्ज की जाय सरकार की ओर से दिनांक 20-4-87 को पुनरीक्षण हेतु प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर परगनाधिकारी दादरी के आदेश दिनांक 7-5-88 द्वारा उक्त आदेश 27-8-84 को निरस्त कर दिया गया

और गाटा संख्या-321 रकबा 0-6-0 को कब्रिस्तान दर्ज करने का आदेश दिया गया । उक्त आदेश के विरुद्ध श्री गोपीनन्द द्वारा अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी दायर की गयी है जिसमें दिनांक 15-6-88 को स्थगन आदेश पारित किया गया है । फलतः प्रश्नगत 0-6-0 भूमि से बेदखली की कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है ।

गाटा संख्या-321 के उसी 0-6-0 क्षेत्रफल में मौके पर 32 दुकानें बनी हैं जिसका निर्माण वैधानिक नहीं है । इन दुकानों का किराया 9 व्यक्तियों द्वारा वसूल किया जा रहा है । श्री गोपीचन्द तथा उनके साथियों द्वारा दुकानों से किराये की वसूली वैधानिक नहीं है ।

जनपद गाजियाबाद में फूड्स प्राइवेट लि0 सूरजपुर इकाई के विरुद्ध कार्यवाही न करने का कारण

83—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हांडा फूड्स प्राइवेट लि0 सूरजपुर में स्थित इकाई के विरुद्ध थाना दादरी जनपद गाजियाबाद में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का एक मुकदमा 13-11-87 को वरिष्ठ हाट निरीक्षक द्वारा अंकित किया गया था ? यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध अभी तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां ।

साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण अपराधियों के विरुद्ध विवेचना को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ।

जनपद कानपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन पाने वाले विधायकों की संख्या

84—श्री भगौती सिंह—

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर के कौन-कौन विधायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं ? इसी प्रसंग में क्या यह भी बतायेंगे कि उनकी पेंशन किन-किन तिथियों में स्वीकृत हुई है ?

श्री मानपाल सिंह—

जनपद कानपुर देहात से केवल श्री हनुमान प्रसाद कुरील, विधायक, बिल्हौर राज्य की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं जो उन्हें शासनादेश संख्या-91 जेड/6-बी-87-66/87, दिनांक 24-6-87 द्वारा दिनांक 1-6-87 से स्वीकृत की गई है । जनपद कानपुर नगर से कोई विधायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं ।

85—श्री यदुनाथ सिंह—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद लखनऊ की फर्म एलाइड इण्डस्ट्रीज द्वारा बिक्रीकर राजस्व की हानि एवं जांच

86—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में पंजीकृत फर्म एलाइड इण्डस्ट्रीज सदर के वर्ष 81-82 व 82-83 में बिक्री कर राजस्व की हानि के बारे में सदस्य, विधान परिषद् श्री अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0-465 सा0 वित्त राज्य मंत्री जी को ता0 2-5-88 को मिला है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम हुआ ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद में पोलिटेकनिक खोलने की मांग

87—श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में वहां के औद्योगिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार अविलम्ब एक पोलिटेकनिक कालेज खोलने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं । गाजियाबाद में पहले से ही पालीटेकनिक स्थापित है ।

जनपद देवरिया के आदाता मेसर्स श्री सीताराम शुगर कम्पनी लि0 बैतालपुर के विरुद्ध नियुक्ति व पदोन्नति करने में अनियमितता सम्बन्धी पत्र एवं कृत कार्यवाही

88—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि मंत्री सीताराम शुगर मिल मजदूर यूनियन बैतालपुर, देवरिया का पत्र दिनांक 20-8-87 विशेष सचिव गन्ना, उत्तर प्रदेश सरकार व जिलाधिकारी देवरिया को प्राप्त हुआ है, जो आदाता मेसर्स श्री सीताराम शुगर कम्पनी लि0 बैतालपुर, देवरिया के विरुद्ध अनियमितता करके नियुक्ति व पदोन्नति करने के संबंध में है ? यदि हां, तो उक्त आरोप पत्र पर अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मंत्री, सीताराम शुगर मिल मजदूर यूनियन बैतालपुर देवरिया का पत्र दिनांक 20-8-87 जिसमें श्री सीताराम शुगर कं0 लि0, बैतालपुर, देवरिया के तत्कालीन आदाता श्री राम मिलन सिंह के विरुद्ध मुख्यतः नियुक्ति व पदोन्नति करने में अनियमितता करने का आरोप लगाया गया है, की जांच कराई गयी । जांच के उपरान्त आरोप सत्य नहीं पाये गये । कार्यालयादेश दिनांक 3 जून, 1987 द्वारा 45 कर्मचारियों को जो ऊंचे पदों पर रिसीवरशिप के पहले से कार्यरत थे, उन्हें नियमित किया गया । कार्यालयादेश दिनांक 8 अगस्त, 1987 द्वारा 18 कर्मचारी जो रिक्त पदों पर रिसीवरशिप के पहले से नियमित रूप से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें नियमित किया गया । उपरोक्त आदेशों द्वारा कोई नयी नियुक्ति नहीं की गयी है । अतः किसी शासनादेश आदि का उल्लंघन नहीं हुआ है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स श्री सीताराम शुगर कम्पनी लि0 बैतालपुर देवरिया के आदाता द्वारा की गई नियुक्ति व पदोन्नति में अनियमितता

89—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मेसर्स श्री सीताराम शुगर कम्पनी लि0 बैतालपुर, देवरिया के आदाता ने कर्मकारों के पदोन्नति एवं भर्ती हेतु जो आदेश क्रमशः दिनांक 3-6-87 व 8-8-87 को तथा विज्ञापन दिनांक 5-11-87 के सन्दर्भ में व्यक्तिगत साक्षात्कार दिनांक 9-12-87 को करके नियुक्ति आदेश पारित किया है, वह राज्यादेश दिनांक 27-11-70 व राज्यादेश दिनांक 15-7-82 तथा इम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज कम्पलसरी नोटिफिकेशन आफ वेकेन्सीज एक्ट 1959 के धाराओं के तहत नहीं किया है ? क्या यह भी सत्य है कि जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा दिनांक 6-12-86 को उक्त दोनों कार्य हेतु बनायी गयी समिति के द्वारा चयन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका आधार व तथ्य क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आदेश दिनांक 3-6-87 उन कर्मचारियों से संबंधित है, जो चीनी मिल के रिसीवरशिप में आने के पहले से नियमित रूप से ऊंचे पदों पर काम कर रहे थे और आदेश दिनांक 8-8-87 ऐसे कर्मकारों से संबंधित है जो रिसीवरशिप के पूर्व से ही नियमित स्थाई एवं मौसमी पदों पर दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत थे । दोनों आदेशों से संबंधित कर्मकार कानून की दृष्टि से अपना हक उन पदों के लिये बना चुके थे । इसलिए उन्हें नियमित किया गया ।

मिल में दो पैन इंचार्ज का पद रिक्त था । इस पद के लिए नीचे के श्रेणी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पैन इंचार्ज का पद सम्भाल सके । इसलिए इस पद हेतु अखबार में विज्ञापन दिया गया जो 5-11-87 को प्रकाशित हुआ और दिनांक 9-12-87 को साक्षात्कार करके नियुक्ति की गयी । इस साक्षात्कार में मिल के कर्मचारियों को जो पैन ब्वायलिंग कोर्स पास किये थे, को भी साक्षात्कार में भाग लेने का अवसर दिया गया । इसके साक्षात्कार के लिए इम्प्लायमेंट एक्सचेंज कम्पलसरी नोटिफिकेशन आफ वेकेन्सीज एक्ट 1959 के अन्तर्गत जिला सेवायोजन अधिकारी, देवरिया को पत्र संख्या ई एक्स/2315/87 दिनांक 23-11-87 द्वारा सूचित किया गया कि वे शैक्षिक योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का नाम उपलब्ध करा दें ।

जहां तक राज्यादेश दिनांक 27-11-70 व 15-7-82 का संबंध है, यह वर्क मैन श्रेणी के लिये है । फिर भी उक्त आदेशों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि खाली पदों के लिये उपर्युक्त कर्मचारी मिल में उपलब्ध न होने पर भी बाहर से चुनाव द्वारा नियुक्त न किया जाय । दिनांक 6-12-86 को उक्त कार्य हेतु जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा बनाई गई समिति की अनुशंसा के आधार पर ही पदोन्नति आदि की गयी है ।

जनपद बस्ती में रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण रोका जाना

90—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय बांसी जनपद बस्ती में नियुक्त कितने लिपिक पिछले कई वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? इनका स्थानान्तरण कब और कहां किया गया और किन कारणों से रोका गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जनपद बस्ती के सब रजिस्ट्रार कार्यालय बांसी में कुल पांच निबंधन लि0 क्रमशः दिनांक 12-7-85, 8-11-85, 1-7-87, 5-8-87 तथा 12-10-87 से कार्यरत हैं। केवल एक लिपिक दिनांक 11-7-88 को स्थानान्तरण हेतु परिपक्व हुआ है जिसके स्थानान्तरण पर विचार किया जा रहा है।

किसी लिपिक को सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रखा जाता।

जनपद बस्ती के रजिस्ट्री कार्यालय में स्टैम्प चोरी करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

91—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रजिस्ट्री पत्र संख्या—1225 दिनांक 31 मार्च, 1983 सब रजिस्ट्रार बांसी, जनपद बस्ती में हुए बैनामे में की गयी लाखों रुपयों की स्टैम्प चोरी में रजिस्ट्री कार्यालय बांसी के कौन-कौन से कर्मचारी दोषी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

रजिस्ट्री संख्या 1225 दिनांक 31-3-83 सब रजिस्ट्रार बांसी जनपद बस्ती में हुये बैनामें के बावत धारा—47 ए भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा जिला स्टाम्प अधिकारी के न्यायालय में मूल्यांकन हेतु विचाराधीन है। जब तक न्यायालय में निर्णय के पश्चात् अवमूल्यन होना सिद्ध नहीं हो जाता तब तक दोषी कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारण तथा कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री शुकदेव की जान व माल की सुरक्षा

92—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

निवासी शुकदेव पुत्र सोमई ने दबंग, गिरोहबन्द लोगों से अपने जान व माल की निवासी शुकदेव पुत्र सोमई ने दबंग, गिरोहबन्द लोगों से अपने जान व माल की सुरक्षा से संबंधित कितने प्रार्थना-पत्र थाना बांसी कोतवाली सी0 ओ0 बांसी एवं पुलिस अधीक्षक बस्ती को दिया है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी उक्त गरीब शुकदेव की जान व माल की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

श्री शुकदेव पुत्र सोमई ग्राम तिवारीपुर थाना-बांसी, जनपद बस्ती ने दिनांक 28-1-88, 18-2-88 तथा 11-3-88 को क्षेत्राधिकारी बांसी को दिनांक 11-3-88 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती को तथा दिनांक 4-2-88 को जिलाधिकारी, बस्ती को अपने जान-माल की सुरक्षा के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिया। श्री शुकदेव द्वारा प्रदत्त प्रथम प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना बांसी की पुलिस द्वारा विपक्षी श्री प्रकाश चन्द्र आदि के विरुद्ध धारा 107/116 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही दिनांक 30-1-88 को कर दी गयी। यह कार्यवाही प्रार्थी की जान-माल की सुरक्षा हेतु ही की गई। यह मामला परगनाधिकारी, बांसी के न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री शुकदेव पुत्र सोमई की जान-माल की सुरक्षा हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बस्ती को शासन द्वारा भी निर्देश दिये गये हैं।

जनपद बस्ती में पी0 डब्लू0 डी0 की जमीन पर कब्जा विषयक शिकायत पर कार्यवाही

93–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती की बांसी टाउन एरिया अंतर्गत बांसी, पेट्रोल पम्प तिराहे पर पी0 डब्लू0 डी0 की त्रिभुजाकार जमीन को अवैध रूप से कब्जा किये जाने की शिकायत संबंधित जूनियर इंजीनियर द्वारा बांसी कोतवाली में दर्ज करवायी गयी है ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त अवैध कब्जा को हटाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त अवैध कब्जे को हटवाने एवं भूमि की सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी नहीं।

थाना बांसी के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक को सा0 नि0 वि0 के अवर अभियंता से यह मौखिक शिकायत मिलने पर कि सा0 नि0 वि0 की प्रश्नगत भूमि पर श्री युगेश हरिजन अपना अवैध कब्जा करना चाहता है, थाना बांसी की पुलिस के कहने पर श्री युगेश हरिजन ने उक्त जमीन से लगभग एक माह पुरानी अपनी झोपड़ी को हटा लिया। वर्तमान समय में विवादित त्रिभुजाकार भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

किसान सहकारी चीनी मिल गजरौला हसनपुर पर आडिट आपत्तियां एवं कृत कार्यवाही

94–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल गजरौला, हसनपुर का उसकी स्थापना के बाद आडिट कराया गया ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष का आडिट कराया गया है ? क्या यह सही है कि आडिट कर्ताओं ने कुछ आपत्तियां भी लगाई हैं? यदि हां, तो उन आपत्तियों पर क्या कार्यवाही की गई तथा दोषी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

किसान सहकारी चीनी मिल लि0, गजरौला (मुरादाबाद) के स्थापना वर्ष 1974-75 से वर्ष 1984-85 तक के लेखों का आडिट कार्य सहकारी समिति एवं पंचायतों के लेखा परीक्षकों द्वारा किया जा चुका है। वर्ष 1986-87 तक के वार्षिक लेखों का आडिट भी चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स द्वारा करा लिया गया है। कोई गम्भीर आडिट आपत्ति प्रकाश में नहीं आई है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

किसान सहकारी चीनी मिल गजरौला हसनपुर के निर्माण की लागत एवं किसानों की अंश पूंजी

95–हाजी मोहम्मद हयात–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल गजरौला हसनपुर को कितनी लागत से बनाया गया है? उक्त फैक्ट्री में किसानों से अब तक कितना हिस्सा शेयर के रूप में लिया जा चुका है तथा किसानों से शेयर के अतिरिक्त गन्ने की कितनी कटौती प्रति कुन्टल प्रति वर्ष की गई है तथा कटौती का पैसा कहां तथा किस मद में जमा किया गया है? उक्त कटौती से किसानों को अब तक क्या लाभ पहुंचाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सहकारी चीनी मिल गजरौला (मुरादाबाद) के प्रथम पेराई सत्र 1983-84 के प्रारम्भ तक 749.58 लाख रुपये व्यय किए गये। किसानों से 31-8-88 तक अंश पूंजी के लिए 96.80 लाख रुपये प्राप्त किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की कटौती प्रति कुन्टल गन्ने से नहीं की जाती है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मिर्जापुर थाना चुनार में चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं जमानत

96–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपराध सं0-30/1988 धारा 147, 148, 324 व 379 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत एवं अपराध संख्या-40/1988 धारा 436 भा0 द0 वि0 के तहत थाना चुनार जनपद मिर्जापुर में क्रमशः दिनांक 3-2-88 को वादी विजय सिंह पुत्र सागर सिंह व अन्य के एफ0 आई0 आर0 पर 14 दिन के अंदर क्या कार्यवाही हुई? कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई? क्या यह सत्य है कि श्री वीरेन्द्र सिंह व राजेन्द्र सिंह पर गम्भीर प्राणघातक हमले करके 315 बोर की राइफल लूट लिया गया था? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

प्राप्त सूचनानुसार अपराध सं0 30/88 में 14 दिन के अंदर विवेचना आरम्भ कर 4 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। शेष अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत करा लिया।

अपराध सं0 40/88 थाना चुनार पर दिनांक 13-2-88 को पंजीकृत हुआ एवं तत्पश्चात् इसकी विवेचना पुलिस द्वारा प्रारम्भ की गई । विवेचना से पाया गया कि इस अभियोग में नामजद 4 अभियुक्तों में से अभियुक्त खेतई थाना चुनार के मु0 अ0 सं0 30/88 में दिनांक 9-2-88 को स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जो मु0 अ0 सं0 4088 की घटना, जो 12-2-88 की है, के समय मिर्जापुर जेल में बन्द था तथा अभियुक्त बिहारी ने दिनांक 12-2-88 को न्यायालय में हाजिर होकर अपनी जमानत कराई तथा वह भी घटना के वक्त न्यायिक हिरासत में मिर्जापुर में था । इस प्रकार इस अभियोग में नामजदगी झूठी पाई गई ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वीरेन्द्र सिंह एवं श्री राजेन्द्र सिंह को अभियुक्तों द्वारा लाठी, बल्लम एवं गड़ासे से चोट पहुंचाया गया एवं मारपीट की घटना के पश्चात् वापस जाते समय अभियुक्त वादी के भाई के नाम की राइफल जो खेत पर रखी थी, चोरी से लेते गए थे, जिसकी बरामदगी काफी तलाश करने के पश्चात् भी न हो सकी ।

97—श्री यदुनाथ सिंह—

[2रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 183 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

98—श्री यदुनाथ सिंह—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

जनपद आगरा में अधि0 अभियन्ता द्वारा श्री रामचन्द्र निवासी ग्राम श्यामों के विरुद्ध की गई शिकायत

99—श्री विजय सिंह राणा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में अधि0 अभियन्ता अस्थायी खण्ड सा0नि0वि0 आगरा के पत्रांक-1813 /24, सी0 दिनांक 29-6-87 के द्वारा पुलिस पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को दी गई श्री सालिगराम पुत्र राम चन्द्र निवासी ग्राम श्यामों के विरुद्ध शिकायती पत्र पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अधिशासी अभियन्ता अस्थायी खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग आगरा का पत्रांक 1813/24सी, दिनांक 29-6-87 कार्यालय पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं थाना ताजगंज के अभिलेखों के अनुसार पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आगरा को प्राप्त होना नहीं पाया गया।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के कतिपय हरिजन किसानों के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

100—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोची ग्राम-गोंधी परगना-केराकत, तहसील-शाहगंज, जनपद जौनपुर के सर्वश्री हरीलाल हरिजन, राधेश्याम, जैराम, इन्द्रजीत रूपराम, पब्बर यादव, भोनू धोबी आदि किसानों की चकबन्दी संबंधी शिकायती रजिस्ट्री सुदा प्रार्थना पत्र दिनांक 18-6-87 श्रीयुत चकबन्दी बाबूलाल स0अ0 सहायक जिलाधिकारी जौनपुर, बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी सदर जौनपुर, उपसंचालक चकबन्दी (प्रशासन) जौनपुर, राजस्व मंत्री स0प्र0 लखनऊ को क्रमशः प्राप्त हुए थे यदि हां, तो किसानों की शिकायतों के निवारण व निस्तारण के लिए कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या?

श्री माला प्रसाद—

जी हां।

जी हां।

उक्त शिकायती प्रार्थना-पत्र पर उप संचालक चकबन्दी, जौनपुर से जांच कराई गई। शिकायती-पत्र में केवल दो शिकायतें की गई हैं। पहली शिकायत गाटा संख्या-60/1-31 जो गांव सभा में बतौर पोखरा अंकित था, को चकबन्दी अधिकारी द्वारा लम्बी रकम लेकर श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी सुदू के नाम अंकित करने की है। दूसरी शिकायत चकबन्दी स्टाफ को तहसील द्वारा वर्ष 1384 फ0 से 1389 फ0 तक की असल खतौनी उपलब्ध न कराकर उसकी दूसरी प्रति उपलब्ध कराये जाने के बारे में है।

जांच में पाया गया कि गाटा संख्या 60/1-31 जो वर्ग 6(1) में पोखरा दर्ज है उस पर श्रीमती बसन्ती पत्नी सुदू के नाम मुकदमा नम्बर-82 तारीख फैसला 27-3-81 बतौर पट्टेदार दर्ज होने का तहसीलदार, शाहगंज का आदेश है। इस अमलदरामद का क्रियान्वयन चकबन्दी प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं किया गया है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार उक्त अंकित आदेश फर्जी है। इस खाते के संबंध में विवाद धारा-9-क(2) के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी के यहां विचाराधीन है।

तहसील द्वारा मूल खतौनी को रोक कर उसकी दूसरी प्रति चकबन्दी स्टाफ को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में लगाया गया द्वितीय आरोप निराधार पाया गया।

उप दरोगा श्री टी0एल0 यादव थाना रोहनियां वाराणसी द्वारा अस्पताल के लिए आरक्षित भूमि पर कब्जा

101—श्री राज किशोर सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप दरोगा श्री टी0 एल0 यादव थाना रोहनियां, वाराणसी द्वारा ग्राम-कोटवा विकास क्षेत्र काशी विद्यापीठ, वाराणसी में अस्पताल के लिए आरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 23-2-88 के उत्तर में उनके पत्र सं0-483/बी0 आई0 पी0/88, दिनांक 29-2-88 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री माता प्रसाद—

सब इन्सपेक्टर श्री टी0 एल0 यादव द्वारा अस्पताल की सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, अपितु ग्राम कोटवा थाना रोहनिया जनपद वाराणसी में वर्ष 1986 में हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारण पुलिस चौकी कायम हुई। पुलिस चौकी के कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुए तत्कालीन ग्राम प्रधान ग्राम कोटवा ने सदस्यों के सहयोग से आराजी नं0 653 रकबा 72 डिसीमल, जो कि अस्पताल के मद में सुरक्षित थी, में से 10 डिसीमल भूमि चौकी कोटवा हेतु प्रस्तावित करके अस्थाई तौर पर दो कमरे बनवाकर चौकी के कर्मचारियों को रहने हेतु दिये। जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि चौकी कोटवा हेतु अन्यत्र जगह मिलने पर चौकी वहां से तत्काल हटा दी जायगी।

जनपद हमीरपुर के ग्राम पुरैनी के श्री बिहारी हरिजन के आवास पट्टे सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

102—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ए0/153/राजस्व/88, दिनांक 30 जनवरी, 1988 जनपद हमीरपुर तहसील राठ ग्राम पुरैनी के श्री घसीटा पुत्र श्री बिहारी हरिजन के पत्र के साथ आवास के पट्टे के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री माता प्रसाद—

जी नहीं। प्रश्न के संदर्भ में इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी, जिससे यह ज्ञात हुआ कि श्री घसीटा पुत्र श्री बिहारी, आवास स्थल आवंटन के लिए पात्र व्यक्ति नहीं है। इनके पास पूर्व में ही आवासीय भूमि उपलब्ध है।

नोएडा में लालडोरा व्यवस्था को लागू किया जाना

103—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा में कितने वाद ग्राम आबादी के सम्बन्ध में अनिर्णीत प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के न्यायालय में लम्बित हैं? क्या इनके निर्णय में वर्षों पुरानी आबादी बाधक है? यदि हां, तो क्या दिल्ली में प्रचलित लालडोरा व्यवस्था को नोएडा में लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है? क्या यह सही है कि ग्राम नगला चरण-दास में लालडोरा व्यवस्था लागू की गयी है? यदि हां, तो शेष ग्रामों में यह व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं लागू की गयी है?

श्री माता प्रसाद—

नोएडा में ग्राम आबादी से संबंधित कोई वाद प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के न्यायालय में लम्बित नहीं है। दिल्ली की भांति नोएडा में लालडोरा योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ग्राम नगला चरणदास में लालडोरा व्यवस्था लागू नहीं की गई है। अतः अन्य ग्रामों में इस व्यवस्था को लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर में पुलिस हिरासत में डा0 वीरेन्द्र सिंह के मृत्यु के सम्बन्ध में विधवा पत्नी को आर्थिक सहायता

104—श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के ग्राम सोजना में 8-3-87 को पुलिस हिरासत में डा0 वीरेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई थी? क्या मुख्य मंत्री जी अपने कोष से वीरेन्द्र सिंह की विधवा पत्नी को आर्थिक सहायता देने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कितनी राशि और कब तक देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्य मंत्री राहत कोष से मृतक की विधवा को आर्थिक सहायता देने हेतु रू0 10,000 रू0 (दस हजार रुपया मात्र) का चेक दिनांकित 31-5-88 जिलाधिकारी ललितपुर को भेजा गया, जिसमें रू0 28/- की धनराशि बैंक कमीशन काट कर 9,972 रू0 (नौ हजार नौ सौ बहत्तर रुपये मात्र) की धनराशि का चैक मृतक वीरेन्द्र सिंह की विधवा श्रीमती इन्दु को दिनांक 27-7-88 को प्राप्त कराया जा चुका है।

जनपद इलाहाबाद में राजकीय आस्थान की भूमि पर हुए हजारों अवैध निर्माण एवं विनियमितीकरण की कार्यवाही

105—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद जनपद में राजकीय आस्थान की भूमि पर हजारों अवैध निर्माण हो चुके हैं ? यदि हां, तो जनहित को ध्यान में रखते हुए शासन उनके विनियमितीकरण पर क्या कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

106—श्री लक्ष्मी नारायण तथा श्री भोपाल सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

107—कुंवर रेवती रमण सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम बहेड़ी, तहसील टांडा, जनपद मुरादाबाद के सीलिंग भूमि के अवैध आवंटन की जांच रिपोर्ट

108—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बहेड़ी ब्लाक भगतपुर टांडा तहसील व जनपद मुरादाबाद में सीलिंग में प्राप्त 48 एकड़ भूमि का गांव सभा ने प्रस्ताव पारित कर नवोदय विद्यालय या कोई फैक्ट्री लगाये जाने के संबंध में सरकार को समय-समय पर प्रार्थना पत्र दिए थे और दिनांक 9-3-88 को उक्त भूमि राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा डेढ़ लाख रुपये रिश्वत लेकर आवंटित किये जाने से संबंधित शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां । संदर्भगत शिकायती प्रार्थना-पत्र पर तत्कालीन राजस्व मंत्री जी ने मण्डलायुक्त, मुरादाबाद को दिनांक 4 मई, 1988 को जांच कराने के आदेश किये थे । प्रश्नगत प्रकरण की जांच तत्कालीन परगनाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा पूर्व में प्राप्त इसी प्रकार के एक अन्य शिकायती प्रार्थना-पत्र पर की गयी और जांच आख्या 3 अगस्त, 1988 को प्रस्तुत कर दी गयी । तत्कालीन परगनाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा जांच के आधार पर शिकायती प्रार्थना-पत्र को निराधार पाया गया । इस संबंध में अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मंडल द्वारा पत्रांक 1330/सात-1 ए/(87–88), दिनांक 23 सितम्बर, 1988 के अन्तर्गत कुछ और बिन्दु स्पष्ट किये जाने के निर्देश दिए गये हैं । संदर्भगत सीलिंग भूमि के आवंटन के विरुद्ध ग्राम प्रधान ने संबंधित अपर आयुक्त (न्याय) के न्यायालय में वाद दायर कर दिया है ।

देवरिया जनपद में चक्रवात से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता

109–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में दिनांक 19-10-87 को चक्रवात के थपेड़े में किन-किन गांवों में किन-किन व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कौन-कौन से व्यक्ति घायल हुए, घायलों में कितनी-कितनी सहायता प्रति व्यक्ति दी गयी तथा पूर्ण रूप से किन-किन गांवों में किन-किन के मकान गिरे हैं तथा आंशिक रूप से कितने घर गिरे व आंशिक तथा पूर्ण रूप से गिरे घरों को कितनी-कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई और शासन की ओर से पीड़ितों को कितनी धनराशि सहायता के रूप में दी गई है ? क्या यह सत्य है कि सहायता वितरण में भेदभाव किया गया है और मृतक तथा घायल व गिरे घरों को सहायता से वंचित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या पुनः इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, थानाध्यक्ष थाना हजारा पीलीभीत के विरुद्ध जांच रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

110–श्री मैनेजर सिंह, श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री पारस नाथ यादव–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पीलीभीत की पुलिस थाना हजारा के थानाध्यक्ष (श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा) द्वारा की गयी पुलिस ज्यादती की जांच अपर पुलिस अधीक्षक, पीलीभीत द्वारा की गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा दोषी थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

अपर पुलिस अधीक्षक की जांच आख्या के अनुसार थानाध्यक्ष हजारा, जनपद पीलीभीत के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के नागर क्षेत्रों में छोटे-छोटे मकानों की जमींदारी समाप्त करने विषयक निर्णय की मांग

111—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर में छोटे-छोटे मकानों वाली भूमि की जमींदारी समाप्त करने के संबंध में शासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ? यदि हां, तो निर्णय लेने में शासन को क्या आपत्ति है ?

श्री माता प्रसाद—

प्रदेश के नागर क्षेत्रों में उ0 प्र0 नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन यथा परिभाषित कृषि क्षेत्रों की जमींदारी समाप्त किये जाने की ही व्यवस्था होने के कारण नागर क्षेत्रों की अकृषि भूमि की जमींदारी अब भी बनी हुई है । प्रदेश के नागर क्षेत्रों की अकृषि भूमि की जमींदारी समाप्त किये जाने के प्रयोजनार्थ विधेयक पर विचार किया जा रहा है ।

प्रगतिशील सामूहिक कृषि समिति सलारपुर गाजियाबाद नामक फर्जी सोसाइटी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध कब्जे के विरुद्ध जांच

112—श्री महेन्द्र भाटी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा नियम 301 के अंतर्गत दी गयी दिनांक 17-7-85 की सूचना के उत्तर के पत्र संख्या—एस0 आर0/332/दस-राजस्व-2-3-3/4185, दिनांक 24 जनवरी, 1986 में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या जांच प्रारम्भ कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जांच प्रारम्भ कर दी गयी है ।

ग्राम किसनपुर उर्फ सुग्गी चौरी तहसील घोसी जनपद आजमगढ़ के बांध के दक्षिण की भूमि की चकबन्दी कराने की मांग

113—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ग्राम किसुनपुर उर्फ सुग्गी चौरी तहसील घोसी जनपद आजमगढ़ के बांध के दक्षिण की भूमि की चकबन्दी कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-10-86 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

जी हां ।

ग्राम किशुनपुर उर्फ सुग्गीचौरी की धारा—4(2) के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

श्री रघुबंश उपाध्याय, डायरेक्टर सहकारी गन्ना समिति घुघली, गोरखपुर का अवैध चुनाव

114—श्री जनार्दन प्रसाद झाझा—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री रघुबंश उपाध्याय, सहकारी समिति घुघली (गोरखपुर) के डाइरेक्टर पद पर कैसे चुने गए जबकि उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 445 के प्रतिबन्ध के अनुसार वे प्रबन्ध कमेटी के तृतीय कार्यकाल में चुनाव हेतु अपात्र हैं ? क्या यह भी सच है कि श्री उपाध्याय के परिवार के ऊपर समिति का करीब दो लाख रुपया बकाया है एवं आडिट रिपोर्ट वर्ष 86-87 के अनुसार उन्होंने फर्जी टी0 ए0 के नाम पर 3900 अग्रिम धनराशि समिति से लिया, जिसका समायोजन नामांकन पत्र दाखिला की तारीख तक नहीं हुआ था ? यदि हां, तो उन्हें सहकारी अधिनियम, 1968 की धारा 36 के अधीन वर्तमान पद से हटाये न जाने के क्या कारण हैं एवं उन्हें कब तक हटा दिया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्री रघुवंश उपाध्याय सहकारी गन्ना समिति घुघली के डाइरेक्टर के पद पर निर्वाचन नियमों के अनुसार चुने गये ।

प्रश्न में उल्लिखित उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 का नियम—445 डाइरेक्टर पद पर चुनाव हेतु पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में न होकर प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्याय के परिवार के सदस्यों पर वर्तमान में रुपया 1,35,002.52 पैसे गन्ना समिति घुघली का बकाया है एवं वर्ष 86-87 की आडिट रिपोर्ट के अनुसार श्री उपाध्याय द्वारा समिति के कार्यों के सम्बन्ध में विभिन्न तिथियों में अग्रिम धनराशि ली गयी जिसमें से टी0 ए0 के विरुद्ध अवशेष रु0 3009.00 का समायोजन नहीं हुआ ।

प्रश्न में उल्लिखित उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा—36 समिति के किसी पदाधिकारी को उसके पद से हटाये जाने के बारे में लागू नहीं होता है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

115—116—श्री राकेशधर त्रिपाठी—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिये गये]

किसान सहकारी चीनी मिल लि0 नादेही नैनीताल के स्टोर से गबन किये सामानों का मूल्य

117—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या चीनी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, नादेही (नैनीताल) के स्टोर से डीजल, कोयला, स्टील तथा अन्य कितनी मूल्य की सामग्री अब तक गबन हो चुकी है और उसका विवरण और मूल्य क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

किसान सहकारी चीनी मिल नादेही (नैनीताल) में वर्ष 1984-85 के दौरान लेखों का मिलान करते समय रुपया 1,39,300.12 मूल्य की 44 फर्जी इशू पर्चियां प्रकाश में आईं, जिसके सम्बन्ध में मिल समिति के मुख्य लेखाकार एवं मुख्य रसायन-विद् द्वारा जांच किये जाने के पश्चात् जाली हस्ताक्षर का मामला प्रकाश में आया। उक्त फर्जी इशू पर्चियों का विवरण निम्नलिखित है :—

	रु0
डीजल	1380.00
स्टील	8284.30
स्टीम कोल	28204.80
अन्य	101431.02
कुल योग रु0	1,39,300.12

118—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उ0 प्र0 सिविल पुलिस से कुछ पुलिस कर्मियों का जी0 आर0 पी0 में स्थानान्तरण आदेश

119—हाजी मोहम्मद हयात—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उ0 प्र0 सिविल पुलिस से कुछ पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण गत वर्ष जी0 आर0 पी0 में किये गये थे? यदि हां, तो वह कितने पुलिस कर्मी थे जिनका स्थानान्तरण विजीलेंस/जी0 आर0 पी0 में किये थे ? क्या यह सही है कि बाद में कुछ पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण रद्द किये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने पुलिस कर्मी हैं जिनके स्थानान्तरण रद्द किये गये हैं और स्थानान्तरण रद्द किये जाने का क्या माप-दण्ड तथा कारण था ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां।

वर्ष 1987 में 486 पुलिस कर्मी सिविल पुलिस से जी0 आर0 पी0 में स्थानान्तरित किये गये थे। विजीलेंस जी0 आर0 पी0 की कोई शाखा उ0 प्र0 पुलिस में नहीं है।

उक्त में से 55 पुलिस कर्मियों के जी0 आर0 पी0 में हुए स्थानान्तरण आदेशों को बाद में निरस्त किया गया ।

अनुकम्पा के आधार पर घरेलू परिस्थितियों के दृष्टिगत एवं प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण रद्द किये गये ।

120—श्री यदुनाथ सिंह—

[3रे मंगलवार के लिए स्थगित]

121—श्री यदुनाथ सिंह—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

लारी प्रेस, चौक लखनऊ द्वारा जाली लाटरी की बिक्री का मामला एवं दर्ज मुकदमा तथा जांच की कार्यवाही

122—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1980 में चौक लखनऊ की पुलिस ने लारी प्रेस के विरुद्ध जाली लाटरी की बिक्री का मामला दर्ज कराया था? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0—1115 मा0 मुख्य मंत्री जी को ता0 21-7-86 को मिला है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां । थाना चौक लखनऊ में मेसर्स जी0 डब्लू0 लारी एण्ड कम्पनी लखनऊ के विरुद्ध जाली लाटरी टिकट बिक्री के मामले में दिनांक 26-5-80 को मु0 अ0 सं0 593/80 धारा 420/467/468/471/474 भा0द0वि0 बनाम कमल कृष्ण अरोरा उर्फ के0 के0 अरोरा उर्फ के0 के0 भूटानी तथा बृजेन्द्र नाथ कबारु—पंजीकृत हुआ था, जिनके कब्जे से यू0 पी0 रैफल लाटरी के भारी मात्रा में टिकट तथा मुहर (स्टाम्प) व अमेरिकन डालर बरामद हुए थे। उक्त अभियोग की विवेचना द्वारा आरोप पत्र समाप्त किया गया एवं न्यायालय ए0 सी0 जे0 एम0, लखनऊ की अदालत में पेश किया गया । न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को रिहा किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जियालाल बनिया निवासी बरइन की सरइया थाना मलेथू द्वारा आत्म सुरक्षा हेतु दिए गए प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

123—श्री मित्रसेन—

क्या गृह कृपया बतायेंगे कि अ0 सं0 149/88 धारा 395/397 थाना इनायतनगर फैजाबाद दिनांक 12/13/5/88 को भी जियालाल बनिया निवासी बरइन की सरइया ग्राम मलेथू थाना उपरोक्त के यहां उपरोक्त घटित घटना के आधार पर नामजद अभि-

युक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा उनका अपराधिक इतिहास क्या है ? इस घटना के पूर्व भी जियालाल बनिया ने अभियुक्तों को धमकी तथा प्राणघातक खतरे को देखते हुए कौन-कौन से कब-कब प्रार्थना जिला पुलिस प्रशासन तथा प्रदेश सरकार को दिए हैं ? क्या यह सही है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद को जियालाल उपरोक्त ने दिनांक 29-4-88 तथा 6-5-88 तथा मा0 मुख्य मंत्री तथा गृह मंत्री लखनऊ को दिनांक 6-5-88 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

मु0 अ0 सं0 149/88 धारा 395/397 भा0 द0 वि0 में नामजद अभियुक्त राजेन्द्र प्रताप सिंह, भगा प्रसाद सिंह, रमेश कुमार सिंह तथा अशोक राम के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 12-8-88 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था। डकैत पता अज्ञात के संबंध में विवेचना अग्रसित है, विवेचना से राजा उर्फ राजा राम पाण्डेय सा0 उत्तरपारा, थाना-बीकापुर, फैजाबाद प्रकाश में आया है। इसके विरुद्ध भी शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

अभियुक्त राजेन्द्र प्रताप सिंह के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 113/88 धारा 452/323/307 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत होकर चला। यह अभियोग वादी श्री जियालाल जो स्वयं एक हिस्ट्रीशीटर हैं, ने ही पंजीकृत कराया था। इस मुकदमें में विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अन्य नामजद अभियुक्तों का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जियालाल द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 29-4-88 तथा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक रहित प्राप्त हुआ था। इन दोनों प्रार्थना-पत्रों की जांच करायी गयी। जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

नन्दगंज सिहोरी शुगर कम्पनी नन्दगंज, गाजीपुर के पैनेल बोर्ड के जलने से मिल को हुई क्षति

124—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय चीनी निगम उ0 प्र0 के सिहोरी नन्दगंज गाजीपुर स्थित चीनी मिल दिसम्बर 87 के अंतिम पखवारे में पैनेल बोर्ड के जल जाने के कारण 15 दिन से अधिक अवधि तक बंद रही जिससे उक्त इकाई को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा ? क्या यह सही है कि पैनेल बोर्ड पर नियुक्त कर्मचारियों ने तीन दिन पूर्व से ही उसमें स्पार्किंग होने की रिपोर्ट उन्हें भेजी, किन्तु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ध्यान न देने से पैनेल बोर्ड जल गया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां। नन्दगंज सिरोही शुगर कम्पनी नन्दगंज (गाजीपुर) का टर्बो जनरेटर का पैनल फ्लैसिंग के साथ दिनांक 17-12-87 को प्रातः 4.15 बजे क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे मिल 12 दिन तक बन्द रही और इससे मिल को कुल रु0 9,01,997.00 की क्षति हुई।

इस दुर्घटना की जांच में यह पाया गया कि पैनल बोर्ड पर तैनात कर्मचारियों द्वारा स्पार्किंग की सूचना 3 दिन पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी गयी । अपितु दुर्घटना के उपरांत ही तकनीकी अभिलेखों में स्पार्किंग की प्रविष्टि की गई है । इस दुर्घटना में दोषी पाये गये विद्युत अभियन्ता को प्रतिकूल प्रविष्टि, शिफ्ट इलेक्ट्रीशियन का निलम्बन एवं स्पीड बोर्ड अटेन्डेन्ट को सेवा मुक्त कर दिया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जिला शाहजहांपुर में सेवा निवृत्त भूमेख निरीक्षक की संख्या तथा बकाया धनराशि का भुगतान

125—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील पुवायां, जिला—शाहजहांपुर में कितने भूमेख निरीक्षक 1-7-86 से 1-9-86 की अवधि में सेवा निवृत्त हुए परन्तु उनका भविष्य निर्वाह निधि में वर्ष 1976 से जमा की गयी धनराशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया और 1-8-85 से 11-8-85 तक के वेतन का भी भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शीघ्र भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद—

तहसील पुवायां जिला शाहजहांपुर में 1-7-86 से 1-9-86 की अवधि में केवल एक भूलेख निरीक्षक सेवा निवृत्त हुआ जिनके भविष्य निर्वाह निधि में वर्ष 1976 से जमा धनराशि का भुगतान तथा 1-8-85 से 11-8-85 तक का वेतन का भी भुगतान किया जा चुका है ।

वित्त विभाग के सहायक कोषाधिकारी बस्ती के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

126—श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11 अप्रैल, 1988 जो कि सहायक कोषाधिकारी बस्ती की शिकायत के मामले से सम्बन्धित है, उन्हें मिला है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

कृत कार्यवाही से मा0 सदस्य को शासन के अर्द्धशा0 पत्र सं0-एस-3-एम-20/दस-511/76, दिनांक 29 जून, 1988, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, द्वारा अवगत करा दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 210 पर)

ग्राम गोपाल पट्टी थाना अतरौलिया, आजमगढ़ में मार्ग बन्द करने विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

127—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के थाना अतरौलिया के ग्राम गोपाली पट्टी में मार्ग बन्द किये जाने के विषय में सितम्बर, 1986 के तथा रजिस्टर्ड डाक संख्या 976 दिनांक 27-8-87 के शिकायती प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां।

थाना अतरौलिया, ग्राम गोपाल पट्टी के निवासियों के प्रार्थना-पत्र सितम्बर, 86 जांच कराई गई। जांच से विदित हुआ कि आराजी नं0 287 रकबा 7-720 कड़ी पुरानी आबादी का नंबर है। इसमें रास्ता संबंधी कोई विवाद नहीं है। शिकायत निराधार पायी गई।

प्रश्न में उल्लिखित दूसरा पत्र जिलाधिकारी, आजमगढ़ को भेजा गया था परन्तु उनके कार्यालय में मिल नहीं पा रहा है। इस पत्र के खोने के संबंध में जिम्मेदारी निर्धारित करने एवं दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, आजमगढ़ को निर्देश दिये गये हैं।

श्री जब्बार खां, सब इन्सपेक्टर इन्चार्ज थाना श्याम देउरवा, गोरखपुर की रवानगी

128—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 18/19 जनवरी, 1988 की रात में श्याम देउरवा, गोरखपुर के सब इन्सपेक्टर इन्चार्ज श्याम देउरवा, थाना श्री जब्बार खां की रवानगी कहां थी?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

दिनांक 18 जनवरी, 1988 को 16.20 बजे श्री अब्दुल जब्बार खां, सब-इंस्पेक्टर इंचार्ज, थाना श्याम देउरवा मु0 अ0 सं0 32/87 धारा 398/302 भा0 दं0 वि0 की तफ्तीश में सम्बन्धित अभियुक्तों की सुरापरसी व पतारसी हेतु गये थे जिसमें किसी स्थान विशेष का उल्लेख नहीं किया गया था। वे दिनांक 19-1-88 को 6.40 बजे सुबह थाने पर वापस आये।

129—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[1ले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 90 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तहसील घोसी जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी से प्रभावित कतिपय ग्रामों के सहायता कार्य हेतु दिये गये नावों की संख्या तथा दी गयी धनराशि का विवरण

130—श्री विष्णु देव—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष जुलाई अगस्त में जनपद आजमगढ़ तहसील घोसी के घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्राम नूरमुहम्मदपुर, करारिया, सिसवा-धर्मपुर, विशुनपुर, भोलानपुर, दुबारी, परसिया, कोपागिरि में बाढ़ पीड़ित जनता की सुविधा के लिए अलग-अलग किन-किन ग्रामों में कितनी नावों की व्यवस्था की गयी थी तथा उस पर अलग अलग कितनी धनराशि खर्च की गयी थी तथा इसकी सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे?

श्री माता प्रसाद—

माह जुलाई, 1987 में केवल ग्राम दुबारी में एक नाव लगायी गयी थी, जिस पर 154/- व्यय हुआ था। ग्राम नूरमुहम्मदपुर, करारिया, सिसवा, धर्मपुर, विशुनपुर, भोलानपुर, दुबारी में माह अगस्त, 1987 में क्रमशः 4, 5, 1, 1, 2, 2 नावें लगायी गयी थी जिन पर क्रमशः रुपया 1540/-, 3773/-, 385/-, 1309/-, 2618/- एवं 2002/- व्यय हुआ था। ग्राम परसियाकोपागिरि में गत वर्ष जुलाई, अगस्त, 1987 में कोई नाव नहीं लगायी गयी थी।

सहारा सेविंग्स एण्ड फाइनेन्स प्रा0 लि0 द्वारा देय धनराशि की भुगतान विषयक कार्यवाही

131—श्री अशोक वाजपेयी—

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि सहारा "सेविंग्स एण्ड फाइनेन्स प्रा0 लि0" के नाम से एक संस्था वर्ष 73 से प्रदेश में बड़े पैमाने पर धन संग्रह का कार्य कर रही है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस संस्था को मृतप्राय घोषित कर संस्था के ऊपर जनता की बकाया देनदारी को निष्प्रभावी करने के लिए संस्था के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने बाइन्डिंग आफ प्लान स्वीकार करने के लिए शासन में प्रस्तुत किया था जिसे शासन ने निरस्त कर दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस बकाये देनदारी का भुगतान कराने हेतु कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

प्रश्नगत "सहारा सेविंग्स एण्ड फाइनेन्स प्रा0 लि0" नामक संस्था शासन में उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1973 से प्राइज चिट्स आदि का व्यवसाय कर रही है।

प्राइज चिट्स एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) (यू0 पी0) नियमावली 1980 के नियम 4 के तहत प्रश्नगत संस्था द्वारा अपनी संचालित योजनाओं के लिए समापन योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अस्वीकृत कर दिया गया है। संस्था द्वारा उक्त समापन योजना उक्त नियमावली के नियमों के अधीन प्रस्तुत की गई थी। प्राइज चिट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978 की धारा 3 के विरुद्ध चलाई गई योजनाओं के संबंध में बकाया देनदारी का भुगतान कराये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

132—श्री अशोक बाजपेयी—

[1ले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 106 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री चुन्ना पुत्र श्री नौहरिया हरिजन कोतवाली नरैनी जनपद बांदा के हरिजन उत्पीड़न विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

133—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 30 जनवरी, 1988 का पत्रांक-ए/142/सी0 एम0/88, बांदा जनपद के कोतवाली नरैनी अन्तर्गत ग्राम गंगापुरवा (गढ़ा) के श्री चुन्ना पुत्र-श्री नौहरिया हरिजन के पत्र के साथ हरिजन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई तथा श्री चुन्ना के बयान क्या हैं?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

जी हां। प्रश्न में संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त सूचनानुसार उक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तीन घटनाओं दिनांक 27-9-87, 23-12-87 एवं 25-12-87 के सम्बन्ध में थाना नरैनी पर क्रमशः मु0 अ0 सं0-213/87 धारा 447/352/506 भा0 दं0 वि0 व 7 पी0 सी0 आर0 अधिनियम व एन0 सी0 आर0 संख्या-214 व 215/87 धारा 323/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया। इन अभियोगों में विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र क्रमशः दिनांक 22-11-87, 28-1-88 व 10-3-88 को न्यायालय प्रेषित किये जा चुके हैं, जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

प्रार्थी श्री चुन्ना की जमीन की पैमाइश लेखपाल द्वारा मौके पर जाकर कराई जा चुकी है और वह अपनी पट्टे की जमीन भी जोत बो रहे हैं।

चुन्ना का बयान अलग से लेने की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी गई क्योंकि उसके ऊपर घटित घटनाओं के संबंध में अभियोग पंजीकृत हो चुके थे एवं उनमें उससे समय-समय पर बयान लिये जा चुके थे।

श्री नौमत सिंह पुत्र श्री साधू सिंह ग्राम बिरौना थाना कालिंजर, जनपद बांदा का थानाध्यक्ष के भ्रष्टाचार विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

134—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-ए/72/87, दिनांक 12 अक्तूबर, 1987 श्री नौमत सिंह पुत्र श्री साधू सिंह ग्राम बिरौना थाना कालिंजर, जनपद बांदा के पत्र के साथ अति0 पुलिस अधीक्षक, जनपद बांदा को थानाध्यक्ष कालिंजर के भ्रष्टाचार के संबंध में था, प्राप्त हुआ? यदि हां, तो श्री नौमत सिंह के बयान क्या हैं तथा पत्र में क्या कार्यवाही हुई?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

श्री नौमत सिंह ने अपने बयान में कहा कि वह ग्राम बिरौना का निवासी है तथा ग्राम छितैनी, जहां उनकी खेती बारी है, में हुई डकैती के सम्बन्ध में थाना कालिंजर के दरोगा द्वारा उससे पूछ-ताछ करने के कारण वह डर कर इधर-उधर भाग रहा था । उसने कहा कि उसने दरख्वास्त इसलिये दे दी थी जिससे दरोगा उसे परेशान न करें । दरोगा जी द्वारा रुपया मांगने के संबंध में उसने कहा कि परेशान होने की वजह से ऐसा प्रार्थना पत्र में लिख दिया था । उसने बयान के समय कोई परेशानी न होना बताया ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच हो चुकी है । जांच से प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

135–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[1ले सोमवार में अता0 प्र0 सं0 181 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना कालिंजर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर विशेष सचिव गृह द्वारा जांच आदेश एवं जांच रिपोर्ट

136–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दि0 29 जनवरी, 1988 का पत्र बांदा जनपद थाना कालिंजर ग्राम माऊसिंह का पुरवा (नौगवां) के श्री राम संजीवन हरिजन के पत्र के साथ गृह सचिव, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र में क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि गृह सचिव, उ0 प्र0 शासन ने विशेष जांच के आदेश पारित किये थे ? यदि हां, तो विशेष जांच की विस्तृत रिपोर्ट क्या है ? दोषी लोगों के प्रति क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां। प्रश्नगत पत्र की जांच विशेष जांच के माध्यम से करायी गयी। प्राप्त सूचनानुसार जांच में डकैती की घटना का सत्यापन नहीं हुआ केवल मारपीट की घटना की पुष्टि हुई एवं इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही समुचित पाई गई ।

ग्राम महोत्तरा थाना अतर्रा, जनपद बांदा के आतंकवादी घटनाओं विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

137–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 5 जनवरी, 1988 का पत्र बांदा जनपद के अतर्रा थाने के ग्राम महोत्तरा में हो रही आतंकवादी घटनाओं सम्बन्धी ग्रामवासियों के पत्र के साथ गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो संलग्न पत्र पर क्या कार्यवाही हुई तथा संलग्न पत्र में हस्ताक्षर, अगूंठा किये लोगों के अलग-अलग बयान क्या हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां ।

प्रश्नगत शिकायत की जांच में बांदा जनपद के ग्राम महोत्तरा के हरिजनों ने बताया, कि राम औतार पुत्र दादू राम तिवारी ने हरिजनों को कभी परेशान नहीं किया और उन्हें उससे कोई शिकायत नहीं है । प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोप जांच में प्रमाणित नहीं हुए । इस आशय का उत्तर भी मा0 विधायक को 18 मार्च, 88 को भेजा जा चुका है ।

ग्राम डीडाह तहसील नवाब गंज जनपद बाराबंकी के कतिपय नम्बर की जमीनों का अवैध इन्द्राज

138–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम डीडाह, तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की संख्या 3, 59, 98 व 86 गांव सभा की चकबन्दी के अन्तिम कागजातों में दर्ज थी ? क्या यह सही है कि इन नम्बरों पर गांव के लोगों के काफी पुराने मकान बने हुए हैं ? क्या यह सही है कि चकबंदी आकार पत्र 45 पर गलत मुकदमें का हवाला देकर कुछ लोगों के नाम इस भूमि में इन्द्राज कर दिया गया है जबकि उक्त नाम व नम्बर का कोई मुकदमा न चला और न पत्रावली ही उपलब्ध है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस जमीन की घोटाले को गंभीरता से लेते हुए किसी उच्च अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की कृपा करेंगे ?

श्री माता प्रसाद–

जी हां।

जी नहीं ।

जोत चकबन्दी आकार पत्र-45 पर अपील संख्या 845 धारा 11(1) निर्णित दिनांक 30-12-85 को हवाला देकर इस भूमि पर कुछ लोगों के नाम दर्ज होने का फर्जी अमल-दरामद पाया गया, जिसे चकबन्दी अधिनियम की धारा 48(3) के अन्तर्गत उप संचालक चकबन्दी के आदेश दिनांक 16-9-1988 द्वारा निरस्त कर दिया गया है । उक्त अमलदरामद करने की जांच कराई जा रही है, जांच पूर्ण होने पर तथ्यों के आधार पर कोई कार्यवाही की जायेगी ।

ग्राम उत्तरी तहसील बिल्हौर जनपद कानपुर के ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

139–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि नं0-586 रकबा 6 बीघा स्थित ग्राम उत्तरी, तहसील बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात ग्राम समाज की भूमि है और जिस पर कुछ मकान बने हुए हैं तथा बाकी भाग पर सप्ताह में दो बार बाजार लगती है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि गांव के भूतपूर्व जमींदार उमादेवी आज भी इस बाजार की वसूली करवाती हैं और गांव समाज को वसूली नहीं करने देती हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस पूरे प्रकरण की जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही करेंगे?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

140—श्री राजकिशोर सिंह—

[1ले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

141—श्री मित्रसेन—

[1ले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 92 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम नवगवां थाना खण्डासा जनपद फैजाबाद में दिन दहाड़े प्राण घातक हमले की एक घटना की जांच

142—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के ऊपर दिनांक 30-8-87 को ग्राम नवगवां थाना खण्डासा फैजाबाद में अमानीगंज मिल्कीपुर मुख्य मार्ग पर दिन दहाड़े हमलावरों द्वारा प्राण घातक हमले के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? सूचना रिपोर्ट में अंकित नामजद अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास क्या है? हमले में घायल सुरक्षा पुलिस कर्मी हेड का0 बाबूराम को कितनी किस प्रकार की घातक चोटें आई थी ? मौके पर हमलावर क्या-क्या चीज एवं अलामात छोड़ गये थे ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इन अपराधिक क्षेत्र के सरगनाओं के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न होने के कारण वे स्वतंत्र रूप से अपराधिक गतिविधियों में संलग्न हैं और लोगों में आतंक पैदा कर रहे हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

इस अभियोग की कतिपय बिन्दुओं पर पुनः गहराई से जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई जा रही है ।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित तीन व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस अभिलेखों में मामले दर्ज हैं, जिसकी सूची संलग्न है ।

हेड का0 बाबूराम जो इस घटना में घायल हुआ था उसके शरीर पर आठ चोटें डाक्टरी परीक्षण से पाई गईं जो कि विस्फोट से आई थीं ।

मौके पर हमलावरों द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं का विवरण देना जनहित में नहीं होगा क्योंकि अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही विवेचनाओं तथा कालान्तर में अभियोजन पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है ।

शासन की जानकारी में ऐसे कोई तथ्य अब तक नहीं आये हैं जिससे यह कहा जा सके कि संदर्भित अभियोग में नामित अभियुक्तों द्वारा अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होकर लोगों में आतंक पैदा किया जा रहा है । फिर भी इस ओर अधिकारियों को सतर्क रहने के लिये निर्देशित कर दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 211 पर)

श्री दान बहादुर पाण्डेय ग्राम व थाना खण्डासा जनपद फैजाबाद के लाइसेंसी हथियार के लाइसेंस निरस्तीकरण की मांग

143—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मंत्री प्रश्नकर्ता के विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—86 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री दान बहादुर पाण्डेय ग्राम व थाना खण्डासा फैजाबाद के अपराधिक चरित्र तथा उनकी असमाजिक तत्वों से सांठ-गांठ और गतिविधियों को देखते हुए अभी तक लाइसेंस निरस्तीकरण की कौन-कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री दान बहादुर पाण्डे पुत्र श्री राम सरदार पाण्डे, ग्राम व थाना खण्डासा, जिला फैजाबाद के हत्या के अपराध में नामजद अभियुक्त होने के संबंध में प्राप्त पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा दिनांक 8-2-88 को उनका शस्त्र लाइसेंस निलम्बित करके लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया । जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के उक्त आदेश के विरुद्ध श्री दान बहादुर पाण्डे ने आयुक्त, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और मामला आयुक्त, फैजाबाद मण्डल फैजाबाद में विचाराधीन है।

ग्राम करहरा खुर्द तहसील चरखारी जिला हमीरपुर के कतिपय हरिजन ग्रामवासियों की भूमि का पट्टा

144—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री गोकुल बसीर आदि पांच हरिजन निवासी ग्राम-करहरा खुर्द तहसील चरखारी जिला-हमीरपुर ने अभी हाल में जिलाधिकारी हमीरपुर को प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत की है कि उनके पट्टे की जमीनों पर उन्हें फर्जी मृतक दिखाकर कुछ सवर्णों को वारिस घोषित कर दिया गया है और उनके पट्टे की जमीनें हड़प ली गई हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? दोषी तहसील अधिकारियों को दण्डित न करने के क्या कारण हैं ? पट्टाधारक हरिजनों के पट्टे की जमीनें वापस दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्न में संदर्भित श्री गोकुल आदि का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच कराने के फलस्वरूप प्रकट हुआ है कि सर्वश्री गोकुल तथा टुटियां अभी जीवित हैं और सर्वश्री लछुआ, सुखाइयां तथा घसीटा अब जीवित नहीं हैं। उक्त पांच खातेदारों की भूमि की अवैध वरासत की गई है । उन अवैध वरासतों को निरस्त करके सही वरासत के इन्द्राज करने तथा अवैध वरासत करने के लिए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करके उन्हें दण्डित करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

उन्नाव जिले के मौरावां थाना के एक सब इन्सपेक्टर द्वारा शराब पीकर व्यवसायी को पीटने के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

145–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या गृह मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के थाना मौरांवा के एक सब इन्स-पेक्टर पर विगत होली के अवसर पर शराब पीकर एक व्यवसायी को पीटने का लिखित आरोप प्रश्नकर्ता ने लगाते हुए माननीय मंत्री जी को माह मार्च, अप्रैल, 1988 में पत्र लिखा था ? यदि हां, तो जांच किसने की, जांच के दौरान प्रश्नकर्ता से भी सहयोग क्यों नहीं लिया गया ? क्या इसी स0 इ0 पर माह मई, 88 में शराब पीकर अंसार अहमद नि0 कुदरा को पीटने की रपट धारा 323 में मौरांवा थाना में पंजीकृत हुयी थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ? क्या इसी स0 इ0 पर एक जांच में माखी थाने में प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी थी ? यदि हां, तो स0 इ0 पर कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां । प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नकर्ता का संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ जिसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक, उन्नाव से करायी गयी।

जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 18-4-88 को प्रश्नकर्ता से विचार-विमर्श किया गया था ।

दिनांक 8-5-88 को श्री अंसार अली पुत्र मो0 यामीन निवासी कुदरा द्वारा उन्हें केवल मारने-पीटने के सम्बन्ध में थाना मौरांवा पर उप निरीक्षक एस0 के0 गंगवार के विरुद्ध एन0 सी0 आर0 नं0 107 धारा 323 भा0 दं0 वि0 का मामला अंकित कराया गया । इस मामले में थानाध्यक्ष मौरांवा ने न्यायालय से विवेचना की अनुमति मांगी जिसे मुंसिफ मजिस्ट्रेट पुरवा द्वारा अस्वीकृत कर दिया । अतः अभियोग में कोई कार्यवाही न की जा सकी ।

यह सत्य है कि उक्त स0 इ0 को थाना माखी में तैनाती के मध्य दण्ड स्वरूप दुश्चरित्र लेख प्रदान किया गया था ।

प्रश्नकर्ता के द्वारा गृह मंत्री जी को प्रेषित शिकायती पत्र पर जांच से किसी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं होने के कारण किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । शेष मामलों में जैसा कि उल्लिखित किया जा चुका है, समुचित कार्यवाही की गई थी ।

मऊ जनपद आजमगढ़ को जिला बनाने की मांग

146–श्री विष्णु देव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में मऊ को नया जिला बनाने की योजना शासन ने कब स्वीकार की है तथा उस पर अब तक कितना धन व्यय किया गया एवं क्या कार्यवाही की गयी तथा कितना धन व्यय करने की योजना है और कब तक कार्य पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

प्रश्नगत जिले के सृजन का निर्णय शासन द्वारा 20 जून, 1987 को लिया गया । अभी जिला स्थापित नहीं किया गया है अतः धन के व्यय का प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त जिले में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रों के बारे में अध्यक्ष, राजस्व परिषद् की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी । समिति का प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हो गया है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरांत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

समिति की संस्तुति के अनुसार जिले के सृजन पर 32.50 करोड़ रुपया का व्यय अनुमानित है ।

सहायक अभिलेख अधिकारी कार्यालय उन्नाव के कतिपय कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र

147–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव स्थित सहायक अभिलेख अधिकारी कार्यालय सर्वे नायब तहसीलदार (श्री जमील अहमद), वरिष्ठ लिपिक (श्री मोहम्मद गफ्फार) के विरुद्ध जनवरी सन् 1988 में विधायकगण सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह व जयदीप सिंह बरार आदि ने कोई शिकायती पत्र अध्यक्ष राजस्व परिषद् एवं मंत्री राजस्व विभाग को दिये हैं? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई जांच प्रारम्भ कराई गयी? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी से?

श्री माता प्रसाद–

जी हां। की गयी जांच को शासन ने संतोषजनक नहीं पाया तथा विस्तृत जांच राजस्व परिषद् से कराये जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

श्री मैकू ग्राम सैदापुर थाना सरोजनीनगर जिला लखनऊ की डाक्टरी रिपोर्ट तथा मकान पर अवैध कब्जा शिकायत पत्र पर कृत कार्यवाही

148–श्री हरेन्द्र सिंह तथा श्री भगौती सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित श्री वीरेन्द्र सिंह सोलंकी द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न संख्या-31 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें 25-8-87 का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या दि0 25-9-87 का प्रार्थना पत्र डाक्टरी रिपोर्ट सहित प्राप्त हुआ है जिसमें श्री मैकू के हाथ व पैर की हड्डी टूटी हुई है? यदि हां, तो उस पर पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जी हां, प्रश्न में संदर्भित प्रार्थना पत्र दिनांक 25-9-87 प्राप्त हुआ। इस संबंध में जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये अतः पुलिस के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

149—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मैकू निवासी सैदापुर थाना माल जिला लखनऊ ने एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) को दिनांक 7-12-87 को व ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक को 8-12-87 को इस आशय का भेजा है कि प्रार्थी के मकान पर श्री महादेव ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और प्रार्थी के सम्मालित मेंड़ के बीच में यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिये और मेंड़ को अपने खेत में मिला लिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में संदर्भित श्री मैकू निवासी सैदापुर थाना माल जनपद लखनऊ द्वारा पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) को दिनांक 7-12-87 एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिनांक 8-12-87 को दिये गये कथित प्रार्थना-पत्रों का प्राप्त होना नहीं पाया गया।

ग्राम मरौरी तहसील दातागंज जिला बदायूं के ग्राम प्रधान द्वारा मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जा विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

150—श्री श्री प्रकाश सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मरौरी तहसील दातागंज जिला बदायूं में प्रधान द्वारा गांव के एक मुख्य मार्ग पर अपने भाई का मकान बनवा दिया गया है जिससे गांव की जनता का रास्ता, पानी का निकास आदि रुक जाने से गांव की जनता को अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो गयी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच कराकर संबंधित रास्ते में अवैध निर्माण को हटवाने की कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद—

भूतपूर्व ग्राम प्रधान श्री गजराज सिंह के भाई श्री छोटे सिंह द्वारा कथित ग्राम के मुख्य मार्ग पर अवैध निर्माण कराया गया था जिसे जांचोपरान्त समझौते के आधार पर हटा लिया गया है।

151—श्री श्री प्रकाश सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं उन्हें श्री अवनीश कुमार सिंह विधायक दातागंज जनपद बदायूं का एक पत्र ग्राम प्रधान मरौरी जनपद बदायूं द्वारा गांव के मुख्य रास्ते में परिवर्तन करके कुछ लोगों की जमीन में अवैध रास्ता बनवाए जाने के संबंध में प्राप्त हुआ था जिसे मा0 राजस्व मंत्री ने पत्रांक 785/87 दिनांक 25-7-87 को जिलाधिकारी बदायूं को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस संबंध में हुए विलंब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री माता प्रसाद—

जी हां। ग्राम मरौरी के रास्ते पर तीन व्यक्तियों के अवैध कब्जे पाये गये थे। जांचोपरान्त समझौते के आधार पर तीनों कब्जे हटा लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का विलम्ब नहीं हुआ है। अतः किसी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता?

विकास खण्ड मऊरानीपुर में ग्राम प्रधानों के चुनाव के नामांकन के दिन घटित घटना की सी0आई0डी0 जांच

152—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड मऊरानीपुर में प्रधानों के चुनाव के नामांकन के दिन श्री मैथिली शरण गुप्त ए0आर0ओ0 कन्नौज ने नामांकन के कागजात छीन लिये जाने के संबंध में कुछ लोगों की तरफ से दर्ज रिपोर्ट की प्रथम सूचना दिनांक 25-5-88 को अपराध संख्या 154 ए पर धारा 395 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत थाना मऊरानीपुर जिला झांसी में लिखवाई थी? यदि हां, तो उसमें उल्लेख है कि पुलिस के द्वारा फाइनल रिपोर्ट लगा देने का क्या औचित्य है? क्या मंत्री जी इस प्रकरण की सी0 आई0 डी0 जांच करायेंगे ताकि पता चल सके कि असली दोषी कौन है पुलिस कितनी दोषी है और विकास खण्ड के अधिकारी कितने दोषी हैं?

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री मुरारी शरण गुप्त (नाम है श्री मैथिली शरण गुप्त) सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं नायब तहसीलदार विकास खण्ड मऊरानीपुर, झांसी ने दिनांक 25-5-1988 को थाना मऊरानीपुर में प्रकरण संख्या की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके आधार पर थाने पर अ0 सं0 154ए/88 अन्तर्गत धारा 395 भा0द0वि0 पंजीकृत करके स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना में उक्त अभियोग झूठा पाया गया अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा दिनांक 27-6-1988 को समाप्त करके कूट खारिज की रिपोर्ट प्रेषित की गई।

उपरोक्त प्रकरण में किसी पुलिस कर्मी अथवा विकास खण्ड के अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया।

वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मामले में सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

153—श्री मौलक मोहम्मद [illegible]—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम सभा की भूमि पर स्थित वृक्षों की अवैध कटान की जांच

154—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा की भूमि पर स्थित वृक्षों की अनाधिकृत कटान की जांच एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक माननीय सदस्य श्री राम आसरे वर्मा का पत्र दिनांक 5-7-88 को जिसके साथ श्री दयाशंकर, भूतपूर्व प्रधान, ग्राम सभा-अनारामपुर, [illegible], तहसील राप्ती, जिला हरदोई का प्रार्थना-पत्र संलग्न था, प्राप्त हुआ? यदि हां तो क्या मामले में जांच कराई गई ? यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम संवरपुर जनपद वाराणसी के कतिपय हरिजन ग्राम वासियों की जमीन पर अवैध कब्जा

155–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या राजस्व मंत्री वाराणसी जनपद के संवरपुर ग्राम के हरिजनों की जमीन पर अवैध कब्जा निषयक नियम 301 के अंतर्गत दी गई सूचना से संबंधित राजस्व विभाग के अर्ध शा0 प0 सं0–एम-2/1-2/88 दिनांक 27 फरवरी, 1988 के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त हरिजनों को आवंटित जमीन गाटा संख्या–550, गाटा संख्या–303 कम नापे जाने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर उसे अभी तक निलम्बित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या गाटा संख्या–516 जिस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है, अवैध कब्जा हटाकर तथा गाटों की सही नाप कराकर आवंटियों को अगस्त, 1988 तक कब्जा दिला दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो उक्त कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम सवरपुर में स्थित गाटा संख्या–303 तथा 550 का सीमाकंन चकबन्दी बंदोबस्त नक्शे के अनुसार कराया जा चुका है । दोषी लेखपाल को आरोप-पत्र जारी हुआ था। आरोप-पत्र सिद्ध होने पर लेखपाल को कारण बताओ नोटिस भी दिनांक 30-8-88 को जारी हो चुका है । गाटा संख्या–516 पर पहले से आबादी है और उस पर किये गये पट्टे को निरस्त करने हेतु अपर जिलाधिकारी (प्र0) ज्ञानपुर के न्यायालय में वाद विचाराधीन है । न्यायालय के निर्णय के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

156–श्री भगौती सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में ग्राम प्रधानों के चुनाव में हुई हत्याएं

157–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेगें कि ग्राम सभाओं के चुनाव के दौरान प्रधान पद के कितने प्रत्याशियों अथवा जीतने के बाद कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में ग्राम प्रधानों/भूमि प्रबन्धक समिति को भूमि आवंटन का अधिकार

158–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधानों/भूमि प्रबंधक समिति को किस प्रकार की ग्राम सभा की भूमि आवंटित करने का अधिकार किन-किन नियमों के अंतर्गत प्राप्त है ?

श्री माता प्रसाद–

ग्राम प्रधानों को भूमि आवंटन का कोई अधिकार नहीं है । केवल भूमि प्रबन्धक समिति तहसील के प्रभारी सहायक कलेक्टर का पूर्वानुमोदन लेकर ही उ0 प्र0-जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 122–ग (2) के तहत् आवासीय प्रयोजन हेतु तथा धारा-195 तथा 197 के अधीन कृषि प्रयोजन के लिए भूमि आबंटित कर सकती है ।

परगनाधिकारी दादरी जनपद गाजियाबाद का कब्जा स्थानान्तरण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

159–श्री महेन्द्र भाटी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी दादरी जनपद गाजियाबाद का पत्र स0-मीमो/एस0 टी0/एस0 डी0 एम0 87 दिनांक 30 जून, 1987 का कोई पत्र बंदोबस्त अधिकारी/चकबन्दी बुलन्दशहर को प्राप्त हुआ था तथा बन्दोबस्त अधिकारी ने दिनांक 11-2-87 को विधिवत नियमानुसार कब्जा स्थानान्तरण का आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो अब तक कब्जा स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री माता प्रसाद–

परगनाधिकारी, दादरी, जनपद गाजियाबाद का पत्र दिनांक 30 जून, 1987 प्राप्त नहीं हुआ बल्कि समसंख्यक पत्र दिनांक 30 जनवरी, 1987 प्राप्त हुआ है ।

जी हां ।

दिनांक 6-3-1987 को स्थल पर जाकर सम्बन्धित चक की नाप कराने के उपरान्त खातेदार को उसके चक पर कब्जा दिलाया जा चुका है।

आर0 ए0 सीमेन्ट फैक्ट्री तहसील बिन्दकी जनपद फतेहपुर द्वारा अवैध उत्पादन विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

160–श्री अचल सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न कर्ता का एक शिकायती पत्र दिनांक 26-3-88 जो जनपद फतेहपुर के तहसील बिन्दकी के अंतर्गत आर0 ए0 सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा 33 मि0 टन उत्पादन के स्थान पर 50 मि0 टन उत्पादन की मशीन लगाने के संबंध में था, निदेशक पर्यावरण एवं परिस्थिति की विभाग उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं ।

बल्कि शासन को प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 29-3-1988 प्राप्त हुआ था । इस पत्र को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था ।

मेसर्स आर0 ए0 सीमेण्ट फैक्ट्री को 22 सहस्र टन प्रतिदिन सीमेण्ट उत्पादन के लिए बोर्ड द्वारा दिनांक 20-9-1987 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया था। उक्त इकाई द्वारा 50 सहस्र टन प्रतिदिन सीमेण्ट उत्पादन का प्लाण्ट स्थापित करने पर उचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न किये जाने के कारण बोर्ड द्वारा इकाई के अनापत्ति प्रमाण-पत्र, दिनांक 20-2-1988 एवं सहमति दिनांक 4-4-1988 को अस्वीकार कर दिये गये। बोर्ड द्वारा दिनांक 4-7-1988 को इकाई का उत्पादन कार्य बन्द करने के आदेश दिये गये थे जिसके अनुपालन में इकाई ने अपना उत्पादन दिनांक 15-7-1988 से बन्द रखा था। बोर्ड द्वारा दिनांक 18-8-1988 को इकाई का निरीक्षण करने पर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को संतोषजनक पाया गया और कुछ शर्तों सहित, इकाई के संचालन की सहमति प्रदान की है।

प्रश्न नहीं उठता है।

161—श्री अचल सिंह—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांकित 16-3-88 जो जनपद फतेहपुर की सिंचाई विभाग के अंतर्गत आर0 ए0 सीमेण्ट फैक्ट्री को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान न किये जाने के बाद भी उत्पादन कार्य जारी रखने के संबंध में निदेशक, पर्यावरण एवं परिस्थिति विभाग उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था, यदि हां, तो उस फैक्ट्री मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी, यदि नहीं, तो कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां।

मै0 आर0 ए0 सीमेण्ट फैक्ट्री लिमिटेड द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्था न करने के कारण उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशानुसार इकाई का उत्पादन कार्य दिनांक 15 जुलाई, 1988 से बन्द करा दिया गया। तदुपरांत उद्योग द्वारा प्रदूषण नियंत्रण की समुचित व्यवस्था की गयी जिसे बोर्ड द्वारा दिनांक 18-8-1988 को किये गये निरीक्षण में संतोषजनक पाया गया। इकाई का उत्सर्जन बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये जाने पर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत दिनांक 31-8-1988 को उद्योग को सशर्त सहमति प्रदान कर दी गई तथा उद्योग को यह निर्देश दिये गये हैं कि इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था ऐसी रखी जाए कि उत्सर्जित प्रदूषणकारी पदार्थ सदैव बोर्ड के मानकों के अनुरूप बने रहें।

प्रश्न नहीं उठता।

162—श्री अचल सिंह—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक शिकायती-पत्र दिनांकित 19-3-88 जो आर0 ए0 सीमेण्ट फैक्ट्री चौखरा के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी फतेहपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता माननीय विधान सभा सदस्य द्वारा अपने पत्र में मेसर्स आर0 ए0 सीमेन्ट फैक्ट्री के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अनुरोध जिलाधिकारी फतेहपुर से किया गया था ।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत कार्यवाही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जाती है न कि जिलाधिकारी द्वारा । इस उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण की उचित व्यवस्था न होने के कारण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 1988 को उद्योग का उत्पादन/संचालन बन्द करने के आदेश दिए गये थे जिसके अनुपालन में उद्योग का उत्पादन दिनांक 15 जुलाई, 1988 से बन्द रहा। तत्पश्चात् इस उद्योग द्वारा प्रदूषण की उचित व्यवस्था की गयी जिसे बोर्ड द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 1988 को किये गये निरीक्षण में उचित पाकर उद्योग को दिनांक 31 अगस्त, 1988 को सशर्त सहमति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा मलेरीकोट, तहसील घोसी जनपद में जमीन का अवैध पट्टा

163–श्री राम सागर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मलेरीकोट, परगना व तहसील घोसी, जनपद-आजमगढ़ में जमीन के पट्टे ऐसे व्यक्तियों के नाम आवंटित किये गए हैं, जिनके मकान उक्त भूमि से काफी दूरी पर हैं तथा उनके पास पहले से भी काफी जमीन है? यदि हां, तो ऐसा क्यों? क्या उसे निरस्त कर उन व्यक्तियों के नाम उक्त भूमि का आवंटन किया जायगा जिनके मकान मौके पर हैं? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री माता प्रसाद–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हनुमान प्रसाद करील द्वारा न्यायालय से प्रमाण-पत्र न प्राप्त करने संबंधी जानकारी

164–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री सुखपाल पाण्डे तथा श्री यदुनाथ सिंह–

प्रथम सत्र 1988 के पांचवें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–49-50 के दिए गए उत्तर के संदर्भ में क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या श्री हनुमान प्रसाद करील ने संबंधित न्यायालय व संबंधित कारागार से प्रमाण-पत्र पाने के लिए पत्र दिए हैं ? यदि हां, तो उनके आवेदन-पत्र न्यायालय व कारागार के रजिस्टरों में किन-किन तिथियों में और किन-किन क्रमांक पर अंकित हैं ?

श्री मानपाल सिंह–

श्री हनुमान प्रसाद करील द्वारा न्यायालय से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए कोई प्रार्थना-पत्र देना नहीं पाया जाता है। अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ ने सूचित किया है कि कारागार से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु उनके द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

कोआपरेटिव मारकेटिंग सभा डेवलपमेंट यूनियन लि0 बाराबंकी को गोदाम हेतु भूमि का अधिग्रहण तथा निर्माण कार्य

165—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1958 में कोआपरेटिव मारकेटिंग तथा डेवलपमेंट यूनियन लि0 बाराबंकी को गोदाम तथा कार्यालय बनाने हेतु ग्राम बंकी प0 ग0 त0 नवाबगंज जनपद बाराबंकी में सर्व श्री राम आसरे तथा मुनेर अहमद की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी? क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर उक्त यूनियन ने अब तक कोई निर्माण कार्य नहीं कराया और अपने गोदाम व कार्यालय के लिए अन्यत्र वर्षों पहले भवन खरीद लिया है? क्या प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-4-87 जिसकी प्राप्ति को श्री बी0 एस0 पाण्डे मुख्य मंत्री की संयुक्त सचिव ने अपने पत्र सी0 एम0 वी को/एम-2/29-84/के/87 दिनांक 24-4-87 द्वारा की है, मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर संबंधित अधिकारी को कार्यवाही करने हेतु निदेशित कर दिया गया है।

छिबरामऊ में आई0 टी0 आई0 हेतु भूमि का अधिग्रहण

166—श्री सन्तोष चतुर्वेदी, एडवोकेट—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राजस्व मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र जो छिबरामऊ आई0 टी0 आई0 हेतु भूमि आरक्षण विषयक था, जिसके संबंध में श्री टी0 वी0 शर्मा अनुसचिव राजस्व अनुभाग—8 द्वारा अर्धशासकीय पत्र संख्या—एम/30/1-8-88 राजस्व अनु0—8 लखनऊ दिनांक 22 अप्रैल, 1988 द्वारा चकबन्दी आयुक्त को जारी किया गया था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? शासन कब तक कार्यवाही पूर्ण करेगा ?

श्री माता प्रसाद—

प्रश्न में उल्लिखित पत्र बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, फर्रूखाबाद को जांच तथा रिपोर्ट हेतु भेजा गया है। उनसे रिपोर्ट आने पर अग्रेतर कार्यवाही पर विचार सम्भव होगा ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

नियम 301 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, मेरी सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना 300 के अंतर्गत आयी है। मैं पहले 301 की सूचनायें ले लूं।

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अंतर्गत आज 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से शलाका द्वारा 7 सूचनायें स्वीकार हुई हैं । पहली सूचना माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की है ।

दूसरी सूचना माननीय विक्रमादित्य पाण्डेय जी की है । तीसरी सूचना माननीय राम आसरे वर्मा जी की है । चौथी सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है । पांचवी सूचना माननीय सूर्य प्रताप शाही जी की है । छठी सूचना माननीय हृदय नारायण जी की है और सातवीं सूचना माननीय प्रभु दयाल जी की है ।

(पढ़ी हुई मानी जायं की आवाजें ।)

राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रकाशित वेतन समिति की रिपोर्ट में व्याप्त विसंगतियों को समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

[महोदय, उत्तर प्रदेश में विभिन्न पदों पर कार्यरत लाखों कर्मचारियों को हाल ही में प्रकाशित वेतन समिति की संस्तुतियों से निराशा ही हाथ लगी है । इन सिफारिशों को लागू किये जाने से भी राज्य कर्मचारियों को कोई लाभ होने की आशा नहीं है । यहां तक कि कई श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन तो इन संस्तुतियों के लागू हो जाने पर उन्हें वर्तमान समय में मिलने वाली धनराशि भी कम हो जायेगी। यही नहीं वेतन आयोग की इन संस्तुतियों ने विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन आयोग की इन संस्तुतियों ने विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमानों में भारी विसंगतियां उत्पन्न कर दी है जिससे प्रदेश के सभी राज्यकर्मी, शिक्षक कर्मचारी, निगम कर्मियों में व्यापक असन्तोष है । स्थान-स्थान पर इनके द्वारा विशाल जुलूस, धरना, प्रदर्शन एवं घेराव जारी है। केन्द्रीय कर्मियों की भांति ही राज्य कर्मियों को भी वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर गत वर्ष हुई हड़ताल से सम्पूर्ण प्रदेश का कामकाज कई दिनों तक ठप्प रहा था और इस समय फिर वही स्थिति उत्पन्न हो रही है ।

आज सम्पूर्ण प्रदेश के कर्मचारी आन्दोलित हैं जिससे स्थिति अत्यन्त तनाव-पूर्ण व विस्फोटक हो रही है विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाने का भी निर्णय लिया है जिससे स्थिति और भी चिन्ताजनक हो रही है ।

अतः इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए राज्य सरकार से अविलम्ब वेतन आयोग की संस्तुतियों में व्याप्त विसंगतियों को समाप्त करने और प्रदेश के सभी राज्य कर्मियों, शिक्षक कर्मचारियों एवं निगम कर्मियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति ही वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें दिये जाने की घोषणा करने की मांग करता हूं जिससे समान कार्य के लिये समान वेतन का संवैधानिक सिद्धान्त लागू हो सके ।]

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिकरण कार्यालय, लखनऊ में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के चयन में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[महोदय, आपकी अनुमति से शिक्षित बेरोजगारों के प्रति चयनकर्ता अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण नीति के प्रसंग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चयन

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हेतु जुलाई-अगस्त, 1988 में बिक्रीकर अधिकरण कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ में लिये गये साक्षात्कार के चयन अधिकारियों द्वारा अपनाई गयी भ्रष्ट नीतियों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

मान्यवर, उक्त चयन हेतु साक्षात्कार में आये अभ्यर्थियों से बिना पूर्व सूचना के कुछ धनराशि वसूल की गयी तथा धन का दुरुपयोग टंककों को खराब मशीनें उपलब्ध करायी गईं तथा निर्धारित गति से कम अभ्यर्थी चयनित किये तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया । चयनकर्ता अधिकारियों के घर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के पुत्र आदि चयनित किये गये एवं योग्यता छिपाने वाले व्यक्ति भी चयनित किये गये । 4-8-88 को उपस्थित कतिपय योग्य अभ्यर्थियों को चयनित नहीं किया गया, दिनांक 10-8-88 को साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों में से कुछ को चयनित न करने के इरादे से अनुपस्थित दिखाया गया ।

मान्यवर, उक्त चयन हेतु साक्षात्कार में आये अभ्यर्थियों से बिना पूर्व सूचना के कुछ धनराशि वसूल की गयी तथा धन का दुरुपयोग टंककों को खराब मशीनें उपलब्ध करायी गयीं तथा निर्धारित गति से कम गति रखने वाले अभ्यर्थी चयनित किये तथा 40 शब्द प्रति मिनट की गति रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया चयनकर्ता अधिकारियों के घर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के पुत्र आदि चयनित किये गये एवं योग्यता छिपाने वाले व्यक्ति भी चयनित किये गये । 4-8-88 को उपस्थित कतिपय योग्य अभ्यर्थियों को चयनित नहीं किया गया, दिनांक 10-8-88 को साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों में से कुछ को चयनित करने के इरादे से अनुपस्थित दिखाया गया । मान्यवर, उक्त चयन में उपरोक्त बिन्दुओं को सदन के समक्ष लाकर इस-चयन को निरस्त कराने तथा समस्त कागजात को सील कराने, अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की मांग करता हूँ ।]

जिला हरदोई के तहसील बिलग्राम में बाढ़ से प्रभावित गांवों के निवासियों को आवश्यक सहायता सामग्री न मिलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा—

[महोदय, गंगा नदी में भीषण बाढ़ से जनपद हरदोई, तहसील बिलग्राम के सैकड़ों गांव प्रभावित हुए । ग्राम सढ़ियापुर से लेकर शाहपुर पवार तक गंगा के किनारे के समस्त गांव लगभग एक माह तक लगातार बाढ़ के पानी के चपेट में ही रहे । गांव कट गए, घर ध्वस्त हो गए, फसलों का नामों-निशान तक बाकी नहीं रहा । घर गिर गए जन-जीवन इतना अस्त-व्यस्त हो गया है कि उनके लिए भविष्य की बात तो दूर रही आगे आने वाला कल ही पूरी तरह से अंधेरे में है । बाढ़ की विनाश लीला के दौरान या उसके बाद राहत के नाम पर कुछ जगहों में 3 किलो से लेकर 5 किलो तक गेहूं, एक माचिस आधा लीटर मिट्टी के तेल के अतिरिक्त कुछ भी उन्हें नसीब न हुआ । अनेक गांव तो इससे भी वंचित रहे । लगभग 30 दिनों तक पानी में ही दिन गुजारने वालों पर क्या बीती होगी । कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

अतः महत्व की इस अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुए तत्काल आवश्यक सहायता पहुंचाने की शासन से मांग करता हूँ ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सीतापुर नगर के बाला जी वैजेटिबुल प्रा0 लि0 और प्लाइवुड प्रोडक्शन लिमिटेड में मजदूरों तथा मालिकों के बीच हुए समझौते का अनुपालन न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

[महोदय, सीतापुर नगर में औद्योगिक अशान्ति की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । बाला जी वैजेटिबुल प्रा0 लि0 सीतापुर में मजदूरों तथा मालिकों के बीच अब तक हुए समझौतों का अनुपालन नहीं किया गया । अनेक कर्मचारी अकारण निलम्बित हैं । वेतन का पूरा भुगतान नहीं । फिटमेंट, बोनस, सालाना वृद्धि का रुपया बकया है । मालिकान आये दिन ले आफ करके कर्मचारियों का शोषण करते हैं । यही दशा प्लाइवुड प्रोडक्शन की है । पिछले दिनों मालिकों तथा प्लाई-वुड कर्मचारी संगठन के बीच एक समझौता हुआ परन्तु लागू नहीं किया गया । श्रमिक कानून लागू नहीं होते, कर्मचारियों का वर्गीकरण नहीं है । बीमा अस्पताल में न डाक्टर हैं और न तो दवायें । कई वर्ष पूर्व न्यूनतम वेतन घोषित हुए । अब नियमानुसार सरकार को पुनरीक्षण करना है परन्तु नहीं हो रहा है । दोनों ही फैक्ट्रियों में मजदूर आन्दोलनरत हैं ।

हमारी मांग है कि श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी फैक्ट्रियों की मजदूर विरोधी नीति की जांच करके मजदूरों को न्याय दिलाने हेतु दबाव डालें । इस हेतु जो भी कार्यवाही मालिकों के विरुद्ध आवश्यक हो की जाए]

जिला देवरिया के जल जमाव की समस्या का स्थायी हल निकालने तथा उससे प्रभावित गांवों के क्षतिग्रस्त मकानों के स्वामियों को अहेतुक सहायता दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[महोदय, देवरिया जनपद भयंकर बाढ़, अतिवृष्टि तथा जल-जमाव से बुरी तरह ग्रस्त रहा है । एक हजार से अधिक गांव जल प्लावित रहे हैं जिससे 50 हजार से अधिक आवासीय मकान देवरिया, पडरौना, रुद्रपुर और सलेमपुर तहसील में जल जमाव और बाढ़ से पूर्णतया ध्वस्त हो गए किन्तु दैवी आपदा से पीड़ित प्रभावित लोगों को महीनों बीतने के बाद भी उन्हें अहेतुक सहायता और मकान क्षतिपूर्ति नहीं दी गई है । एक तरफ बाढ़ और जल-जमाव ने घर में रखे सम्पत्ति और अनाज को नष्ट कर दिया वही दूसरी तरफ खेतों में खड़ी फसल को भी बर्बाद कर दिया जिससे यहां की जनता कंगाली की शिकार है । जल निकासी की समुचित व्यवस्था सिंचाई विभाग और गंडक नहरों द्वारा न किये जाने से देवरिया और पडरौना तहसील की जनता का करोड़ों रुपये की क्षति प्रत्येक वर्ष होती है और हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जल प्लावित हो जाती है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के सुनिश्चित विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर देवरिया जनपद के जल जमाव के निकासी के लिए स्थायी हल निकालने तथा इस वर्ष के बाढ़ और जल-जमाव से क्षतिग्रस्त इलाकों के स्वामियों को अविलम्ब अहेतुक सहायता और मकान क्षतिपूर्ति दिये जाने हेतु सरकार से आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला उन्नाव के पुरवा विधान सभा क्षेत्र में बिजली की अनियमित आपूर्ति के कारण उत्पन्न सिंचाई समस्या तथा पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हृदय नारायण दीक्षित—

[महोदय, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सूखे की परिस्थितियां फिर से पैदा हो गयी हैं। हमारे उन्नाव जिले के पुरवा विधान सभा क्षेत्र की सभी नहरें शारदा डिवीजन व सिंचाई खण्ड की पूरी सूखी नहरें हैं। बिजली की गम्भीर अनियमितता के कारण सरकारी ट्यूबवेल व निजी ट्यूबवेल बन्द हैं जिससे इस क्षेत्र में ही करीब 5 करोड़ रुपये की धान की फसल नष्ट हो गयी है। सरकार ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया है। कुओं का जल स्तर निरन्तर नीचे जा रहा है यही हाल रहा तो अगले वर्ष पेयजल का संकट पैदा हो जायेगा।

मैं माननीय मंत्री जी से इस समस्या से आदरणीय सदन की जानकारी में लाकर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ के किठौर क्षेत्र के कोआपरेटिव शीत गृह में कार्यकर्ताओं की लापरवाही के कारण खराब हुए आलू की क्षतिपूर्ति किसानों को दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*प्रधान प्रभु दयाल—

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र किठौर जनपद मेरठ में सरकार का कोआपरेटिव शीत गृह है जो कार्यकर्ताओं की भयंकर लापरवाही के कारण खराब हो गया है और गरीब किसानों का लाखों रुपये का आलू सड़ चुका है तथा बर्बाद हो गया है जिससे किसान काफी आन्दोलित हैं और वहां की स्थिति बहुत ही नाजुक हो गयी। किसानों में हाहाकार मचा हुआ है तथा किसान काफी हैरान व परेशान हैं।

अतएव आपके तथा सदन के माध्यम से उपरोक्त शीत गृह की ओर ध्यान दिलाते हुए किसानों की क्षति पूर्ति तत्काल शासन द्वारा करायी जावें अन्यथा किसान विवश होकर अनशन, प्रदर्शन, धरना, घेराव आदि करने पर उतारू हो जायेंगे।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

माननीय, माननीय राकेश धर त्रिपाठी, माननीय अनुग्रह नारायण सिंह, माननीय गोपाल दास यादव ने इलाहाबाद की एक समस्या के बारे में लिखित सूचना दी है कि 17 साल से यह समस्या लंबित है अगर इसका निराकरण नहीं होता है तो उन्होंने धरना देने की बात कही है। आपने शायद वार्ता भी की है। मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे को आप ले लें

श्री अध्यक्ष—

मैं बातचीत शुरू कराकर चला गया था। उपाध्यक्ष जी मेरी जगह पर थे। उन्होंने बताया कि 6 तारीख फिर मुकर्रर की गयी है, जो बात अधूरी रह गयी थी उसके लिये 6 तारीख मुकर्रर की गयी है।

---

*व्यक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नियम 300 के अन्तर्गत केवल 11 सूचनायें मिली हैं । 7 सूचनायें, जिसमें 3 सूचनाएं दिनांक 3-10-88 की हैं, नेता सदन के बारे में हैं और शेष अन्य सूचनाएं हैं । मैं पहले नेता सदन के बारे में सूचनाओं को लेता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, नाम पढ़कर सुना दें ।

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 3 अक्टूबर, 1988 की पहली सूचना में माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी, माननीय सरदार सिंह, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के हस्ताक्षर हैं । दूसरी सूचना माननीय प्रकाश जी की है और तीसरी सूचना माननीय बृहस्पतदत्त त्रिपाठी जी की है । सात प्राप्त सूचनायें इस प्रकार हैं :–

पहली सूचना माननीय अजिशक रमा शंकर जी की, दूसरी सूचना माननीय सूर्य प्रताप शाही जी की, तीसरी सूचना माननीय गौरी शंकर भइया जी की, और चौथी सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की है ।

शेष अन्य विषयों से संबंधित सूचनाएं इस प्रकार हैं:–

पहली माननीय रघुवर दयाल वर्मा और माननीय मैनेजर सिंह जी की, दूसरी डाक्टर दिनेश जौहरी जी की, तीसरी माननीय हृदय नारायन जी की, चौथी माननीय शारदानन्द अंचल जी और दलराम यादव जी की है ।

मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी क्या, नेता सदन माने जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, मैंने जो औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है, उसमें मैंने दो आपत्तियां की हैं । मेरी आपत्ति यह है कि बिना विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य हुए माननीय नारायण दत्त तिवारी जी न तो इस सदन में नेता सदन हो सकते हैं और न उन्हें प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में ही मान्यता दी जा सकती है । श्रीमन् 7 दिसम्बर, 1970 को इसी माननीय सदन में इन्हीं दोनों आपत्तियों को श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने उठाया था और उस समय आज जिस आसन पर वह बैठे हुए हैं उसी आसन पर स्वर्गीय टी0 एन0 सिंह विराजमान थे, परिस्थितियां भी बिल्कुल एक सी थीं । आज तिवारी जी राज्य सभा के सदस्य हैं, उस समय टी0 एन0 सिंह राज्य सभा के सदस्य थे । 7 दिसम्बर, 1970 को जिस समय श्री तिवारी जी ने इस आपत्ति को उपस्थित किया था, उस समय एक दिवंगत सदस्य की श्रद्धांजलि अर्पित की जानी थी और इसीलिए माननीय तिवारी जी ने तत्कालीन अध्यक्ष की अनुज्ञा से प्रश्न काल में अपने व्यवस्था के प्रश्न को इन दोनों आपत्तियों के साथ उपस्थित किया था । प्रश्न की महत्ता को देखते हुए तत्कालीन अध्यक्ष, स्वर्गीय श्री खेर ने ट्रेजरी बेंचेज के विरोध के बावजूद भी उस समय माननीय तिवारी जी को अपनी आपत्तियों को प्रस्तुत करने का समय दिया था और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करीब एक घंटे तक बहस चली । श्रीमन्, इस बारे में मैंने दिनांक 28-9-88 को एक पत्र आपको लिखा था और 29-9-88 को इसी संदर्भ में माननीय तिवारी जी को भी एक पत्र लिखा था और उन्हें याद दिलाया था कि इतिहास अपने को दोहराता है। 1970 में जिन परिस्थितियों में आपने जिन आपत्तियों को उठाया था, जिन आदर्शों और मूल्यों की रक्षा के लिए, आज वही परिस्थितियां फिर इस सदन में पैदा हो गयी हैं और इतिहास को व्यंग ही कहा जायगा कि जिस समय इस कुर्सी पर आप विराजमान हैं । आज आपकी परीक्षा की घड़ी है । आप ईमानदारी से उनके प्रति प्रतिबद्ध थे, ईमानदार थे या यह केवल नाटक था । इस बारे में आपका जो दृष्टिकोण होगा वही आपके आचरण की परीक्षा होगी और श्रीमन्, इसलिए मैं उन तर्कों को पुन: दोहराना नहीं चाहता, जिसको मैंने दोनों पत्रों में लिखा है । मैं उन विद्वानों की राय को दुबारा कहकर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं । मेरा केवल इतना ही निवेदन होगा कि जब आप विनिश्चय दें, मैंने जिन विद्वानों की राय को कोट किया है, आप उसमें उसका हवाला देते हुए आप अपना निर्णय देंगे । यह मैं आपसे विनती करूंगा श्रीमन् एक अनुरोध मैं यह करूंगा कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज जिन महानुभाओं के परिपेक्ष्य में मैंने यह सवाल उठाया है, उनके लिए संसदीय परम्पराओं के बारे में उनके ज्ञान के लिए, मेरे अन्दर कम आदर नहीं है, जो लोग उधर हल्ला मचा रहे हैं, ...

आज भी जब श्री तिवारी संसदीय परम्पराओं पर कुछ कहते हैं तो हम जैसे लोग उन लोगों में हैं जो उसे नि:संकोच स्वीकार करते हैं । हम कुछ सुनाना चाहते हैं, बद-किस्मती यह है कि आज जो लोग हल्ला मचा रहे हैं यह बात इन लोगों की नहीं है क्योंकि जिन मदरसों में इन्होंने ट्रेनिंग पाई है उससे यह उनके बूते के बाहर की बात है। मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं आप मेरी बातों से सहमत हों या असहमत लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि सबको सुनने के बाद सारे सदन को और प्रतिपक्ष को सुनने के बाद यह निवेदन करूंगा कि शान्ति से अपना विनिश्चय करने के पूर्व मेरी बिनती है कि इन मौलिक प्रश्नों पर महाधिवक्ता की राय भी अवश्य ले ली जाय। महा-धिवक्ता का प्राविधान हमारी नियमावली और संविधान में ऐसे ही संकट के समय के लिए किया गया है।

श्रीमन्, मैं अपनी बात की शुरूवात, जो हमारे भाई ने कहा कि विनिश्चय क्या हुआ था उस पीठ से खेर साहब का, उसी से शुरू करना चाहता हूं । सारी बहस को सुनने

के बाद दोनों पक्षों की, स्वर्गीय श्री खरे ने कहा था उसके कुछ अंश मैं पढ़ रहा हूँ आपका यह प्रश्न बहुत उचित है और इस पर जो दोनों दलों की राय व्यक्त की गयी है, वह भी महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में यह प्रथा है और कुछ रूल्स भी बन गये हैं। ये रूल्स सन् 1966 के पहले नहीं थे और आगे भी कहा है मैं आपको बतलाना चाहता हूँ "आज पार्लियामेन्ट में बहुत सी चीजें होती हैं जिससे हम बाध्य नहीं हैं, हम बाध्य इसलिए नहीं हैं कि पार्लियामेंटरी कोई यहां ऐसी प्रथा नहीं है जब तक कि हम अपने यहां नियम न बना लें।" आगे उन्होंने कहा कि जब आप इस प्रथा को मंजूर करेंगे कि कोई का कोई चीफ मिनिस्टर हो जाय तो वह नेता सदन विधान सभा का नहीं होगा। यह प्रथा मंजूर करेंगे और वह नियम बन जाय तो उसके बाद वह प्रथा चालू हो जाय। अगर आज इस प्रथा को चालू करना चाहें तो मुख्यमंत्री जी अभी खड़े होकर कह सकते हैं कि विधान सभा का नेता अमुक मंत्री होगा। अगर आप उस प्रथा को कायम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसलिए मैं एक रोज का समय आपको देना चाहता हूँ। आज आप इसके ऊपर मुझसे निर्णय न लीजिए। मान्यवर, इन्होंने भी आवश्यकता महसूस किया था कि एक आदर्श परम्परा हो और इसका अनुपालन करना चाहिए लेकिन श्रीमान्, उन्होंने अपनी मजबूरी भी बता दी थी। चेयर सलाह तो दे सकती है लेकिन सरकार को एक विशिष्ट जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है यह परम्परा है और उस परम्परा का निर्वहन किया गया था उस समय। यह बदकिस्मती है कि उस समय के लोगों ने उस आदर्श परम्परा को नहीं रखा।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम उच्च आदर्शों की बात करें, उच्च परम्पराओं की बात करें या नई परम्पराओं की स्थापना के बारे में सोचें तो हमको इन दलीय घरोन्दों से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा दलीय घरोन्दे को अपनाते रहने का एक तरीका है आज उसके लिए जनतंत्र के सामने एक गंभीर संकट पैदा हो गया है। श्रीमन्, 7 दिसम्बर, 70 को जब यह अहिलक प्रश्न उठा तो उस पर खेर साहब ने जो व्यवस्था दी बदकिस्मती यह है कि वह व्यवस्था भी हम अपने मेनटेन नहीं कर सके। सन् 81 में यह प्रश्न दुबारा उठा और उन्हीं परिस्थितियों में जब उसमें खेर साहब ने 7 दिसम्बर, 70 को सुनने के बाद निर्णय के निदेश होने थे लेकिन चूंकि नेता सदन का मामला डिस्प्यूटेड थी उसका फैसला उन्होंने नहीं दिया इसलिए निर्णय का निदेश भी नहीं हुआ था और सदन दूसरे दिन के लिए उठ गया था। यहीं 81 में भी उसी परम्परा को हमने जोड़ा और यह सहारा लेकर कि यदि निर्णय का निदेश होना है, कहा गया कि इसको कल लीजिएगा। श्रीमन्, परम्परा इसी तरह टूटती है। एक गलत परम्परा जब स्थापित हो जाती है तो उसे निरस्तर संघर्ष सम्भव नहीं होता है। जब हम एक परम्परा को तोड़ते हैं तो दूसरे को बल मजबूत मिलता है तो वह आदर्श बताकर इन परम्पराओं को तोड़ता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

इसी का परिणाम है कि जब सन् 70 की परम्परा को 1981 में तोड़ा तो कल बहस को स्थगित करने के लिए हमको भी मानना पड़ा था । श्रीमन्, आज यह प्रश्न एक नयी पृष्ठभूमि में उठ खड़ा हुआ है । श्री खेर ने 17 दिसम्बर, 1970 को जो फैसला दिया था वह मैंने पढ़ा है । आज इस प्रश्न पर बदलती हुई परिस्थितियों में विचार हो रहा है । 7 दिसम्बर, 1970 को या वर्ष 1981 में जो चर्चा हुई उस समय न तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, न 10वीं अनुसूची थी और न उसके पैरा 8 के तहत जो शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं, न उसके तहत नियमावली थी । आज ये तीनों चीजें हैं । इसके अलावा एन्टी डिफेक्शन बिल, दल बदल अधिनियम भी प्रभाव में आ चुका है ।

श्रीमन्, इन बदली हुए परिस्थितियों में आज हम इस प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं । हमसे पहले यह प्रश्न बिहार विधान सभा में उठ चुका है । बिहार विधान सभा के अध्यक्ष ने वहां के मुख्य मंत्री के बारे में यह सर्वविदित है कि वहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुख्य मंत्री बिना विधान सभा का नेता हुए नेता सदन नहीं हो सकता । लेकिन श्रीमन् आज हम परम्पराओं की बात नहीं कहेंगे । आज जितनी भी बात होगी वह संविधान सम्मत, नियम सम्मत और आपके विधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 8 के तहत जो शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं, उसके तहत जो नियमावली बनायी गयी है, उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर) निरर्हता नियमावली, 1987 के रहते श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि नारायण दत्त तिवारी नेता सदन कदापि नहीं हो सकते आपकी अनुमति से श्रीमन् इस नियमावली के नियम-2 के सब क्लाज 'च' को पढ़ना चाहूंगा, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है किसी विधायक दल के नेता का तात्पर्य उस दल के ऐसे सदस्य से है जिसे उस दल ने अपना नेता चुना हो और वह उसके अंतर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी है जो उसकी अनुपस्थिति में उस नियमावली के प्रयोजनार्थ उस दल के नेता के रूप में कार्य करने या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये उस दल के द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है । इसी के क्लाज 'छ' में लिखा है कि "सदस्य" का तात्पर्य सदन के सदस्य से है । इन दोनों क्लाजों को पढ़कर जो मतलब निकलता है, वह यह है कि जब तक यह नियमावली है, तब तक वर्तमान परिस्थितियों में आप श्रीमन्, नारायण दत्त तिवारी जी को नेता सदन की मान्यता नहीं दे सकते । मैं उधर के बैठे अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि यह श्री नारायण दत्त तिवारी के बारे में सम्मान का प्रश्न नहीं है । मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि उनके दल का उनके प्रति जो सम्मान है, उनके प्रति मेरा सम्मान आपसे कम नहीं है । वह समाजवादी आन्दोलन में, समाजवादी नेता के रूप में मेरे अग्रज रहे हैं, जब मैं उधर बैठा करता था । यह विधान सभा की पवित्रता का सवाल है । उसकी अक्षुण्यता का सवाल है । संविधान की भावना की हत्या करने या उसको संरक्षण देने का सवाल है । इसलिये जहां तक नेता सदन का सवाल है, मेरा आग्रह है कि वर्तमान परिस्थितियों में उनको नेता सदन के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती । मैं आपका ध्यान 10वीं अनुसूची के पैरा 8 के सब क्लाज 3 की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा ।

स्पष्ट है कि इस नियमावली को जो अवहेलना हुई है, उसके खिलाफ क्या होगा । सदन का सभापति या अध्यक्ष यथास्थिति अनुच्छेद 105 या 194 के उपबन्धों पर और किसी ऐसी अन्य शक्ति पर जो उसे इस संविधान के अधीन है प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह निर्देश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन बनाये गये नियमों के किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किये गये किसी उल्लंघन के बारे में उसी रीति से कार्यवाही की जाय जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती है'' ।

नियमावली का नियम 3(1) देखें, लिखा है]

''3-(1) प्रत्येक विधान दल का नेता, जो ऐसे दल से भिन्न हो, जिसमें केवल एक सदस्य है, सदन की पहली बैठक के दिनांक से तीस दिन के भीतर या जहां ऐसे विधान दल का गठन ऐसे दिनांक के बाद किया गया है वहां उसके गठन के दिनांक से तीस दिन के भीतर तथा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अनुज्ञा अध्यक्ष पर्याप्त कारण के आधार पर दें, अध्यक्ष को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा, अर्थात :-

(क) प्रपत्र-1 में लेखबद्ध विवरण पत्र जिसमें ऐसे विधान दल के सदस्यों के नाम तथा अन्य विवरण होंगे,

नेता सदन नारायण दत्त तिवारी जी नहीं हैं, फिर भी प्रपत्रों पर भरकर सूचना दे दी है । आपके कार्यालय में उसे नेता सदन की सूचना के रूप में स्वीकार कर लिया । यह कितनी बड़ी विडम्बना है कि सत्तारूढ़ दल लगातार इस नियमावली की उपेक्षा और अवहेलना करता आया है । मेरी निजी जानकारी में है कि श्री वीर बहादुर सिंह जी मुख्य मंत्री थे, आपके कार्यालय से उनको नोटिस गयी कि प्रपत्र 1 पर सूचना भेजें । वे यहां से त्यागपत्र देकर भी चले गये, लेकिन उनके जमाने में सूचना नहीं आयी । क्या वीर बहादुर सिंह के त्याग पत्र के बाद कांग्रेस विधान मण्डल दल ने ऐसा कोई नेता चुना है ? जैसा कि आपकी नियमावली में जिक्र है कि जो इस सदन का सदस्य हो वही विधान सभा में कांग्रेस विधान मण्डल दल का नेता होगा । क्या ऐसा कोई चुनाव हुआ है ? मान्यवर, यह पहला मौका है आपकी उत्तर प्रदेश की विधान सभा के इतिहास में, जब सबसे बड़ी बहुमत की सरकार जो यहां बैठ रही है, यहां पर विधान सभा चल रही है, उसी की सरकार ने इसे पेश किया, लेकिन उसका कोई नेता सदन नहीं है ।

श्रीमन्, दूसरी आपत्ति जो है तिवारी जी के बारे में, वह मेरी यह है कि नेता सदन के बारे में, तो मैंने निवेदन कर दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में नेता सदन के रूप में उन्हें मान्यता दी ही नहीं जा सकती है। प्रपत्र 1 पर जानते हुए भी, अगर मान्यवर, कोई दूसरा व्यक्ति होता, वीर बहादुर सिंह जी होते या जो भाई लोग हल्ला मचा रहे थे उनमें से कोई मुख्य मंत्री होता, तो मैं आपत्ति न करता, यही समझकर न जानकारी में भर दिया, लेकिन जो संसदीय प्रणाली का ज्ञाता और महान पंडित हो इस देश का जाना माना, उन्होंने जो प्रपत्र 1 पर सूचना भरकर भेज दी है वह अक्षम्य है । मान्यवर, जो नियमावली में व्यवस्था है, उसके अन्तर्गत कार्यवाही का निर्देश नहीं देंगे, तो फिर मर्यादा नहीं रहेगी इस नियमावली की, विधान सभा के दूसरे उसूलों की ।

जहां तक दूसरी आपत्ति का सवाल है, श्री नारायण दत्त तिवारी जी बिना दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य हुए मुख्य मंत्री नहीं रह सकते । इसके संबंध में दो तर्क हैं पहला तर्क संवैधानिक पहलू पर आधारित है, दूसरा नैतिकता और परम्पराओं पर आधारित है जिसे पालिटिकल थाटस्की या नैतिकता एथिक्स के नाम से पुकार सकते हैं, जो परम्पराओं और नैतिकता पर आधारित है । पहले मैं संवैधानिक पहलू को लेता हूं । संवैधानिक पहलू पर तर्क के बारे हमारे सामने दो बातें आ सकते हैं कि 52वां संशोधन अनुसूची 164 (4) के बारे में, 177 और अगर प्रतिबंधित कर सकते हैं एक मंत्री को दूसरे सदन में प्रवेश के लिये । श्रीमन्, मेरा अपना मत है कि अगर संविधान के प्रति आप में आदर की भावना है तो यह परिस्थिति हम खुद पैदा ही नहीं करनी चाहिये । अगर सदन में मान्यता दी जाय तो संविधान का जो 52वां संशोधन है, वह उसके विपरीत होगा । उसी के साथ श्रीमान्, 52वें संशोधन के आधार अनुच्छेद 101, 102, या 190 191 में जो संशोधन किया गया है, वह निरर्थक हो जायेगा, महत्वहीन हो जायेगा । ऐसे प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री के बारे में, जो बिना किसी सदन का सदस्य हुये मंत्री या प्रधान मंत्री बन गया हो, उस पर न तो 52वें संशोधन का लागू होगा और न संविधान की अनुसूची 10 ही लागू होगी, और न ही आपकी नियमावली ही प्रभावी होगी । श्रीमन्, पहले जब 164 (4) था तब मेरी बात थी कि बाहर का आदमी भी विधान मंडल दल का नेता चुन लिया जाता था, तब श्रीमन्, यह सब चीजें नहीं थीं, उस समय आपकी नियमावली भी नहीं थी । उस समय यह बात नहीं थी कि विधान मंडल दल का नेता होने के लिये सदन का सदस्य होना आवश्यक है । तब यह सब चीजें हैं ।

श्रीमन्, आज अगर आपने आदरणीय तिवारी जी को मुख्य मंत्री के रूप में मान्यता दे दिया तो उसका नतीजा क्या होगा ? यह गंभीर सवाल है । वह इलाहाबाद में चुनाव हारे, टांडा और रायबरेली में भी हारे गये हैं । यानि अगर कांग्रेस को अपनी इज्जत बचानी है, तो वह तिवारी जी को नेता नहीं करेंगे । लेकिन कांग्रेस वालों की इज्जत इस समय खतरे में है, कुर्सी अपनी हमेशा बचाने के लिये वह इन्हीं को नेता माने हुये हैं । क्या आपको लगता है कि आप अपने विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकें ? जबकि वह कांग्रेस विधान सभा का नेता चुने गये हैं दूसरे सेक्शन पर चुनाव लड़कर पर चुनकर आता है और वह तब दरअसल कन्फर्म है । मान्यवर, इसका मतलब यह होगा आयें हों । आपका अख्तियार रख इस बारे में, यह कि गोयें अगर किसी सिचुएशन विशेष कि अगर यह परम्परा पड़ी तो आगे भी इसका भी मतलब हो जायेगा । सुबह तो यह होंगे, जिन पर दलबदल अधिनियम लागू होगा या 10वीं अनुसूची इसकी होगी, बनाये गये नियम प्रभावी होंगे । दूसरे प्रकार के सदस्य यह होंगे, जो मंत्री बनने से पहले होंगे, उन पर यह नियम लागू नहीं होंगे । मेरा आपसे निवेदन है कि यह संविधान की मान्य की सिद्धांत के खिलाफ होगा ।

मान्यवर, हमारे संविधान में आर्टीकिल 14 है, जिसमें इक्वालिटी बिफोर ला का प्राविधान दिया गया, बराबरी का अधिकार दिया गया है, यह अनुच्छेद का इस प्रकार मेरी सम्मति में यह उल्लंघन होगा ।

अब श्रीमन्, परम्पराओं और जो इसका कान्स्टीटयूशनल पोजीशन का प्रश्न है, उसको आपके सामने निवेदन करूंगा । जब आदरणीय तिवारी जी इस पर बोलें, तो वह भी इस

पर प्रकाश डालें, यदि मैंने इसे कहीं गलत समझा हो। जहां तक मेरी जानकारी है, ब्रिटिश संसद की यह परम्परा है कि वहां पर नेता सदन और प्रधान मंत्री दोनों सदन के सदस्य होते हैं और हाउस आफ कामन्स का मेम्बर ही इस समय प्राइमिनिस्टर होता है। हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा की भी यही परम्परा है और दलबदल को रोकने के लिये उच्च आदर्श, नैतिकता के जो सिद्धान्त हैं, वह भी हमसे इसकी मांग करते हैं। श्रीमन्, यह अत्यन्त सौभाग्य की बात है कि यह फर्क केवल उत्तर प्रदेश विधान सभा को ही हासिल है, जहां दल बदल को रोकने के लिये एक नैतिक दिशा में प्रयास करने का जो अभ्यास हुआ था, वह इसी विधान सभा के अन्दर हुआ था। आज आप सन् 48 के स्व0 आचार्य नरेन्द्र देव को याद कीजिये, जब वह इस सदन के सदस्य थे। उस समय बड़े-बड़े महारथियों ने कहा था कि आप दलबदल न कीजिये, हम आपकी सरकार बना देंगे आचार्य नरेन्द्र देव जी ने कहा था कि यह लड़ाई सिद्धान्तों की है, आदर्शों की है, कुछ परम्परायें स्थापित करनी हैं ताकि हमारे जनतंत्र का भविष्य उज्जवल हो सके, गरवमयी हो सके और इसीलिए उन्होंने तकनीकी सहारा नहीं लिया था।

हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि मुख्य मंत्री तो हो सकते हैं लेकिन नेता सदन नहीं हो सकते हैं, तो मुझे यह सुनकर बड़ी आत्मग्लानि हुई। आज नैतिकता को किस तरह से तिरोहित करते जा रहे हैं। हमारे पुरखों द्वारा जो परम्परायें डाली गई थी, उनको किस बेदर्दी से और बेशर्मी से कुचला जा रहा है और इन्हें जरा सी भी लज्जा महसूस नहीं होती है। यह बात इसीलिए उठा रहा हूं कि हमारे तिवारी जी जैसे लोग, जिन्होंने आचार्य नरेन्द्र देव जैसी महानआत्मा के चरणों में बैठकर राजनीतिक जीवन शुरू किया था, यदि आज यही अच्छी परम्परा स्थापित नहीं करेंगे तो क्या वीर बहादुर सिंह जी जैसे या किसी से हम अच्छी परम्परा स्थापित करने की क्या कल्पना कर सकते हैं? अगर आज उनके मुख्य मंत्री बनने पर स्वयं तिवारी जी कह दें कि उसी आदर्श के अनुरूप जो श्री आचार्य नरेन्द्र देव जी ने स्थापित की थी, के अनुरूप है तो मैं समझ लूंगा कि मैंने कहीं भूल की है सारी बातों को समझने में। माननीय श्री तिवारी जी का इस प्रश्न पर जो रुख होगा, वह निश्चय करेगा कि हम किस तरह की परम्परा स्थापित करना चाहते हैं। श्रीमन्, आज आपका जो विनिश्चय होगा, वह 1970 व 1981 से भिन्न व बदली हुई परिस्थितियों में होगा। आज आप नई परम्परा का श्री गणेश करने जा रहे हैं। क्या आप ऐसी श्रेणी बनाने को तैयार हैं जो संविधान व 52वें संशोधन के ऊपर हो जिसमें दल-बदल कानून लागू न हो, क्या आप ऐसी परम्परा स्थापित करेंगे जो दल बदल को प्रोत्साहित करना चाहता हो? मेरा आपसे अनुरोध है कि आज आप इस तरह की बात करेंगे जिससे संविधान के किसी अनुच्छेद की अवहेलना नहीं होगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 51(ए) के सबक्लाज (1) (ए) का भी उल्लंघन होगा। हर नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वह संविधान समस्त आचरण करे। संविधान की मर्यादा और मनशा का अनुपालन करे।

मान्यवर, जब गलत परम्परायें स्थापित होती हैं तो उनका भयावह परिणाम होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव जी ने जो परम्परा स्थापित की थी, कांग्रेस ने उस परम्परा को जानबूझकर तोड़ा। श्री टी0

प्रकाशन, श्री पट्टमथनू, पिल्लई, व डा0 पी0 सी0 घोष का दल बदल कराया गया, जबकि सरकार अपार बहुमत में थी। इसका परिणाम क्या हुआ? आया राम गया राम जैसा इतिहास शुरू हुआ और आज दल-बदल विरोधी नियम बनाना पड़ा, लेकिन उसका आज दुरुपयोग हो रहा है। सभी जानते हैं कि कितनी ही राज्य सरकारों में जहां एक तिहाई की पोजीशन दी गई है, उसे आप स्प्लिट मानते हैं और इसका सहारा लेकर कितनी सरकारों को आपने धराशाई कर दिया है। अगर मान्यवर, आज आपने किसी गलत परम्परा की शुरुआत कर दी तो दलबदल का भी उसी तरह से दुरुपयोग और बढ़ेगा। श्रीमन्, हमने कितनी गलत परम्परायें स्थापित कर दी हैं कि सुनिश्चित विधान सभाओं को भंग किया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री तिवारी जी, आप अभी कितना समय और लेंगे?

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जायें। . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। विधान सभा की कोई भी कार्यवाही प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत होती है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। मा0 नेता, विरोधी दल। मैं समझता हूं कि समय निर्धारित कर दिया जाय तरला . . .

(शोर व्यवधान)

श्री शारदानन्द अंजना–

पहले आप तिवारी जी को सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

20 मिनट से अधिक कोई मा0 सदस्य नहीं बोलेंगे। माननीय तिवारी जी, अपनी बात दो मिनट में समाप्त करें।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, आज की जो बहस हो रही है, वह उत्तर प्रदेश विधान सभा का इतिहास बनेगी, आपका निर्णय भी इतिहास बनेगा। कृपया माननीय सदस्यों से कहें कि वह इस बहस को शान्तिपूर्वक सुनें।

श्री अध्यक्ष–

फिर भी मा0 सदस्य 20 मिनट से अधिक न बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं बता रहा था कि जब गलत परम्परायें पड़ जाती हैं तो कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता है, सुधार नहीं आ पाता है। हमें नई परम्परा का श्री गणेश करना चाहिए इसलिए दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि ध्यान से सुनें ताकि कोई गलत परम्परा न पड़े। चुनी हुई विधान सभाओं को जनता सरकार ने तोड़ा, कांग्रेस को मौका मिला तो उसने भी वही किया। स्वायत्तशासी संस्थाओं में हमने चुनाव नहीं कराये, तो कांग्रेस ने भी उनको नौकरशाही के हवाले कर दिया। इसी प्रकार, अगर कोई गलत परम्परा पड़ी तो इससे दलबदल बढ़ेगा। भारतीय संस्कृति में भारत के इतिहास में महाभारत को धर्मयुद्ध की संज्ञा दी गयी है। महाभारत के दो दृष्टान्त बताना चाहूंगा। कौरवों की ओर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण थे, इस पर भी उनके द्वारा अधर्म को अपनाया गया। भरी सभा में द्रौपदी को नंगा किया गया और अभिमन्यु की हत्या की गयी। सारे महारथी दुर्योधन के आतंक के कारण चुप्पी साधे बैठे रहे। जब भीष्म पितामह से पूछा गया पाण्डवों द्वारा तो उन्होंने कहा कि उस समय मेरे ज्ञान चक्षु बन्द थे क्योंकि मैं कुधान्न खाता था। इसी प्रकार, उधर बैठे लोगों पर भी कुधान्न का असर हो सकता है, लेकिन मान्यवर, आप उस सीट पर बैठे हैं, श्रीमन्, आपकी स्थिति तो भगवान श्रीकृष्ण की है। आज जब लोग भटक रहे हैं रास्ते से, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसा विनिश्चय कीजिये, आप उनके लिये प्रकाश स्तम्भ का कार्य करें जिससे कि भटके हुए लोगों को सही दिशा का निर्देश मिल सके।

मैं आपके माध्यम से माननीय तिवारी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे ऐसे संसदीय परम्परा डालें। अरे, इतिहास तो बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन आप ऐसी परम्परा डालने के लिये आगे बढ़िये, आप तो आचार्य नरेन्द्र देव के शिष्य रहे हैं, आपने उनके चरणों में बैठकर संसदीय परम्पराओं को देखा है, आज इस सदन में उच्च परम्परा का आप पोषण कीजिये और इतिहास में अपना नाम उज्जवल कीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी को बुलाता हूं किन्तु माननीय गुप्त जी तथा और भी जो महानुभाव इस पर बोलने वाले हैं, वह ध्यान रखें कि जो प्वाइन्ट रखें जा चुके हैं उनको वे न दोहरायें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी जो सवाल हमारे सामने विचाराधीन है, वह सवाल केवल इधर का या उधर का नहीं, सवाल इस बात का है कि अपने देश में हम कौन से संसदीय परम्परा डालना चाहते हैं। इसमें बिना किसी दलगत भावना के विचार करने की आवश्यकता है। अभी उधर के सदस्यों की भावना को मैंने देखा, लेकिन यदि तिवारी जी न बैठे होते तो शायद हम इस पर विचार न करते क्योंकि सत्ता पक्ष का संसदीय परम्पराओं में विश्वास है ही नहीं। अभी माननीय तिवारी जी ने बड़ी विडम्बनापूर्ण ढंग से अपने विचार इस संबंध में यहां प्रस्तुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किये । इस समय तिवारी जी ने 1971 का संदर्भ दिया तब माननीय सदस्यगण चिल्ला रहे थे कि 1981 में माननीय अध्यक्ष ने क्या कहा था, क्या व्यवस्था दी थी मैं बतलाता हूं कि उस समय माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था "लेकिन सब बातों का विस्तार के साथ विचार करते हुए लोकतांत्रिक प्रणाली की और सदन के गौरव और गरिमा को ध्यान रखते हुए यह विचारणीय प्रश्न है और सभी को इस पर विचार करना चाहिये ।" उन्होंने भी कोई निर्देश नहीं दिया । उस समय भी अध्यक्ष-पीठ ने कहा था कि हमें इस विषय पर गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिये और इस पर गम्भीरता से विचार करने की जरूरत है । आज वह समय आ गया है, मैं यहां पर नियमावली के नियम 4 का हवाला देना चाहता हूं इसमें आप देखें कि यह दिया हुआ है "जब कभी किसी विधान-दल के नेता द्वारा उप नियम (1) के अन्तर्गत या किसी सदस्य द्वारा उप नियम (2) के अन्तर्गत दी गयी सूचना में कोई परिवर्तन होता है तो वह उसके पश्चात् दस दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अनुज्ञा अध्यक्ष पर्याप्त कारण के आधार पर दें, अध्यक्ष को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना देगा ।" तब श्री वीर बहादुर सिंह दल के नेता थे और आज वे उस कुर्सी पर विराजमान नहीं हैं और वहां पर आज श्री तिवारी जी बैठे हुए हैं । मैं समझता हूं कि नेता के परिवर्तन की बात की लिखित सूचना नियम 4 के अनुरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अवश्य मिली होगी । यदि सूचना नहीं मिली है, तो बात सही है कि नेता पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है और ऐसी दशा में इस नियम का (ङ) (च) तथा (छ) के अनुरूप पालन नहीं हुआ है क्योंकि इसमें लिखा है कि जो इस आदरणीय सदन का सदस्य होगा वही इसका नेता होगा ।

आज प्रश्न परम्पराओं का रह ही नहीं गया है । मैं हाउस आफ कामन्स का उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस से बीसवें संस्करण के पृष्ठ 253 पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि "दि मेम्बर आफ दि गवर्नमेंट है इज प्राइमरीली रिसपांसीबिल टू दि प्राइमर्मिनिस्टर फार दी अरेन्जमेंट्स आफ दि गवर्नमेंट बिजिनेस इन दि हाउस आफ कामन्स इज नोन एज दि लीडर आफ दि हाउस" ।

इसका हिन्दी में अनुवाद किये देता हूं कि "सरकार का वह मंत्री जो बुनियादी तौर पर प्रधान मंत्री के प्रति जिम्मेदार है, वह सदन के अन्दर सरकार की गतिविधियों का संचालन करेगा और उसे ही सदन का नेता माना जायेगा" आगे लिखा है कि अन्टिल 1942 दि प्राइम मिनिस्टर इज ए मिनिस्टर आफ दि हाउस आफ कामन्स जनरली आलसो एक्टेड एज दि लीडर आफ हाउस ।

तो बात बिल्कुल साफ है कि उस सदन का सदस्य ही नेता सदन हो सकता है और यही बात कई स्थानों पर कही गयी है और यही प्रश्न 1966 में राज्य सभा में भी उठा था जिसमें मा0 अध्यक्ष की रूलिंग में कहा गया था कि हमारे यहां ऐसे कोई नियम नहीं हैं और न ही हम किन्हीं नियमों से बंधे हैं फिर इस पर कौल एवं शकधर में दी गयी रूलिंग व नियमों पर विचार हुआ, जिससे यह बात स्पष्ट तौर पर सामने आयी कि लोक सभा का सदस्य ही प्रधान मंत्री हो सकता है और वही सदन का नेता भी हो सकता है । संसद में भी इस पर विवाद उठा । इस विवाद में भी जो बात सामने

आयी वह यह कि लोक सभा का सदस्य ही नेता सदन हो सकता है । लेकिन इस समय महामहिम राज्यपाल महोदय ने इन सारी चीजों को देखते हुए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को इस पद की शपथ दिला दी जो किसी भी रूप में सही नहीं है और इस प्रकार से कल की जो भी कार्यवाही हुयी है शोक प्रस्ताव की वह सब नियमों को अधीन नहीं मानी जायेगी क्योंकि नेता सदन का नामांकन हुआ नहीं और न ही इसकी सूचना आपके पास आयी और न ही आज तक कोई सूचना जहां तक मैं समझा हूं कि आयी होगी । इसलिए आज की कार्यवाही भी न्यायसंगत नहीं कही जायेगी । अब मान्यवर, निर्णय आपकी पीठ से होना है और यह निर्णय आपका स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में उदाहरण स्वरूप लिखा जायेगा कि आपने किन परिस्थितियों में संसदीय लोक तंत्र की मान्यताओं को बरकरार रखते हुए जो निर्णय दिया है, वह कितना महत्वपूर्ण है ।

साथ ही मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी कुछ खतरे में थी तो आपने दल विरोधी कानून बना डाला और उसी कानून की आज आप धज्जियां उड़ा रहे हैं और दूसरे जब आप स्वयं नेता विरोधी दल थे आपने स्वयं बात उठायी थी कि कोई ऐसा सदस्य जो इस सदन का सदस्य न हो, नेता सदन नहीं हो सकता है । इसलिए आपकी ईमानदारी, स्पष्टवादिता और न्यायप्रियता को देखते हुए आपसे यह आशा की जाती है और अब वह समय आ गया है जहां पर इन गुणों को जो आपके अन्दर विद्यमान हैं, देखा और परखा जाए, आपकी कल की ही यह कही हुयी बात है, इसलिए उसी ईमानदारी और स्वच्छता का इस समय तकाजा है कि अपनी उसी बात को फिर इस समय आप साफ दिल से स्वीकार करें । . . . . कि हां, उस परिपाटी का पालन करता हूं, मैं इस सदन का सदस्य नहीं हूं । सदन के नेता पद पर कोई दूसरा व्यक्ति होगा और वह कार्यवाही का संचालन करेगा । तिवारी जी ने जिन बिन्दुओं को उठाया है, मैं समर्थन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि संविधान को देखते हुये नियमावली को देखते हुये आप स्पष्ट व्यवस्था देंगे कि कल नेता सदन न होने के कारण मुख्य मंत्री की हैसियत से जो भी कार्यवाही की गयी है, वह स्पष्ट रूप से अवैध है, अवैधानिक है, उसकी कोई मान्यता नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने शतरुद्र प्रकाश जी को बुला लिया है । आपको भी मौका मिलेगा ।

*श्री नरेन्द्र सिंह यादव–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह बात बहुत महत्वपूर्ण बहस चल रही है और आप इस पर व्यवस्था देने जा रहे हैं । मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली की ओर दिलाना चाहता हूं कि परम्पराओं के अनुसार मुख्य मंत्री तथा नेता सदन के दो पदों में कोई अन्तर नहीं रखा गया है । माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और राज्यपाल द्वारा की गयी किसी कार्यवाही पर औचित्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के प्रश्न पर चर्चा नहीं हो सकती है और न कोई व्यवस्था ही दी जा सकती है। यदि आप इस तरह की कोई व्यवस्था देंगे तो वह उच्च न्यायालय में चुनौती दी जायेगी, जो एक गलत परम्परा होगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप इस पर कोई व्यवस्था न दें, मेरा निवेदन स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें।

*श्री शत्रुरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह काफी गम्भीर सवाल है और मैं समझता हूं कि इस समय सदन का कोई नेता नहीं है और मैं अपने तर्क और नियमों द्वारा साबित करूंगा कि सदन में नेता नहीं है। मान्यवर, जहां तक नारायण दत्त तिवारी जी का सवाल है, हमारे कई मित्रों ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी बड़े विद्वान हैं, कुछ लोगों को शायद अभी उम्मीदें बची हैं। वह मेरी उम्र से बड़े हैं, उनका मोह हो सकता है, लेकिन मेरा मोह भंग हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि तिवारी जी 1988 वाले 1970 के नहीं रह गये हैं। यह मेरी साफ धारणा है। मुझे डा0 लोहिया का एक वाक्य याद आता है, उन्होंने कहा था कि अगर व्यक्ति विद्वान हो, विचारवान हो लेकिन आचरणवाला न हो, तो वह पाखण्डी हो जाता है। अगर वही व्यक्ति आचरणवाला हो और चरित्रवान हो, लेकिन विचारवान न हो, तो वह कठमुल्ला हो जाता है। मान्यवर, कठमुल्ला और पाखण्डी के बीच में फैसला आपको करना है। मैं किसी भी तर्क को दुहराने की कोशिश नहीं करूंगा। तिवारी जी, मैं बचपन में सुनता था, संसदीय परम्पराओं के बहुत बड़े जानकार हैं और कुछ लोगों ने बताया कि वह संसदीय परम्पराओं के कालीदास हैं, लेकिन मान्यवर, कालीदास जब विद्वान नहीं थे तो वह पेड़ की डाल को काटते थे और तिवारी जी जब विद्वान हो गये तो अपने बनाये हुये मूल्यों को अपने हाथ से तोड़ रहे हैं। यह बुनियादी फर्क मैं देख रहा हूं। अम्मार रिजवी जी बड़ी बड़ी किताबें लेकर आये हैं मेरा उनसे आग्रह है कि वह पुरानी परम्पराओं की बात न करें। इस संबंध में चर्चिल का एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा-किसी लड़ाई की हूबहू पुनरावृत्ति नहीं होती। सेनापति की सफलता लड़ाई में नियमों और तरीकों के अनुसरण से नहीं मिलती। सफलता मिलती है विद्यमान स्थिति के प्रभावी दायित्वों और काम कर रही शक्तियों को एकदम नये नजरिये से देखने के कारण युद्ध में असफलता का हमसे बड़ा कोई निश्चित कारण नहीं हो सकता कि अतीत के महान सेनापति की व्यूह रचना की नकल कर उसे वर्तमान स्थिति में भी लागू किया जाये। मान्यवर, स्थिति बदली, 1970 में दिया गया निर्णय, 1981 में दिया गया निर्णय आज की परिस्थिति में लागू नहीं हो रहा है। जो बहस 1970 में शुरू की थी, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। इकाई और दहाई में फर्क आ गया है। माननीय तिवारी जी आज सन् 88 में 64 साल के हैं और 1970 में 46 साल के थे। इस प्रकार इकाई और दहाई में फर्क आ गया है। उस समय वे जिसके पक्ष में थे और आज सत्ता पक्ष में हैं जब से भारतीय संसद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने 1985 में संविधान का 52वां संशोधन विधेयक पारित कर दिया उसके बाद आज परिस्थिति बदल गई है । आज केवल सदन के नेता का ही प्रश्न नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी के विधान मंडल दल के नेता का प्रश्न भी आ गया है ।

मान्यवर, मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता नियमावली, 1987 की ओर, जो 28 जून, 1987 से लागू हुई । इसमें नियम 2(च) में लिखा हुआ है–''किसी विधान दल के संबंध में ''नेता'' का तात्पर्य उस दल के ऐसे सदस्य से है जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है और उसके अंतर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी है जो उसकी अनुपस्थिति में इस नियमावली के प्रायोजनार्थ उस दल के नेता के रूप में कार्य करने या उसके कर्तव्य का निर्वहन करने के लिये उस दल के द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है ।'' इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विधान दल का नेता ऐसा सदस्य बनेगा और सदस्य के बारे में लिखा है कि ''सदस्य का तात्पर्य सदन के सदस्य से है । अगर वह सदन का सदस्य है तभी वह नेता बन सकता है और उसकी अनुस्थिति में ऐसा भी कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है जो उस दल के द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि कोई ऐसा नेता तभी हो सकता है जब उस दल का नेता अनुपस्थिति हो । लेकिन अनुपस्थिति का मतलब आसनहीन से नहीं लगाया जा सकता है । आज यहां पर कोई नेता नहीं है इसलिये अनुपस्थिति होने का कोई सवाल नहीं उठता है । आज यहां पर कोई नेता नहीं रह गया है, यह नेताविहीन हो गया है । विधान दल की जो परिभाषा दी गई है, अधिनियम के मुताबिक, उसमें लिखा है–विधान दल ऐसे सदस्यों के समूह से है जो इस सदन के सदस्य हैं । दल का वही सदस्य नेता हो सकता है जो इस सदन का सदस्य हो और वही समूह ही अपने दल का नेता बना सकता है। श्रीमन्, मुझे कोई चिन्ता नहीं है । मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस दल का कोई सदस्य वोट न दे तो आज तिवारी जी के रहते वह निकाला नहीं जा सकता है । वह चाहे डाक्टर संजय सिंह हों, सुरेन्द्र सिंह जी हों, अवस्थी जी या सोलंकी जी हो । अगर यह लोग कांग्रेस पार्टी के हिदायत का पालन न करें तब भी आप उन्हें निकाल नहीं सकते हैं । अधिनियम के नियम 4 में लिखा हुआ है कि–जहां किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है वहां संबंधित विधान दल का नेता, ऐसे मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रपत्र-2 में अध्यक्ष को सूचना देगा । इस प्रकार अगर वह कांग्रेस पार्टी के तथाकथित नेता इस सदन के सदस्य नहीं हैं तो वह किस रूप में आपको सूचित करेंगे जबकि श्री नारायण दत्त तिवारी जी इस उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य नहीं हैं । वह तो राज्य सभा के सदस्य हैं । इस नियम के मुताबिक यदि श्री तिवारी जी आपको अवस्थी जी, सोलंकी जी या बरार साहब के बारे में

कुछ लिखकर देते हैं कि उन्होंने वोट नहीं दिया है तो उसे आप कैसे संज्ञान में ले सकते हैं ?

एक बात और है । भारतीय संविधान का अनुच्छेद 190 और 191 है वह राज्य विधान सभाओं के लिए बनाया गया है उसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 101 और अनुच्छेद 102 संसद के लिये भी लागू है । अगर विधान मंडल के लिये संविधान द्वारा बनाया गया प्राविधान यह सदन पालन नहीं करता है तो हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निर्वहन करने में असफल होते हैं

(समय 1 बजकर 20 मिनट पर)

संविधान की दृष्टि से और इस दल बदल नियमावली के आधार पर अगर देखा जाय तो इस समय न श्री नारायण दत्त तिवारी इस सदन के नेता हैं और न ही कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता हैं । 1970 में श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा जो एक मूल प्रश्न उठाया गया था उसी को तोड़ने के लिये वह आज यहां विराजमान हैं । मुझे डा0 शम्भूनाथ की कविता याद आ रही है—

समय की शिला पर मधुर चित्र कितने,
किसी ने बनाये किसी ने मिटाये ।

इसी तरह अपने द्वारा बनाये हुये मधुर चित्रों को वह बिगाड़ने पर तुले हुये हैं । कहावत है कि अगर आसमान पर थूकोगे तो वह अपने ऊपर गिरेगा । मियां की जूती मियां के सिर पर । तो आज उन्हीं की बात उन्हीं के सिर पर पड़ गयी है । मैंने जैसा कहा अगर आदमी में ज्ञान हो विचार हो लेकिन आचरण न हो तो वह पाखण्डी बन जाता है ।

आज यह एक संकट पैदा हो गया है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस दल का इस समय कोई नेता नहीं है इस सदन के अन्दर आप देख लें बाकी जितने दल हैं उनमें कोई ऐसा दल नहीं है जिसका नेता सदन का सदस्य न हो । जितनी भी पार्टियों को आपने मान्यता दी है उन सबके नेता सदन के सदस्य हैं । कांग्रेस दल जिसकी केन्द्र में सरकार है और कई राज्यों में उसकी सरकार है जिस समय श्री राजीव गांधी देश के प्रधान मंत्री जिन्होंने यह अधिनियम पारित करवाया था, संसद से उसी अधिनियम को आज सरकारी दल तोड़ने में तुला हुआ है । उसी दल की सरकार उत्तर प्रदेश में उस कानून का पालन नहीं कर रही है । आज उनके दल के अन्दर जो आंतरिक झगड़ा है वह इस समय किसी दल का आंतरिक मामला नहीं रह गया है क्योंकि जब से यह अधिनियम बन गया उसमें बताया गया है कि किस तरह से दल अपने नेता चुनेंगे और वह नेता कौन होगा उसके लिये दायित्व निर्धारित किये गये हैं । उसमें जो शर्तें दी गयी हैं उसके अनुसार वही व्यक्ति नेता होगा जो इस सदन का सदस्य हो । मुझे आपसे बहुत उम्मीद नहीं है, किसी को होगी जो कहते हैं कि आपका निर्णय स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा, मैं जानता हूं कि कोई नहीं लिखने जा रहा है । मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता को इस बहस में बुलायें, जब इस पर बहस हो उस समय वह भी बहस में हिस्सा लें और वैधानिक सवालों का जवाब वह दें उसके बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाय । इस समय श्री नारायण दत्त तिवारी को जो नेता

सदन की सुविधायें प्रदान की गयी हैं उनसे वंचित कर देना चाहिये । आज वह अपनी ही पार्टी के अन्दर अगर कोई उनके हिवप का उल्लंघन करता है तो उसको निकालने में सक्षम नहीं हैं । मुझे खुशी है आज कांग्रेस पार्टी जो अनुशासनहीनों की जमात बन गयी है (व्यवधान) उनको अधिकार नहीं है कि वह उनको पार्टी से निकाल सकें । यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री लाल प्रताप सिंह का नाम पुकारने पर)

*श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, हमारी भी सुन लें ।

(श्री सरदार सिंह , श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं कौशिक जी आपको भी सुनूंगा, सरदार सिंह जी को भी सुनूंगा (व्यवधान)

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, 300 के अन्दर जो सूचना दी है....

श्री अध्यक्ष–

मैं कब कह रहा हूं कि नहीं सुनूंगा आपको भी सुनूंगा, द्विवेदी जी को भी सुनूंगा, सरदार सिंह जी को भी सुनूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

श्री लाल प्रताप सिंह ।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 तिवारी जी ने जो औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है....

श्री कौशिक रमा शंकर–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम 300 की सूचना क्या इन्होंने दिया है ? मैं समझता हूं कि नहीं दिया होगा, तो फिर जिन्होंने नियम 300 की सूचना दिया है उनको बुलायें लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उनको भी आप बुला रहे हैं इस पर व्यवस्था दे दें ?

श्री अध्यक्ष–

विपक्ष का पहलू, मत आये और सत्ता पक्ष का पहलू, न आये, तो ऐसा नहीं है ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, आपने जानबूझकर तय कर लिया है कि सारे नियमों को तोड़ना है, यदि ऐसा है तो बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

श्री लाल प्रताप सिंह आप बोलें ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया है उसमें कोई फोर्स और बल नहीं है और न यह प्रश्न लीगल एंगिल से ही उपस्थित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया गया है । इसलिये मैं इस प्रश्न को इक्जामिन करने से पहले कहना चाहता हूं कि जो निर्णय बने हैं उनका पहले उद्धरण दूं । मैं निवेदन करूंगा कि कल ही बहुत से माननीय सदस्यों ने और श्री राम शरण दास जी ने मुख्य मंत्री जी को नेता सदन कहकर सम्बोधित किया और श्री सूर्य प्रताप शाही एवं डा0 संजय सिंह ने उनको नेता सदन कहकर संबोधित किया ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, आप कल की प्रोसीडिंग देख लें, मैं कहना चाहूंगा कि कहीं भी पूरे भाषण के दौरान मैंने मुख्य मंत्री जी को नेता सदन नहीं कहा है । इसलिये इनको गैर-जिम्मेदाराना बात नहीं कहनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

श्री लाल प्रताप सिंह जी, आप अपनी बात कहें ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, हिस्टारिकल बैकग्राउन्ड क्या है वह कहना चाहता हूं कि नेता सदन का किस तरह आफिस वजूद में आया । यह परम्परा और ट्रेडीशन के आधार पर आफिस वजूद में आया। जो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम [illegible] है उसके मुताबिक पोलिटिकल पार्टीज एक निर्धारित प्रोग्राम और पालिसीज के तहत इलेक्टोरेट के और जनता के सामने जाती हैं और उनके मैनडेट हासिल करती हैं । उसके बाद जो दल बहुमत हासिल करता है . . . ।

श्री सरदार सिंह–

आपको सरकार की वकालत करते-करते चार साल हो गये, संविधानतः में अब फिर तो आपको आना नहीं है, तो किसलिए आप यह बहस कर रहे हैं ?

श्री लाल प्रताप सिंह–

वह जो बहुमत में दल आता है, वह अपना नेता चुनता है, उसके मुताबिक महामहिम राज्यपाल उसको चीफ मिनिस्टर मुकर्रर करते हैं । यहां पर आपसे निवेदन करूंगा कि परम्पराओं के अनुसार चीफ मिनिस्टर और नेता सदन पर्यायवाची हैं । (व्यवधान) आपने कन्फ्यूज कर दिया विधायक दल का नेता या दूसरी तरह से कहकर । यह एक ही व्यक्ति है । इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं 164 (4) की तरफ, उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्य मंत्री हो सकता है और 6 महीने के अन्दर उसकी जरूरत है कि वह हाउस का सदस्य हो जाए, और यदि 6 महीने के अन्दर वह न हो, तो . . . ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

एनी व्यक्ति की जो आप व्याख्या कर रहे हैं, तो क्या कोई पाकिस्तान या विदेशी आदमी भी हो सकता है ? मैंने एक गम्भीर बात कही है और पढ़कर कही है, 'एनी' शब्द की जो बात है . . . .

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

यह उन शहरियों के बारे में है, यह सब रामभक्त हैं, आप कन्फ्यूज न कीजिए । . . . (व्यवधान)

एक सदस्य–

आपके राम नरेश सिंह यादव जी इसी तरह मुख्य मंत्री यहां बने थे, तो क्या वह अमेरिका के थे या और किसी देश के थे, यह आप बताएं ?

श्री लाल प्रताप सिंह–

श्री रघुवर दयाल जी आप कन्फ्यूज करने की कोशिश न करें । कोई भी हो सकता है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

पाकिस्तानी भी हो सकता है ? "कोई" की आप व्याख्या कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह–

"ए मिनिस्टर हू फार एनी पीरियड आफ टाइम कान्सीक्यूटिव : मन्थ्स इज नाट ए मेम्बर आफ दि लेजिस्लेचर आफ दि स्टेट अर दि एक्सपायरेशन आफ दैट पीरियड सीज टू बी ए मिनिस्टर" उसका 6 महीने के बाद वह स्टेटस खत्म हो जाता है और उसको पहले नहीं । यह प्रश्न आपने बहुत सरल बनाया है. कोई भी नागरिक, भारत का नागरिक, जो कि सदस्य नहीं है, लेजिस्लेचर पार्टी का सदस्य नहीं है, जो हाउस का सदस्य नहीं है, वह भी मिनिस्टर हो सकता है और चीफ मिनिस्टर हो सकता है, और जो चीफ मिनिस्टर हो सकता है, वह परम्परानुसार नेता सदन भी हो सकता है । हमारे यहां कोई भी ऐसा रूल नहीं है, जो "लीडर आफ दि हाउस" को डिफाइन करता हो । इसे किसी रूल ने डिफाइन नहीं किया है, कहीं नहीं किया है । यह परम्पराओं के अनुसार है । आपने टेन्थ शेड्यूल जारी किया और उसमें जो रूल मोडिफाय पावर स्पीकर को दिया गया है, उसमें उन्होंने रूल बनाया और उसमें आपने यह कोट किया–"मीन्स दि ग्रुप कानीसिसटिंग आफ आल दि मेम्बर्स आफ दैट हाउस" यहां जब आप टेन्थ शेड्यूल को पढ़ेंगे तो वह बहुत व्यापक है । उसमें पोलेटिकल पार्टी और पोलेटिकल ग्रुप शब्द आया है । उसका मतलब है, जो दल के द्वारा चुना गया है । जो लेजिस्लेचर से एडाप्ट किया गया है, माना गया है, वह नेता सदन कहलायेगा, यह क्लेयर-कट है और इसमें भी आप देखेंगे–"लेजिस्लेचर पार्टी, इन रिलेशन टू ए मेम्बर आफ ए हाउस बिलांगिंग टू एनी पोलेटिकल पार्टी इन एकारडेन्स विथ दि प्राविजन्स आफ पैराग्राफ 2 आर पैराग्राफ 3 आर, एज दि केस बी, पैराग्राफ 4, मीन्स दि ग्रुप कानीसिसटिंग आफ आल दि मेम्बर्स आफ दैट हाउस फार दि टाइम बीइंग बिलांगिंग टू दैट पोलिटकल पार्टी इन एकार्डेन्स विद दि सेड प्राविजंस ।" तो यह इसमें शब्द है–बिलांगिंग टू एनी पोलिटिकल पार्टी । तो वह पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्धित है । यहां भी आप देखेंगे । यहां पर जितने शब्द आए हुए हैं उसमें अगर वह सदस्य नहीं भी होता है तो वह चीफ मिनिस्टर और नेता सदन की हैसियत अख्तियार कर सकता है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपने पूरे प्रकरण में देखा और जैसा मैंने कहा कि मुख्य मंत्री और नेता सदन बिल्कुल पर्यायवाची हैं । दोनों एक ही शब्द हैं ।

श्री सूरजपाल पाण्डे–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप चर्चा करवा रहे हैं, न तो तिवारी जी को हम हटा सकते हैं और न तिवारी जी मानने को तैयार हैं (हंसी) सन् 70 में जो इन्होंने बयान दिया है वह सही है आज भी इनसे वही बयान दिलवा दें तो मामला साफ हो जाए ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

जल्दी खत्म करें ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, व्यवधान की वजह से दिक्कत पड़ जाती है मैं निवेदन कर रहा था कि यही परम्परा है और नेता सदन और मुख्य मंत्री का एक व्यक्ति होना उचित भी है । यही परम्परा भी है । इसमें दूसरी कोई चीज सोची नहीं जा सकती है । अगर दूसरी कोई बात होती है तो बहुत सी बाधायें पड़ने की शंकायें हैं । जो एक्ट का हवाला दिया है जो टेन्थ शिड्यूल का हवाला दिया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है । हारमोनियस कान्सट्रेक्शन होना चाहिए । टेन्थ शिड्यूल और जो रूल्स बनाये गये हैं उसमें जो परिभाषा दी गई है उसमें कहा गया है कि हारमोनियस कान्सट्रेक्शन होना चाहिए । कानून में संविधान की सुपरमैसी में कहीं कानफ्लिक्ट नहीं है । जो लीगल प्राविजन संविधान में है उसमें दिया गया है कि 6 मन्थ तक कोई बाधा नहीं पड़ सकती है । उसकी लाइट में अगर इन्टरप्रेट करें तो साफ जाहिर होता है कि जो कानफ्लिक्ट है वह डिजाल्व हो जाता है । कहने का मतलब यह है कि नेता सदन और मुख्य मंत्री एक व्यक्ति हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपा करके बैठें ।

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, एक बात कहना चाहूंगा । 177 को आप देखें उसमें कहा गया है---

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं बहुत हो गया ।

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह–

वह आदमी जो खुद शीशे के घर में बैठा हो उसे दूसरों पर कंकड़ नहीं फेंकने चाहिए । मैं कहना चाहता हूं जब आपका कोई ग्रुप नहीं है, जब आप लोगों का नेता नहीं है तो आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए ।

(व्यवधान)

विपक्ष की एकता की बात कही जाती है यह मुल्क की एकता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, क्या आपने हमारी सदस्यता को समाप्त कर दिया है दलबदल विधेयक के जरिये ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए, आप का भी नम्बर आयेगा ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, बड़े खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि कल जो कार्यवाही हुई और जब यह सवाल माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने उठाया कि सदन का आज कोई नेता नहीं है तो मान्यवर, कल उस सवाल को नहीं सुना । पिछली परम्परायें आप देखेंगे तो सन् 70 में और सन् 81 में जब-जब सवाल उठा तब इस सवाल को तरजीह दी गयी और उसका निपटारा किया गया । यह अलग बात है कि वह कुछ सम्मानित सदस्यों के अनुकूल रहा हो या नहीं । श्रीमन्, आज भी हो सकता है कि आपका जो फैसला है वह हमारे बहुत से साथियों के अनुकूल न पड़े लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि कभी-कभी जो इस ढंग के मूलभूत प्रश्न आते हैं, जैसे सदन के नेता का सवाल कल उठा, उस पर आपका फैसला पहले होना चाहिए था । उसको आपने आज के लिये रख दिया । हम लोगों को आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । श्रीमन्, जहां तक सन् 70 और सन् 81 में जब यह सवाल उठाया गया तो उस समय जो सम्मानित अध्यक्ष महोदय थे, उनके फैसले हैं । उन फैसलों पर अगर गौर करें तो इस सवाल की अहमियत और इस सवाल के बारे में जो लोकतंत्र के प्रति निष्ठा उन लोगों ने प्रकट की थी वह स्पष्ट हो जाती है ।

सन् 70 में श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने जब यह सवाल उठाया था तो उसकी अपनी अहमियत थी और इससे लोकतंत्र के मजबूत होने की बात थी । मान्यवर, अध्यक्ष महोदय ने जो उस समय निर्णय दिया था वह उसके प्रतिकूल नहीं था । यह बात बिल्कुल सही है कि जहां तक उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली का प्रश्न है उसमें इस सवाल के बारे में स्पष्ट रूप से कोई धारा नहीं है । लेकिन मान्यवर कोई जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक परम्परा में हर चीज हर जगह पर लिखी हो । हमको ऐसे मामलों में जहां पर नियमावली में स्पष्ट रूप से कोई बात न लिखी हो तो उससे आगे जाकर देखना पड़ता है और लोक सभा जो भारतवर्ष का सर्वोच्च सदन है उसकी प्रक्रिया और उसके कार्य संचालन नियमों को देखना चाहिये । मान्यवर, जब यह सवाल लोक सभा में 1960 में और जब प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी बनीं थी, उस समय उठा था और यह स्पष्ट हो गया था वहां की जो प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री भले ही हो लेकिन वह सदन का नेता नहीं हो सकता जब तक कि वह लोक सभा का सदस्य न हो और लोक सभा के सदस्यों का वह नेता न हो । तो मान्यवर, बिल्कुल स्पष्ट नियमावली वहां पर है । ऐसी स्थिति में जब हमारी उत्तर प्रदेश की नियमावली स्पष्ट नहीं है, तो हम लोगों को लोक सभा की नियमा-

वली का अनुपालन करना चाहिए । उस वक्त की परिस्थितियों में, जो 1970 और 1981 में थीं या जो 1966 में थीं या जो अब तक थीं, जब तक कि 1987 में नियमावली नहीं बनी थी, तब तक परिस्थितियां अलग थीं, यद्यपि उस समय भी जो परिस्थितियां थीं, उस समय की परिस्थितियों में माननीय अध्यक्षों के निर्णय हुए, उससे भी यह स्पष्ट है कि सदन नेता को सदस्य होना लाजिमी है । इसको वह मानते हैं कि सदन का नेता होने के लिए सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जब से यह नियमावली बनी गयी है, तब से आप देखेंगे कि उसकी प्रत्येक धारा में आपको मिलेगा कि जब तक वह दल का नेता सदस्य नहीं है, तब तक वह सदन का नेता नहीं हो सकता है और जब से 52वां संशोधन किया गया है, तब से इसका अनुपालन हो गया है । श्रीमन्, जहां पर हमारी नियमावली काम है, वहां पर अध्यक्षों ने बराबर इस बात को स्वीकार किया है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सदन के नेता को सदन का सदस्य होना अनिवार्य है । अभी माननीय लाल प्रताप सिंह पता नहीं कहां से पढ़ रहे थे, इसमें तो यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी विधान दल के संबंध में नेता का तात्पर्य उस दल के ऐसे सदस्य से है, जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

इसका मतलब कि पालिटिकल पार्टी नहीं, तो यह कौन सी पार्टी होगी ?

श्री कौशिक रमाशंकर–

माननीय जाहिदी साहब, आप जरा सवाल को गौर से सुन लें । इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी विधान दल के सम्बन्ध में नेता का तात्पर्य उस दल के ऐसे सदस्य से है, जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है । इसमें विधान दल के संबंध में ही है । इसलिए जाहिदी साहब आप जरा अपने को सुधार लें । ऐसी स्थिति में जो सवाल माननीय तिवारी जी ने और अन्य सदस्यों ने उठाया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है । सवाल तिवारी जी के सम्मान के खिलाफ उठाने का नहीं है, बल्कि सवाल इस बात का है कि हम अपने संविधान के अनुरूप और हम जो फैसला करते हैं, उसके अनुरूप हम चलने के लिए तैयार हैं या नहीं । माननीया श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधान मंत्री बनी थीं, उस समय वह लोक सभा की सदस्य नहीं थीं । उस समय नेता के रूप में सिन्हा साहब का नाम रखा गया था । इसमें श्री तिवारी जी के सम्मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि हम अपने को नियमों में बांध कर रखना चाहते हैं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री सरदार सिंह को बोलने के लिये पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय, मुझे भी दो मिनट का मौका दे दें ।

मान्यवर, जब से आप इस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं, तब से आज तक यह जो बहस चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण है, पूरे प्रदेश की जनता की नजर आपकी तरफ है। संसदीय परम्परा, संविधान, नियमावली और हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स की जितनी रूलिंग्स हैं, वह उसी प्रकार हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के सामने भैंस के आगे बीन बजाना है। मान्यवर, अन्धे के आगे रोना अपनी आंखे खोना।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्यक्ष–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

यह बहस कब तक चलायेंगे अभी तो 2 बजने वाले हैं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, जब भी कोई बोलता है तो पीठ की ओर मुंह करके बोलता है।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, तिवारी जी ने, गुप्ता जी ने, शतरूद्र जी ने, अपने तर्क से यह सिद्ध कर दिया है कि तिवारी जी न इस सदन के नेता हैं और न मुख्य मंत्री है। मान्यवर, [xxx] यह 4 बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं अगर इनमें कोई अपना वजूद होता तो यहां न आते। इसलिए आज जिस तरह से डाक्टर शंकर दयाल शर्मा ने राज्यसभा में अपना उत्तरदायित्व निभाया और जिस आदर से, जिस वीरता और जिस नैतिकता का सहारा लेकर कांग्रेसियों और कांग्रेस के आलाकमान को फटकारा राज्य सभा के अन्दर आज वही समय है आपके लिए कि आज आप विधि की रक्षा करें, कानून की रक्षा करें, इस सदन की गरिमा रखें तो प्रदेश के अन्दर रूल्स आफ जंगल हो जायेगा। कोई नियम कानून नहीं चलेगा। आज आप इस सदन से [xxx] मुख्य-मंत्री को हटायें।

(व्यवधान के मध्य)

शिक्षा खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सरदार सिंह जी, आप बैठें। (व्यवधान) आप जो बोल रहे हैं मेरे बिना इजाजत बोल रहे हैं।

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जो शब्द माननीय सरदार सिंह जी ने प्रयोग किये हैं, कृपया उसको कार्यवाही से निकलवा दें और आपके माध्यम से सरदार सिंह जी से अनुरोध है कि जो भाषा बोलें वह संयत भाषा बोलें। (व्यवधान)

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

सरदार सिंह जी, आप बैठिये, आप जो कुछ बोलेंगे वह नहीं लिखा जायेगा ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैंने कल ही इस औचित्य के प्रश्न को श्रीमान जी की व्यवस्था के लिए प्रस्तुत करते हुए कल्पना की थी कि आप कल ही उस पर विचार करेंगे (व्यवधान) कल एक ऐसा व्यक्ति नेता सदन की कुर्सी पर बैठा हुआ दिखा था जो इस सदन का सदस्य नहीं था । और इसीलिए कल मैंने इस बात की अपेक्षा की थी कि आप अपनी व्यवस्था देंगे कल आप किन परिस्थियों में व्यवस्था नहीं दे सके । ऐसी कौन सी कमजोरी आ गयी थी जो इस प्रश्न को जो आज के लिये टाल दिया गया और कल जो सदन की कार्यवाही हुई, वह नेता विहीन सदन में हुई और इसीलिये कुछ लोगों को कार्यवाही की वैधता पर प्रश्न करने का अवसर मिला । कुछ लोगों ने उस व्यक्ति को नेता सदन कह दिया । निश्चित रूप से भूल से कुछ लोगों ने नेता सदन कह दिया । तो भूल से एक बार नहीं दस बार कह दिया जाय तो क्या गलत को सही मान लिया जायगा । कोई बात नियम और संविधान के विपरीत कह दी जाय तो मान्यवर, वह नियम नहीं बन सकती उसे कितनी ही बार और कितने ही लोगों द्वारा क्यों न कहा गया हो ।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)–

मान्यवर, क्या कल सभी ने नेता सदन गलती से कह दिया । जितने सम्मानित सदस्यों ने नेता सदन कहा, क्या सभी ने गलती से कह दिया ?

(व्यवधान)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मा0 सदस्य श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने बहुत विस्तार से इस प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त किये । मैं उनसे केवल एक असहमति व्यक्त करते हुए कि जैसा कि उन्होंने परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि मा0 नारायण दत्त तिवारी ने 1970 में 7 दिसम्बर को यह प्रश्न उठाया था, उस समय की परिस्थितियों और इस समय की परिस्थितियों में अन्तर नहीं है, अपनी बात कहना चाहता हूं । जिस समय मा0 तिवारी जी ने यह प्रश्न उठाया था उस समय यह मात्र कुछ व्यवस्थाओं का प्रश्न होगा, प्रथाओं का प्रश्न होगा या संसदीय मान्यताओं का प्रश्न होगा, लेकिन आज यह नियम बन चुका है और इसीलिये उस समय की परिस्थितियां आज से भिन्न थीं । जिस समय कोई स्पष्ट नियम न हो, कोई कानून न हो, उस समय की परिस्थितियां आज से भिन्न थीं । जिस समय कोई स्पष्ट नियम न हो, कोई कानून न हो, उस समय निर्णय देने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन मान्यवर, आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं, आप भी नियमों और परम्पराओं से बंधे हैं । मैं अपनी बात को बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं और उस तरफ के बैठे हुए बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मा0 तिवारी जी के प्रति उनके हृदय में जो आत्मीयता व श्रद्धा

है मेरे हृदय में भी उनके प्रति वही श्रद्धा है, लेकिन क्या किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा होने से सदन की गरिमा को नष्ट होने देंगे । मैं वहीं से अपनी बात आरम्भ करता हूं । जो व्यक्ति संसदीय परम्पराओं में विश्वास करता है, जो स्वयं जिस आचरण की दूसरों से अपेक्षा करता है, उससे भी वैसा ही दूसरों के साथ भी व्यवहार अपेक्षित है । इसलिये मैं विश्वास करता हूं कि अब सदन में इस पर चर्चा होगी तो मा0 तिवारी जी, जिन्होंने 7 दिसम्बर, 1970 को स्वयं यह प्रश्न उठाया था, जिन्होंने तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री टी0 एन0 सिंह के सदन में नेता सदन के रूप में बैठने के बारे में आपत्ति की थी कि उन्हें मुख्य मंत्री के रूप में मान्य नहीं किया था और न इस रूप में संबोधित ही किया था, मेरा विचार था कि शायद इस चर्चा के समय वे स्वयं सदन छोड़कर चले जायेंगे । मैं देख रहा हूं कि संभवतः इसी बात को समझकर मा0 तिवारी जी सदन छोड़कर चले गये हैं । मुझे संवैधानिक परम्पराओं के ज्ञाताओं को देखते हुए इन संवैधानिक प्रक्रियाओं और परम्पराओं को देखकर एक शेर याद आता है "सारे गुलशन का चलन चाहे बिगड़ जाय लेकिन बदचलन होने से खुशबू तो बचा ली जाये" । हम सभी विधान सभा सदस्य इसकी परम्पराओं को बचाने के लिये यहां बैठे हैं । यहां शोर शराबे से कुछ नहीं होगा । मैं अपनी बात पर बल देने के लिये नियमों का हवाला देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा. .

श्री अध्यक्ष–

आप बहुत लम्बी बहस न कीजिये । जरा संक्षेप में बतावें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, 1970 में संविधान संशोधन नहीं हुआ था, अब हो गया है । बावनवें संविधान के बाद परिस्थितियां बदल गयी हैं और दल-बदल विधेयक भी बन चुका है । पहले नहीं था लेकिन अब तो दल बदल विधेयक बन चुका है ।

श्री अध्यक्ष–

कोई नयी बात बतायें, यह सब तो कहा जा चुका है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

उस नियमावली को इस आदरणीय सदन ने स्वीकार किया उसमें सदस्य की परिभाषा दी गयी है और उसके अनुसार "सदस्य" का तात्पर्य सदन के सदस्य से है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, यह सब तो कहा जा चुका है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इस नियमावली की धारा 2 (च) में लिखा है "किसी विधान दल के संबंध में नेता का तात्पर्य उस दल के ऐसे सदस्य से है जिसे उस दल ने अपना नेता चुना हो और वह उसके अन्तर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी है जो उसकी अनुपस्थिति में इस नियमावली के प्रयोजनार्थ उस दल के नेता के रूप में कार्य करने या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये उस दल के द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है ।"

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

(श्री सूर्यप्रताप शाही, श्री गौरी शंकर भइया के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने सूर्य प्रताप शाही जी को बुलाया है । माननीय ब्रह्म दत्त जी अब आपकी बात हो गयी, आप बैठें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, व्यक्ति की दलीय निष्ठा बदल सकती है, स्वयं तिवारी जी की दलीय निष्ठा बदली है, पहले वे इधर बैठते थे अब उधर बैठे हैं । पूरे प्रदेश में कांग्रेस की हालत खराब हो रही है इनकी दलीय निष्ठा भी बदल सकती है । दल बदल कानून इसी आशय से बनाया गया था कि कोई दलीय निष्ठा बदल कर इधर से उधर न पहुंच सके । लेकिन जो व्यक्ति किसी सदन का सदस्य नहीं है वह अपनी दलीय निष्ठा बदल सकता है, माननीय तिवारी जी उधर से इधर आ सकते हैं फिर इन सामने बैठे बंधुओं पर क्या गुजरेगी ? इसलिये दल बदल विधेयक के नियम उन पर भी लागू हैं और वह उससे मुक्त नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें । मा0 शाही जी आप अपनी बात कहें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, इसलिए जो स्टेट्यूटरी प्राविधान किया गया है उससे आप भी बाध्य हैं, आप डिस्क्रियेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

जहां तक परम्पराओं का प्रथाओं का प्रश्न है, माननीय चौधरी चरण सिंह जी जब यहां मुख्य मंत्री थे, तब का भी उदाहरण आपके सामने है, उस समय रामचन्द्र विकल जी को नेता सदन स्वीकार किया था । श्रीमती इंदिरा गांधी जी का इसी तरह का मामला था वे राज्य सभा की सदस्या थीं लोक सभा की नहीं किन्तु प्रधान मंत्री थीं । इसलिए लोकसभा में भी श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह को नेता सदन के रूप में स्वीकार किया था । मान्यवर, नारायण दत्त जी दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं हैं इस-लिए मेरा निवेदन है कि इनको नेता सदन के रूप में कार्य न करने दें इस पर सुनिश्चित व्यवस्था दें जैसा कि रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने सुझाव दिया है इस पर एडवोकेट जनरल से परामर्श कर सकते हैं । लेकिन जल्दी में इस पर कोई व्यवस्था न दें ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें, आपकी बात समाप्त हो गयी ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आज एक ऐतिहासिक संकट इस सदन में आया है कल से यह सदन बिना नेता के चल रहा है । मान्यवर, एक व्यवस्था है कि सदन का एक नेता हो और वह नेता इस सदन का सदस्य होगा लेकिन आज नेता विहीन यह सदन चल रहा है यह दुर्भाग्य की बात है । संवैधानिक नियमों और पहलुओं के बारे में विस्तार से माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने और ब्रह्म दत्त जी ने अपनी बात कह दी है । मान्यवर, संविधान सम्मत आज नेता इस सदन में नहीं है । मान्यवर, ऐसा ही ऐतिहासिक संकट बिहार में उत्पन्न हुआ, बिहार विधान सभा में इस पर चर्चा हुई और वहां पर मान्यवर विधान सभाध्यक्ष ने निष्पक्षता के साथ बड़े साहस के साथ व्यवस्था दे दी कि मुख्य मंत्री सदन के सदस्य नहीं हैं इसलिए सदन के नेता नहीं हो सकते ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाही जी संक्षेप में कहकर समाप्त करें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, संक्षेप में ही कह रहा हूं । बिहार विधान सभाध्यक्ष ने वहां के मुख्य मंत्री के बारे में यह व्यवस्था दे दी कि वे विधान सभा में सदन के नेता नहीं हो सकते । आज विधान सभा बिहार की चली है तो दूसरे नेता के नेतृत्व में चली मुख्य मंत्री कोई दूसरा है । मान्यवर, आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उससे हम लोगों को बहुत आशायें हैं, आप किसी दलीय दबाव के अन्तर्गत नहीं हैं।

मान्यवर, यह जो संवैधानिक पहलू माननीय रविन्द्र नाथ तिवारी जी ने बड़े विस्तारपूर्वक ढंग से उठाया है, उस पर बहुत बहस करने की जरूरत नहीं है मैं समझता हूं कि आप नेता सदन के अभाव में इस सदन को चला रहे हैं और कोई व्यक्ति नेता सदन की हैसियत से यहां पर मौजूद नहीं है । मान्यवर, मैं इन कांग्रेस लोगों से विशेषकर निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की जो परंपरायें हैं, जो मूल्यों में उस तरफ के लोगों द्वारा ह्रास किया जा रहा है, उस परिपाटी में यह एक कदम और आगे बढ़ाया गया है । यह अत्यन्त दुर्भावपूर्ण बात होगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत बिना नेता निर्वाचित किये हुये सदन बनाया जाये । मान्यवर, मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जब इस तथाकथित नेता सदन को चुना गया, तो वह स्वयं यहां पर मौजूद नहीं थे, उस समय वह लन्दन में थे और इनकी पार्टी के जो 250 के लगभग के सदस्य हैं, उसमें से केवल 50 लोग ही यहां पर मौजूद थे । मैं पूछना चाहता हूं कि केवल 50 लोगों ने 250 लोगों के नेता का चुनाव कैसे कर लिया, यह भी बहुत बड़ा पहलू आज हमारे सामने खड़ा है । मान्यवर, आज आप ऐसी व्यवस्था दें जो लोकतांत्रिक संसदीय प्रक्रिया की रक्षा करे और लोगों के लिये एक मिसाल हो सके । मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस पर शीघ्र अपना निर्णय देंगे, धन्यवाद ।

*श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय रविन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो प्रश्न आज यहां पर उपस्थित किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है । श्रीमन्, माननीय तिवारी जी संविधान के ज्ञाता हैं और अभी हमारे माननीय लाल प्रताप सिंह जी बोल रहे थे ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हम लोग केवल एक बात जानना चाहते हैं कि क्या आज सत्तारूढ़ दल के लोग, जो नियमावली बनी हुई है, उसको मानते हैं या नहीं ? मान्यवर, नियमावली के नियम 2(च) में लिखा हुआ है कि नेता का तात्पर्य उस दल के ऐसे सदस्य से है, जिसे उस दल ने अपना नेता चुना हो, माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने इसी बात पर अपना जोर दिया था कि किसी भी राजनैतिक दल के सदस्य को विधान मण्डल का नेता चुन सकते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय लाल प्रताप सिंह जी का ध्यान नियमावली के नियम 2 (छ) की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें सदस्य का तात्पर्य, सदन के सदस्य से है और वही व्यक्ति विधान मंडल का नेता हो सकता है, जो सदन का सदस्य होता । मान्यवर, मेरा निवेदन है और जैसा इन्होंने कहा कि सदन का नेता और मुख्यमंत्री पर्यायवाची शब्द हो गये हैं जो अलग नहीं हो सकते । मान्यवर, नियमावली बनकर आ गयी है, जिसके हिसाब से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी इस सदन के नेता नहीं हैं और माननीय लाल प्रताप सिंह जी के अनुसार यह मुख्यमंत्री नहीं हो सकते । मुझे दूसरी बात आपसे कहनी है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की हम लोग बहुत इज्जत करते हैं और बार-बार विधान सभा के अन्दर ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिक्र होता है । श्रीमन्, आप जानते हैं कि ब्रिटिश संविधान लिखित नियमों की अपेक्षा परम्पराओं और नैतिक मूल्यों पर ज्यादा आधारित है और उन मूल्यों की रक्षा करने के लिये जब हाउस आफ कामन्स में झगड़ा चल रहा था, तो उस समय वहां के जो स्पीकर्स हुआ करते थे, उन्होंने उन मूल्यों की रक्षा करने के लिये अपने जीवन की आहुति तक दे दी थी । आज उन्हीं सारे मूल्यों, परम्पराओं की रक्षा का सवाल आपके सामने इस विधान सभा में उपस्थित हो गया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के उन लोगों का आप अनुसरण करेंगे, जिन्होंने इन मूल्यों की रक्षा के लिये अपने जीवन की आहुति दी । हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में महाधिवक्ता को सम्मन कीजिए और आप को यह अधिकार हासिल है, कि आप उनसे इस बारे में राय ले लीजिये । श्रीमन्, जब तक यह मामला हल नहीं हो जाता, तब तक के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को मुख्यमंत्री और नेता सदन की सुविधाओं का पालन करने से वंचित कर दिया जाये ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, नेता सदन के प्रश्न पर तमाम वरिष्ठ साथियों ने जो अपने तर्क यहां पर रखे हैं, उनसे मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं । मैं सिर्फ 3 बातें कहना चाहता हूं । पहला, सदस्य कौन हो सकता है ? सदस्य के बारे में जिन नियमों को एडाप्ट किया गया है, उसके नियम-2 (छ) में स्पष्ट दिया गया है कि "सदस्य का तात्पर्य सदन के सदस्य से है और नियम–2(च) में दिया गया है कि "किसी विधान दल के संबंध में "नेता" का तात्पर्य उस दल के ऐसे सदस्य से है जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है और उसके अंतर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी है जो उसकी अनुपस्थिति में इस नियमावली के प्रयोजनार्थ उस दल के नेता के रूप में कार्य करने या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये उस दल के द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है ।"

श्री अध्यक्ष–

यह तो है ही ।

श्री राम आसरे वर्मा–

प्रारम्भ में ही कहा गया है । जो परंपरायें रखी गई हैं वह नियमों की तरफ संकेत करती हैं । सदस्य चुनकर आते हैं और तभी दल के सदस्य अपने-अपने दल के नेता को चुनते हैं । वरीयता क्रम निर्धारित करते हैं शपथ लेने के लिए । सामान्य निर्वाचन के बाद विधान सभा गठित हो जाने पर राज्यपाल द्वारा सदन का आह्वान किया जाता है । सदस्यगण आह्वान पत्र प्राप्त होने पर राज्यपाल द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर विधान सभा मंडप में समवेत होते हैं और इस तिथि से पूर्व राज्यपाल द्वारा इस संबंध में नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं । सदस्यों को शपथ लेने के निम्नलिखित क्रम में बुलाया जाता है :–

1. नेता सदन
2. नेता विरोधी दल
3. शपथ दिलाने के लिए नियुक्त अन्य व्यक्ति
4. मंत्रि परिषद् के सदस्य
5. महिला सदस्यों
6. शेष सदस्य जिलेवार ।

वरीयता क्रम में नेता सदन को रखने का तात्पर्य ही है कि सदस्य होना अपरिहार्य है । ये तीन बातें ही नेता सदन के लिए पर्याप्त हैं । यह इस बात को साबित करती है कि इस समय नेता सदन कोई नहीं है । 1970 में माननीय श्री तिवारी जी ने स्वयं इस बात को सदन में कहा था कि इस समय नेता सदन कोई नहीं है, मुख्य मंत्री हो सकता है, वह भी सरकार का मुख्य मंत्री हो सकता है । यही नेता विरोधी दल ने कहा था कि नेता सदन कोई नहीं है, मुख्य मंत्री अपनी सरकार का हो सकता है, लेकिन हम उसे मुख्य मंत्री मानने को भी तैयार नहीं हैं ।

(श्री हरदेव के खड़े होने पर श्री अध्यक्ष जी ने उन्हें बैठने के लिए कहा)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, इस गम्भीर और संवैधानिक मुद्दे पर आज से पहले भी मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से और आपके माध्यम से तथा इसी पिछले महीने की 27 तारीख को राज्यपाल महोदय से मिल करके हमने अनुरोध किया था कि इस संवैधानिक मुद्दे को 3 तारीख से पहले ही हल कर लें तो उचित रहेगा, परन्तु इस पर कोई विचार नहीं किया गया । सभी इसको जानते हैं कि यह कितना गम्भीर व संवैधानिक मामला है । यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि इस पर कोई शोरगुल की आवश्यकता हो । जो व्यवस्था आप इस पर देंगे वह भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन होगा, एक ऐसी व्यवस्था होगी जो आगे चलकर, जब हमारी विधान सभायें बनेंगी, सरकारें बनेंगी तो उस समय नेता सदन और मुख्य मंत्री के पदों का निस्तारण हुआ करेगा ।

और आज उस विषय को, जिसको मैंने पहले उठाया था, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के सम्बन्ध में उठाया है। दोनों ही व्यक्ति मेरी जानकारी में संविधान और लोकतान्त्रिक संसदीय परम्पराओं के मर्मज्ञ और ज्ञाता हैं। ऐसे लोगों ने इस प्रश्न को उठाया है। कल जब हमारी तरफ से यह प्रश्न उठाया गया तो आपने हमें रोक दिया और इस आधार पर रोक दिया कि इस विषय को कल लेंगे यद्यपि आपको पता है कि इससे पहले दिसम्बर, 1970 में जब यह प्रश्न उठाया गया था तो उस समय 7 दिसम्बर, 1970 को मा0 नारायण दत्त तिवारी जी इस सदन में प्रतिपक्ष के नेता थे। उस दिन भी कण्डोलेंस होनी थी

(व्यवधान)

लेकिन आपने अपनी बहस को बढ़ाते हुए और विषय की गम्भीरता को देखते हुए आपके ही कहे हुए शब्द, मान्यवर, आपके माध्यम से आपके ही हवाले कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि आदरणीय तिवारी जी अपने उन शब्दों की गम्भीरता को देखते हुए इसका जवाब देंगे। आपने कहा था

"यह सदन आज चल रहा है लेकिन यह बड़े आश्चर्य की बात है कि इस सदन का कोई नेता नहीं है। सदन-नेता की कुर्सी पर ऐसे महानुभाव बैठे हैं जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। इससे पूर्व कि सदन की कार्यवाही शुरु हो– प्रश्नोत्तर शुरु हों– मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आप सदन के नेता की व्यवस्था करें क्योंकि प्रश्नोत्तर के बाद कन्डोलेन्स के प्रस्ताव आयेंगे, उन पर विवाद की परिपाटी नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्रश्नोत्तर से पहले यह निर्णय हो जाये कि सदन का नेता कौन है? आज इस समय जो महानुभाव सदन-नेता की कुर्सी पर बैठे हैं, वह राज्य सभा के सदस्य थे और इस समय भी राज्य सभा के सदस्य हैं।" उस समय जो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी का प्रश्न था, वही परिस्थिति आज भी है कि आप राज्य सभा के सदस्य हैं और नेता-सदन की कुर्सी पर बैठे हैं। आगे उन्होंने कहा था–

"गवर्नर ने उनको चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाई है इसलिये फिलहाल काम चलाने के लिये चीफ मिनिस्टर वह हैं अपनी सरकार के, हम उनको चीफ मिनिस्टर नहीं मानते।" इसी प्रकार, हम भी आपको मुख्य मंत्री मानने के लिये तैयार नहीं हैं इसके आगे के दो सेण्टेन्सेज और पढ़ देता हूं। आपने कहा था–

"नेता सदन का कार्य वही कर सकता है जो सदन का सदस्य हो। सदन की परिपाटी क्या है, यह हमारी नियमावली में दी हुई है। नियम–3 में परिभाषाओं में दिया हुआ है–" सदन का तात्पर्य विधान सभा से है। "यह माननीय परम्परा सभी विधान सभाओं तथा लोक सभाओं में, हाउस आफ कामन्स में रही है कि नेता सदन उसी सदन का सदस्य होता है यानी हाउस आफ कामन्स का होता है, लोक सभा का होता है और विधान सभा का होता है।"

इसके आगे एक स्थान पर आपने कहा था—

"श्रीमन् लोक सभा में जब श्रीमती इन्दिरा गांधी राज्य सभा की सदस्या थीं तो उस वक्त वह प्रधान मंत्री चुन ली गयी थीं । मेरे पास उक्त वर्ष की प्रोसीडिंग्स भी रखी हुई हैं । मैं आपको बतला सकता हूं । श्री सत्य नारायण सिन्हा को लीडर आफ दि हाउस इण्ट्रोड्यूस किया गया था. . . .श्रीमन् मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुमत के नेता को सदन का नेता और चीफ मिनिस्टर मानते हैं । मैं कैसे मान लूं कि वे चीफ मिनिस्टर हैं ।" उसी आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी इस सदन के नेता हैं या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं मैं समझता हूं कि अगर उनमें नैतिकता होगी तो इसके आधार पर वह पीछे हटने की कोशिश नहीं करेंगे। इस विषय पर दो बार समस्यायें उठी थीं, एक बार 1970 में और दूसरी बार 1981 में मैं किसी बात की पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता हूं। जो हमारे सभी

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

माननीय सदस्य बहुत गम्भीरता के साथ इस पर अपना तर्क दे चुके हैं, मैं उस वार्ता को दोहराना नहीं चाहता हूं लेकिन सन् 1970 के बारे में जो प्रश्न यहां अभी उठाया गया उस समय आज का सत्ता पक्ष उस समय विपक्ष में था और 1981 में जब यह विषय उठा तब यह पक्ष सत्ता पक्ष में था और वह रथ विपक्ष में था और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उस समय हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री थे। दोनों समय की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए तमाम संसदीय परंपराओं का, कौल और शकधर की पुस्तक का, मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का हवाला दिया गया । उस समय माननीय तिवारी जी ने कहा था कि श्री टी0 एन0 सिंह उत्तर प्रदेश विधान सभा में सदन के नेता नहीं हो सकते हैं और इस संबंध में आपने अनेकानेक तर्क दिये । उसके बाद तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, उस समय के माननीय अध्यक्षों ने जो व्यवस्था दी, वह व्यवस्था ऐसी थी कि उससे उनके मन की स्थिति का साफ पता चलता है वह व्यवस्था ऐसी है जो इस बात को इंगित करती है कि क्या निर्णय होना चाहिये था ।

मैं केवल एक बात आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि 1970 में माननीय खेर साहेब ने अपना जो निर्णय दिया और 1981 में जो माननीय श्रीपति मिश्रा जी ने जो निर्णय दिया, उस समय दोनों की परिस्थितियां भिन्न-भिन्न थी । उस समय यदि कोई आधार था तो मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस का उदाहरण था । माननीय तिवारी जी ने अपने भाषण में उस समय इंगित किया था कि क्या परंपरा होनी चाहिए और इसके बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी के बारे में भी कहा था । उस समय मांग की गयी थी और उन्होंने कहा था कि हम नेता सदन श्री टी0 एन0 सिंह को नहीं मानते हम नेता सदन श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को नहीं मानते । जिस समय मा0 ए0 जी0 खेर ने निर्णय दिया तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की बात थी और उन्होंने कहा था कि नेता विरोधी दल द्वारा दिया गया सुझाव अन्य सदस्यों को उसे मानने के लिये मजबूर न होने के कारण नेता सदन के पद की स्टेट्यूटरी अधिकार नहीं है, यह प्रथा है, प्रथा का सवाल है । मैं कहना चाहता हूं कि उस समय इसका कोई

प्राविजन नहीं था । उन्होंने यह भी कहा था कि प्रथा चलती रहती है । हमारे संविधान ने आज्ञा दे रखी है कि कोई भी आदमी जो चुना नहीं गया हो, वह प्रधान-मंत्री बन सकता है, यह इंगित करने की बात नहीं है । फिर भी मैं इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करता हूं । प्रवर समिति को यह इसलिये सुपुर्द किया गया कि वह देखे कि यदि किसी को इस पर एतराज हो तो आगे के लिये नियम बन सकते हैं । लेकिन आज तक जो प्रथा रही है उसे जारी रखना चाहिये, समिति में लोक-तांत्रिक तरीके से इस पर विचार कर लिया जायेगा, ऐसा उन्होंने कहा।

मान्यवर, उन्होंने यह बात कही । अध्यक्ष जी ने यह कहा कि मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में लिखा है आलदो द इंस्टिट्यूशन इज मच आल्डर द लीडरशिप इज नाट ए स्टेट्यूटरी आफिस नार इज द लीडर. पहले नेता सदन कहीं भी परिभाषित नहीं था। उन्होंने कहा कि यह लीडरशिप और नेता का विषय जो है इसमें कोई लिखित उदाहरण नहीं है। यह परिभाषित होने के कारण नेता सदन उनको ही घोषित करना पड़ा । उस समय माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने अनेकानेक दलीलें दी और इनकी अनेकानेक दलीलों के बावजूद कि श्री टी0 एन0 सिंह इस सदन के नेता नहीं हैं, जबकि इनकी बात सही थी, उसे नहीं माना गया । श्री टी0 एन0 इस सदन के नेता नहीं हैं, यह आपकी सारी दलीलें थीं, और यह दलीलें आपकी सटीक होने के बावजूद स्वीकार नहीं की गयी थीं उस समय और इसी तरह से यही प्रश्न सन् 81 में भी उठाया गया। उस समय मा0 अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस पर नियम बनने चाहिए, इसीलिए आज भी आपसे यही अनुरोध किया जा रहा है कि अब वह समय आ गया है जो इस महत्वपूर्ण मसले को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ हल किया जाए, इसलिए इस पर यह कहना भी गलत न होगा कि यह जिम्मेदारी भी आप के ऊपर ही है । मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस तथा कौल व शकधर में भी पुरानी प्रैक्टिस के हवाले दिए गये हैं । सन् 85 के बाद जब हमारे यहां वह 52वां संशोधन विधेयक आ गया और माननीय अध्यक्ष जी आपने स्वंय इस संशोधन विधेयक को देखा, जिसे 18 जून, 87 से लागू भी कर दिया गया । इस विषय में संविधान के अनुच्छेद 208 में स्पष्ट रूप से कहा गया है :—

"(1) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया के तथा अपने कार्य-संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा ।

(2) जब तक खण्ड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहिले तत्स्थानी राज्य के प्रांतीय विधान मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे परिवर्तनों और अनुकूलनों के साथ जिन्हें, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष अथवा विधान परिषद् का सभापति करे, उस राज्य के विधान मंडल के संबंध में प्रभावी होंगे ।

बात की इजाजत दे रखी है कि बाहर का भी कोई आदमी चाहे चुना न गया हो, वह भी मुख्य मंत्री बन सकता है । अब मान्यवर, आखिरी लाइन है– "तो मैंने अपना फैसला दिया कि मुख्य मंत्री अब तक की प्रथा के अनुसार नेता सदन भी हैं और मुख्य मंत्री भी रहेंगे ।" यह फैसला माननीय ए0 जी0 खेर का है । मान्यवर, सन् 1977 में जब यहां पर राम नरेश यादव जी मुख्य मंत्री थे तो उनके लिये भी यह प्रश्न उठाया गया था । जनता पार्टी की सरकार इधर बैठी थी तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी इधर नहीं बैठते थे ? वह भी इस तरफ बैठे थे । क्या माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी इधर तशरीफ नहीं रखते थे ? वे भी यहां पर थे । नैतिकता यह थी कि माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी और माननीय राजेन्द्र गुप्त को भी इस्तीफा दे देना चाहिए था । उस वक्त भी यह प्रश्न उठाया गया था । . . . . (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

उस समय 1977 में यह नियम नहीं बना था । यह नियम 1986 में बना । यहां तो नियमों के पालन का सवाल है, परम्परा का नहीं है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मैं नियमों में ही आ रहा हूं । उसके बाद मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस की बात कही गई । मैं उसे नहीं पढ़ूंगा । तिवारी जी ने ए0 आर0 मुखर्जी की पार्लियामेंटरी प्रोसीजर इन इंडिया का हवाला दिया । उस वक्त माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने भी इसका हवाला दिया था । उन्होंने लिखा है–

इन इण्डिया द लीडर आफ द मैजारिटी, आई0 ई0 द गवर्नमेंट पार्टी, यूजअली द प्राइम मिनिस्टर आफ द चीफ मिनिस्टर, एज द केस मे बी, इज नोन एज द लीडर आफ द हाउस आफ व्हिच ही इज ए मेम्बर, यूजवली ए मिनिस्टर, मे बी नामिनेटेड बाई द गर्वनमेन्ट, पार्टी टु बो द लीडर आफ द हाउस, एण्ड दैट इज आलवेज़ डन ।

भारत में यह स्थिति है कि जहां पर गवर्नमेन्ट पार्टी का प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर होता है वही सदन का नेता होता है । ए0 आर0 मुखर्जी साहब ने जोर दिया है–दैट इज आलवेज डन । मुझे मुखर्जी साहब से यह बात कहनी है कि दैट इज नाट आलवेज डन । यह आंशिक रूप से सत्य है और आंशिक रूप से सत्य नहीं है । उत्तर प्रदेश में यह प्रथा रही है और नहीं भी रही है । मुखर्जी साहब को यह नहीं लिखना चाहिए था । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि तिवारी जी ने जो कहा है वह पार्टली करेक्ट है और पार्टली करेक्ट नहीं है । यहां पर जो मुखर्जी साहब ने कहा है वह पार्टली सही है और जो बात मैं कह रहा हूं वह भी पार्टली सही है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

अध्यक्ष जी, एक चीज बता दीजिये यह दो तिवारियों के बीच की लड़ाई है इसमें रिजवी साहब को कहां से ला दिया आपने । इन्हीं को जवाब देने दें ।

श्री अम्मार रिजवी–

तिवारी जी के शागिर्दों को पहले जवाब देने दो। तो जो बातें माननीय तिवारी जी ने माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने तथा और सदस्यों ने कही है उसमें जो बात कहनी है उस समय एंटी डिफेक्शन बिल नहीं था। इसके पास होने के बाद निश्चित रूप से स्थिति बदल गयी है क्योंकि उसमें संविधान का 10वां शेड्यूल नहीं था। मैं आपका ध्यान आर्टिकिल 191 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं–

191–डिसक्वालिफिकेशन्स फार मेम्बरशिप (1) ए पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाइड फार बीइंग चोजेन एज, एण्ड फार बीइंग, ए मेम्बर आफ दी लेजिस्लेटिव एसेम्बली आर लेजिस्लेटिव काउन्सिल आफ द स्टेट।

एक व्यक्ति डिसक्वालिफाइड किया जायेगा चुने जाने से। इसके भी दो हिस्से हैं इसमें लिखा है "बीइंग चोजेन"। इसके आगे (2) को इसके साथ देखना होगा।

(2) ए पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड फार बीइंग ए मेम्बर आफ द लेजिस्लेटिव एसेम्बली आर लेजिस्लेटिव कौंसिल आफ ए स्टेट इफ ही इज सो डिसक्वालिफाइड अण्डर द टेन्थ शेड्यूल।

जो डिस्क्वालीफाई किया जायेगा उसके लिये कहा है "फार बीइंग" यह बात उस व्यक्ति के लिये आती है जो इस सदन का सदस्य होगा जब तक वह इस सदन का सदस्य नहीं है वह इस परिधि में नहीं आता है। तो तिवारी जी इस परिधि में नहीं आते हैं (व्यवधान) जब एक कांस्टीट्यूशन डिसकशन हो रहा है तो मेरा अनुरोध है कि उसके लिये 5 मिनट का समय दें उसको सुनें। अगर मैं उसमें कोई गलत बात कहूं तो उसको कहा जा सकता है।

शेड्यूल टेन्थ के अन्दर उसको भी साफ-साफ कहा गया है–

सबजेक्ट टु द प्राविजन्स आफ सब-पैराग्राफ (2) आफ दिस पैराग्राफ, द चेयरमैन आर द स्पीकर आफ द हाउस में मेक रूल्स फार गिविंग इफेक्ट टु द प्राविजन्स आफ दिस शेड्यूल।

तो उसके रूल्स बनायेंगे। तो आर्टिकिल 191 (1) और (2) और टेन्थ शेड्यूल सब एक साथ हैं अलग-अलग नहीं हैं। यह एक साथ जुड़े हुये हैं आर्टिकल 191 (1) और 191 (2) दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। इंडिपेन्डेन्ट उसको नहीं सोच सकते हैं।

अब प्रश्न है यह सारी चीजें आ गयीं तो नारायण दत्त तिवारी जी यहां कैसे आ गये, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने लिखा है कि श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री नहीं हो सकते हैं। यह धारा 191 का 10 शेड्यूल जो है उसमें कहीं से भी जो पहले आर्टिकिल्स थे चाहे 164 या 163 या 177 रहे हों उसको कहीं से किसी तरह न कन्ट्रोल करते हैं न रिपील करते हैं बल्कि इंडिपेन्डेन्ट इक्जिस्ट करते हैं। मान्यवर, 164 के अन्दर इस बात का पूरा अधिकार गवर्नर को है कि किसी भी व्यक्ति को मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री एवं मंत्री बना सकता है और 6 महीने के अन्दर किसी न किसी हाउस का सदस्य हो जाना चाहिए।

(3) विधान परिषद् वाले राज्य में विधान सभा के अध्यक्ष तथा विधान परिषद् के सभापति के परामर्श करने के पश्चात् राज्यपाल, उन में परस्पर संचार संबंधी प्रक्रिया के नियम बना सकेगा ।''

इस प्रकार से इसमें बात स्पष्टतौर पर सामने आ गयी कि जब नियम हमारे बन गये तो उनको उसी रूप में संविधान के अनुसार प्रभावी भी करना होगा । इस प्रकार नियम तो हमारे बने, लेकिन उनको प्रभावी न करना और उन्हीं पुराने को मानते रहना यह संविधान का भी उल्लंघन है, यद्यपि हमारे संविधान में नेता सदन को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इस 52वें संशोधन में नेता सदन को स्पष्टतौर पर परिभाषित किया गया है, इसके खंड-2 से 4 में यदि हवाला देखना चाहें तो अवश्य देख सकते हैं । साथ ही इस 52वें संशोधन विधेयक में स्पष्ट रूप से यह भी परिभाषित किया गया है कि लेजिस्लेचर पार्टी वह है जो राजनीतिक पार्टी द्वारा चुनी गयी है । इसी प्रकार से नेता सदन, सदन का वही व्यक्ति हो सकता है जो उस सदन का सदस्य हो । इस पर हमारे माननीय साथियों ने जो तर्क नियमों के हवाले के साथ दिए हैं, मैं उनकी पुनरावृत्ति करना नहीं चाहता, लेकिन हर प्रकार से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी जो इस प्रदेश के मुख्य मंत्री और इस सदन के नेता महामहिम राज्यपाल महोदय के शपथ दिलाये जाने पर बने हैं, नियमों के विपरीत बने हैं क्योंकि श्री तिवारी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इसलिए यह इस आदरणीय सदन के नेता भी नहीं हो सकते हैं । इस संबंध में यदि आप चाहें तो महाधिवक्ता से राय लेना, तो वह भी कर सकते हैं, ऐसी जल्दी किस बात की है? कोई सरकार आपकी गिरने तो जा नहीं रही है। खूब सोच समझकर निर्णय लीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाये ।

श्री अम्मार रिजवी--

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही ध्यान पूर्वक सम्मानित नेता विरोधीदल, परम आदरणीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी और अन्य सम्मानित सदस्यों के भाषण को सुना । मान्यवर, मैं सबसे पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि तिवारी जी ने सबसे ज्यादा जोर जो दिया है, वह परम्पराओं और कन्वेंसन पर दिया है और खास कर ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी सिस्टम का हवाला दिया है । मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं और मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही काफी अध्ययन के बाद यह सारी चीजें सामने रखी हैं । मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी सिस्टम और इन्डियन पार्लियामेन्टरी सिस्टम की तरफ ।

आप जानते हैं कि हमारा संविधान एक रिटेन कांस्टीट्यूशन है, लिखित डाकूमेंट है जबकि ब्रिटिश पार्लियामेंटरी सिस्टम अनरिटेन परम्परा है । हमारा पार्लियामेंटरी सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंटरी सिस्टम से लिया गया है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि हर एक चीज लकीर के फकीर की तरह ली गई है । वहां पर क्राउन को पूरी तरह से सिम्बालिक हेड माना गया है और कोई दूसरे अधिकार उसको नहीं हैं, लेकिन आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भी सिम्बालिक हेड है लेकिन उनकी अमेरिका

के प्रेसीडेन्ट की हैसियत हो जाती है जब उसको इमरजेंसी पावर मिल जाती है। हमारे यहां पर जो बिल पास किये जाते हैं या कानून बनाये जाते हैं उनके खिलाफ कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है लेकिन क्या ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में किसी कानून के खिलाफ कोई कोर्ट में जा सकता है। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट तिवारी जी जानते हैं, उस के बारे में कहा जाता है कि अगर वह आदमी को जानवर बना दे और जानवर को आदमी बना दे, तो मुमकिन है। वहां पर अगर हाउस प्रोरोग हो जाता है तो कोई बिल खतम नहीं होती है लेकिन यहां समाप्त हो जाता है। मान्यवर, यहां राज्यपाल आते हैं तो अपना भाषण देते हैं लेकिन क्राउन अपना एड्रेस खुद भेज सकता है और वह पढ़ा जा सकता है वहां यह भी परम्परा है कि हाउस आफ कामन्स के सदस्य हाउस आफ लार्ड्स में जाते हैं और वहां पर खड़े रहते हैं। वहां पर मार्शल अगर किसी के पास जाता है और उसको छू लेता है, तो यह समझा जाता है कि मैक्जिमम फोर्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मार्शल को यहां पर जबरदस्ती करनी पड़ती है, तो यह परम्परायें हैं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अम्मार रिजवी साहब लम्बी बहस में पड़ गये हैं। मुख्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, वह कह दें कि जो कुछ हुआ है, वह सही हुआ है, जो मैंने पहले कहा है, वह गलत है, तो मान लूंगा।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, राणा जी प्रधानाचार्य भी रहे हैं और मेरा भी यही पेशा रहा है, लेकिन वह आगरा के सबसे पढ़े लिखे आदमी हैं, इस बात को मान लेना चाहिए। मान्यवर, मैं कन्वेंशन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1963 में यहां पर जब सुचेता जी मुख्य मंत्री थीं, आपकी पीठ से निर्णय दिया गया था, रूलिंग दी गयी थी कि नेता सदन और मुख्य मंत्री एक हो सकता है। 1970 में जब टी0 एन0 सिंह थे, तब भी यही रूलिंग दी गयी थी। 1970 की बात कहना चाहूंगा। तिवारी जी उस रूलिंग को पढ़ें, खैर साहब के निर्णय को पढ़ा, लेकिन उसके बीच में जो है, उसको नहीं पढ़ा, उसका जो आपरेटिव पार्सन है, उसको बड़ी खूबसूरती के साथ ओमिट कर गये, जिस प्रकार से एक वकील रूलिंग का वही पोर्शन पढ़ता है, जिसकी उसको जरूरत होती है। मैं आपके माध्यम से 3-4 लाइनें पढ़ना चाहता हूं। "अब फैसला मुझे देना है, जो आपने प्रस्ताव रखा उसकी मंजूरी किसी ने दी नहीं है। मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में मुझे फैसला देना आवश्यक हो गया है। मैंने कल भी कहा था कि नेता सदन, यह कोई स्टेटुटरी अधिकारी नहीं है। यह प्रथा का सवाल है और यह प्रथा बदलती गयी है, इंग्लैंड में भी। तिवारी जी ने खुद भी कहा है कि सन् 42 में लीडर आफ दि हाउस और प्राइम मिनिस्टर एक हुआ करते थे लेकिन 42 के बाद स्थिति बदल गई है। उन्होंने भी इसका हवाला दिया है। आगे उसमें लिखा है–मैं समझता हूं कि हमारे यहां और इंग्लैण्ड के प्रोसीजर में भिन्नता है। इंग्लैंड में यह है कि एक हाउस का सदस्य दूसरे हाउस में बोल नहीं सकता। हमारे यहां चाहे सही किया हो या गलत, संविधान ने इस

मान्यवर, हम कसम खाते हैं, संविधान है उसकी कसम खाते हैं, संविधान क्या है, संविधान बहुत सी धाराओं का मिला जुला रूप है। संविधान कोई अलग-अलग धाराओं/आर्टिकिल्स का नाम नहीं है। इसलिये आप कहें कि एक आर्टिकिल हम मानते हैं और एक नहीं, तो यह बात सही नहीं होगी। मान्यवर, तिवारी जी धारा 191 को मानते हैं तो उनको धारा 164 को भी मानना पड़ेगा। उन्होंने पत्र में लिखा है कि श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री नहीं हो सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे नहीं हो सकते हैं। इसका मान्यवर, आप निर्णय करें।

अब नेता सदन कैसे हो सकते हैं चूंकि श्री नारायण दत्त तिवारी सदन के मेम्बर नहीं हैं। कैसे नेता सदन हो सकते हैं यह प्रश्न आप उठायेंगे ? इसलिये हो सकते हैं इसके संबंध में मान्यवर, मैं आपका ध्यान आर्टिकिल 177 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। आर्टिकिल 177 में लिखा है–

> 177–राइट्स आफ मिनिस्टर्स एण्ड एडवोकेट-जनरल एज रेस्पेक्ट्स द हाउसेज-एवरी मिनिस्टर एण्ड द एडवोकेट जनरल फार ए स्टेट शैल हैव द राइट टु स्पीक इन, एण्ड अदरवाइस टु टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स आफ, द लेजिस्लेटिव एसेम्बली आफ द स्टेट आर, इन द केस आफ ए स्टेट हविंग ए लेजिस्लेटिव कांउन्सिल, बोथ हाउसेज एण्ड टु स्पीक इन, एण्ड अदरवाइस टु टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स आफ, एनी कमेटी आफ द लेजिस्लेचर आफ व्हिच ही मे बी नेम्ड ए मेम्बर, बट शैल नोट, बाई वरच्यू आफ दिस आर्टिकिल, इनटाइटिल्ड टु वोट।

इस प्रकार आर्टिकिल 177 के अनुसार सारी कार्यवाही में मेम्बर की हैसियत रहेगी केवल वोट नहीं देंगे। वह कमेटी में जा सकते हैं। इसलिये श्री नारायण दत्त तिवारी बाई वरच्यू आफ दिस आर्टिकिल 177 इस सदन के मेम्बर हैं। संविधान जिसकी कसम खाते हैं और हमने खाई है, उस संविधान के एतेबार से इस सदन के मेम्बर और मुख्य मंत्री हैं, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं है।

*श्री जनार्दन प्रसाद भोला–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी जो उद्धरण दे रहे हैं उसमें कोई विवाद नहीं है। उद्धरण दे रहे हैं कि जो व्यक्ति आदरणीय सदन का चुना हुआ सदस्य नहीं है उसको राज्यपाल शपथ दिला सकते हैं, वह 6 महीने कार्य कर सकता है, मंत्री परिषद् की मीटिंग में भाग ले सकता है, उसकी साझेदारी हो सकती है, मुख्य मंत्री और मंत्री हो सकता है। प्रश्न यह नहीं है बल्कि प्रश्न है कि लीडर आफ दि हाउस, सदन का नेता नहीं हो सकता है, प्रश्न यह है। इसलिये संसदीय कार्य मंत्री इस आदरणीय सदन को गुमराह न करें। जो इश्यू, जो प्रश्न है वह यह है कि कोई व्यक्ति चुना हुआ नहीं है, वह सदन का नेता हो सकता है कि नहीं ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आपसे निवेदन करना है, आपको फैसला देना है, इन्होंने भी निवेदन किया है और मैं भी निवेदन किया है और मैं भी निवेदन कर रहा हूं और जो फैक्टस हैं उनको आपके सामने रख रहा हूं । अब मेरा अनुरोध आपसे है कि जो तर्क मेरा है उसके अनुसार निवेदन कर रहा हूं और अन्त में आपका फैसला शिरोधार्य होगा ।

(व्यवधान)

जहां तक संविधान का सम्बन्ध है, सिर्फ 226 के अन्तर्गत राज्यपाल के निर्णय को चैलेंज किया जा सकता है और वह तरीका को-वारन्टी रिट दायर करने का है । इसके अतिरिक्त इस सदन में अन्य कोई व्यवस्था नहीं है राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ जाने का । इसके अलावा जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, उसको बहुत ज्यादा ऊधर से कोट किया गया। उस पर इस रूल में पहले पृष्ठ पर 'एफ' में आप देखिये, उसमें लिखा है–"लीडर इन रिलेशन टू ए लेजिस्लेचर पार्टी, मीन्स ए मेम्बर आफ दि पार्टी चोजेन बाई सच पार्टी एज इट्स लीडर"। तो यहां पर जो बहस चल रही है, पार्टी जो है, उसका क्या मतलब है, यह इसके पहले आया है । उसमें आप यह भी देखेंगे कि टू ए लेजिस्लेचर पार्टी आया है । 'फ्रोम' का शब्द नहीं है 'टू' का शब्द है, टू ए लेजिस्लेचर पार्टी । यह कहा गया है कि पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर होगा. . . . (व्यवधान) विधान मण्डल पार्टी दल का होगा । इन्हीं रूल्स में है कि यदि यह रूल्स कांस्टीट्यूशन के किसी रूल से टकरा रहे हैं तो प्रिवेल कौन करेगा ?

श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या टकरा रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी–

आप लोग टकरा रहे हैं, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है । तो प्रिवेल कौन करेगा ? संविधान करेगा । इस चीज को आप लोग समझते हुए भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं, न समझने का दिखावा करते हैं ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

जब आप यह कह रहे हैं कि जो इसके विपरीत पड़ेगा, तो संविधान की धाराएं लागू होंगी । तो संविधान की धाराएं, जो नेता सदन के बारे में हैं, वह आप पढ़कर सुना दीजिए । नेता सदन का कहां डिफाइन किया गया है यह ही आप पढ़कर बता दें । हमारे कहने का मतलब यह है कि संविधान में उसकी कोई भी स्पष्ट व्याख्या नहीं है । ऐसी स्थिति में जो नियमावली है, उसके नियम लागू होंगे ।

श्री अम्मार रिजवी–

कौशिक जी ने हमारा और भी रास्ता साफ कर दिया । नियमावली की जहां तक बात है और कांस्टयूशन में जो बात है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है । यहां पर पार्टी का मतलब है पोलिटिकल पार्टी । अब फिर नेता किसको चुना जाएगा ? कांग्रेस विधान मण्डल दल में से चुनेगा, उसमें से चुना जाएगा । चुनेगा तो नारायण दत्त तिवारी जी को चुनेगा । यह उसका सदस्य चुना जाएगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

तब तो जय गुरूदेव पार्टी के किसी आदमी को लाकर बिठाल दें ।

श्री अम्मार रिजवी–

बात यह है कि यह सारा प्रकरण क्यों कहा गया ? टेन्थ शेड्यूल का जो इफेक्ट था, यह दल परिवर्तन का कन्ट्रोल करने का था । उसका उद्देश्य यह नहीं है कि नेता सदन को डिफाइन किया जाए, या 164 में क्या होगा या 177 में क्या होगा ? उसका एक सीमित क्षेत्र, एक सीमित उद्देश्य है कि किस तरह से दल परिवर्तन की स्थिति पर कन्ट्रोल होगा । इसमें विधान मण्डल दल को इस या अन्य किसी पार्टी को अधिकार दिया गया है कि वह अपने पार्टी के किसी सदस्य को नेता चुनें । वह 164 में चुन लिया गया और 177 में उसको अधिकार हासिल हो गया । जब ऐसी बातें आई हैं तो कोर्ट में भी इसे चैलेंज किया गया कि यह लीडर नहीं हो सकते हैं । तो इसमें श्री हरिशरण वर्मा जी, टी0 एन0 सिंह के मामले में इसको लेकर कोर्ट में गये, 1985 में गये और फिर 1987 में गये किन्तु हर मर्तबा फैसला यह हुआ कि यह जो कुछ हुआ है वह सही हुआ है । मान्यवर, यही बात माननीय तिवारी जी कह रहे हैं । मान्यवर, 2 अगस्त को इसी प्रकरण को लेकर, माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के प्रकरण को अदालत में लाया गया । श्री हरसरन वर्मा जी ने, जो इसमें रुचि रखते हैं उन्होंने केस दायर किया, उसमें जो फैसला हुआ है उसके बाद भी अगर कोई गुंजाइश रह जाती है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं । कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि–

सिन्स द सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी क्लीयरली लेड डाउन दैट ऐ पर्सन टू इज नाट ऐ मेम्बर आफ द लेजिस्लेटिव असेम्बली आर द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन स्टिल बी एपवाइन्टेड एज चीफ मिनिस्टर आर मिनिस्टर वी कैननाट टेक ऐ डिफरेन्ट व्यू एज द डिसीजन्स आफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइन्डिंग आन अस ।

जो व्यक्ति विधान सभा या परिषद् का सदस्य नहीं है वह भी मुख्य मंत्री नियुक्त किया जा सकता है–

इन व्यू आफ द एवव द कन्टेन्सन विथ रेसपेक्ट टू द सिटिंग एण्ड पार्टीसिपेशन आफ ए नान-मेम्बर इन द एसेम्बली हैज टू बी रिजेक्टेड ।

आखिर में कहा गया है–

एज सीन एवव ए पर्सन हू इज नाट ए मेम्बर आफ द एसेम्बली आर काउन्सिल कैन वी एपाइन्टेड एज चीफ मिनिस्टर अण्डर आर्टीकिल 1640 आफ द कान्सटीट्यूशन । तो यह कोर्ट में भी कहा गया है और परम्परा में भी है । माननीय नेता विरोधी दल

कल बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्य मंत्री नहीं मानता हूं । मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन उन चीजों को उसी लाइन में लाना चाहते हैं । जैसे बहुत सी चीजों में यह लोग हां, कहना चाहते हैं, लेकिन कहते नहीं हैं । कौशिक जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तो नकली दवायें भी असली हो गई थीं अब असली दवायें भी नकली हो गई हैं । सत्यपाल सिंह जी ने कल कहा कि मैं मुख्य मंत्री नहीं मानता ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं मुख्य मंत्री नहीं मानता हूं यह मैंने तिवारी जी के भाषण, जो 1970 में दिया गया था उसमें इन्होंने कहा था कि टी0 एन0 सिंह को मुख्य मंत्री कैसे मानें, तो मैं तो आपकी ही बात कह रहा हूं । संविधान में कहीं भी नेता सदन का जिक्र नहीं है । नियमावली के अन्दर इसका जिक्र है । टकराव का कहीं जिक्र नहीं है और नियमावली संविधान से ही बनी है ।

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने काफी चर्चा की । इन्होंने आप तक भी अपना प्रमाण पहुंचाया है उससे आप भी लाभान्वित हुए होंगे । माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने संसदीय मर्यादा का सवाल उठाया, नैतिकता का सवाल उठाया और औचित्य का सवाल उठाया है ।

यही सवाल हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने सन् 70 में उठाया था जब टी0 एन0 सिंह मुख्य मंत्री थे । यह विषय जो उठाया गया है यह औचित्य और संसदीय मर्यादाओं का है इससे हमारे संसदीय कार्य मंत्री को क्या लेना-देना है । यह तो एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं । मा0 रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की बात गलत साबित कर रहे हैं और सन् 70 में मा0 नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री के बारे में कहा था उसको गलत साबित कर रहे हैं । दोनों पर हमला है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय मैनेजर सिंह हमारे बुजुर्ग हैं, मैं क्या कह सकता हूं । मैं केवल दो मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं । मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माननीय नेता विरोधी दल ने ऐसी बात कही । जो व्यक्ति विधान मंडल दल द्वारा चुना गया हो, जिस व्यक्ति को माननीय राज्यपाल महोदय ने नियुक्त किया हो उसको वह मुख्य मंत्री मानने के लिये तैयार नहीं हैं । लेकिन हमारी शराफत देखिये कि हम बार-बार आपको नेता विरोधी दल कहेंगे चाहे कोई स्थिति हो, चाहे 2/3 लोग आयें या न आयें, हम आपको नेता विरोधी दल कहते रहेंगे । इस वजह से कहते रहते हैं कि माननीय सत्यपाल सिंह हमारे पुराने दोस्त हैं, सन् 74 में हम लोग साथ हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह--

आप जो मेरे बारे में कह रहे हैं, क्या आप मेरे ऊपर मेहरबानी दिखा रहे हैं। क्या मेरे अलावा और लोग यहां नहीं बैठे हैं। फर्क इतना है कि हम लोग आपसे दोस्ती का हाथ नहीं मिला रहे हैं इतनी बात है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह शेर हो गया।

फिर उसी बेवफा पे मरते हैं,
फिर वही जिंदगी हमारी है।

हम इससे कहां अलग होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे सदन की परम्परायें हैं और जो हमारे संविधान की धारायें हैं जो इस सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली है उस हिसाब से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी यहां पर नेता सदन भी हैं और मुख्य मंत्री भी हैं। यह दोनों एक हैं उनमें किसी प्रकार उनको अलग नहीं किया जा सकता।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री किरन पाल सिंह--

मान्यवर, हम लोग इसी वजह से बैठे हैं कि मुख्य मंत्री जी से कुछ कहलाइये। सन् 70 में जो कुछ कहा था तो आज उसी विषय पर क्या कहना चाहते हैं?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, वह तो रूलिंग के बाद कहेंगे। अभी तो आप उनको नेता मान ही नहीं रहे हैं।

श्री किरन पाल सिंह--

आज 88 में मुख्य मंत्री जी क्या कह रहे हैं?

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर मेजों की थपथपाहट।)

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

श्रीमन्, 36 वर्ष हुए मुझ सेवक को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि इस ऐतिहासिक सदन में एक सदस्य के रूप में आकर अपने को गौरवान्वित करूं और आज मैं अपने विधान मंडल के सभी सम्मानित सहयोगियों, सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझ अकिंचन सेवक को एक बार फिर यह मौका बिना अपना विश्वास व्यक्त करके कि मैं इस सदन की सेवा में फिर उपस्थित हो सकूं।

(मेजों की थपथपाहट।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इस समय जबकि मैं पहली बार इस स्थान से आपको संबोधित कर रहा हूं, इस सम्मानित सदन को संबोधित कर रहा हूं, मैं अत्यंत अपने को विनम्र और इस सदन की सेवा में अत्यंत झुका हुआ एक सेवक के रूप में अपने को देखता हूं। श्रीमन्, आप और आपके द्वारा प्रत्येक माननीय सदस्य का आशीर्वाद और सद्भावना चाहता हूं कि मैंने जिस पद की शपथ ली है उस पद की और साथ इस सदन की सेवा करूं। जो भार दिया गया है उसको भरसक उठा सकूं यही सद्भावना मैं चाहता हूं। श्रीमन्, प्रश्न जो इस समय उठा है, वह प्रश्न अवश्य ही एक ऐसा प्रश्न है, जिस पर कि एक चर्चा इस सदन में भी और सदन के बाहर भी समय-समय पर हुई है समय-समय पर इस पर विचार करने का अवसर मिला है। मुझे एक बात और भी बहुत शुभ दिखाई दी है कि इस बीच जब कि मैं तीन वर्ष तक इस सदन की सेवा में नहीं रहा, मैं देखता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्य चाहे इस तरफ के हों या उस तरफ के हों, उनमें संसदीय अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका मुझे बहुत सुखद अनुभव मिला है। पहले जो हमारे सम्मानित सदस्य तीखे थे, उनमें संसदीय पैनापन मुझे देखने को मिला। मैं उनको बधाई देता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

आपका पैनापन कम हुआ है या ज्यादा, यह भी बता दीजिए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, संसदीय पैनापन केवल सहमति लिया जाता है। श्रीमन्, मैं बहुत अनुगृहीत हूं अपने सम्मानित छोटे भाई सदस्य फैजाबाद का कि उन्होंने अपने अध्ययन में वृद्धि की है, संविधान का भी उन्होंने अध्ययन किया है और आज लगभग 17 साल बाद उन्होंने कृपा करके मुझ सेवक की बात, कि क्या मैंने 1970-71 में कहा था, उसकी तरफ याद दिलाया और उसे स्वीकार किया है। मैं उनसे यह भी आशा करता था कि 1970 के बाद 1988 में उन्होंने जब स्वीकार किया है, तो जब अगली बार वह हमारी बात को स्वीकार करेंगे, तो उन्हें 17-18 साल तक प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगी, बल्कि जल्दी ही स्वीकार कर लेंगे। यहां पर एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि जब कभी हम पुरानी कार्यवाही का उद्धरण प्रस्तुत करते हैं, तो यह देख लेते हैं कि यह पुनरीक्षित है या नहीं। मैंने अपना एक ढर्रा, अपनी एक पद्धति बनाई थी कि जिस किसी सदस्य का पुराना उद्धरण हम यहां पर उल्लेख करें, तो यह देख लें कि उस समय के वक्ता ने अपने भाषण को पुनरीक्षित किया है या नहीं। अगर माननीय सदस्य उस समय की कार्यवाही देखेंगे, तो वह देख लेंगे कि वह मेरा भाषण पुनरीक्षित नहीं था। उसमें यह लिखा है कि माननीय सदस्य ने भाषण को सही नहीं किया है। उसमें छपा है कि माननीय सदस्य ने अपने भाषण को पुनरीक्षित नहीं किया है। अगर आप किसी बात को उद्धृत भी करें, जिसके एक-एक शब्द का महत्व है, वहां इसका भी महत्व है कि वह अपुनरीक्षित भाषण है।

श्री शत्रुरुद्र प्रकाश—

उससे तथ्य नहीं बदल जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं सभी माननीय सदस्यों को यह सलाह दूंगा कि कृपया वे अपने भाषणों का पुनरीक्षण कर लिया करें, क्योंकि जो कठिनाई मुझे आज हो रही है अपुनरीक्षित भाषण पर, वह कठिनाई किसी माननीय सदस्य को भविष्य में न हो। इसका मुझे भरोसा है कि माननीय सदस्य अपने भाषण को पुनरीक्षित कर लिया करेंगे। श्रीमन्, अभी जब मुझे पोलैंड जाने का अवसर मिला, विदेश मंत्री होने के नाते मुझे कर्क यूनिवर्सिटी ले जाया गया। जब वहां कोपरनिकस और उनके विद्यार्थियों की बातें हो रही थी तो पहले उनका यह ख्याल था कि धरती गोल नहीं है, अर्धगोल है या चौकोर है या टेढ़ीमेढ़ी है लेकिन जब उन्होंने यह सिद्ध कर लिया कि धरती गोल है तो उनके विद्यार्थियों ने पूछा कि प्रोफेसर साहब आप तो 10 साल पहले कहा करते थे कि धरती गोल नहीं है और अब कहते हैं कि धरती गोल है यह क्या बात है ?

(मेजों की थपथपाहट)

तो इतने साल बाद आप कहते हैं कि धरती गोल है तो आप यह कैसे कह सकते हैं तो उस समय कह दिया कि धरती गोल नहीं है तो इस समय भी यही कहना चाहिए कि धरती गोल नहीं है आपने यह क्यों कह दिया कि धरती गोल है। इस प्रकार हमें अंदाजा हो गया है कि संविधान में हमारी परम्पराओं के अन्तर्गत जो मुख्यमंत्री होता है, वह सदन का नेता भी हो सकता है। मैं यह नहीं कह सकता कि उसको सदन का नेता होना लाजिमी है, लेकिन वह भी सदन का नेता हो सकता है और उसका कारण है और हमने स्वीकार किया, जब हमने सन् 71 में भी और 70 में भी श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष, श्री खेर की रूलिंग को स्वीकार किया, हमने वाकआउट नहीं किया, बहिष्कार नहीं किया। मुख्यतः श्री टी0 एन0 सिंह जी, आज वह नहीं हैं ईश्वर उनकी स्मृति को अमर रखे, उनको भी हमने मुख्यमंत्री कहा और उनकी रूलिंग को स्वीकार कर लिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम जो कह रहे थे उस समय की रूलिंग का उदाहरण माननीय संसदीय मंत्री जी ने पढ़ा।

मैं दूसरा उदाहरण रखना चाहता हूं जो माननीय श्री खेर ने मेरे प्रस्ताव पर उन्होंने उस समय कहा और जिसको मैंने स्वीकार किया। एक यह भी बहस है कि नेता सदन वह होता है जो सबसे अच्छा जानकारी रखे अपने विषय के बारे में। इस गवर्नमेंट के बारे में कौन मुझसे अधिक जानकारी रखता है यह खेर साहब की रूलिंग है। जो उसका नेता है, जो बहुमत दल का नेता है, उसको मुख्यमंत्री और नेता बना देते हैं। आप यह तो मानते हैं और उसको आप यह अधिकार देते हैं कि किसी अन्य को वह नेता मान्य कर सकता है फिर साधारण मंत्री को मुख्यमंत्री सदन का नेता बनाने का अधिकार प्रदान है तो स्वयं अपने को सदन का नेता क्या नहीं बना सकता। मुझे आश्चर्य यही अधिक आश्चर्य होती है कि मुख्य मंत्री गवर्नमेंट का सारा प्रोग्राम चलाने वाला होता है और सबसे ज्यादा जानकारी जिसे रहती है कि गवर्नमेंट का सारा प्रोग्राम है वही मंत्री फिर नेता बनाने में क्यों आपत्ति होती है। तो इसको पढ़िये फिर आश्चर्य है कि मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वह सदन के सदस्य, किसी भी माननीय सदस्य को लीडर आफ दि हाउस बना दे, यह

अधिकार है, यह कोई मैं नहीं कहता कि नेता ही उचित है, होता रहा है और शायद हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुख्य मंत्री हो और सवाल का जवाब न दें तो क्या यह अच्छा लगेगा। मुख्य मंत्री हो और सदन की तरफ से उत्तर न दें यह अशोभनीय है। जो सबसे अधिक शक्ति आपने दी है उसको हटा दें तो ठीक बात है लेकिन जब तक वह सरकार के लिए सदन का नेता रहेगा सदन के कार्यों के बारे में जवाब है, संवैधानिक है सदन की ओर से वह बहुमत दल का नेता होने के कारण वह मुख्य मंत्री है। मुख्य मंत्री होने के नाते सबसे अधिक जानकारी है।

मुख्यमंत्री सदन का नेता हो तो सदन की सेवा अच्छी हो सकती है, ज्यादा अच्छी हो सकती है। मेरा काम तो हल्का हो जायेगा आप कहिये तो मैं अपने किसी साथी को ...(व्यवधान) मान लीजिए, मेरा भार हल्का हो जायगा, लेकिन यह सदन की सेवा में अधिक व्यवहारिक है कि सदन का मुख्य सेवक 'मुख्य मंत्री सदन का नेता कहा जाय। एक और बात है, लीडर आफ दि हाउस क्या है? लीडर आफ दि हाउस... मुख्यमंत्री... क्या होता है? यह किसी का भी तर्क नहीं है कि लीडर आफ दि हाउस मुख्य मंत्री होता। ऐसा लगता है कि लीडर आफ दि हाउस का पद ऐसा पद है जो कि संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत सबसे अधिक महत्व का पद है।

श्री सत्यपाल सिंह—

हम ऐसा नहीं कह रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इसी संबंध में आप पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को कृपया देखें। आप देखें रिफाइनरी इन पार्लियामेंट, जो लीडर आफ दि हाउस आफ कामन्स होता है, उसके बारे में लिखा है—

"द मेम्बर आफ द गवर्नमेन्ट हू इज प्राइमरिली रिस्पान्सिबिल टु द प्राइम मिनिस्टर फार द एरेन्जमेंट आफ गवर्नमेंट बिजिनेस इन द हाउस आफ कामन्स इज नोन एज द लीडर आफ द हाउस। ही कन्ट्रोल्स द एरेन्जमेंट आफ बिजिनेस इन दैट हाउस इन लाइन इ प्रोग्राम एण्ड रिजोल्स आर सेटल्ड बाई द गवर्नमेन्ट बीफ हिवार।"

यानी जो पार्लियामेन्ट के मेम्बर का दायित्व सबसे अधिक है मेरे कार्य को करने का, वह लीडर आफ दी हाउस है। आप उसको मुख्य मंत्री माने या न माने। लेकिन मुख्य मंत्री के प्रति मान्यता होना सदन का। इसके बाद एक के बाद एक आप देखें, तमाम कोटेशन्स उपलब्ध हैं। मोरिसन ने कहा है:—

"द लीडर आफ द हाउस मस्ट बी, एण्ड इन ए स्टेट डिग्री क्लियर्ली, द कोर्स आफ आल प्रिन्सिपल मैटर्स आफ बिजिनेस, सुपरवाइजेस एण्ड कीप्स इन हारमोनी द एक्शन्स, आफ दिज मिनिस्टर्स, [illegible] प्रोसेजर एण्ड

एडवाइजेज द हाउस इन एवरी डिफीकल्टी एज इट एराइजेज, द डिटेल्स आफ दी एरेन्जमेन्ट आफ गवर्नमेन्ट बिजिनेस आर सेटिल्ड, सब्जेक्ट टू हिज कन्ट्रोल, बाई द चीफ हिज, एण्ड द लीडर आफ द हाउस एनाउन्सेज द बिजिनेस फार द फालोइंग वीक थर्सडे आफटर।

यह रिफरेन्स है "एक इन्साइक्लोपीडिया आफ पार्लियामेंट," छठी एडीशन, पेज 427-428 का। इसके अनुसार यह सारा काम तो संसदीय कार्य मंत्री भी देखते हैं। हमारे यहां ऐसी प्रथा नहीं है जो ब्रिटेन में है। वहां के मंत्री काउन्सिल में जाते हैं। हाउस आफ कामन्स के मेम्बर मिनिस्टर होने पर हाउस आफ लार्ड्स में स्वयं जाकर जवाब नहीं देते हैं। वहां की प्रथा दूसरी है, अपनी दूसरी। लीडर आफ दि हाउस की परिभाषा है हाउस का सेवक। वह सरकार के प्रोग्राम के बारे में, उसके कार्यकलापों के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में सदन में बताता है। उनको सदन के सामने रखता है। इसी प्रकार से आप हमारे यहां देखें। हमारे यहां भी नियमों में लीडर आफ दि हाउस का मतलब कहीं परिभाषित नहीं है। इसलिये उसको लचीला रखा गया है तथा नेता सदन की परिपाटी हमारे यहां कही गयी है, जो कि मा0 अध्यक्षों ने भिन्न-भिन्न नियमों के अंतर्गत कही है। मुख्य मंत्री ही नेता सदन का कार्य करता है।

इसी प्रकार श्रीमन्, बनारसी दास जी के समय में, जब वह स्पीकर थे, उस समय भी यह प्रश्न उठाया गया था। उस समय उन्होंने स्पष्ट रूलिंग दी, जब राम नरेश यादव जी मुख्य मंत्री थे। बनारसी दास जी ने जो रूलिंग दी उसमें स्पष्ट कहा गया है कि हमारी परिपाटी के अंतर्गत जो मुख्य मंत्री है, वही सदन का नेता है। उनकी रूलिंग 10 अक्तूबर, 1977 की है। जो व्यवस्था दी थी, वह इस प्रकार है :—

> "श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। सदन में परंपरायें अपना स्थान रखती हैं। यहां पर श्री चन्द्रभान गुप्ता सन् 60 के अंदर जब वह इस सदन के सदस्य नहीं थे, नेता निर्वाचित किये गये थे, पार्टी द्वारा। श्री टी0 एन0 सिंह—वह भी इस सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन सदन के नेता थे। इसलिये इस विधान सभा की परंपरा रही है। इसीलिये माननीय राम नरेश यादव, जिनके दल ने उनको अपना नेता चुना, वह मुख्य मंत्री हैं, इसीलिए वह सदन का नेता है।"

मान्यवर, यह निर्विवाद है सारी रूलिंगों का। मान्यवर, मैं भूलता नहीं हूं सम्मानित सदस्य सलरोला (मुरादाबाद) यहां बैठे हुए हैं, वे उस समय मंत्रिमंडल में थे, जब यह रूलिंग हुई थी। उसके बाद हमने उनको मुख्य मंत्री माना। माननीय रामनरेश यादव जी संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने थे, नेता माना। नारायण दत्त तिवारी इतिहास के महाप्रवाह में एक व्यक्ति मात्र हैं, एक दशाब्दियों के बाद उनकी स्मृति शेष नहीं रह जायेगी लेकिन, जब तक संविधान के अंतर्गत उसकी शपथ लेकर, मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर प्रस्तुत हूं, तब तक मेरा दायित्व

है कि सदन की सेवा के लिये शक्ति भर प्रयत्न करूं । यह विवाद और परिवाद तो इस सदन की परम्परा है । हमें अत्यन्त प्रसन्नता है कि हमारी संसदीय परिपाटियों को निभाने में माननीय सदस्य आगे हैं और संसदीय विवाद का इस सदन का स्तर बहुत ऊंचा हुआ है पहले की तुलना में, आगे भविष्य में भी इसका ध्यान सभी रखेंगे । बाहर घात प्रतिघात तो होते रहते हैं लेकिन इस सदन की जो परंपरायें रही हैं ऐतिहासिक, पं0 गोविन्द वल्लभ पंत से लेकर आचार्य नरेन्द्र देव और सीताराम जी से लेकर चिंतामणि जी तक को, हमारे साथी उन परंपराओं और परिपाटियों का ध्यान रखेंगे और संसदीय व्यवहार, संसदीय परिपाटी, संसदीय भाषा, जो इस गौरवशाली सदन की परम्परा रही है, मंजूषा रही है, पूंजी रही है, उस पूंजी को संजोये रखेंगे, उसे और परिवर्धित करेंगे, उसे विद्यमान करेंगे, इसका मुझे भरोसा है । इसी संदर्भ में विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि इसी परिप्रेक्ष्य में इसे देखें, अगर हम सदन की आज्ञा होगी तो मैं इस सदन की सेवा करता रहूंगा और इस सदन का नेता भी अपने को कहने का प्रयास करूंगा । आपकी आज्ञा होगी कि किसी साथी को नामांकित करूं . . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश—

कोई नायक ही नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तो आज ही इधर जो आये , मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने और सभी कनिष्ठ सहयोगी साथियों ने मुझे अवसर दिया कि मैं स्थिति का किंचित स्पष्टीकरण कर सकूं । धन्यवाद ।

(मेजों की थपथपाहट)

(श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी कुछ और कहना है, सब बातें तो हो गयीं, अब कृपा करके आप बैठ जाइये ।

नेता सदन के संबंध में मैंने दोनों पक्षों की बात सुनी । दिनांक 23-9-1963 को तत्कालीन अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा ने, दिनांक 8-12-1970 को तत्कालीन अध्यक्ष श्री खेड़ा ने, दिनांक 10-10-77 को तत्कालीन अध्यक्ष, श्री बनारसी दास ने तथा दिनांक 28-1-81 को तत्कालीन अध्यक्ष श्री श्रीपति मिश्र ने जो व्यवस्थायें दी हैं - उन्हें मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि नेता सदन का पद कोई सांविधानिक आफिस नहीं है और सब अवसरों में प्रचलित परम्परा के अनुसार मा0 मुख्यमंत्री ही नेता सदन के रूप में कार्य करते हैं ।

विचारणीय बिन्दु मात्र इतना है कि संविधान की दसवीं अनुसूची तथा उसके अधीन बनी नियमावली लागू हो जाने के उपरान्त क्या स्थिति में कोई परिवर्तन हो गया है ? मेरे विचार से पूर्व स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम बनाने का एकमात्र उद्देश्य दलबदल की घटनाओं पर अंकुश लगाना था । नेता सदन के बारे में निर्णय करना उसका उद्देश्य नहीं था । उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1987 के नियम 2(च) से भी यही नतीजा निकलता है, क्योंकि उसमें साफ कहा गया है कि शब्द "नेता" की जो परिभाषा दी गयी है वह उस नियमावली के प्रयोजनार्थ ही मानी जायेगी । इतना ही नहीं इस सदन की प्रक्रिया नियमावली के नियम 3 (ल) के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री इस आदरणीय सदन के सदस्य भी माने जायेंगे ।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में मैं इस मत का हूं कि नेता सदन के बारे में पुराने निर्णयों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है और श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री होने के साथ-साथ नेता सदन भी रह सकते हैं ।

श्री सत्य पाल सिंह—

मान्यवर, बहस सुनने से पहले ही आपने अजमेंट दे दिया, यह संविधान के नियमों का उल्लंघन है, इसके विरोध में मैं अपने दल के समेत इस सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री सत्यपाल सिंह नेता विरोधी दल अपने दल सहित सदन का त्याग करके चले गये)

श्री अध्यक्ष—

औचित्य के प्रश्न की शेष सूचनाएं अस्वीकृत की गयीं ।

(इस समय 3 बजकर 27 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये ।)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988†

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश 1988†

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 1988†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश 1988†

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सठी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988†

कृषि मंत्री (डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिर (संशोधन) अध्यादेश 1988†

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश 1988†

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री रमाशंकर उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988†

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1988†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1988†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1988 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली, 1988†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 633-टी/30-4-6-पी-79, दिनांक 27 अप्रैल, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (इक्यावनवां संशोधन) नियमावली, 1988 को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

यू0 पी0 मोटर वेहिकिल्स (बावनवां संशोधन) नियमावली, 1988†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग—4 की अधिसूचना संख्या—3037—टी/30-4-68—के—एम—85, दिनांक 12 जुलाई, 1988 के साथ प्रकाशित यू0 पी0 मोटर वेहिकिल्स (बावनवां संशोधन) नियमावली, 1988 को मोटर वेहिकिल्स एक्ट, 1939 की धारा 133 की उप धारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (पंचम संशोधन) नियमावली, 1988†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग—4 की अधिसूचना संख्या—2607—टी0/30-4-11—पी—79, दिनांक 29 जून, 1988 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (पंचम संशोधन) नियमावली, 1988 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 की धारा 32 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1988

श्री ललित मोहन त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1988 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 27 अप्रैल, 1988 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 2 मई, 1988 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 मई, 1988 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1988 का उत्तर प्रदेश का 11वां अधिनियम बन गया।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयी।

लखनऊ जिले के सरोजनी नगर विकास खण्ड के ग्राम रामचौरा व बंथरा सम्पर्क मार्ग पर नगवा नाले पर पुल निर्माण, विषयक श्री चन्द्रभान सिंह आदि की याचिका†

श्री सारस्वत प्रताप–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खण्ड के ग्राम रामचौरा व बन्थरा सम्पर्क मार्ग पर नगवा नाले पर पुल निर्माण विषयक श्री चन्द्रभान सिंह, श्री गुरु प्रसाद तथा श्री राम गोपाल सिंह निवासीगण लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 1 अक्टूबर, 1988 की बैठक में सदन के दिनांक 3 अक्तूबर, 1988 से प्रारम्भ होने वाले सत्र के अनन्तिम रूप से स्वीकृत कार्यक्रम के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–सदन के उपवेशन दिनांक 3 अक्टूबर, लगायत 7 अक्टूबर, 1988 तक हों ।

2–दिनांक 4 अक्टूबर, 1988 से 7 अक्टूबर, 1988 तक का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :–

अक्टूबर, 1988
4 मंगलवार

(1) असरकारी संकल्प (आधा दिन)

(2) नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित सूचनाओं पर क्रमानुसार एक-एक घंटे की चर्चा :–

(क) प्रदेश में बाढ़ से धन-जन की भारी हानि तथा पर्याप्त राहत कार्य के अभाव के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा सर्वश्री सूर्य प्रताप शाही एवं औसान सिंह की सूचना,

(ख) आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति द्वारा गम्भीर भ्रष्टाचार वित्तीय अनुशासनहीनता तथा बड़े पैमाने पर आर्थिक घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में श्री मित्रसेन यादव की सूचना,

(ग) प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, गोण्डा आदि जनपदों में अगस्त, 1988 से अब तक 400 से भी अधिक व्यक्तियों की मस्तिष्क ज्वर से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई

---

†छपी नहीं गयी ।

लापरवाही और उदासीनता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री आसान सिंह की सूचना ।

5 बुधवार

1—निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :—

(क) भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 (आधा घंटा)

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 (आधा घंटा)

(ग) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 (आधा घंटा)

2—अपराह्न 5 बजे

(क) वित्तीय वर्ष 1988-89 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ।

(ख) वित्तीय वर्ष 1982-83 के अतिरिक्त अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ।

3—अष्टम विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के अष्टम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के प्रस्तावों पर विचार ।

6 बुधवार

1—वित्तीय वर्ष 1988-89 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर सदन की अनुज्ञा से पुरः-स्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण ।

2—वित्तीय वर्ष 1982-83 के अतिरिक्त अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरः स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

7 शुक्रवार

विधायी कार्य ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना आज श्री उपाध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना जो आज सदन में दी गई है, उससे सम्पूर्ण सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए विधान मण्डल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

*श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सईदुल हसन)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट के प्रशासन और प्रबन्ध के लिए उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 की धारा 47 के अधीन निर्धारित प्रबन्ध योजना (स्कीम आफ मैनेजमेंट) के खण्ड 2 (ए) के साथ पठित खण्ड 13 (111) के अनुसार यह सदन निश्चय करता है कि मा0 अध्यक्ष, विधान सभा तथा मा0 सभापति, विधान परिषद् उक्त हुसैनाबाद तथा सम्बद्ध ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए विधान मण्डल के शिया सदस्यों द्वारा एक सदस्य का निर्वाचन जिस प्रक्रिया के अनुसार वे उचित समझें, करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से पारित हुआ ।)

उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेन्शन निधि विधेयक, 1985 पर नियुक्त प्रवर समिति की अवधि बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

*नगर विकास राज्य मंत्री (श्री नरेश चन्द्र)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश पत्रकार कल्याण और पेंशन निधि विधेयक, 1985 को सदन के दिनांक 5 सितम्बर, 1985 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ सदन की प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करें और सदन द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण विधान सभा द्वारा समय-समय तर स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार उक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का बढ़ाया गया समय अब विधान सभा के वर्तमान सत्र के अंतिम दिन तक है ।

और चूंकि समिति उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है;

अतएव, यह सदन निदेश देता है कि उक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय सदन के आगामी सत्र के अंतिम दिन तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अभी माननीय राज्य मंत्री द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988†

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत सिंह सेठी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समर पाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†दिनांक 11 अक्टूबर, 1988 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1988†

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1988 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य-स्थगन की आज कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना डा0 दिनेश जौहरी की उत्तर प्रदेश के ट्रक आपरेटर्स द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

नम्बर दो और नम्बर तीन की सूचना भी नम्बर एक की सूचना के समान ही है । जो कि श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी व श्री अकबर हुसैन बाबर द्वारा दी गयी है और नम्बर तीन की सूचना श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के द्वारा दी गयी है ।

नम्बर चार की सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है जालौन में पुलिस द्वारा पीटे जाने से दो छात्रों तथा एक नव युवक की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नम्बर पांच की सूचना श्री यदुनाथ सिंह के द्वारा तथा नम्बर छः की सूचना श्री मनोहर लाल के द्वारा दी गयी है जो कि नम्बर चार की सूचना की ही तरह है ।

नम्बर सात की सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल के द्वारा दी गयी है जिला फतेहपुर, तहसील खाना में पुलिस द्वारा व्यापारियों को पीटे जाने एवं फर्जी आरोपों में बन्दी किये जाने के संबंध में है । इसी तरह की सूचना नम्बर आठ पर श्री जमुना प्रसाद बोस ने दी है।

नम्बर नौ की सूचना श्री विक्रमादित्य पाण्डेय के द्वारा दी गयी है बलिया पुलिस के द्वारा प्रानपुर ग्राम की युवतियों एवं महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने का विरोध करने पर पुलिस द्वारा गोली वर्षा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

नम्बर दस की सूचना श्री पारसनाथ यादव द्वारा दी गयी है जनपद जौनपुर में थाना नेवड़िया, ग्राम-आदीपुर के गुलालपुर (पुरवा) में पुलिस द्वारा किये गये नर संहार के संबंध में ।

नम्बर ग्यारह की सूचना श्री राम बासर वर्मा एवं श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की है वेतन समिति की रिपोर्ट से राज्य कर्मचारियों में उत्पन्न रोष के संबंध में ।

---

†दिनांक 12 अक्टूबर, 1988 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

नम्बर बारह की सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही जी की है श्री रणजीत सदस्य, विधान सभा की गौरी बाजार, देवरिया में की गयी हत्या के संबंध में ।

नम्बर तेरह की सूचना श्री भोपाल सिंह की है गन्ना कृषकों की समस्याओं के संबंध में ।

नम्बर चौदह की सूचना सर्वश्री नरेन्द्र सिंह, विजय सिंह राणा, प्रधान प्रभुदयाल, कनक सिंह, सरदार सिंह, रिछपाल सिंह बंसल, जगवीर सिंह तथा सुरेश प्रताप सिंह गांधी की है दिनांक 9-6-88 को विधान सभा क्षेत्र छपरौली, जनपद मेरठ में उप-चुनाव के अवसर पर पुलिस की पिटाई से जनता पार्टी कार्यकर्ता की मृत्यु हो जाने के संबंध में ।

नम्बर पन्द्रह की सूचना श्री किशन लाल दिलेर की है, हाथरस काण्ड में दिये गये आश्वासनों की पूर्ति न होने के संबंध में ।

नम्बर सोलह की सूचना श्री सदन सिंह की है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्य-कर्त्ताओं द्वारा लखनऊ आने वाली ट्रेनों को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

नम्बर सत्तरह की सूचना श्री अशोक बाजपेयी की है, हरदोई जनपद के छात्रों एवं युवाओं द्वारा किये जाते रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

नम्बर अठारह की सूचना श्री हृदय नरायन दीक्षित की है उन्नाव जिले के क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

नम्बर उन्नीस की सूचना श्री कौशिक रमा शंकर की है जनपद मुरादाबाद के ग्राम सलेमपुर गोसाई में विद्युत विभाग की लापरवाही से चार बच्चों की मृत्यु हो जाने के संबंध में ।

नम्बर बीस की सूचना श्री बलराम यादव की है आजमगढ़ जनपद में विद्युत उपकरणों के अभाव में विद्युत आपूर्ति ठप्प होने के संबंध में ।

नम्बर इक्कीस की सूचना सर्वश्री अनुग्रह नारायण सिंह, गोपाल दास यादव, कुंवर रेवती रमण सिंह तथा राकेशधर त्रिपाठी की है इलाहाबाद जनपद में विद्युत आपूर्ति न होने के संबंध में ।

नम्बर बाइस की सूचना श्री हरीशचन्द्र, हरीश जी की है बस्ती जिले के विकास खण्ड बांसी में विद्युत करेन्ट लग जाने से दो बच्चों की मृत्यु हो जाने के संबंध में ।

नम्बर तेइस की सूचना श्री जयदीप सिंह बरार की है बरेली नगर में सुभाष हरिजन छात्रावास को अवैध रूप से गिराये जाने के संबंध में ।

नम्बर चौबीस की सूचना श्री देव कुमार यादव की है बुन्देलखण्ड प्रान्त निर्माण समिति द्वारा प्रारम्भ की गयी पदयात्रा के संबंध में ।

नम्बर पच्चीस की सूचना श्री विजय सिंह राणा की है आगरा में यमुना नदी पर बने जवाहर पुल के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

इस सूचना में मेरा भी नाम था ?

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें तो मा0 राणा जी का ही नाम लिखा है । आपका नाम होगा तो देख लेंगे ।

नम्बर छब्बीस की सूचना श्री दिवाकर विक्रम सिंह की है उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में मस्तिष्क ज्वर तथा हैजा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

नम्बर सत्ताइस की सूचना श्री सरदार सिंह व श्री बदन सिंह की है यमुना नदी में आयी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

नम्बर अठ्ठाइस की सूचना श्री महेन्द्र भाटी की है यमुना नदी पर बने बांध को काट दिये जाने से नोएडा के आस्तित्व को खतरा हो जाने के संबंध में ।

नम्बर उन्नतीस की सूचना श्री राम शरण दास की है अतिवृष्टि तथा जमुना एवं उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आने से सहारनपुर के अधिकांश गांव जलमग्न हो जाने के संबंध में ।

नम्बर तीस की सूचना श्री चन्द्रभान मौर्य की है यमुना नदी में आयी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

नम्बर इक्तीस की सूचना श्री शारदा नन्द अंचल की है बलिया में आयी बाढ़ के उपरान्त फैले रोगों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

नम्बर बत्तीस की सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की है पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर व देवरिया जनपद में फैले मस्तिष्क ज्वर से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह क्राईटेरिया क्या है नम्बर देने का ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं है । यह बाद में आप पूछ लीजियेगा । पहले आप लोग मेरी बात को सुन लीजिये । मैं उसकी बात को सुनने की कोशिश करूंगा लेकिन आप लोग अपनी बात को सूक्ष्म में रखें ।

श्री विजय सिंह राणा–

पहले मेरी बात का उत्तर दीजिये कि नम्बर देने के लिये आपका क्राईटेरिया क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष–

क्या क्राईटेरिया है, यह बतलाया नहीं जा सकता है । आप पहले अपना आसन ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न उठाया उस पर आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री उपाध्यक्ष–

निर्णय जो हो गया वह हो गया, मैं सबकी बात सुनने को तैयार हूं, 2-2 मिनट में अपनी बात को कह लें तथा शांति बनाए रखें । डाक्टर दिनेश जौहरी. . . .

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं एक सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव आपने पढ़े हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनकी आज चर्चाएं लगी हुई हैं, इसलिए इस संबंध में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्य-स्थगन को उन चर्चाओं के साथ जोड़े जाने पर विचार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, मैं ऐसे कार्य-स्थगन जिनकी आज चर्चाएं लगी हुई हैं, जैसे मा0 दिवाकर विक्रम वाली सूचना मस्तिष्क ज्वर से संबंध तथा इसी प्रकार से बाढ़ से संबंधित सूचनाओं को भी, आज की लगी इन चर्चाओं के साथ जोड़ता हूं, बाकी माननीय सदस्यगण 2-2 मिनट में अपनी बात को कह लें । डा0 दिनेश जौहरी. . . .

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने जा रहा हूं कि 30 तारीख की रात से पूरे उत्तर प्रदेश के ट्रक्स आपरेटर, व मालिकों ने बढ़े कर संबंधी कानून के विरोध में हड़ताल कर दी है और लगभग 60 हजार ट्रक आपरेटर्स व 6 हजार मिनी ट्रक आपरेटर्स व मालिकों ने अपने सारे कागजात आर0 टी0 ओ0 दफ्तर में जमा कर दिए हैं और इस प्रकार से 30 तारीख से यह सारे ट्रकों का चलना बन्द हो गया है । इस बंद के कारण मान्यवर, आज हर जगह बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं और हो रही हैं कि रोजमर्रा की प्रयोग की वस्तुएं जैसे खाद्यान हैं, फल हैं, तरकारियां हैं, तेल, पेट्रोल व डीजल आदि सब का आना बन्द हो गये हैं, जिनसे जनता सीधे प्रभावित हो रही है । यह हड़ताल सरकार की फेर नीतियों के विरोध में है गाल-कर जो 40 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, इससे और आये दिन बढ़ रहे इनके प्रयोग के सामान में महंगाई, पुर्जों, ट्रक-चेसिस व गाड़ी तथा पेट्रोल व डीजल आदि के दामों में बढ़ोत्तरी साथ ही आर0 टी0 ओ0 पुलिस के कान्सटेबिल्स की चेकिंग ने इन्हें बुरी तरह से परेशान कर रखा है। इन सारी चीजों को मिलाकर ट्रक आपरेटर का बिजनेस अलाभकारी होता । जी हां है, बल्कि बिल्कुल खत्म होता जा रहा है । इसलिए इन सभी बातों को लेकर इन लोगों ने 30 तारीख से हड़ताल प्रारम्भ कर दी है और इस हड़ताल के 3-4 दिन ही बीतने पर जो स्थिति पैदा होती जा रही है, वह बहुत ही सोचनीय है ।

मान्यवर, पेट्रोल आज उपलब्ध नहीं है, सब्जी के दाम और फलों के दाम बढ़ गये हैं । सरकार से वार्ता हुई, लेकिन विफल हो गयी । मैं चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं इसी में जोड़ते हुये कहना चाहता हूं कि यह सरकार की ड्यूटी में है कि कम से कम उपभोक्ता की जो वस्तुयें हैं, उनको उपलब्ध कराये । आज इनकी परेशानी हो रही है । पूर्वांचल सूखे की चपेट में है और वहां की फसल पूरी तरह से सूख रही है। यहां पर डीजल नहीं मिल रहा है, इस कारण सिंचाई में बड़ी परेशानी हो रही है । मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्वीकार कर लें और सरकार का वक्तव्य दिलायें, कि सरकार आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुओं को दिलाने के लिये क्या कदम उठाने जा रही है । डीजल और पेट्रोल की जो कमी है, उसको उपलब्ध कराया जाये, जिससे किसान अपनी फसलों को सूखे से बचा सके और उनकी सिंचाई कर सकें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, आज 55 हजार ट्रक खड़े हैं और इतना ही नहीं भयंकर स्थिति और उत्पन्न हो गयी है कि जो टैंकर थे, वह भी हड़ताल पर चले गये हैं । यह सही है कि यह सारी हड़ताल सरकार की अविवेकपूर्ण नीति के कारण हो गयी है । सरकार सुविधा के नाम पर कुछ नहीं देती है, इनकी सड़कें टूटी हुई हैं और यह टैक्स लगाते हैं । बिना उनसे वार्ता किये 40 प्रतिशत गुड्स टैक्स लगा दिया और इसी के विरोध में ट्रक आपरेटर्स हड़ताल पर चले गये । सारे बाजार बंद हो गये हैं । कई जगह पर ट्रक आपरेटर्स और पुलिस में टकराव हो गया है । उनमें झगड़ा हो गया है, लोगों को चोटें आयी हैं । यह सब कानपुर में हुआ है, छिबरामऊ में हुआ है, अजगैन में हुआ है । आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो जाने के कारण डीजल और पेट्रोल का अभाव हो जाने के कारण आवश्यक वस्तुयें मिल नहीं पा रही हैं, सिंचाई के लिये डीजल नहीं मिल रहा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा दें ।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो व्यवस्था रखी है, मैं उनका आभारी हूं कि शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट करने का मौका मिला । ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है, जिसे सरकार कभी नहीं चाहती है । ट्रक आपरेटर्स अपनी हठवादिता पर अड़े हैं और कुछ ऐसी मांग रख रहे हैं, जिनका पूरी तरह से क्रियान्वयन करना संभव नहीं है । मैं सदन को विश्वास में लेते हुये एक दो बातें कहना चाहता हूं । पुरानी सरकार ने 40 प्रतिशत का टैक्स बढ़ाया था देखने में तो यह बहुत लगता है, लेकिन मान्यवर, 15 रुपये के स्थान पर 21 रुपये दैनिक किया गया है । मान्यवर, मैंने अधिकारी स्तर पर वार्ता करायी है और जब उससे कोई हल नहीं निकला तो मैंने 18 सितम्बर को उनसे बात की, तो यह राय बनी कि अगर एक समिति बना दी जाये और वह देख ले कि अगर यह ज्यादा है और वह समाप्त करने के लिये कहे, स्थगित करने के लिये कहे या कम करने के लिये कहे, वह किया जायेगा । इस बात से हमारी सहमति थी । 1964 से यह कर लगा हुआ है, अगर वह गलत है, तो उस पर विचार कर लिया जायेगा । और इस कर को हम बिल्कुल ही समाप्त कर देंगे । हम सहमत हो गये थे । उसके बाद वे चले गये । फिर कुछ दिनों के बाद वे लौट कर आये और उन्होंने बताया कि स्थिति यह है कि अगर इसमें एक छूट हमें आप और दें और 40 प्रतिशत जो कर बढ़ाया हुआ है उसे आप स्थगित कर दें तो हम संतुष्ट हो जायेंगे । हमने इस पर विचार किया । इस बारे में हमने एक मैत्रीपूर्ण और सद्भाव का कदम उठाया । हमने कहा कि 1981 के बाद पहली बार जो कर लगाया हुआ था उसके बारे में हमने निश्चय किया कि उस पर एक समिति विचार करे और वह समिति जब तक इस

विषय पर विचार करती रहे तब तक बढ़ा हुआ यह कर स्थगित रहेगा । यह हमने आश्वासन दिया कि यह बढ़ा हुआ कर उनको तब तक नहीं देना है । हम उसे पुनरीक्षित करने के लिये तैयार हैं । मैंने यह भी कहा कि 5 सदस्यों की इस समिति में आपको भी सम्मिलित कर लेते हैं उस समिति में विभाग के सचिव को भी शामिल कर लेते हैं । इससे अधिक और क्या किया जा सकता है । लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वह लाये हैं उसके लिये ट्रक आपरेटर्स ही जिम्मेदार हैं । मैं तो सदन का आदेश चाहता हूं । अगर वह हड़ताल को नहीं तोड़ते हैं तो इसका जन समाज पर असर पड़ेगा । इन्होंने आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने में अवरोध पैदा किया है, टैंकर्स को चलने से रोका है, उन्हें हड़ताल में शामिल करने के लिये उनके कागज भी छीने हैं । लेकिन जिस समय ये लोग जन जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे तो हम कड़े से कड़ा कदम इससे निपटने के लिये उठायेंगे और आवश्यक वस्तुओं को जनता तक पहुंचायेंगे । इसके लिये हम कड़ा कदम उठाने के लिये तैयार हैं ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

आप आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कैसे करेंगे ? यह बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप उन्हें उत्तर दे लेने दें । . . . . (व्यवधान) बाद में आप बात कर लें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

यह क्या करेंगे. . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

शाही जी, उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह कौन सा कदम है जिससे इन ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल समाप्त हो ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुये हम आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिये जो भी आवश्यक कदम होगा, वह उठायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप उनकी बात सुन लीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार–

कम से कम किसी गरीब की बात कीजिये ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय परिवहन मंत्री जी ने बड़े हल्के तरीके से एक आरोप लगाने की चेष्टा की । जिन सदस्यों ने इसके बारे में कहा, उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लिये मंत्री जी कह रहे हैं कि गरीबों के हित की बात करें । आज इन ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल की वजह से जितने उद्योग ठप्प हो गये हैं, समाज में जन जीवन में इसका असर पड़ा है और मंत्री जी इस तरह से राजनीतिक प्रेरक बात सदस्यों के लिये कह रहे हैं कि उन्होंने अमीरों की बात कही है । . . . . (व्यवधान) । यह शब्द मान्यवर, आप कार्यवाही से निकलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं उसे देख लूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं ट्रक आपरेटर्स को बहुत ही गरीबों की श्रेणी में शामिल करने के लिये तैयार हूं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने उन्हें इस बात के लिये तैयार कर लिया है . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

वे जवाब दे रहे हैं । कृपया बैठें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो टैंकर लेकर या डीजल लेकर चलता है उसके लिये इस्कोर्ट की व्यवस्था की जा रही है, पुलिस इस्कोर्ट साथ में चलेगा । हम आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं होने देंगे इसके लिए जहां-जहां से सूचना आ रही है हमारे कंट्रोलरूम में हम सामान भेज रहे हैं । हमें आवश्यकता पड़ी तो हम ट्रकों को अधिग्रहीत करके सामान मुहैय्या करायेंगे लेकिन उनकी धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे क्योंकि इनकी मांगें अनुचित हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, पिछली 24 तारीख का दिन काला दिन कहा जायेगा जालौन में दुखद स्थिति पुलिस जुल्म के कारण पैदा हो गयी और पुलिस ज्यादतियों की सीमा पार हो गयी । पुलिस के अविवेकपूर्ण रवैय्ये से जाने कितने नौजवानों को ज्यादतियों का शिकार होना पड़ रहा है । एक रामकुमार नाम का लड़का जो 11वीं कक्षा का छात्र था वह घर से दूध लाने के लिये गया वह पुलिस की ज्यादती का शिकार हो गया । एक और लड़का अरुण कुमार उर्फ पप्पू जो 22 साल का था जिसकी शादी डेढ़ साल पहले हुई थी पुलिस ने उसे मार दिया । मैं जालौन गया था उसकी पत्नी की गोद में 6 महीने के बच्चे को देखकर आंसू आ गये । पुलिस की ज्यादती से उसकी जान चली गयी । अरुण कुमार नाम का विद्यार्थी किसी दंगल को देखने जालौन पहुंच गया । रात्रि में उसे बस नहीं मिली तो वह होटल के बाहर तखत पर लेट गया । वहां पुलिस का दरोगा आया और उसे पकड़ कर ले गया और उसे तीन दिन तक इतना मारा और कमर के नीचे के हिस्से में तेजाब डाल कर जला दिया जब वह मरणासन्न हो गया तो उसको दवाखाने ले गये । जहां यह बात उसके घरवालों को और वहां की जनता को मालूम हुई तो लोग केवल यह जानने के लिये थाने पहुंचे कि क्यों उसको मारा गया ? इस बात को वहां के दरोगा कैसे बर्दास्त कर लेता उसने आरोप लगाया कि जनता उत्तेजित हो गयी थी इसलिये पुलिस को गोली चलानी पड़ी । अगर आप

देखें तो थाना एक टीले पर बना हुआ है कोई कितना ही रिसान करे वहां आसानी से नहीं पहुंच सकता है। वहां पुलिस के बीच पर चक्र कर गोलियां चलाई हैं मैंने स्वयं देखा है बिल्डिंग के मकानों पर गोलियों के निशान हैं। कुछ नहीं हुआ तो 100 राउंड गोलियां चलाई गई हैं। [illegible] पुलिस को निशान सीधा नहीं हुआ। [illegible] रिवा और वहीं मचा दिया।

इतना ही नहीं मैं सरकार की [illegible] की बात कहता [illegible] की तरफ से कोई वहां नहीं गया। आयुक्त को सस्पेंड भेजा है और [illegible] जी0 वहां गये लेकिन वह भी मुख्यालय पर ही गये सुरक्षा जाकर अधिकारियों से बात कर लौट आये, एक तरफा बात सुनकर यह लौट आये। हम अपेक्षा करते हैं कि कोई सरकारी आदमी यहां से जायेगा लेकिन कोई नहीं गया और जो लोग पुलिस ज्यादती में मारे हैं उनको एक-एक लाख रुपया देने की घोषणा यह करते लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी तक सरकार की ओर से कोई इस प्रकार की घोषणा नहीं की गयी। इस तरह के पुलिस जुल्म आये दिन होते रहते हैं यह तो एक प्रतीक मात्र है। पुलिस के काम करने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। आज सरकार हृदयहीन होकर किसी प्रकार से भी उचित आचरण नहीं कर रही है।

अभी-अभी हमारी नयी पुलिस मंत्री [illegible] उनको आने के बाद कुछ नहीं इस प्रकार की कितनी ही घटनायें हो गयी हैं [illegible] उन्होंने कुछ नहीं सुन लिया। [illegible] नवयुवक की पुलिस ने हत्या की है [illegible] जिम्मेदारी लेकर गृह मंत्री को इस्तीफा देकर संसदीय परम्परा का उच्च आदर्श को निर्देश करना चाहिये था, अगर वह शरमदार होतीं तो त्यागपत्र दे दिया होता। [illegible] कि [illegible] पुलिस जानबूझ कर लोगों को रौंद रही है।

मान्यवर, फर्जी मुकदमों में फंसाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। जब यह घटना वहां घटी तो वहां के लोग हिन्दू-मुस्लिम भावना को भुलाकर एकत्र हुये तो सरकारी अधिकारियों ने एक साम्प्रदायिक उद्देश्य की बात बताकर साम्प्रदायिक भावना पैदा कर हिन्दू मुस्लिम दंगा कराने की बात की गयी जबकि वहां हिन्दू-मुस्लिम सभी मिलकर पुलिस जुल्म के खिलाफ खड़े हुये थे। इसलिये इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाये वह कम है। इसलिये मेरी मांग है कि इसकी जांच कराई जाये।

श्री मनोहर लाल—

मान्यवर, सैयिदीन्नरण गुप्त ने अपने वक्तव्य "साकेत" में कहा है कि "शत्रु न कुपात्र होय, पुत्र कुपुत्र होई।" [illegible] दोषित कुपुत्र हो सकते हैं [illegible] । यह सैयिदीन्नरण गुप्त जी ने कहा है और हम सभी जानते हैं।

मान्यवर, 21/22 सितम्बर, 1988 को [illegible] एक बारह वर्षीय [illegible] को [illegible] से 20 मिनट [illegible] से दर्शन [illegible] था, [illegible] लौट गया, वह अकेला मंदिर के सामने था, [illegible]

ने चौकी में उसकी 20/21 की रात में काफी पिटाई की और 23/24 की शाम को उसके घर वालों को सौंप दिया और जैसे ही वह धर्मशाले में ले गये कि अरुण कुमार मर गया। सुबह जब लोगों को मालूम हुआ तो 150-200 लोगों ने 25 तारीख को चौकी का घेराव किया और मांग किया कि श्री राजेश पाठक दरोगा को गिरफ्तार किया जाये। ए0 डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 भी वहां पहुंच गये। इनकी मौजूदगी में सी0 ओ0 श्री जगनायक सिंह ने फायरिंग प्रारम्भ कर दी और 70 राउन्ड फायरिंग हुई जिसमें अरुण लोनी और राम कुमार वर्मा पुलिस की गोलियों से मारे गये तथा 16 अन्य लोग घायल हुये। पुलिस ने पीपल के पेड़ पर चढ़कर गोलियां चलायीं। फोटो मेरे पास है जिनसे आप देख सकते हैं कि गोलियों के निशान घरों की दिवालों में और दरवाजों में बने हैं। मान्यवर, 25 तारीख को तीनों का पोस्ट मार्टम उरई में कराया गया और लाशें घर वालों को जालौन में नहीं दी गयीं। उरई में लाशों का प्रवाह कर दिया गया। इसलिए मांग करता हूं कि चूंकि वहां आतंक बहुत है, रोष है, इसलिए मृतक के वारिसों को एक-एक लाख रुपया दिया जाये, न्यायिक जांच इसकी करायी जाये और डी0 एम0 एवं एस0 एस0 पी0 और ए0 डी0 एम0 का ट्रान्सफर किया जाये। मृतकों के परिवार को 1-1 लाख रु0 मुआवजा दिया जाये। गृह मंत्री घायल एस0 पी0 को देखने अस्पताल गयीं लेकिन जालौन में जहां के लोग मारे गये वहां नहीं गयीं। यह उनकी हृदय हीनता है। यह गम्भीर मामला है। इसी तरीके से खीरी के अन्दर कल निर्दोष लोगों को पीटा गया है। चार दिन के लिए विधान सभा बुलाई गयी है। रोज पुलिस निर्दोष लोगों की पिटाई करती है। इसलिए मांग है कि इस पर चर्चा करायें।

गृह राज्य मंत्री (श्री मईदुज्जमा)—

मान्यवर, जालौन की घटना बहुत दुखद है। सरकार को इस पर बहुत दुःख है। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो परिस्थिति है उसको देखकर सही फैसला लिया जाये। इसके अलावा आपने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं, जो सत्य से परे हैं, लेकिन जहां तक इसकी बात है सरकार इसको बहुत गम्भीरता से ले रही है और दरोगा... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनको बोलने दीजिए।

श्री मईदुज्जमा—

जहां तक दरोगा का सवाल है उनके फारेन... (व्यवधान)

श्री रघुवंश दयाल वर्मा—

सत्य से परे जो कहा गया है, पहले इनको इस प्रकार से कहने से आप रोकें।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

श्रीमन्, मेरा सुझाव यह है कि यह बड़ा गम्भीर मामला है, तो जब सदन में गृह मंत्री जी मौजूद हैं, तो वह स्वयं इस बात का जवाब दें न कि गृह राज्य मंत्री। गृह मंत्री को उसकी सच्चाई को देखते हुए उसका जवाब देना चाहिए और सदस्यों को संतुष्ट करना चाहिए।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं यह पूछना चाहता हूं, आपने जवाब देते हुए यह कहा कि इधर से सत्य से परे बात कही गयी है। तो राजेन्द्र गुप्त जी ने और मनोहर लाल जी ने इस संबंध जो बातें कहीं हैं, उसमें कौन सी बात सत्य से परे थी ?

श्री सईदुज्जमा–

आपने कहा कि सरकार उसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। आपने यह इल्जाम सरकार पर लगाया है, जबकि सरकार इस मामले को पूरी गम्भीरता से ले रही है।

श्री मनोहर लाल–

यह इसे कितनी गम्भीरता से ले रहे हैं, यह इसी से साफ हो गया कि यह जालौन नहीं जा सके।

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

मान्यवर, सुनने के पहले किसी को फांसिये नहीं। मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो घटना हुई है, वह अत्यन्त दुखद है। यह कह रहे हैं कि हम जालौन क्यों नहीं गये। तो अगर मेरा केवल जाने से वह लड़का वापस आ जाए, उस विधवा का सिन्दूर फिर से रंग जाए और वह जो तीनों बच्चे वहां गये हैं, उससे वापस आ जायें, तो हम पहले ही चले गये होते। तो इसको छोड़कर अब हम तथ्य पर आ जायें।

(व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह–

हमारी परम्परा रही है, शिष्टाचार की बात है कि हम शोकोद्गार प्रकट करने ऐसे मौकों पर जाते हैं, आपने ऐसा कहकर बड़ी वैसी बात कह दी है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, किसी माननीय सदस्य पर आक्षेप नहीं किया है न करने का कोई विचार है। हम इस समय बहुत ही गम्भीर और दुखद घटना पर विचार कर रहे हैं। मैं केवल यह कहना चाहती हूं कि जो कुछ हुआ वह निर्विवाद रूप से बहुत ही दुखद है। इसमें इस पक्ष और उस पक्ष में कोई दो राय नहीं है। हमारे नौजवान और युवक छात्र उसमें गये हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किये, उसमें कहा कि हृदयहीनता सरकार की है, निर्ममता सरकार की है। खैर यह कहने का उनको अधिकार है, वह कहें, लेकिन मैं उन्हें विश्वास दिलाऊंगी.... (व्यवधान) आप कृपा करके इसको सुन लीजिए।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

हमने अब तक आपने क्या किया है, यह बता दें ?

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री हरदेव—

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

[illegible]

श्री [illegible]—

जब कभी इस तरह का प्रश्न उठता है, जहां तक पूरा घर अभी भी किसी तरफ से न आ जाये, उसके पहले 5-5 सदस्य एक साथ खड़े होकर सवाल करें तो किसी का कोई जवाब नहीं मिल पाएगा और बात बढ़ेगी।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

पहले उन्हें बोल लेने दें।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, कार्यवाही क्या हुई बस यह बता दें?

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय मंत्री जी ने घटना की गम्भीरता को स्वीकार किया है और कहा है कि हम गम्भीरता से ले रहे हैं तो यह बता दें कि क्या गम्भीरता में लिया है?

(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

पुलिस उप निरीक्षक राजेश पाठक को जेल भेज दिया गया है। श्री अरुण कुमार पुत्र संतराम को पुलिस उपनिरीक्षक श्री राजेश पाठक द्वारा 20/21 सितम्बर की रात्रि में पूछताछ हेतु पकड़ा गया एवं उन्हें 23/9 को सायं छोड़ दिया गया।

(व्यवधान)

आपसे निवेदन है आप कृपा करके पहले सुन लें, फिर जो आप प्रश्न करेंगे उसमें मैं अपने बुद्धि और विवेक से उत्तर दूंगी। दिनांक 24 सितम्बर को सुबह चार बजे श्री अरुण कुमार की मृत्यु हो गई जिससे स्थानीय जनता में रोष उत्पन्न हो गया एवं लोग जालौन थाने पर गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गये एवं श्री पाठक के विरुद्ध धारा 304/323/342 भा0 दं0 वि0 मुकदमा कायम हुआ। जिससे जनता में शांति हुई। पुनः भीड़ जालौन चौकी पर एकत्रित हो गई एवं हिंसक होकर पथराव, आगजनी आदि प्रारम्भ कर दिया। उपस्थित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा भीड़ तितर-बितर करने एवं रोष शांति करने का प्रयास किया रहा जिससे लाठी चार्ज कराना पड़ा फिर भी भीड़ हिंसक रूप ले चुकी थी जिससे एस0 एच0 ओ0 को पत्थर की चोट लगी एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी घायल हुए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन अपर जिला मजिस्ट्रेट ने धारा-144 [illegible] को फायरिंग का आदेश दिया। इस घटना में जनता के 15 एवं पुलिस तथा प्रशासन के 40 व्यक्ति घायल हुए। घायलों में श्री रामकुमार वर्मा एवं [illegible] की मृत्यु हो गई। जिला मजिस्ट्रेट ने घटना की मजिस्ट्रीयल जांच का आदेश दिया है एवं प्रत्येक मृतक को 5,000/—रु0 तथा प्रत्येक घायल को 1,000/—सहायता स्वीकृत किया

तथा मृतक की विधवा को नौकरी में लगाने का आश्वासन दिया है । शासन द्वारा घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग की अपराध शाखा से कराई जा रही है । इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए इस दुख को देखते हुए मृतकों के आश्रितों को 20,000 रुपया दिया जाएगा । इसमें जो इन्क्वायरी हो रही थी उसको जुडीशियल इंक्वायरी में परिवर्तित कर दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं दो बातें माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । जिस लड़के को छोड़ा गया था उसे किस स्थिति में छोड़ा गया था क्या यह सही नहीं है कि इसमें सिफारिश की गई थी कि 50-50 हजार रुपया मृतकों के परिवार को दिया जाना चाहिए । इस समय तक राज्य सरकार का कोई व्यक्ति मौके पर सही जानकारी करने के लिए क्यों नहीं गया ? तीसरी बात इन्होंने कहा कि अगर वह लाल वापस आ जाते, या उन विधवाओं का सिन्दूर वापस आ जाता तो मैं चली जाती, लेकिन अगर यह चली जातीं तो घाव पर मरहम का काम तो हो सकता था ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

जो आपने जाने की बात कही है किसी कारण मैं नहीं जा सकी कई जगह कई घटनायें होती हैं जिन पर विचार करना होता है । लेकिन अब मैं वहां अवश्य जाऊंगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने जो बातें माननीय मंत्री जी से पूंछी हैं उनका मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया । आप मेरी सहायता करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह स्थिति तो जब आयेगी जब वक्तव्य होगा । वह स्थिति तो आयी ही नहीं है । अभी तो ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, जिस लड़के की बात कही गयी है उसको कब गिरफ्तार किया गया है और कब उसको छोड़ा गया है ?

श्री उपाध्यक्ष–

अभी तो मैंने इस पर निर्णय नहीं लिया है । अभी मुझे निर्णय लेना है । यह स्टेज आगे आयेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस पर निर्णय दूंगा ।

*नेता विरोधी दल (सत्यपाल सिंह)–

मान्यवर, मुझे आपसे यह कहना है कि इस घटना की गम्भीरता के विषय में माननीय सदस्य ने बताया और माननीय मंत्री जी भी इस घटना की गम्भीरता को स्वीकार कर रही हैं । यह बहुत गंभीर और निंदनीय घटना हुई है । अभी रघुबर दयाल वर्मा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जी ने एक प्रश्न उठाया अगर उसका जवाब आ जाता तो अच्छा होता । माननीय मंत्री जी वहां नहीं पहुंची, पहुंचती तो लोगों को सांत्वना मिलती और वहां की जो हकीकत है वह खुद जान लेतीं कि कौन-कौन लोग दोषी हैं । वहां के एस0एस0पी0 ने नाटक दिखाया घायल होने का और अस्पताल में भर्ती हो गये । उनके लिये हेलीकाप्टर पहुंच गया । जो निर्दोष लोग हैं उनको बन्द करने तथा प्रताड़ित करने की धमकी दी जा रही है ताकि वह पुलिस के खिलाफ इवीडेंस न दे सकें । इसलिए मेरा कहना है कि इस घटना की माननीय मंत्री जी न्यायिक जांच कराने या सी0 बी0 आई0 से जांच कराने की घोषणा करें और दोषी एस0 एस0 पी0 को तत्काल वहां से स्थानान्तरित करवायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरे निर्णय के बाद यह बात आयेगी । अभी मैंने निर्णय नहीं दिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने न्यायिक जांच की बात कहीं । मैं कहना चाहता हूं कि वक्तव्य तो इस पर हो जायेगा लेकिन उससे कोई खास बात होने वाली नहीं है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह यह घोषणा करने का कष्ट करें कि मृतकों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपये की सहायता दी जायगी । मंत्री जी ने जो प्राथमिक जानकारी दी है उससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है । जब तक दोषी पुलिस कर्मियों को वहां से हटाया नहीं जायगा तब तक न्याय नहीं मिल पायेगा । सरकार का जो दृष्टिकोण है वह जनहित विरोधी है और पुलिस अत्याचार को बढ़ाने वाला है । मंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारी वहां नहीं गये । सरकार की इस नीति के खिलाफ मैं अपने दल के लोगों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं । माननीय विकल जी अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव के लिये उपस्थित रहेंगे ।

(माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से चले गये ।)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मंत्री जी ने माना है कि यह बहुत गम्भीर घटना है । वक्तव्य के लिये आप स्वीकार करें या न करें वह अलग बात है । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मेरी कार्य-स्थगन की सूचना पुलिस जुल्म के खिलाफ है, क्योंकि हमारे प्रदेश की पुलिस का जुल्म करना चरित्र बन गया है । खागा जिला फतेहपुर की पुलिस ने पुलिस जुल्मों के इतिहास में एक और नया पन्ना जोड़ा है । 23 सितम्बर, 1988 को खागा के शांतिप्रिय नागरिक बिजली के जो बढ़े हुए बिल किसानों के पास, आम जनता के पास और व्यापारियों के पास बड़ी तादाद में आये थे, उसके खिलाफ, उसके बारे में बात करने व उन्हें वापस लेने के लिए प्रदर्शन करते हुए यह मांग करने जा रहे थे बिजली के अधिकारियों से कि उन बिलों को वापस लिया जाय । लेकिन बजाय इसके कि वहां तक वे पहुंच जाते, खागा के एस0 डी0 एम0 ने 40 लोगों को

रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया, उनके बैनर जला दिये और उन पर लाठी चार्ज करवाया । इसके विरोध में खागा बन्द रहा । 26 सितम्बर को खागा के व्यापार मण्डल ने धरने का आयोजन किया । धरना-स्थल पर शांतिपूर्ण ढंग से धरना देते हुए लोगों में से बातचीत के बहाने पुलिस ने 41 व्यापारियों को बुला कर थाने में ले जाकर बन्द कर दिया और फिर एक-एक को हवालात से निकलवा कर एक-एक की क्रूरता पूर्वक पिटाई की गयी, जिनमें अरुणकुमार अग्रवाल जो युवा कांग्रेस और व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष हैं, उनको इतना पीटा गया कि उनको खून की उल्टी हुई । अनेक लोग जख्मी हो गये व उनके जख्मों में कीलें ठोंकी गयीं, लाठियां बरसाई गयीं, सारे थाने में पुलिस जुल्मों से हाहाकार मच गया मलमूत्र से लोगों के कपड़े खराब हो गये । इस घटना के विरोध में खागा बाजार एक हफ्ते से बन्द है । वहां पर दहशत इतनी है कि कोई ग्रामीण आज खागा में आता ही नहीं ।

पुलिस द्वारा चारों ओर डंडे के बल पर धौंस देकर जनता को आतंकित किया जा रहा है कि वे सच न बोलें । इस बर्बर जुल्म को करने में एस0डी0एम0, खागा श्री निषीत कुमार गिरि, सी0 ओ0 श्री ज्ञानेश्वर तिवारी और थानाध्यक्ष किशनपुर श्री राधेश्याम त्रिवेदी मुख्य रूप से दोषी हैं । थानाध्यक्ष खागा ने जब ऐसे जुल्म करने से मना किया, तो थानाध्यक्ष किशनपुर को बुला कर रात भर थाने में लोगों में की पिटाई कराई गयी । शासन की ओर से इन दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई भी समुचित कार्यवाही नहीं की गयी, जिसकी वजह से लोगों में व्यापक असंतोष है । अतएव मैं इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर जोर देते हुए यह मांग करता हूं कि दोषी पुलिस अधिकारियों व एस0 डी0 एम0 के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय व जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए धरना वगैरह देते हैं, उनके खिलाफ इस तरह के जुल्म करने की पुलिस की आदत को बदलने के लिए कड़े आदेश दिये जायं । वैसे मैं जानता हूं कि मंत्री जी की ओर से जो जवाब आयेगा, उसमें पुलिस को बचाने की ही कोशिश की जायगी, क्योंकि यह क्रम चलता चला आ रहा है, चाहे सहारनपुर या शिकोहाबाद में चुंगी के मामले में निरीह जनता पर लाठी चार्ज हो, चाहे हाथरस की प्यासी जनता पर पानी मांगने पर लाठी-गोली चली हों, चाहे आगरा, मोहम्मदी, बरेली, अतरौली और जालौन की पुलिस थानों में या बाहर पुलिस ने लोगों की मार-मार कर हत्या की गयी हो । सरकार उन पर पर्दा ही डालती रही है । अतः मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि मेरे कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, सदन का काम रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री जमुना प्रसाद बोस–

अभी इस संबंध में हमारे साथी विकल जी ने कहा, उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी वहां पर फतेहपुर गया था । फतेहपुर जेल में उन बंदियों से मैं मिला जो 81 की संख्या में थे । उनको पुलिस ने इस तरीके से मारा है, जिस तरीके से किसी डाकुओं को मारा जाता है । यह प्रदेश व्यापार मण्डल के अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रवाल हैं, उनकी मैं फोटो पेश करता हूं । इनके मुंह से खून गिरा, खून की उल्टी हुई । उ0 प्र0 व्यापार मण्डल के जो उपाध्यक्ष श्री संतोष

कुमार गुप्ता हैं, उनको इतनी बुरी तरह से मारा गया कि वह बेहोश हो गये । व्यापारियों को इसलिए मारा गया कि जो विद्युत के बढ़े हुए बिल हैं, उनको वह वापस लेने के लिए धरना देने जा रहे थे । उनको धरना देने से रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गयी और धरने से खींच कर उनको थाने में ले जाया गया । उनको थाने में ऐसा मारा गया कि जैसे 40 साल बाद इस देश में अंग्रेजी राज्य आ गया हो । गुलामी की जो सही तस्वीर खागा इलाके में देखने को मिली है, उससे यह स्पष्ट होता है कि खागा के लोग अंग्रेजों के जमाने के गुलाम हैं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । वहां का जो एस0 डी0 एम0 है उसको गिरफ्तार किया जाय, जेल भेजा जाय, उसको मुअत्तल किया जाय और वहां के पुलिस अधिकारियों का जो ट्रान्सफर किया गया है उनको जेल के सीकचों में बन्द किया जाय। एस0 डी0 एम0 ने वहां के कानून कायदों को एक तरफ फेंक दिया है जैसे कोई तानाशाह हो, हिटलर हो, इस तरह से जुल्म किया है। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर शासन का बयान दिलवायें।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, स्थिति इस प्रकार है कि दिनांक 14-9-88 को कस्बा खागा जिला फतेहपुर में गल्ला मण्डी में विद्युत उपभोक्ताओं के नाम पर एक सभा आयोजित हुई थी जिसमें सर्वश्री पीताम्बर लाल गुप्ता, प्रेम नारायण पाण्डेय तथा बाबू सिंह वगैरह ने भाग लिया था। इसी दिन बिजली विभाग द्वारा अनियमित बिल भेजने की निन्दा करते हुए एक 21 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन किया गया लेकिन बाद में सहयोग शुल्क के रूप में विद्युत उपभोक्ताओं से धन एकत्रित करने के प्रश्न पर संघर्ष समिति दो खेमों में बंट गयी। दिनांक 19-9-88 को दोनों गुटों के पदाधिकारी फतेहपुर आकर जिलाधिकारी एवं अधिशासी अभियंता (विद्युत) से मिले और उन्होंने उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। दिनांक 23-9-88 को पुलिस अधिकारियों के मना करने पर भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का उल्लंघन करते हुए एक जुलूस निकाला और 40 व्यक्तियों को धारा 188 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी स्वीकार कर लेंगे।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, उस मैजिस्ट्रेट को हटा दिया गया है और उसकी मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो रही है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आप ऐसा करिये कि सभी को सुन लें, 32 जो

है इसमें जो सुधार चाहते हों उसके लिए सदस्य गण। यह जो पुलिस की रिपोर्ट है, वही वक्तव्य हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—

समय का ध्यान रखें तो कुछ निपट जायेगा।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, 29 सितम्बर, 1988 को बलिया पुलिस ने प्रानपुर की महिलाओं, प्रानपुर के मासूम बच्चों और प्रानपुर के गरीब लोगों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार किया है वह बहुत दुःखद ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें, मुझे भी सुनने दें।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, 29 सितम्बर, 1988 को प्रातः 4 बजे पुलिस चौकी शिवपुर दीहर के प्रभारी श्री पाण्डेय अपने चार सिपाहियों के साथ बारी-बारी से श्री भुवनेश्वरी पत्नी जोखू यादव, ददन यादव पुत्र मदिल, बरीजया पत्नी रामधारी, जगदीश पुत्र धावर, गेमा पुत्र गतिराज, बंशीय पत्नी परीक्षा, जनकीया पत्नी रामजी, भोला पुत्र लाल जी के घर गए और उनसे पूछा कि तुम लोगों के पति और लड़के कहां हैं उन लोगों के यह कहने पर कि दरवाजे पर होंगे पुलिस ने उन्हें घसीटा और मारा पीटा। श्रीमन् इतना ही नहीं बल्कि कलावती जिसकी उम्र 16 वर्ष थी कबली पत्नी नारायण उम्र 30 वर्ष, रजबसिया पत्नी परीक्षा उम्र 50 वर्ष थी उसे घर से निकाला गया और उसे बेइज्जत किया गया। उनको एक व्यक्ति के कमरे में प्रातः 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक बन्द रखा गया, उन्हें प्रताड़ना दी गयी, दबाव में बयान लिया गया एवं गुप्त रोगों पर चोट पहुंचायी गई, गांव के लोगों के विरोध करने पर पुलिस ने अन्धाधुन्ध गोली चलायी जिससे पंडित, यादव की पत्नी और कई पशु घायल हो गये। पंडित की पत्नी जिला चिकित्सालय में में अन्तिम सांस ले रही है। श्रीमन् जब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने पी0ए0सी0 को मंगाकर गांव को दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक लूटा और गांव के लोगों को बेइज्जत किया और ऐसा आतंक मचाया कि गांव के लोग घर छोड़ कर भाग गये हैं। अब ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि गांव के लोगों को गलत मुकदमों में फंसाया जाय इस प्रकार का वातावरण बनाया जा रहा है। हमारी गृह मंत्री जी सुशीला कही जाती हैं, जो सुन्दर भी हैं और सुशीलवान भी। मैं अपेक्षा करता हूं कि उनके रहते नारी का शील भंग नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि बलिया की पुलिस ने उस गांव के लोगों को जिस प्रकार से बेइज्जत किया और जिस प्रकार वहां की औरतों के गुप्तांगों में चोट पहुंचाई है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। पूरे प्रकरण की सी0 आई0 डी0 जांच करायें। अतः मेरा आग्रह है कि इस मामले पर सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

*श्री पारस नाथ यादव—

मा0 उपाध्यक्ष जी, कार्यस्थगन के रूप में मैंने जो सूचना दी है, वह सचमुच ही हृदय विदारक है। जनपद जौनपुर के थाना नेवढ़िया के अन्तर्गत ग्राम आदीपुर के गुलालपुर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुरवा में दिनांक 27-9-88 को करीब साढ़े दस बजे रात में एक कायस्थ परिवार के पांच व्यक्तियों की सामूहिक हत्या कर दी गयी। हत्या के विषय में स्थानीय पुलिस बताती है कि भूमि सम्बन्धी पुरानी रंजिश के कारण हुई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। राजस्व अधिकारियों से ज्ञात करने पर या पुलिस से ज्ञात करने पर यह जानकारी नहीं हो सकी कि उनका कोई भूमि सम्बन्धी पुराना विवाद था। मान्यवर, घटना का कारण यह है कि मृतक के पड़ोस में श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव के दो पुत्र जगदीश लाल एवं गोपाल प्रसाद रहते हैं। ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ये शुरू से अपराध करते थे। इनके अपराध को रोकने के लिये मृतक विन्ध्यवासिनी श्रीवास्तव, उनके सगे भाई बागेश्वरी श्रीवास्तव, जो 43 वर्ष के थे, तथा उनके तीन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, उम्र 26 वर्ष, कमलेश कुमार, उम्र 30 वर्ष और सुशील कुमार उम्र 28 वर्ष, जिनकी सबकी हत्या हुई है, ये उनके गलत कामों का विरोध किया करते थे तथा पुलिस को इसकी सूचना दिया करते थे। पुलिस की जानकारी में ये अपराधी अपराध किया करते थे। क्षेत्र के लोगों से इसकी जानकारी मिलती है। इन अपराधियों के विरुद्ध बनारस के थाना चेरी में मामला दर्ज है। ये लोग 14 महीने जेल में भी रहे हैं। पुलिस जानती है कि ये अपराधी किस्म के लोग हैं। ये अपराधी किस्म के लोग घटना के एक दिन पहले अपने पूरे परिवार को घर से बाहर लेकर चले गए और घटना के दिन शाम को अपराधियों को लेकर गांव में आए, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गयी लेकिन स्थानीय पुलिस थानाध्यक्ष ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया। इसके अलावा यह घटना साढ़े दस बजे घटी। दूसरी बात यह है कि साढ़े दस बजे घटना घटी और पुलिस सवा एक बजे घटना स्थल पर पहुंची। ऐसा लगता है कि पुलिस की साजिश से यह घटना घटी है। मेरा कहना है कि पुलिस इतनी निरंकुश हो गयी है कि क्षेत्र के लोगों में असंतोष और आक्रोश व्याप्त है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां की स्थानीय पुलिस के लोगों का स्थानान्तरण करके उस परिवार के लोगों को पारिवारिक पेंशन दी जाय और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय और आज की सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्रीमती सुशीला सेहतगी–

मान्यवर, आपके आदेश क्या हैं, फिर से बता दें।

(गृह मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री सारदानन्द अंचल–

मान्यवर, जिस पुलिस के लोगों के संरक्षण में यह हुआ है उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की बात कही जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें। (माननीया मंत्री जी कुछ बता रही हैं)

श्रीमती सुशीला सेहतगी–

मान्यवर, दिनांक 27/28-9-88 की रात्रि 23-50 बजे श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नी श्री बागेश्वरी लाल निवासिनी ग्राम गुलालपुर थाना मेहरिया जनपद जौनपुर ने लिखित सूचना दिया कि दिनांक 27/28-9-88 की रात्रि लगभग 10-30 बजे आर्थिनी के पति श्री बागेश्वरी, जेठ विन्ध्यवासिनी लाल, भतीजा सुशील कुमार, सुरेन्द्र व कमलेश की

हत्या प्रार्थिनी के पट्टीदार एवं पड़ोसी जगदीश लाल श्रीवास्तव, गोपाल श्रीवास्तव तथा दो अज्ञात व्यक्तियों ने कर दी।

हत्या का कारण बाग के फलों के बटवारे से संबंधित मनमुटाव रहा। उक्त सूचना के आधार पर थाना तेवरिया पर अपराध संख्या 132/88 धारा 302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी पुलिस की रिपोर्ट को जो जिले के हेडक्वार्टर से आयी है एज इट इज पढ़ रही हैं । अगर उन्होंने कोई जांच करायी है या पुलिस की रिपोर्ट के विपरीत कोई तथ्य एकत्रित किये हों तो उसे बतायें पुलिस रिपोर्ट तो हम जानते ही हैं कि क्या है?

श्री उपाध्यक्ष–

अच्छा आप बैठें । माननीय राणा जी । माननीय राम आसरे वर्मा जी संक्षेप में अपनी बात कहेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 1986 में प्रदेश भर में राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों का एक ऐतिहासिक आन्दोलन हुआ था । उस ऐतिहासिक आन्दोलन की परिणति थी कि इस उ0प्र0 सरकार ने केन्द्र के समान वेतन और भत्ते के सिद्धान्त को नीतिगत आधार पर स्वीकार किया। इसके लिये मंत्रि परिषद् में भी विचार किया गया और एक समिति का गठन कर दिया गया। जिस समिति को केन्द्र के समान वेतन और भत्ते की नीति को क्रियान्वित करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में विचार के लिए अधिकार दिया गया, उस वेतन समिति ने अपने अधिकार क्षेत्र को तोड़ करके गलत मानकों पर आधारित जिस तरीके की रिपोर्ट प्रस्तुत की है उससे पूरे प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों में, और यहां की नाक के नीचे स्थित सचिवालय के कर्मियों में भी घोर असंतोष व्याप्त हो गया है । 1986 की हड़ताल में जो समझौता हुआ था समझौते पर जिन माननीय मंत्रीगण के हस्ताक्षर भी थे उन मंत्रियों ने भी उस समिति के प्रतिवेदन पर आंख मूंद कर दस्तखत कर दिये । इस तरह कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ एक जबरदस्त धोखा दिया गया है, शासन की ओर से । इससे बड़ी विस्फोटक स्थिति बनती जा रही है। 10 अक्तूबर से कर्मचारियों के एक हिस्से ने और 15 अक्तूबर से कर्मचारियों के दूसरे हिस्से ने संघर्ष की घोषणा कर दी है । सचिवालय के कर्मचारी भी इतिहास में पहली बार जब विधान मंडल का सत्र चल रहा है उस समय एक घंटा कार्यालय का बहिष्कार करके सड़क पर एकत्र हो रहे हैं । इस विस्फोटक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि कार्य स्थगित कर इस पर चर्चा करायी जाय ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वर्मा जी ने कर्मचारियों और शिक्षकों के लिये गठित वेतन समिति की बात कही । यह बात सत्य है कि इससे पहले एक समझौता हुआ था क्योंकि सरकार का रवैया हमेशा अपने इम्प्लाइज के बारे में बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण रहा, सहानुभूतिपूर्वक हर चीज को देखा गया है । पिछले दिनों भी इसी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तरह से बातें तय हुई थीं। मान्यवर, माननीय वर्मा जी का यह कहना कि कर्मचारियों के साथ जबरदस्त धोखा किया गया है, मैं समझता हूं कि सत्य से कोसों परे है। आजकल भी हमारी और उनकी वार्ता बराबर हो रही है, कल भी रात 11 बजे तक हम लोग बैठे और बात हुई। आज भी रात 10 बजे से, रात्रि भोजन के बाद, बैठना है। कुछ जो हमारी कठिनाइयां हैं, हम उन्हें बता रहे हैं और जो कुछ उत्तर प्रदेश के सीमित साधन हैं...जितना अधिक से अधिक हो सकता है, वह किया गया है और आगे भी किया जायेगा। किसी तरह से, किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को न तो इसमें धोखा देने की बात है और न ही ऐसा किया गया है। चूंकि अभी वार्ता चल रही है इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि यह मामला बहुत शान्तिपूर्वक तय हो जायेगा।

*श्री नरेन्द्र सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, 19 जून की घटना है। जब 16 जून को इस प्रदेश में उपचुनाव हुए और भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय वीर बहादुर के दुर्भाग्य से छपरौली में जनता पार्टी की विजय हुयी। मान्यवर, इसी चुनाव के दौरान 9 जून को भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर छपरौली चुनाव क्षेत्र का दौरा करने गये थे। उस दिन उनके जहां जहां भी कार्यक्रम थे, वहां उनको काले झण्डे दिखाये गए। उन सबको निपटाने के बाद, उनकी जो अन्तिम मीटिंग किशनपुर बराल गांव में थी, वहां उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भड़काया और उस सभा को सम्बोधित करने के बाद जब वह चले, तो उन्होंने अपने कांग्रेसी केन्डीडेट व साथियों को ऐसी जगह पर गाड़ी से उतार दिया, जहां पर कुछ जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। और तमाम जनता वहां पर उपस्थित थी। उस स्थान पर बिना किसी कारण के वीर बहादुर और उनकी मंत्रि परिषद् के लोगों ने एकदम से गोली चलवा दी। गोली चलाने के पहले न तो लाठी चार्ज किया गया, न ही कोई वार्निंग दी गयी और न हवाई फायर किये गये। इस गोली कांड में चन्द्रपाल नाम के एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी। इसके अलावा तमाम नौजवानों को, छोटे-छोटे बच्चों को, जो 8-10 साल के थे, गंभीर चोटें आयीं। किसी के हाथ में से, किसी के पैर में से और किसी के कमर में से गोली निकल गयी। कुल मिलाकर 8-9 लोगों को गोली लगी और सैकड़ों लोग जख्मी हुए। मैं उस घटना का चश्मदीद गवाह हूं। इसमें श्री जगवीर सिंह, विधायक का एफ0 आई0 आर0 में गवाहों में नाम है। विधान परिषद् के सदस्य श्री जगत सिंह ने इस घटना की रिपोर्ट थाना बड़ौत में लिखायी। इसमें पुलिस ने फर्जी जी0 डी0 लिखी। इस घटना में हमारी पार्टी अध्यक्ष श्री अजीत सिंह व अन्य लोगों के खिलाफ झूठा केस बनाया गया। इस संबंध में सदन से मुझे अपील करनी है कि यह एक ऐसी घटना है, जो अत्यन्त शर्मनाक है और हम लोगों पर बिना किसी कारण के गोली चलाई गई। आज पुलिस इस घटना की जांच कर रही है और इस जांच को एक थर्ड ग्रेड के इन्सपेक्टर द्वारा कराया जा रहा है। हम माननीय मुख्य मंत्री जी से पहले भी कह चुके हैं कि इस घटना की जांच सी0 बी0 आई0 से कराई जाए। लेकिन उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि वह इसके लिए सक्षम नहीं हैं। मान्यवर, यह हमारी पार्टी का मामला है। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो लोकल सब इन्सपेक्टर व अन्य लोग जो इसके दोषी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, वह आज भी उसी थाने में मौजूद हैं इस घटना में वीर बहादुर भी धारा 302 व 201 के मुल्जिम हैं ।

मान्यवर, इस घटना को हुए 3 महीने बीत चुके हैं और वीर बहादुर सिंह बर्खास्त हो चुके हैं और उनकी जगह श्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार आई है । मेरी आपसे मांग है कि यह सरकार इस घटना की जांच सी0 बी0 आई0 से करायें और यदि किसी जुडीशियल इंक्वायरी को कराना है तो वह सिटिंग हाई कोर्ट जज से करायी जायें । मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बताना चाहता हूं कि यदि 15 दिन के अन्दर इसका फैसला नहीं होता, तो हम लोगों को संघर्षपूर्ण रास्ता अपनाना पड़ेगा । मेरी आशा है कि आप मामले पर उचित रूख अपनायेंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आपने इस मामले की गम्भीरता को समझ लिया होगा । इस घटना में जो 6 लोग मुल्जिम हैं, उसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह भी शामिल हैं । आप खुद महसूस कर सकते हैं कि लोकल पुलिस या सी0 आई0 डी0 इसमें इंसाफ नहीं कर सकती है । हत्या हो जाने के 2 दिन बाद इसमें एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गयी, इससे जाहिर होता है कि वहां की पुलिस कितनी जागरूक थी, न्याय देने के लिये ? मैं इस विषय की गम्भीरता को देखते हुये आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस सरकार को निर्देशित करें कि वह इस घटना की जांच सी0 बी0 आई0 से करायें क्योंकि जब श्री संजय सिंह के खिलाफ सी0 बी0 आई0 की जांच हो सकती है तो वीर बहादुर सिंह के खिलाफ सी0 बी0 आई0 की जांच क्यों नहीं हो सकती है ?

(श्री विजय सिंह राणा के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल इस विषय पर बोल लिये हैं, आप बैठें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

आपने पहले वाले प्रश्न पर तो श्री अम्मार रिजवी से जवाब ले लिया । अब आप वसूलों पर नहीं चल रहे हैं । जब आपने उनसे जवाब ले लिया तो माननीय गृह मंत्री जी से भी आपको जवाब लेना चाहिए कि वह सी0 बी0 आई0 से जांच करवायेंगे कि नहीं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, मेरे पास दूसरी स्थिति भी है । अब मैं उसके बारे में भी बता दूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि सी0 बी0 आई0 से जांच कराई जायेगी कि नहीं ? क्योंकि इस केस में माननीय मुख्य मंत्री जी मुल्जिम हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मुझे जहां तक जान पड़ता है, वह पहली बार इस प्रदेश के मंत्रि-मंडल में आई हैं । मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वह एक महिला हैं, दयालू हैं । सरकार ने ऐसे अनैतिक कार्य के लिए वह सी0 बी0 आई0 से जांच करवायेंगी कि नहीं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी–

मान्यवर, जब किसी बड़े मामले पर सी0 बी0 आई0 की जांच कराई जाती है तो कहा जाता है कि क्या स्थानीय पुलिस बेकार है, क्या उसकी जांच पर विश्वास नहीं होता है, जो सी0 बी0 आई0 को जांच सौंपी गई । श्री मैथ्यू मांडो काण्ड पर ऐसी बातें हुई हैं । जो वर्तमान में हमारी विवेचना अधीन है, उसे समाप्त कर एकदम सी0 बी0 आई0 को जांच हेतु सौंपने का कोई मामला सरकार के पास विचाराधीन नहीं है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, इसमें तो पुलिस स्वयं इन्वाल्व है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपसे चाहता हूं कि आप निष्पक्ष होकर बता दें कि जिस केस में उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री स्वयं मुलिजम हो, तो क्या उसकी जांच कोई दरोगा कैसे कर सकता है ? इसलिए आप इसे सी0 बी0 आई0 को जांच हेतु सौंपने के निर्देश दे दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी को भी अपनी बात कहने दीजिए ।

(श्री विजय सिंह राणा, श्री मनोहर लाल, श्री सरदार सिंह, श्री भोपाल सिंह, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री रघुवर दयाल वर्मा आदि सदस्यों के सदन के फ्लोर पर आने और नारे लगाने में व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना आसन ग्रहण करें ।

(मा0 सदस्यों के सदन के फ्लोर पर खड़े होने से उत्पन्न शोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग अपना आसन ग्रहण करें, मुझे दूसरों को भी सुनना है ।

(सदस्यों द्वारा अपना-अपना आसन ग्रहण करने के बाद)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, हम किसी अधिकारी का निलम्बन या स्थानान्तरण नहीं कर रहे हैं । एक ऐसे नेता के खिलाफ चूंकि मुकदमा दर्ज है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस दिन संजय सिंह के खिलाफ सी0 बी0 आई0 जांच को स्वीकृति दी थी, कितने दिन लगे थे ? अगर सी0 आई0 डी0 या स्थानीय पुलिस पर भरोसा होता तो तीन महीने में अवश्य कार्यवाही हुई होती । विषय की गम्भीरता को देखते हुए मैं आपसे कहता हूं कि आपको सी0 बी0 आई0 जांच स्वीकार कर लेनी चाहिये ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री भोपाल सिंह का नाम पुकारा गया किन्तु उनके खड़े न होने पर)

श्री विजय सिंह राणा–

पहले इसमें क्या हुआ, यह बताइए ?

श्री उपाध्यक्ष–

गृह मंत्री ने जवाब दिया, आपने सुन लिया ।

श्री विजय सिंह राणा–

यह हाउस माननीय मंत्री जी की कृपा पर नहीं चल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह हाउस तो आप सबकी कृपा पर चल रहा है ।

(श्री सरदार सिंह, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री नरेन्द्र सिंह सदस्यगण के सदन के "वैल" पर आ जाने से उत्पन्न घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सदन को आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 4 बजकर 58 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित कर दी । 5 बजकर 28 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन दस मिनट के लिए और बढ़ा दिया है । 5 बजकर 38 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है ।

तत्पश्चात् 5 बजकर 53 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री विजय सिंह राणा--

क्या निर्णय हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

गृह मंत्री जी बोलेंगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी--

मान्यवर, सदन के सदस्यों ने अपने विचार बहुत ही जोरदार ढंग से व्यक्त किये हैं, उनको ध्यान में रखते हुये, और मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी ओर से किसी प्रकार से कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । हम इसकी सी0 आई0 डी0 की इनक्वायरी करा रहे हैं और साथ ही साथ यह भी प्रयास करूंगी कि इसकी रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र मिल जाये ।

श्री अम्मार रिजवी--

राम शरण जी शेर पढ़ने वाले थे । इधर यह बैठी हैं, और उधर वह बैठे हैं, तो--

पहलए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत ।
आप की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत ।

श्री राम शरण दास--

मान्यवर, यह कह गये खुद खुदा ।
रंग गोरा हो और जहन गुदगुदा ।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आगरे के जवाहर पुल का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप उसे छोड़िये । अब कल देखा जायेगा ।

श्री भोपाल सिंह–

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को काम रोको प्रस्ताव के रूप में रख कर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसान गन्ना बोकर और उसकी फसल से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। अभी कुछ पहले एक पत्र गन्ना आयुक्त ने 6 जून को 1988-89 के पेराई के संबंध में गन्ना समितियों को भेजा है और इस सम्बन्ध में उन्होंने 1954 के परचेज एक्ट को ताक पर रख दिया है और अपनी ओर से संशोधन करके गन्ना समितियों को भेज दिया है और उसमें उन्होंने यह कहा है कि पहले पकने वाली फसल को पहले लिया जायेगा और उसका कलेन्डर बनाया जायेगा और उसका सट्टा अलग लिया जायेगा। इस प्रकार से लगभग 85 प्रतिशत गन्ना किसान परेशानी में पड़ गया है जो जल्दी वाली फसल है वह सी0 ओ0 जी0 64 है, इसको किसान बहुत कम बोते हैं, क्योंकि इसमें लागत बहुत आती है। गन्ना आयुक्त के इस पत्र से गरीब किसानों का शोषण हो रहा है। इस जल्दी पकने वाली फसल के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन किसान बो नहीं पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को पास बुक दो रुपये में मिलती थी और अब उस पर फोटो लगाने के आदेश हो गये हैं। आप जानते हैं कि गन्ना किसान गांवों में रहते हैं और गांवों से शहर 40–50 किलोमीटर दूर हैं। जब किसान फोटो खिचाने के लिये शहर जायेगा तो उसका करीब 50 रुपया खर्च हो जायेगा और कम से कम 50 करोड़ रुपये की लागत किसानों की प्रदेश भर में इस फोटोग्राफी में चली जायेगी।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, यह क्या है, मैं इस पर एक घंटा बोलूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी से बात हो गयी है। गन्ना आयुक्त ने आदेश दिये हैं कि हर फैक्टरी में कम्प्यूटर लगाया जायेगा।...जब कम्प्यूटर पर्ची काटेंगे तो उन पर्चियों को सेन्टर्स पर भेजा जायेगा। एक एक्सपेरीमेंट के बेसिस पर यह अनूपशहर चीनी मिल किया गया था। जिन जिलों में कोआपरेटिव सोसाइटीज की फैक्ट्रियां हैं। उनमें पिछले वर्ष कम पर्चियां काटी गईं और फैक्ट्रियों में गन्ना ज्यादा गया। इस प्रकार किसानों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ। सरकार को अपनी अफसरी विभाग पर विश्वास नहीं रहा। पेमेंट के लिये चीनी मिलें किसान से कह देंगी कि हमने पैसा बैंक में भेज दिया और किसान को देर से व विभिन्न परेशानी के बाद मिलेगा।

मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा था। 17 सितम्बर को गन्ना मंत्री, गन्ना आयुक्त और गन्ना सचिव की एक मीटिंग बुलाई गई थी वह स्थगित कर दी गई। वह मीटिंग एनेक्सी में हुई थी। उस मीटिंग में मैंने कुछ आपत्तियां उठायी थी। मैंने मुख्य मंत्री के सामने यह आपत्तियां उठाई थी। सारे अधिकारी उससे सहमत थे और उसमें कहा गया था कि हम उसमें संशोधन कर देंगे। उसके बाद मान्यवर, 23 तारीख को मेरे पास मेरे पते 101 गोमती होटल पर एक लिफाफा आया वह अर्द्धशासकीय पत्र गन्ना सचिव ने लिखा था। उसमें जो कुछ लिखा था वह दिनांक 17 सितम्बर, 1988 को हुई बैठक में लिये गये निर्णय और संशोधनों के बिल्कुल विपरीत था। मैं उस पत्र को लेकर माननीय मुख्य मंत्री के यहां गया। सचिव से मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि यह पत्र आपके पास कैसे पहुंचा? यह लिफाफा मैंने उनको दे दिया

और कहा कि इसमें संशोधन करना है । फिर एक पत्र मुझे 28 सितम्बर को सचिव का मिला । उसमें उन्होंने लिखा कि सी0 ओ0 जी0 64 गन्ने की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी । यह हमारे सामने तय हुआ था कि 60 प्रतिशत सी0 ओ0 जी0 64 गन्ना लिया जायेगा और 40 प्रतिशत दूसरी जाति का गन्ना लिया जायेगा । यह नहीं लिया जायेगा तो किसान अपनी फसल (गन्ना) नहीं बो सकते हैं । यह सब बातें मुख्य मंत्री जी के सामने हुई ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर ही बोलें । . . . (व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह–

मैं उन पत्रों का हवाला दे रहा हूं जिनसे इसकी ग्राह्यता बनती है । फोटो के लिये मुख्य मंत्री जी ने वायदा किया था कि फोटो नहीं लगायेंगे और इससे किसानों का 60-70 लाख रुपया बच जायेगा । गन्ना आयुक्त ने भी कहा था किसी किसान पर फोटो लगाने के लिये दबाव नहीं डाला जायेगा । जो लगाना चाहेगा, वह लगाये और जो न लगाना चाहे वह न लगाये । क्या यह कोई आदेश है । जो सीधा और गरीब किसान होगा वह फोटो के लिए मारा जायेगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी आपने एक आदेश और भेजा है कि किसानों को 61 'ख' की नकल लेनी पड़ेगी । उसमें दो सौ रुपये लगेंगे । इस प्रकार उत्तर प्रदेश के किसानों से 60-70 करोड़ रुपये वसूल किया जायगा । मेरा अनुरोध है कि मुझे इस बात का विश्वास दिलाया जाय कि जो बातें मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखी हैं और जो संशोधनों की बात कही है वह स्वीकार किये जायेंगे और किसानों के हित की व्यवस्था की जायेगी ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, जो मुद्दा माननीय भोपाल सिंह जी ने उठाया है वह ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी तो उन्होंने अपनी बात खत्म नहीं की है ।

श्री राम शरण दास–

उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वह उचित है फोटो सिस्टम खत्म होना चाहिये उससे किसानों को परेशानी हो जायेगी । सी0ओ0जी0 64 गन्ना के बारे में भी आदेश कर दें कि दोनों बराबर लिए जायेंगे । तीसरा नये केन्द्र खोलने के बारे में जो प्रतिबंध लगाया गया है कि 6 कि0मी0 के अन्दर कोई केन्द्र और नहीं खुलेगा उसे हटाया जाय । अगर गन्ना किसी एरिया में ज्यादा है तो वहां केन्द्र खुलना चाहिये ।

श्री भोपाल सिंह–

मुख्य मंत्री जी ने अधिकारियों के सामने यह बात स्वीकार की है कि हमारे संशोधन स्वीकार कर लिये हैं । उसका हमें विश्वास दिलाया जाय कि वह मान लिये जायेंगे । जब तक मुझे विश्वास नहीं दिलाया जायेगा तब तक मैं अपनी कार्यवाही जारी रखूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठेंगे नहीं तो वह कैसे जवाब देंगे ?

श्री भोपाल सिंह--

मुख्य मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिये क्योंकि उन्होंने अधिकारियों के सामने इस बात को माना है । या फिर संसदीय कार्य मंत्री बतायें कि इसमें क्या हुआ ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष जी अभी माननीय भोपाल सिंह जी ने जो गन्ने की समस्या के बारे में बात कही है उसमें उन्होंने स्वयं कहा कि बैठक हो चुकी है माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ । तो इसमें उच्च स्तर पर विचार हो चुका है । मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि वर्ष 1988-89 का जो गन्ना पिराई सीजन है उसकी समस्त नीति सरकार के विचाराधीन है । जब वह नीति विचाराधीन है तो उसमें किसानों के हित के समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगा और उसी के बाद नीति घोषित की जायेगी । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि विचार हो जायेगा जो बातें आपने कही हैं ।

श्री भोपाल सिंह--

अब क्या विचार होना है वह बातें तो स्वीकार की जा चुकी थीं । मुख्य मंत्री जी के सामने 17 तारीख को बैठक हो चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब नीति तय होगी तो आपकी बातों पर विचार किया जायेगा, यह उन्होंने कह दिया है । (व्यवधान)

श्री भोपाल सिंह--

17 तारीख को जो बैठक हुई थी उसमें सारे संशोधन स्वीकार कर लिए गए थे । यह मुख्य मंत्री जी का मेरे साथ वादा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो फिर क्या बाकी है ?

श्री भोपाल सिंह--

अब क्या विचार होना है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अभी नहीं हुआ, वह बात मैंने विचार को कहा है ।

श्री भोपाल सिंह--

अब क्या विचार होना है, वह स्वीकार हो गए हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें । विषय दूसरा है ।

(श्री भोपाल सिंह जी सदन के बीच में आने से व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । पहले सदन को व्यवस्थित तो करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

जालौन और फतेहपुर की घटनाओं के सम्बन्ध में जो सूचनायें हैं उनको मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं ।

(श्री भोपाल सिंह द्वारा डायस पर चढ़ने के प्रयास से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

हृदय नारायण दीक्षित की सूचना– उन्नाव जिले के क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदले जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में है । इसको मैं ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार करता हूं ।

पहली, श्री कौशिक रमाशंकर की सूचना– जनपद मुरादाबाद के ग्राम सलेमपुर गोसाई में विद्युत विभाग की लापरवाही से चार बच्चों की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में है ।

दूसरी श्री बलराम यादव की सूचना–आजमगढ़ जनपद में विद्युत उपकरणों के अभाव में विद्युत आपूर्ति ठप्प होने के संबंध में है ।

तीसरी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री राकेश धर त्रिपाठी ने इलाहाबाद जनपद में विद्युत आपूर्ति न होने के संबंध में सूचना दिया है ।

चौथी, श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी ने बस्ती जिले के विकास खण्ड बांसी में विद्युत करंट लग जाने से दो बच्चों की मृत्यु हो जाने के संबंध में सूचना दिया है ।

उक्त चारों सूचनाओं को मैं वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं और शेष सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

श्री भोपाल सिंह का उपवेशन के शेष समय के लिए सदन से निलम्बन

श्री भोपाल सिंह के डायरी राइटर की मेज पर चढ़ने और उनकी मेज पर रखे पत्रादि छीनने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं भोपाल सिंह, आपको इंगित करता हूं ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भोपाल सिंह को सदन से निष्कासित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 299-क के अनुसार आपको इंगित करता हूं ।

उक्त नियम 299-क के अन्तर्गत श्री भोपाल सिंह को निलम्बित समझा गया और डिप्टी मार्शल के साथ कई गार्डों ने मिलकर मा0 सदस्य को डायस से उठाकर सदन से बाहर ले गये ।)

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं । (व्यवधान)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय की सूचना जो बलिया जनपद से सम्बन्धित है और श्री पारसनाथ यादव की सूचना जो जनपद जौनपुर से संबंधित है इनको भी वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा मद संख्या–33 पुकारे जाने पर)

श्री विजय सिंह राणा–

मेरी सूचना पर वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायं (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

आप स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं सदन के बीच में बैठ रहा हूं ।

(श्री विजय सिंह राणा और श्री सरदार सिंह के सदन के वेल में आकर बैठने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सोचते हैं कि वेल में बैठकर व्यवधान डालेंगे तो इस तरह से हाउस नहीं चलेगा ।

(अपने दल के माननीय सदस्यों के समझाने पर श्री विजय सिंह राणा और श्री सरदार सिंह अपने आसन पर चले गये)

श्री मैनेजर सिंह–

अंचल जी का जो है, उस पर भी आप वक्तव्य दिलवा दीजिए ।

श्री सरदार सिंह–

श्रीमन्, बाढ़ वाले पर क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैनेजर सिंह, ऐसा है, बाढ़ वाला और बीमारी वाला जो है, उनकी चर्चा अभी लगी है, उन्हीं के साथ उन सभी के नाम जोड़ दिए गए हैं । (व्यवधान) पाण्डेय जी, आपका होगा ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जवाहरपुर वाले में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर भी वक्तव्य दिलवाये देता हूं । (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मेरी सूचना सुभाष हरिजन छात्रावास के गिराये जाने पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

उस पर भी हो जाएगा । अब आप लोग बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री अशोक बाजपेयी–

क्या आप बंग की ही भाषा जानते हैं। मेरी इतनी महत्वपूर्ण सूचना है उसको आप क्यों नहीं स्वीकार किया है? उस पर आप सरकार का ध्यान आकर्षित करा दें, कुछ तो करा दें। यह कौन सी बात है कि इसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं? शिष्टाचार की भाषा तो आप समझते नहीं हैं। छात्राओं के आन्दोलन से वहां स्थिति बहुत खराब हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष–

बाजपेई जी, कल आप इसे दे दीजिएगा, कल हम देख लेंगे, कर देंगे।

(व्यवधान)

श्री अशोक बाजपेयी–

सारे जिले में इससे हंगामा मचा हुआ है। आप वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य बहुत हो गये हैं। जो स्वीकार हो गये हैं, हो गये हैं, अब नहीं। अब आप बैठें।

श्री अशोक बाजपेयी–

मेरी सूचना पर आप शासन का ध्यान ही आकर्षित करा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

बाजपेई जी की सूचना पर ध्यान आकर्षित करायें देता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप उस पर व्यवस्था दें कि. . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री रणजीत, विधायक जी की हत्या के संबंध में वक्तव्य दिलवायें देता हूं।

राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनके जीवन-यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्च स्तर का है, के सम्पूर्ण कार्य-कलापों एवं सम्पत्तियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किये जाने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)†

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, विधान सभा का एक निश्चित समय है, 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का। 11 से 5 तक सदन चलना चाहिए। आज आधा दिन असरकारी दिवस था। जिस तरह से आपने इस सदन को चलाया है, अभी तक एक भी वक्तव्य असरकारी दिवस का नहीं आया। 3 चर्चाएं लगी हुई हैं और संकल्प भी आए हैं। इस तरह से आप देखें तो असरकारी दिवस का समय समाप्त हो गया, इसलिए इसको अब दूसरे दिन लिया जाए और अब इस पर चर्चा कराइयें।

---

† दिनांक 11 अप्रैल, 1988 की कार्यवाही से।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माता प्रसाद जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उस सिलसिले में मेरा निवेदन है, यह सही है कि आज के असरकारी दिवस का समय दो-ढाई बजे तक खत्म हो जाता है । इसलिए अब इस पर चर्चा कराते हैं तो आप चर्चा पूरी करा दें तो ठीक है, लेकिन हमसे 10-5 मिनट भाषण कराकर कह दें कि आपका समय समाप्त हो गया तो यह ठीक नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आधा दिवस का मतलब है आधा दिन और आधा दिन आपको मिलेगा । मैं दो घंटे बैठूंगा ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

माननीय तिवारी जी उस पर बोलना भी चाहते हैं और हम उसे सुनना भी चाहते हैं, उससे हमारा मार्ग दर्शन होगा । ठीक होगा कि उसे आज आप प्रस्तुत कर दें और फिर कल आगे उसे ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह तो प्रस्तुत है ।

श्री अम्मार रिजवी–

वह इसे इनिशिएट कर दें और फिर इसे ले लिया जाए ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, अगर चर्चा शुरू करते हैं तो हमारा आधा दिन जो दो घंटे का होता है वह लैप्स हो जाएगा। अगर इस पर चर्चा करवायें तो दो घंटे मिलने चाहिए। पांच मिनट बुलवाकर आधा दिन चला जाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं बैठने को तैयार हूं आप बोलिए ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन् सारे लोग कह रहे हैं। आज मुख्य मंत्री जी ने आठ बजे भोज भी दिया है । आप अगर बैठ जायेंगे और बाकी लोग उठ जायेंगे तो कोरम का अभाव हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप चर्चा शुरू करें चार-पांच दिन का हाउस है, उसे भी आप निकाले दे रहे हैं । आप चर्चा शुरू करें ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

आज स्थगित कर दीजिए ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आज स्थगित कर दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आगे भी बाढ़ जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा हो रही है और मस्तिष्क ज्वर से सैकड़ों लोग मर चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप चर्चा शुरू करें ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लीजिए । आप व्यवहारिकता से काम लीजिए । इस समय साढ़े 6 बजा है और आप दो घंटे की चर्चा करायेंगे तो साढ़े आठ बज जाएगा । और आठ बजे मुख्य मंत्री जी के यहां खाना है .

श्री उपाध्यक्ष–

यह खाने-पीने की बात सदन के बाहर की बात है ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मेरा संकल्प है इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों. . .

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो आप प्रस्तुत कर चुके हैं । चर्चा शुरू करें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैं निवेदन करना चाहता हूं इस संकल्प के जरिए, आज जो व्यवस्था हो गई है, इस सरकार ने जिस तरह के वातावरण का निर्माण किया है इसमें नम्बर दो का पैसा जिसे कहते हैं वह हमारी सारी अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण कर रहा है। आज स्थिति यह हो गई है कि राज्य कर्मचारी और अधिकारी जो हैं इनके पास नम्बर दो की सबसे ज्यादा रकम इकट्ठी हो गई है इसका सबसे मूल कारण यह है कि इस सारे भ्रष्टाचार को राजनीतिक लोगों का संरक्षण मिल रहा है ।

आज श्रीमन्, इस देश की बदकिस्मती यह है कि आज देश में सत्ता की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में बोफोर्स के सौदे में दलाली तथा पनडुब्बी के सौदों में दलाली की बात आती है । यहां के मंत्रियों के बारे में एक निवेदन करना चाहता हूं। आज हम लोगों के पास हर विभाग के मंत्रियों के रोज सर्कुलर और चिट्ठी आती हैं कि तबादलों के लिये सिफारिश न करिये । लेकिन हो यह रहा है कि इस तरह के प्रचार के पीछे इन अधिकारियों और कर्मचारियों से बेशुमार दौलत कमाने का काम आज हमारी सरकार के मंत्रिगण कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक श्वेत पत्र इस पर लायें कि 4 महीनों के अन्दर कितने अधिकारियों, डाक्टरों, इंजीनियरों और दूसरे लोगों के ट्रांसफर हुये और उन्हें मंत्रियों द्वारा रद्द किया गया । इसके पीछे क्या कारण है? इतना पैसा कहां से आ रहा है? आज कमीशन का बाजार ऊपर से नीचे तक चल रहा है ।

आज श्रीमन्, स्थिति यह है कि हर जगह चाहे निर्माण का काम हो, चाहे कोटे-परमिट का या लाइसेंस का मामला हो, कोर्ट कचहरी की बात हो और तो और आज शिक्षा विभाग और हर जगह भ्रष्टाचार पूरी तरह से हावी है। बिना पैसे के कोई काम होने वाला नहीं है। इसका नतीजा यह है कि आज आम कर्मचारी और अधिकारी की जो हैसियत है वह उसको मिलने वाली तनख्वाह तथा दूसरी सुविधायें जो वह पाता है उससे कई गुना अधिक है, उसने तमाम संपत्ति अर्जित कर रखी है। लेकिन हमारी सरकार के मंत्रियों में हिम्मत नहीं है कि उनको छू सकें क्योंकि आज यह सरकार आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी है। यही कारण है, अधिकारी जानते हैं कि अगर हम पर हाथ डाला जायगा तो हम इनकी सारी कलई खोल देंगे और बेनकाब कर देंगे और यह दो मिनट में गिड़गिड़ाने लगेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है कि हमारी मर्जी के खिलाफ काम कर सकें। इसी का नतीजा है कि आज नौकरशाही ज्यादा सक्षम है और मंत्रिगण उसके सामने अपने को निरीह पा रहे हैं। तो इस संकल्प के जरिये हमने कोशिश की है इस बात की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये कि आज भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा किस सीमा पर है और उसको रोकने के लिये क्या करना होगा।

मान्यवर, लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने जब सन् 74 में आन्दोलन छेड़ा था तो उन्होंने कहा था कि राजनीतिक भ्रष्टाचार ही सारे भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, जननी है इसलिये हमको राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना पड़ेगा। मैं जो यह प्रस्ताव लाया हूं तो आप कहेंगे कि मैं राजनीतिज्ञों के खिलाफ यह प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? तो उसका कारण यह है कि मैं जानता हूं कि आज स्थिति बदल गयी है। सन् 74 से 88 के बीच में स्थिति बदल गयी है। आज भ्रष्टाचार के असली नियन्त्रक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हो गये हैं। एक जमाना था कि जब लोग कहते थे कि फलां कर्मचारी या फलां सेक्रेटरी मुख्य मंत्री का कृपा पात्र है, गृह मंत्री का कृपा पात्र है उसको छेड़ेंगे तो मुख्य मंत्री नाराज हो जायेंगे। लेकिन आज स्थिति बदल गयी है। मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्री सेक्रेटरी के हाथ में हैं। आज सेक्रेटरी को खुश कर लीजिये तो मुख्य मंत्री जी से जो चाहे करा लीजिये। आज कोई कलेक्टर खुश हो तो मुख्य मंत्री और गृह मंत्री और दूसरे मंत्रियों से जो चाहे करा लीजिये। आज इनका सत्ता पर अंकुश है और वह सर्वेसर्वा हो गये हैं। अकूत धन उन्होंने पैदा कर रखा है। इसीलिये हमने यह प्रस्ताव किया कि समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों जिनके जीवनयापन का स्तर उन्हें मिलने वाली तनख्वाह की अपेक्षा उच्च स्तर का है उनकी संपत्ति की जांच के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किया जाय।

आज देहात में हम देखते हैं कि हमारा जो कोआपरेटिव विभाग है उसके जो सचिव हैं उनको तनख्वाह तो मिलेगी 300–400 लेकिन कोई भी सचिव बुलेट से नीचे नहीं चलता है, आलीशान पक्की कोठियां उनकी बन गयी हैं। यह जो ग्राम सेवक हैं आई0 आर0 डी0 और अंतोदय की योजनाओं में उन्होंने लाखों का कमीशन कमाया है। उनकी 4-5 महीनों के अन्दर एक कलेक्टर से ज्यादा आमदनी हो रही है। उसी तरह से सप्लाई का इन्सपेक्टर, आबकारी इन्सपेक्टर है और दूसरे अधिकारीगण हैं, ये रजिस्ट्रार हैं, जो हर तहसील में बैठे हुए हैं। कोई भी रजिस्ट्रार

आफिस ऐसा नहीं है जहां पर करोड़ों का सौदा हर महीने न होता हो । इस स्थिति पर अंकुश लगाना पड़ेगा । इस प्रस्ताव के जरिये मैंने जो आपसे शुरू में निवेदन किया, ये मंत्री जी हैं, सेक्रेटरी के, नौकरशाही के चंगुल में हैं । यह प्रस्ताव इस बात की परीक्षा होगी, अगर सरकार ईमानदार है, क्योंकि उस पक्ष में बैठने वाले इस बात को व्यक्तिगत बातचीत में स्वीकार करते हैं कि आज चौमुखी भ्रष्टाचार में आदमी कराह रहा है । हम प्रस्ताव लाये हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो उस पक्ष में बैठे हुए लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ दें। अगर आप ईमानदारी से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं और निरंकुशता को बांधना चाहते हैं, तो आपको इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को भ्रष्ट नहीं कह रहे हैं, हमारा सीधा प्रस्ताव है कि जिन अधिकारियों का रहन-सहन का स्तर उसे मिलने वाले वेतन-भत्ते से कई गुना है, तो आप उसके खिलाफ आयोग बैठाल कर उसकी जांच करा दीजिए । इससे नौकरशाही के अन्दर एक भय पैदा होगा, वे सोचेंगे कि इसकी जांच हो सकेगी और वे फिर गलत कमाई करने में हिचकेंगे ।

आज नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है । वह तो हमने आज देख लिया, क्योंकि हमारे प्रदेश का मुख्य मंत्री किस तरह से अपनी कही हुई बातों से मुकर सकता है, आज हमने उसका जीता-जागता स्वरूप देखा । उच्च आदर्श और संसदीय मर्यादायें जो हैं, उनकी पराकाष्ठाओं को छूने की परिकल्पना की गयी है । लेकिन जो भ्रष्टाचार का सबसे गहरा गर्त है, वहां तक पहुंचने का काम किया गया है । जब हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात करते हैं, तो ये सारे लोग जो हैं, उसके खिलाफ कठिन मोर्चा खड़ा कर देते हैं । नैतिकता की जब हम बात करते हैं, तो वह गांधीवाद की बात करते हैं, लेकिन काम करते हैं उसके खिलाफ । उस समय ये टाटा और बिड़ला से कहते थे कि जो आपकी सम्पत्ति है, उसे अपनी न समझें, क्योंकि आपकी पूंजी में श्रम लगा है, इसलिए इसको आप ट्रस्टी समझें। इनके मंत्री लोग जाकर कमीशन लेते हैं, ट्रान्सफर में, एप्वाइंटमेंट में, सब जगह पैसा चलता है । अगर सरकार में नैतिकता है, साहस है, तो इस संकल्प को स्वीकार करिये । इससे यह निश्चय है कि जब जांच में उनके भ्रष्टाचार का पर्दा उठेगा, तो उसमें आपके कितने लोग शामिल हैं, आपका कितना संरक्षण कितना सहयोग उस तरह के धन को कमाने में लगा हुआ है, यह भी बेनकाब हो जायगा । इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार जो है वह इस बात को मानने वाली नहीं है । आज जो है, वह केवल बात में गांधी जी के आदर्शों की बात करते हैं । अभी मैंने कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी । जब शुरू में ये तमाम बातें करते थे कि मैं तो इस प्रदेश में काम करने आया हूं, मैं झगड़ा लेने के लिए नहीं आया हूं, तो मैंने उनको एक चिट्ठी बड़ी विनम्रता के साथ लिखी थी कि बताइये कि आप कौन-सा करिश्मा करने जा रहे हैं? क्या अभी जो सिद्धान्त हैं, नीति निर्देशक सिद्धान्त हैं, संविधान है उनमें से किसी को लागू करने जा रहे हैं क्या आपकी हिम्मत है कि गांधी जी का जो मद्य निषेध का सिद्धान्त था उसको आपकी पार्टी नहीं लागू कर सकी । हम उसे नहीं लागू कर सके यह कहकर कि जो पब्लिक एक्सचेंकर का घाटा होगा उसको पूरा नहीं कर सकें तो क्या आपकी हिम्मत होगी उसकी शुरूवात करेंगे । मंत्रिपरिषद् में ऐसे

लोगों को नहीं रखेंगे जो नशा पीने के लिए बदनाम होंगे लेकिन मैं जानता हूं कि उनकी हैसियत नहीं है तो क्या मुख्य मंत्री जी की हैसियत है या इस सरकार की हैसियत है यह भी मैंने कहा कि आप कैबिनेट के, वीर बहादुर सिंह की कैबिनेट के जो मंत्री बदनाम थे, कमीशन के लिए घुसखोरी के लिए जनता में चर्चित थे क्या आपकी हिम्मत थी कि उनको न रखे मुख्य मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया । एक डेढ़ महीने बाद जवाब दिया तो वह लीपापोती करके कि तिवारी जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं तो स्वच्छ प्रशासन के लिए कटिबद्ध हूं इस तरह का जवाब आया । तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है ।

आज यह बात करते हैं सदाचार की और संरक्षण देते हैं भ्रष्टाचार की और उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में श्रीमन्, अब तो कुछ न कुछ करना होगा । आज नौकरशाही के हाथों जिस तरह से जगह-जगह जनप्रतिनिधियों को बेइज्जत होना पड़ता है आज दफ्तर में जाइये शराब के नशे में धुत अधिकारी मिलते हैं, प्रोटोकाल का पालन करना तो छोड़ दीजिए, हम बचकर चले आयें यही बहुत है । आज स्थिति यह है कि एम0 पी0 और एम0 एल0 ए0 को समझने की बात नहीं वह मिनिस्टर को भी कुछ नहीं समझते । सीता राम निषाद जी यहां नहीं हैं वह जब मंत्री थे तो एक इक्जीक्यूटिव इंजीनियर था पृथ्वी सिंह उन्होंने उससे पहले अपने घर का कुछ हिस्सा बनवाया उसके बाद उनकी बेगम ने एक हवाई अड्डे पर जमीन कब्जा कर रखी थी फर्जी इन्द्राज कराकर, उस पर कहा कि इस नक्शे की बिल्डिंग खड़ी करो। जब उसको लगा कि सारी जिन्दगी की कमाई तो यही ले जायेंगी और उसने वह नहीं किया तो उसका स्थानान्तरण हो गया । उसने लिखकर सरकार में शिकायत किया कि मंत्री जी हमसे इस तरह की बात चाहते थे इसलिए हमारा ट्रान्सफर कर दिया। जब यह बात हमारे सदन में उठी तो श्री वीर बहादुर सिंह जी जो तत्कालीन मुख्य मंत्री थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि जांच बिठा दें । लीपापोती करके बहुमत के बूते पार भाग गए और उस पृथ्वी सिंह का कुछ नहीं हुआ । अगर उनका जो पहला वाला घर बनवाया तो हराम का पैसा नहीं था तो कहां से बनवाया । उसको जब लगा कि सारी जिन्दगी की कमाई मंत्री जी लूटने वाले हैं तब टकराव हुआ और शिकायत किया तो ट्रान्सफर कर दिया गया । आज यह स्थित है कि मंत्री एक हद तक नौकरशाही को औब्लाइज करता है लेकिन जब मंत्री सीमा बाहर उससे चाहता है तो वह मंत्री से लड़ जाता है और आप उसकी जांच नहीं करा पाते हैं ज्यादा से ज्यादा ट्रान्सफर कर देते हैं और अपनी इज्जत बचाने की फिक्र में पड़ जाते हैं । आज कोई भी इन्जीनियर इरीगेशन का है वह जहां चाहता है उसका स्थानान्तरण सरकार करेगी, सिंचाई मंत्री करेंगे और वह नहीं करेंगे तो मुख्य मंत्री कर देंगे, नहीं तो सचिव कर देंगे । अगर उसके पास कमाई का पैसा है तो वह जहां चाहेगा वहां रहेगा।

आज अगर कोई डाक्टर है कमाई करने वाला तो उसके आगे हमारे दीक्षित जी की नहीं चलने वाली है यह चाहेंगे तो भी नहीं चलेगी वह डिपार्टमेन्ट से ही सब कुछ करा लेंगे । इक्साइज विभाग को मैं जानता हूं । वन विभाग को मैं जानता हूं,

4 महीने हो गए ट्रांसफर हुए लेकिन इनमें से बहुत लोग अपनी जगह पर नहीं गए हैं और बहुत से लोगों को डिसट्रिक्ट फारेस्ट आफिसर ने रिलीव ही नहीं किया है। क्योंकि उसके जरिये वह अकूत पैसा कमाते हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार में जरा भी नैतिकता है, सरकार मेरी चुनौती को नकारती है तो मेरी चुनौती है 7 तारीख तक विधान सभा है। एक श्वेत-पत्र लाएं और दिखायें कि कितने अधिकारियों का पिछले 4 महीनों में ट्रांसफर किया गया और उसमें से कितने नहीं गए और ऐसे कितने ट्रांसफर मंत्री जी ने रद्द कर दिए अपनी ही कलम से। इसमें दोनों का चेहरा साफ हो जाता है कि नौकरशाह कितने बलवान हैं, कितने तगड़े हैं। जब चाहते हैं मंत्री से ट्रांसफर रद्द करवा सकते हैं। मंत्री का भी चेहरा साफ हो जायगा कि जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि ट्रांसफर रोकने की हमसे प्रार्थना मत कीजिए, इससे प्रशासन का काम सफर करता है। मैं चाहता हूं कि आपने कितने ट्रांसफर अपने हाथ से रोके, क्यों रोके, क्योंकि निश्चित रूप से आपने धन कमाया है, और उसको देने में नौकरशाह को कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उसने भी पब्लिक से रिश्वत लेकर और सरकारी खजाना से धन हड़प कर धन कमाया है, धन संचित किया है तो उसमें से कुछ धन निकाल देने में उसे कोई परेशानी नहीं है।

आज यह स्थिति है। इसीलिए यह प्रस्ताव है कि इसको लागू कीजिए, अगर आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नौकरशाह बेलगाम, निरंकुश और स्वेच्छाचारी न हों तो कहीं न कहीं अंकुश लगाना शुरू करना पड़ेगा और उसके पहले आपको अपने चरित्र को देखना पड़ेगा। इसमें स्वयं भ्रष्टाचार का लोप हो जायगा और नौकरशाहों की भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी पर अंकुश लगेगा। अगर आप दोनों सपने एक साथ देखेंगे तो यह एक साथ नहीं चलेगा, इसलिए कि यह साबित हो गया है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री अब बेकाबू हो गयी है। इसका कुछ न कुछ समाधान निकालना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो गृह युद्ध होगा, हिंसा होगी। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं यह संकल्प लाया हूं और मैं यह निवेदन करता हूं कि अगर सरकारी पक्ष ईमानदारी से, यह जो शिकायत होती है कि नौकरशाह प्रोटोकाल नहीं मानते, जन-प्रतिनिधियों को जगह-जगह अपमानित करते हैं, यहां तक कि उनके पास बेशुमार दौलत है, वह जानते हैं कि वह आगे हाई-कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ सकते हैं अपनी उस अकूत आमदनी का लाभ लेकर और इसी बीच किसी मंत्री की सिफारिश से, किसी आफसर को खुश करके अपनी जगह पर फिर आ जायेंगे और आप ठण्डे हो जायेंगे।

आज जो यह स्थिति है, इसको बदलने के लिए कोई न कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। इसके लिए यह योजना आप कार्यान्वित कर सकते हैं। जो अपनी गलत सम्पत्ति को एकाउन्ट फार नहीं कर सकते, उन पर एक आयोग बनाकर उनकी जांच करावें। रूस की सरकार आयी तो उन्होंने बहुत से कानून बनाए, लेनिन ने भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए। तो कोई न कोई कानूनी नुक्स निकाल कर ये लोग कमाई करते हैं और आखिर में जब लेजिस्लेशन आया उन्होंने कानून बना दिया कि हर चीज जो धरती पर है, अन्दर है या आसमान में, वह सब सरकार की है। नतीजा यह हुआ

कि वहां करप्शन पर अंकुश हो गया है । हम नहीं चाहते हैं ऐसा किया जाय । हम चाहते हैं जनतांत्रिक तरीके से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, लेकिन इसके लिए कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा और उसके लिए राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आपको शुरुआत आज नौकरशाहों से करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सन् 1975 तक राजनीतिक आदमी, भ्रष्टाचार को संरक्षण देता था लेकिन आज राजनीतिक आदमी बिका हुआ है । आज किसी मंत्री का सचिव या सेक्रेटरी नहीं है, हर मंत्री किसी न किसी नौकरशाह या सेक्रेटरी का है । उससे वह जाना पहचाना जाता है । आज मुख्य मंत्री से कोई काम कराना है तो लोग सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी से सहारा लेते हैं, आज खतरनाक स्थिति पैदा हो गयी है । मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं और मांग करता हूं कि अगर सरकार में जरा भी नैतिकता है और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए साहस है, तो आयोग के गठन की बात को स्वीकार करनी चाहिए । इससे अधिकारी/कर्मचारी जो ईमानदार हैं, उनको कोई नुकसान नहीं है, उन्हें खुशी होगी, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अपनी सम्पत्ति का एकाउन्ट फार नहीं कर पायेंगे, उनके खिलाफ आपको कार्यवाही करने का मौका मिलेगा । इसी तरह से भ्रष्ट मंत्रिगण, जो इन भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के जरिये सामाजिक जीवन में विष घोलने का काम कर रहे हैं, उनको छांटा जा सकेगा, अलग किया जा सकेगा । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । जो सरकारी अधिकारी/कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके रहन-सहन की स्थिति की एक आयोग द्वारा जांच कराई जाय, यह तो मान्यवर, इनका संकल्प स्वीकार होना चाहिए । माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने एक बात कही कि जो लोग इसमें लिप्त होंगे, उनकी जांच होगी । मान्यवर, कुएं में भाग ऐसी पड़ी है कि जो नहीं चाहते हैं वह भी इसमें लिप्त होने के लिए मजबूर हुए हैं । सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अपने-अपने क्षेत्रों में देखिए कि क्या स्थिति है ? जो भी निर्माण के काम हो रहे हैं, आज सड़क जो बन रही है, कल खराब हो रही है । जो आज भवन बन रहे हैं, कल ढह रहे हैं । न कोई बिल्डिंग और न कोई सड़क ठीक बन रही है । निर्माण का काम बहुत ही घटिया है । मान्यवर, शेरशाह सूरी की सड़कें और मुगल-काल की इमारतें आज भी इस बात का सबूत हैं कि उस समय निर्माण कितना बढ़िया था, निर्माण कैसे हुआ था ? आज कांग्रेस की सरकार के समय में घटिया सड़क और घटिया भवनों का निर्माण हो रहा है, जो आज बनते हैं और कल ही ढहते हैं, यह भ्रष्टाचार का कितना खुला नंगा नमूना है । इसके परिणाम बड़े भयानक हो रहे हैं । कुछ माननीय विधायक मुझसे कहते हैं कि मेरे यहां सड़क बन गयी मैं उनसे यही कहता हूं कि चौथे साल बनवाते तो ठीक रहता कम से कम एक साल तो टिकी रहती, चुनाव आने तक तो टिकी रहती, मैं कहता हूं कि जिनके यहां 85-86 में सड़कें बनीं वह 1990 तक जनता की शिकायत के लिए कारण बनेंगी ।

मान्यवर, बस्ती जिले में ठेकेदारों ने पी0 डब्लू0 डी0 के कामों के बारे में कहा कि काम नहीं करेंगे । कारण वही कमीशनबाजी और हिस्सेबाजी । मान्यवर, कभी यह हिस्सा एक परसेंट हुआ करता था, फिर बढ़कर 10 परसेंट हुआ, फिर 15 परसेंट हुआ, अब किसी भी निर्माण कार्य में 50 प्रतिशत तक बंटवारा हो जाता है तो शेष 50 परसेंट में निर्माण कार्य, खाक होगा ? 1 और 10 के रेशियो में बिल्डिंगें बनती हैं। मकान आज बनता है, कल गिर जाता है । मान्यवर, आज तो पी0 डब्लू0 डी0 के लोग कहते हैं कि ब्रिटिश काल में । एक परसेंट ले लिया जाता था और 99 परसेंट काम में लगता था । अब कोई व्यक्ति/विभाग नहीं कहता कि 50 परसेन्ट से कम पर बंटवारा होगा । मान्यवर, इसी बंटवारे का परिणाम है कि निर्माण कार्य बिल्कुल घटिया हो रहा है । मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा तथा सहकारिता मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में लाखों रुपये का घपला है, वहां साधन सहकारी समिति सचिव जो हैं, उनके पास मैं कार पाता हूं, जीप पाता हूं, तिवारी जी ने तो केवल बुलेट की बात कही । वहां पर 7 न्याय पंचायतों में मंत्री जी द्वारा जांच बिठाई गयी है और 7 लोग सस्पेन्ड हैं, दो व्यक्ति भागकर नेपाल चले गये हैं । वहां पर लाखों रुपये फर्जी कर्जे के रूप में किसानों के नाम दिखाकर उनसे रुपयों की वसूली की जा रही है । मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि कम से कम उन्होंने इसको रोक तो दिया है ।

इसी के साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा । पिछली बार जब माननीय वीर बहादुर जी मुख्य मंत्री थे, उस समय बड़े जोरों से ढंढोरा गया कि बुनकरों को कर्ज दिये गये हैं, कामकाज चलाने के लिए । मैं कहना चाहता हूं कि आज किसी भी बुनकर को बुलाकर मालूम कर लिया जाये कि उसकी स्थिति क्या है । कर्जा दिया था, किसी को 2 हजार, किसी को 5 हजार । उसमें भी 10-10, 15-15 प्रतिशत जब तक बैंक मैनेजर ने नहीं लिया, तब तक किसी को भी पैसा नहीं मिला । जब बैंक के लोगों को अपना हिस्सा प्राप्त हो गया तब जाकर किसी बुनकर को कर्जा प्राप्त हो पाया। किसी भी क्षेत्र में देख लें, बिना पैसे दिये गाड़ी खिसकने वाली नहीं है । यहां ट्रांसफर की बात कही गयी । यहां विधायकों की कलम कमजोर पड़ गयी । वाणी का बल क्षीण होता जा रहा है, मंत्री लिख देते हैं, वह फाइलों में सड़ा करता है । काम होता कैसे है ? जब बाबू को चढ़ावा दे दिया, अधिकारियों को दे दिया, तब काम होता है, चाहे विधायक का लिखा हो या न हो, मंत्री ने लिखा हो अथवा न हो । आप पैसे दे दें, आपका काम हो जायेगा । मैं इस तरह के अनेक उदाहरण दे सकता हूं । हमारे कलम की ताकत कमजोर होती जा रही है और हमारी सारी सेवायें खाक में मिली जा रही हैं । मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर पैसे के बल पर काम होगा, तो हमारी सेवाओं की कीमत क्या रह जायेगी ? मैं इस संकल्प का समर्थन करते हुये यह कहना चाहूंगा कि अगर आयोग बिठाकर जांच नहीं करवाई गयी तो यह इस सीमा तक पहुंच जायेगा, जहां यह सारे उत्तर प्रदेश को ले डूबेगा । मान्यवर, इसी सदन में एक आई0 ए0 एस0 अफसर बैठते हैं, मैं उनका नाम इस समय नहीं लेना चाहता । एक दिन वह मुझसे कमरे में मिले और बोले, हरिश जी अगर मैं कोआपरेटिव सोसायटी का सचिव हो गया होता, तो आज से मैं ज्यादा अच्छा

होता । एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी जो सचिवालय में बैठे हैं, उनका यह व्यंग है। मान्यवर, मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि आपके सामने उन अधिकारी को लाकर कहलवा दूंगा, जो बात उन्होंने मुझसे कही है । संभवत: उनके कमरे में लाउडस्पीकर लगा होगा, तो वह मेरी इस बात को सुन रहे होंगे । मान्यवर, सचिवालय में कोई मंडी परिषद् होती है, मुझे एक अधिकारी मिले, उन्होंने कहा मैं मंडी परिषद् का सचिव होना चाहता था । उन्होंने बताया कि उससे कहा गया है कि जो 2 लाख का चढ़ावा चढ़ायेगा, वह मंडी परिषद् का सचिव होगा । जिस व्यक्ति को लाख रुपये सचिव बनने के लिए देना होगा, वह कितने लाख रुपये बनाने की कोशिश करेगा ? मान्यवर, बहुत से ऐसे पद यहां इसी उत्तर प्रदेश शासन में विराजमान हैं, जिन पदों पर तैनात होने के लिए लाखों का चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा । जब सारे कुएं में ही भांग पड़ी है, तो उससे कौन बच सकता है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक निष्पक्ष आयोग बिठाया जाना चाहिए, अन्यथा लोकतंत्र झूठा हो जायेगा, जन सेवायें झूठी पड़ जायेंगी, किसी के कलम की ताकत नहीं रह जायेगी, बस पैसे का राज होगा । ऐसी स्थिति में न कांग्रेस का राज होगा, न भारतीय जनता पार्टी का राज होगा, न लोकदल का राज होगा सिर्फ पैसे का राज रह जायेगा । मान्यवर, अगर जन सेवाओं का राज चलाना है तो माननीय तिवारी जी का जो संकल्प है, उसे स्वीकार किया जाये, जो जनहित में अनिवार्य है और अति आवश्यक है । इन शब्दों के साथ मैं पुन: इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

(इस समय 6 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पीठासीन हुये ।)

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं उसका समर्थन करता हूं । बहुत ही व्यापक यह प्रस्ताव है और जिस तरह की गंभीरता से इस पर विचार हुआ है, उसी तरह से इस पर विचार होने की आवश्यकता है । मेरा ख्याल है कि यह एक व्यापक प्रश्न है, जितनी लाईफ स्वयं है । इसमें कोई संदेह नहीं कि जहां ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेसी/सेवामंडली नहीं होगी, वहां का काम अच्छी तरह से संचालित नहीं हो सकता है और जन जीवन के लिए सुखमय नहीं हो सकता है । यही नहीं कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी/सेवा मंडली ही ऑनेस्ट हो, समाज को भी ऑनेस्टी की कद्र करनी चाहिए और हर क्षेत्र में ऑनेस्टी का प्रभाव होना चाहिए तथा हर व्यक्ति को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए । मान्यवर, मैं श्री तिवारी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें राजनीतिक, ब्यूरोक्रेटस, बिजनेसमैन आदि सभी लोग शामिल हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसमें शामिल न हो । मेरा निजी अनुभव है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बिजनेस में है, तब दूसरी जगह है । हो सकता है मेरा अन्दाजा गलत हो । 30 फीसदी ब्यूरोक्रेसी में बहुत भ्रष्टाचार है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है । पॉलीटिशियन में भी बहुत कुछ भ्रष्टाचार है । यह इतना व्यापक सवाल है कि इसे हल कैसे किया जाय, अच्छी व्यवस्था कैसे कायम की जाय, जिससे हर प्रकार का भ्रष्टाचार दूर हो जाय । मान्यवर, जब हम लोग पढ़ते थे तो डाकखाने में, शिक्षा विभाग में और कुछ अन्य विभाग थे, जिनको कोई टच नहीं कर सकता था । उस समय इनमें कोई भ्रष्टाचार नहीं था, जुडीशियरी में भी कोई भ्रष्टाचार नहीं था, लेकिन आज भ्रष्टाचार से शिक्षा विभाग, डाक तार विभाग, जुडिशियरी भी एफेक्टेड हो गये हैं । यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । मैं अपने जनपद की ही बात बताऊं कि शिक्षा विभाग का जो प्राईवेट फार्म सेल होता है तो उसमें हजारों रुपए कमाये जाते हैं । अब सवाल यह है कि इसको कैसे ठीक किया जाय । एक आयोग बैठा देने से कोई भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है । इसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज ऐसा वक्त आ गया है, एक सम्मानित सदस्य जी ने मुझसे कहा कि विधायक जी जो विधायक क्रिमनल नहीं रखेगा वह चुनाव नहीं जीत सकता है । हो सकता है उनकी यह बात एक्जजरेटेड हो । ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति क्रिमिनल रखकर ही चुनाव जीतता हो, लेकिन यह उनकी एक वेदना थी, जिसका उन्होंने इजहार किया । किसी ने कहा भी है कि "वर्शिप आफ यूथ ए सिम्पटम आफ डिके इन दि सोसाइटी ।" आज इस भ्रष्टाचार के लिए पॉलिटिशियन भी कम जिम्मेदार नहीं हैं । वोटों के लालच में हम लोगों को ये सारे के सारे काम नहीं करने चाहिए । जहां तक आयोग गठित करने का सवाल है और वह भी केवल कर्मचारियों को देखने के लिए, तो मेरा कहना है कि केवल कर्मचारियों को ही नहीं पूरे समाज में फैले भ्रष्टाचार को देखने की जरूरत है ।

मान्यवर, मैं तो कहना चाहता हूं कि बहुत से पॉलिटिशियन हैं, जो काफी ईमानदार हैं, लेकिन वे अपने परिवार से परेशान हैं, जो उनकी छवि धूमिल कर देता है, उन पर वह कुछ कन्ट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज समाज के सामने यह एक ऐसा व्यापक सवाल है, जिसे गहराई से देखने की जरूरत है । केवल आयोग बैठा देने से यह मामला हल होने वाला नहीं है। अधिकारी वर्ग में भी ऐसे लोग हैं, जो बहुत ही ईमानदार हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इनकी मैजोरिटी ज्यादा है। अधिकारी लोग ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और जो पालिसी व प्रोग्राम बनाये गये हैं, उनका इम्प्लीमेन्टेशन भी वह करना चाहते हैं, लेकिन आज एक बैलेन्स की आवश्यकता है । सब के सब बुरे हो गये हैं, ऐसा श्री तिवारी जी ने कहा भी नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता, सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा और यह हो भी नहीं सकता । जो प्रस्ताव माननीय श्री तिवारी जी ने रखा है वह नेक नियती से रखा है और उचित ढंग से रखा है।

यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे ही बच्चे एस0 पी0 और डीवाई0 एस0 पी0 हैं, हमारे ही बच्चे कम्युनिकेशन में हैं, रेलवे में हैं, सभी जगह हैं। कितने लोग आंखों पर परदा डालते हैं, वही बच्चे पैसा लाते हैं, कोठी बनती है, कार आती है। ऐसा माहौल चल पड़ा है कि भौतिक जीवन की उपलब्धियों में दिमाग लगा रहता है, पावर और स्टेटस की इच्छा भी बढ़ती जा रही है। उसको हासिल करने के लिये सही-गलत सब करते चले जा रहे हैं। जब हम देखते हैं कि इन्जीनियर है दो साल की नौकरी है, सुपरवाइजर है ट्यूबवेल का दो साल की नौकरी है, उसने लाखों की सम्पत्ति तैयार कर ली, ओवरनाइट एक अजीब माहौल हो गया, झोपड़ी से महल बन गया। वहां के आदमी देखते हैं तो कहते हैं कि कहां से धन आया। उनके दिल में भी यह होता है। जैसा कि आपने कहा कि एक आई0ए0एस0 अधिकारी कह रहे थे कि यदि मैं साधन सहकारी समिति का सचिव होता तो अच्छा होता। यहां पर कोई मिनिस्टर या गैर मिनिस्टर का सवाल नहीं है। एडवरटाइजमेंट की ही बात ले लें। तमाम लोग घूमते हैं एडवरटाइजमेंट ले आते हैं। प्रतापगढ़ की सड़क बहुत अच्छी बनायी है, अखबार में छप गया है लेकिन कौन पढ़ता है उसे, किन्तु अखबार में छप गया और पैसा चला गया। ऐसे बहुत से जरिये पैसा कमाने के पैदा हो गये हैं। इसके अलावा क्रिमिनेलिटी बढ़ती चली जा रही है। यह संकल्प बहुत ही नेक नीयती से रखा गया है। इसका समर्थन हर व्यक्ति करेगा और चाहेगा कि समाज से करप्शन दूर हो। किसी की नौकरी के लिये सिफारिश के लिए जाने की जरूरत नहीं है। एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक है कि नौकरी मैरिट पर होनी चाहिए। जो मैरिट पर आयगा वह समझेगा कि वह इस राज्य का कर्मचारी है और ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन जो जाति-पांति के आधार पर नौकरी पायगा, वह तो कुछ और समझने लगता है। कम्पटीशन में ओपेन नैस होनी चाहिए, मैरिट का भी लिहाज होना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में तमाम लोगों का रोज ही जुलूस निकलता है। वकील अपने कोर्ट का बायकाट करते हैं। जहां तक अध्यपकों का प्रश्न है कोई-कोई अध्यापक इतना ज्यादा पोलिटिकलाइज हो गया है कि चाहे जो जगह हो वहीं अध्यापक चुनाव लड़ रहा है। राज्य कर्मचारी भी कनवैसिंग करते हैं। हम सिफारिशें ले जाते हैं, गलत काम करवाते हैं, जिसका काम हो जाता है वह बहुत खुश हो जाता है लेकिन जिसका काम नहीं हो पाता है वह नाराज होता है और थ्रेटेन करता है कि हम आगे को देख लेंगे। इसलिये माननीय तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत ही उचित है। हां, जहां तक आयोग को गठित करने की बात है इसमें तरमीम करना चाहिए। आज जरूरत है कि सारा समाज उठ कर खड़ा हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाये, इसमें पालिटीशियन्स को सामने आना चाहिए। जैसा कि मा0 चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था और सभी नेताओं ने कहा है कि हम लोगों को हजारों आंखें देख रही हैं। हम सबको अच्छा आचरण रखने की जरूरत है इससे दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा और इससे हम भ्रष्टाचार को भी दूर कर सकेंगे और कुछ हद तक समाज को भी प्रभावित कर सकेंगे।

श्री हरिशंकर तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय तिवारी जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देता हूं और कहता हूं कि जब तक प्रशासन में भ्रष्टाचार है और वह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, पहले सम्मानित सदस्यों को अपनी ओर देखने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि भू0 पू0 मुख्य मंत्री, वीर बहादुर सिंह मुझे माफिया का सरदार कहते थे और यह कहते हुए उनकी जबान नहीं थकती थी। हमारा चैलेन्ज है कि हमारी सम्पत्ति की जांच करा ली जाय। मेरे द्वारा अर्जित सम्पत्ति की जांच हो जाय और इस सदन की एक कमेटी बना कर मा0 वीर बहादुर सिंह की सम्पत्ति की भी जांच की जाय। उस जांच में जो सम्पत्ति अवैध घोषित हो उसे जनता की सम्पत्ति घोषित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी, आप कृपा करके बैठ जायें, उधर से व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा रहा है, पहले मैं उसको सुन लूं। मा0 सिंघल जी और मा0 खान गुफरान जाहिदी साहब दोनों खड़े हुए हैं, एक मा0 सदस्य बैठ जायें और एक-एक करके व्यवस्था का प्रश्न उठायें।

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, क्या माननीय सदस्य उस व्यक्ति का नाम लेकर कोई बात यहां पर कह सकते हैं जो व्यक्ति यहां पर मौजूद नहीं है ?

श्री अधिष्ठाता–

जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, उसे मैंने ध्यान से सुना। प्रस्ताव में साफ लिखा है कि राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिनके जीवन यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्च स्तर का है। वीर बहादुर सिंह व्यक्ति का नाम है, किसी अधिकारी या कर्मचारी का नहीं और यहां व्यक्ति से कोई तात्पर्य नहीं है।

श्री लाल प्रताप सिंह–

अधिष्ठाता जी, आज यहां जो प्रस्ताव रखा गया है उसकी मंशा दूसरी है। मैं आग्रह करूंगा कि यहां पर इसमें किसी व्यक्ति का नाम न लिया जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने स्वयं ही तो कहा कि सारे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने व्यवस्था दे दी है, किसी का नाम न लिया जाय तो अच्छा होगा।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, यह संकल्प जिस दिशा की तरफ बतला रहा है उसको सामने रखते हुए, संकल्प की जो मंशा है, जो रूह है, जो मिशन है . . .

(व्यवधान के मध्य)

माननीय अधिष्ठाता महोदय जितने भी संकल्प अब तक हुए हैं और आइन्दा होंगे, हर-एक में अधिकारियों व कर्मचारियों का शब्द इस्तेमाल होगा और होता रहा है, साथ ही वहां पर यह भी देखना होता है कि जो बात चल रही है । आया वह विषय से हटकर या उस संकल्प की आत्मा को ठेस पहुंचाने संबंधी तो नहीं हो रही है, यहां पर बात कुछ ऐसी थी, परन्तु इस पर आपने जो व्यवस्था दी है, डायरेक्शन्स दिए हैं उस पर हम सब को आपत्ति है । इससे पहले भी यहां पर इस प्रकार के विषय आए हैं और ऐसे समय में यही मतलब उस सीन से दी गयी है कि जो आपत्ति जनक बातें होंगी, उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा परन्तु इस प्रकार के डायरेक्शन्स से तो हमारी आपकी ही नहीं बल्कि इस आदरणीय सदन की भी गरिमा कम होगी ।

श्री अधिष्ठाता–

हमने जो व्यवस्था दी है उसकी आत्मा तक आप पहुंचे हों या न पहुंचे हों, साथ ही मैंने यह भी कहा है कि यदि नाम न लिया जाए तो अच्छा, लेकिन जवाब देने का अवसर तो हर-एक को दिया ही जायेगा ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर यहां पर इस संकल्प को लाकर किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई प्रश्न नहीं है, यहां पर उन कर्मचारियों व अधिकारियों को जो हर तरह का अत्याचार से कराह रही हैं, मैं जिस जन-प्रतिनिधि हूं और इसी जन-प्रतिनिधि होने के नाते जनता की आवाज को बुलन्द करना हमारा कर्तव्य भी मेरे अन्दर है, किसी की व्यक्तिगत बातों से यहां कोई संबंध नहीं है, [illegible] मुलाकात मा0 वीर बहादुर सिंह से [illegible] मुझे माफिया का सरदार [illegible] इसलिए मुझे यह कहने पर मजबूर [illegible] जायदाद की जांच करा ली जाय और मा0 वीर बहादुर सिंह [illegible] भी जांच करा ली जाय और इस [illegible] आम जनता में बांट दी जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

यह विषय आपका अलग आ गया, इसीलिए उसे किसी दूसरे संकल्प के रूप में ले आइयेगा, तब यहां पर उसी विषय पर [illegible] ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

अभी कुछ दिन पूर्व मान्यवर, सिंचाई विभाग के मुख्य अधिकारी, श्री के0 डी0 सिंह, इक्जिक्यूटिव इन्जीनियर, सिंचाई विभाग, [illegible] 24 जून, 88 को स्थानान्तरण हुआ परन्तु उन्होंने 25 जून से 10 जुलाई, 88 के बीच 78 लाख रु0

का भुगतान किया है और वर्ष 1986-87 में मकदर योजना पर किये गये कार्य पर 24 लाख रु0 का भुगतान किया है और इसी प्रोग्रेस में 10 लाख रु0 की रसिदयां जिनका कोई रिकार्ड नहीं, कमीशन और इस मामले की जांच के बैठाने की शिकायत की गयी तो उस अधिकारी को एक अन्य अधिकारी का डी0 ए0 बनाकर भेज दिया गया। इस प्रकार की भ्रष्टाचार है, आज हर तरह भ्रष्टाचार की आग लगी हुयी है, एक हाहाकार मचा हुआ है, इस मामले को मान्यवर, आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा 78 लाख रुपयों का मामला है, मान्यवर। (और) अपने अखबारों में भी पढ़ा होगा।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं, तो मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि अब एक सदस्य बोल रहे और दूसरा सदस्य बोलने वाला हो तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। तिवारी जी ने अपनी बात किसी सदस्य का नाम लिये बिना कही है, तो इसमें क्या व्यवस्था हो गयी?

(व्यवधान)

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर, यही व्यवस्था मैं उठाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, गोरखपुर जनपद में बीसों लाख रुपए लगाकर तमाम अधिकारियों ने कोठियां बनायी हैं, आर0 डी0 सिंह जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं थी और वह 20 हजार का कमरा भी नहीं बनवा सकते थे, मेरी खुली चुनौती है कि ऐसे अधिकारियों की सम्पत्ति की जांच होनी चाहिए। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि मकान और कोठियां उन अधिकारी की नहीं हैं, वह सत्ता प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति की हैं, जो गोरखपुर से संबंधित हैं। आपने अखबारों में पढ़ा भी होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। अगर आप कहेंगे, तो मैं नाम भी दे दूंगा। देहरादून में 20 लाख रुपये का मकान बनवाया गया है, जिसमें वह राजनीतिक व्यक्ति, इस सदन से जाने के बाद उस मकान में विश्राम करता है। इसकी चर्चा इंडिया टुडे तथा अन्य अखबारों में भी निकली है। वह मकान [xxx] का है। गोरखपुर में जुबली इण्टर कालेज के सामने की जमीन जो सड़क बनाने के लिए छोड़ी गयी थी, उस जमीन को एक सम्पन्न राजनीतिक व्यक्ति के संबंधी ने प्राप्त कर लिया है और उसको अपनी बीबी के नाम रजिस्टर कराया है और उसका मूल्य न देने के बजाय, उस संबंधी के नाम रिलीज कर दिया गया है।

नोट :—[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय तिवारी जी ने जो कुछ कहा है उनका इशारा जिस तरफ है और बार-बार उनका नाम भी लिया है, वह इस सदन के सदस्य हैं और इन्होंने उन पर कई आरोप लगाये हैं तो उन पर कोई आरोप लगाने के पहले उनको सूचित करना चाहिए । बगैर सूचना दिए हुए, इस तरह का आरोप लगाना ठीक नहीं है । मेरा अनुरोध है कि इस तरह की जो बात कही गयी है, उसे सदन की कार्यवाही से निकलवा दें और तिवारी जी जो कहना चाहते हैं उन आरोपों को लिखकर दे दें ।

श्री अधिष्ठाता–

जिस समय तिवारी जी नाम ले रहे थे, मैंने उनको नाम लेने से मना कर दिया । अब नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी देख लूंगा ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मेरा यह आरोप है कि . . .

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

इनकी जमीन का आंकलन होना चाहिए, इनके पास जो सम्पत्ति है, जिसे इन्होंने गलत तरीके से बनायी है, उसकी जांच होनी चाहिए । . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बिना बुलाये ही बोल रहे हैं । आप को मौका मिलेगा । तब आप अपनी बात को कह लें ।

(व्यवधान)

(हरदेव के बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

जो हरदेव जी बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री हरदेव–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

हरदेव जी, आप बैठ जाइये ।

(श्री हरदेव बोलते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपा करके बैठ जाय । यह शोभनीय नहीं है ।

(व्यवधान) । आप मेरी ओर देखिए ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

श्री हरि शंकर तिवारी–

मैं कोई आरोप नहीं कर रहा हूं । यह हकीकत है । अगर आप उस कुर्सी से निर्देश देंगे तो मैं इन बातों के सारे प्रमाण के कागजात सदन में समर्पित कर दूंगा । यह आरोप नहीं है, हकीकत है । सदन के सभी सम्मानित सदस्यों का दायित्व है कि वह सारी हकीकत को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये उन्हें सदन में प्रस्तुत करें । मान्यवर, आप मुझे इजाजत दें तो मैं वह सारे कागजात दे सकता हूं । यह बड़े शर्म की बात है । मान्यवर, समाज की जमीन पर, रामलीला के नाम की भूमि को हड़प लिया गया है । उधर बैठने वाले भाइयों के दिल में दूसरी बात है लेकिन दिखावा मात्र के लिये वह दूसरी बात कहना चाहते हैं । मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं । राजनीतिक सत्ता प्राप्त व्यक्ति ने ऐसी जमीन को हड़प लिया है। इस तरह की बातें चलती रहेंगी तो जैसे हमारे माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो संकल्प रखा है उनकी भावनाओं का अनादर होगा । यदि समय रहते उस कुर्सी से इन तमाम बातों की जांच करने के लिये आप एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग स्थापित कहीं करेंगे या इस सम्मानित सदन की समिति नहीं बनायेंगे तो ऐसे लोग इस तरह की जमीन को हड़प करते रहेंगे । ऐसे लोगों ने राजनीति को एक पेशा बना लिया है कि इस तरह की सम्पत्ति हड़पने, धन हड़पने । अभी ब्लाक प्रमुखों का चुनाव हो रहा है । कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको गांव के लोग प्रधान या ब्लाक प्रमुख बनाना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं बनाने दिया जाता है । इस प्रकार जनता अपनी भावनाओं के अनुरूप अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकता ।

यदि समय रहते यहां के सम्मानित सदस्य या सदन के ऐसे लोगों की भावनाओं, जनता की भावनाओं का आदर नहीं किया गया और उसमें अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में कभी इस सदन के सम्मानित सदस्यों को माफ नहीं करेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो संकल्प माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी ने दिया है, उस पर मैं बल देता हूं । हम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की दुहाई देते हैं और सत्ता पक्ष वाले ज्यादा देते हैं ऐसे समय में मैं उनके इस संकल्प पर बल देता हूं और जो ऐसे राजनीतिक व्यक्ति जो इस तरह की गड़बड़ी करते हैं, कुकर्म करते हैं उनके खिलाफ जांच की जाय और उनको दंडित किया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे साथी माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी इस सदन के विद्वान सदस्य हैं । उन्होंने एक अच्छा संकल्प माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया है । दूसरे हमारे सम्मानित सदस्य सत्ता पक्ष के ठाकुर लाल प्रताप सिंह जी हैं उन्होंने भी इस संकल्प का समर्थन किया है । उन्होंने समर्थन ही नहीं किया बल्कि इस संकल्प को और व्यापक बनाने के लिये एक संशोधन भाषण किया । आपने सही कहा कि संकल्प में केवल राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच की चर्चा की गई है राजनीति में और समाज के अन्य वर्गों में जो भ्रष्टाचार आज व्याप्त है उनको भी इस संकल्प की परिधि में लाना चाहिए ।

हमारे विद्वान सदस्य श्री लाल प्रताप सिंह जी के संशोधन भाषण से प्रभावित होकर, उनकी बातों से प्रेरणा लेकर हमारे साथी हरिशंकर तिवारी जी ने राजनीतिक क्षेत्र तक ही अपने आप को सीमित रखा। मैं समझता हूं कि यहां पर जो भाषण हुये हैं उसमें कोई विरोधाभास नहीं है। आज हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। इस पर अंकुश लगाना चाहिये। यदि अंकुश नहीं लगा तो भ्रष्टाचार के गड्ढे में हम सब लोग डूब जायेंगे। इस बात को सत्तापक्ष के साथियों ने भी स्वीकार किया है। इसलिये इस संकल्प को स्वीकार करना चाहिए और एक आयोग का गठन होना चाहिए जो इन सारी बातों की जांच करे। आज 6 सौ 7 सौ या एक हजार रुपया तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी कैसे कोठियां खड़ी कर देते हैं। उनके घरों में आज सारी आधुनिक सुविधाओं का सामान उपलब्ध है। हमारे कई बड़े-बड़े अधिकारी जो ईमानदार हैं जिनको 4, 5 हजार रुपया तनख्वाह मिलती है उनके घरों में वह सामान नहीं है जो छोटे कर्मचारियों के घरों में है क्योंकि ये ईमानदार हैं उतने में अपने परिवार का खर्च नहीं चला पाते हैं। यदि आयोग बनता है तो जिस किसी अधिकारी की शिकायत मिलेगी उसे आयोग देखेगा और जांच करेगा कि जो उसके साधन हैं आमदनी है उससे ज्यादा संपत्ति उसने कैसे अर्जित कर ली है। इसलिये प्रस्तुत संकल्प बहुत ही सामयिक है इसे सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

आज एक जूनियर इंजीनियर के पास दो-दो तीन-तीन मकान हैं। भ्रष्टाचार आज समाज में हावी है और दोषी को दंड देना कठिन हो गया है। माननीय रवीन्द्रनाथ तिवारी जी ने तथा माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने जो बात कही है उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। आज इस तरह के भ्रष्टाचार में जाने अनजाने इस सदन के माननीय सदस्य भी शामिल हो जाते हैं। एक भ्रष्ट जे0 ई0 का जब ट्रांसफर होता है एम0 एल0 ए0, एम0 पी0 यहां तक कि एक मंत्री दूसरे मंत्री को सिफारिश लिखना शुरू कर देता है। इस तरह से भ्रष्टाचार को बल मिलता है। अगर इस तरह से जांच की व्यवस्था हो जायेगी तो अपने आप इस पर अंकुश लगेगा। इसलिये यह संकल्प जरूरी है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं उनको इससे बल मिलेगा। उनका सार्वजनिक निर्माण विभाग जो अपनी कार्यक्षमता के लिए, अपनी कार्य दक्षता के लिए हमारे प्रदेश में एक समय में मशहूर था उसकी हालत आज दयनीय हो गयी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनके विभाग में मिट्टी के काम में 30 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है। हमारे जनपद बलिया में सा0 नि0 वि0 के अधिकारी मिट्टी के काम में 30 प्रतिशत खुलेआम कमीशन ले रहे हैं। मैंने नियम 301 में सा0 नि0 वि0 खं0 इकाई बलिया में व्याप्त भ्रष्टाचार का एक सवाल उठाया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री उस जमाने में इस विभाग के मंत्री थे उन्होंने इसकी रिपोर्ट मंगाई थी और मुझे बताया गया था कि इसकी जांच हो रही है। वाराणसी के अधीक्षण अभियन्ता पी0 के0 शर्मा गए थे उसने सड़कों की पर्त खोद कर देखा था उसमें जितनी गिट्टी डालनी चाहिये थी वह नहीं डाली गयी थी। आज भी बलिया जनपद के अन्दर सड़कों में सामान की आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है। 60 प्रतिशत सामान का ही आर्डर दिया जाता है और 40

प्रतिशत का फर्जी भुगतान कर दिया जाता है । वह 40 प्रतिशत सामान सड़क में आता ही नहीं । यह एक आम बात हो गयी है । यही बात दूसरे जनपदों में भी होगी । जो 60 प्रतिशत सड़कों के साइट पर आपूर्ति की जाती है उसमें इस्तेमाल में 10 प्रतिशत सामान बचाया जाता है और उसको दूसरी सड़कों पर भेजकर अलग से 10 प्रतिशत का भुगतान हो रहा है । इस तरीके से 50 प्रतिशत सामान का इस्तेमाल सड़कों पर हो रहा है । मान्यवर, बलिया में किसी सड़क पर मंत्री जी अपने इंजीनियरों को, टेक्निकल सेल के लोगों को ले चलें मैं आपके सामने प्रमाणित करा दूंगा कि जो सड़कों पर सामान लगा है वह 50 से 51 प्रतिशत नहीं मिलेगा ।

मान्यवर, मेरी 301 की सूचना पर इन्होंने जो जांच करायी थी उसमें भी रिपोर्ट आयी और पाया गया कि 50 प्रतिशत सामान था । श्री पी0 के0 शर्मा इंजीनियर जांच के लिये गये थे और रिपोर्ट ले आये, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियंता और जू0 इं0 डाली लगायें तो शर्मा ने कहा कि देखिये मैं मदद नहीं कर पाऊंगा चूंकि बदमाश मैनेजर सिंह का मामला है, इसलिये मैं नहीं बचा पाऊंगा लेकिन एक काम करूंगा कि इस मामले को लटका दूंगा और इसके लिये 45 हजार रुपये उसने लिये और रिपोर्ट में कहा कि इसमें कमी है इसलिये विस्तृत जांच की जरूरत है । फिर विस्तृत जांच के लिये मुख्य अभियन्ता ने श्री पाण्डेय अधीक्षण अभियंता मिर्जापुर को बलिया भेजा । वे वहां जांच के लिये डेढ़ महीने बाद गये और जांच में 4 महीने लगाये । इस बीच सहायक अभियन्ता, जूनियर इंजीनियर मिर्जापुर में पाण्डे से मिले इस बीच सड़क पर दुबारा गिट्टी डलवाई गयी और रोलर चलाया गया और पांडेय आये तो फिर कमी पायी गयी किन्तु सिफारिश हुई तो पाण्डेय ने लिख दिया कि दुबारा विस्तृत जांच की जाये । अब सूचना मिली है कि जांच बलिया में उसी डिवीजन का और बगल के डिवीजन का सहायक अभियंता जांच करेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि एक शिकायत की जांच दो बार हुई और अब सहायक अभियंता जांच करेगा, तो भ्रष्टाचार इसी तरीके से फैलेगा इसी लिये इंजीनियरों के पास कोठियां हैं और मकानों में सारी सुविधायें मौजूद हैं । वि0नि0इं0 बलिया का अधिशासी अभियंता यहां आकर श्री राम कृष्ण से मिलता है । आई0ए0एस0 की इतना गिरावट आ गयी है । यह इसलिये कि भाई बिरादरी वाद है और पैसा दे रहे हैं। मैंने 10 बार कहा लेकिन सचिव और मंत्री जी जांच रिपोर्ट नहीं बताते हैं । नियम 301 के तहत पूछना चाहता हूं कि क्या रिपोर्ट आयी नहीं बताया जाता है । एक जू0 इ0 आर0 पी0 सिंह उस मामले में फंसा है, दो तीन साल से सर्वे में ट्रान्सफर हो रहा लेकिन पिछले साल 40 हजार रुपये खर्च उसने किया और ट्रान्सफर उसका रुक गया । इस साल उसका ट्रान्सफर सर्वे में हुआ था और लखनऊ सर्वे में ट्रान्सफर हुआ था लेकिन मंत्री अब बतायेगें कि उसका ट्रान्सफर सर्वे में न करके रायबरेली भेज दिया । रायबरेली, सुल्तानपुर प्रधान मंत्री का क्षेत्र है, वहां ज्यादा रुपया जा रहा है, ज्यादा कमीशन मिलेगा । तो मैं जानना हूं कि यह नियुक्ति और ट्रान्सफर किसके कहने से होते हैं, इसको सदन में बतायें । किस बेइमान ने सुझाव और रिपोर्ट दिया कि ऐसे चार्जशीटेड व्यक्ति के ट्रान्सफर जो तीन सालों से रुकवा रहा है और अब भी सर्वे में न करके रायबरेली-सुल्तानपुर

भेज दिया तो कैसे ? आज यही कारण है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । इसलिये आयोग बनना चाहिए और मैं श्री लाल प्रताप सिंह की बात से सहमत हूं कि इसका दायरा बढ़ाकर राजनीतिक लोगों को इसमें शामिल करना चाहिए । उनकी आय की भी जांच हो कि जो एम0 एल0 एज0 हैं, मिनिस्टर्स हैं उनकी आय का स्रोत क्या है और इस पद पर आने के बाद अपनी सम्पत्ति, अपनी हैसियत कितना ज्यादा बढ़ा ली है । इसकी जांच होनी चाहिए । यदि आप में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत की भावना है और ईमानदारी के प्रति आस्था है तो आपको इस प्रस्ताव को स्वीकार कराना चाहिए, कार्यान्वित कराना चाहिए । मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि सारे के सारे हमारे मंत्री और सत्ता पक्ष के सदस्य लोग बेईमान हैं । हमसे भी अधिक ईमानदार उनमें हैं, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन उनकी ईमानदारी अपनी जगह पर है, किन्तु चूंकि वह अब बन्धुआ मजदूर हो गये हैं, इसलिए वे अपना मुंह नहीं खोल सकते हैं । आप अपनी आत्मा को दबाकर गलत बात का और इन भ्रष्टाचारियों की बात का समर्थन करते हैं (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपका भाषण समाप्त हो गया ?

श्री मैनेजर सिंह–

अभी नहीं ।

(श्री राम सकल तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री विजय सिंह राणा–

आप तिवारी जी की बात को पहले सुन लीजिए, अब ।

श्री राम सकल तिवारी–

मेरा इतना ही कहना है कि इनके बाद आप हमें भी अवसर दीजिए ।

श्री मित्रसेन–

मेरा व्यवस्था का सवाल है । जब आज के एजेण्डा में असरकारी दिवस दो ही घंटे का है और अन्य महत्वपूर्ण आईटम्स भी लगे हुए हैं, तो इस दो घंटे में एक इस संकल्प पर ही चर्चा कराई जाएगी या दूसरे विषय भी लिये जायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

जो मित्रसेन जी ने बात उठाई है, व्यक्तिगत रूप से मैं भी उससे सहमत हूं, लेकिन अध्यक्ष पीठ पर बैठे होने के कारण मैं कहूंगा कि या तो उस पर विवादान्त-प्रस्ताव आ जाए या हमें इस पर सदस्यों की रूचि का अभाव दिखाई दे, तभी हो सकता है । किन्तु मुझे इसमें सदस्यों की रुचि दिखाई देती है.....(व्यवधान) लेकिन मैं समझता हूं कि यह 6.25 पर चर्चा प्रारम्भ हुई थी, इसका दो घंटे का समय 8.25 पर समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात् इनमें से दूसरे पर चर्चा प्रारम्भ हो जाती तो अच्छा होता । उस समय संयोग से मैं ही अध्यक्ष पीठ पर था, जब सदन

की यह राय बनी थी, वह ठीक हुआ था, लेकिन कुछ ऐसी अटपटी योजना बन गई कि... (व्यवधान) यह दो आगे वाले संकल्प दो दिन और ले लेंगे । यदि सदन उचित समझे तो यह चर्चा समाप्त की जाए और अगले वाली चर्चा ली जाए, ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ उठाने का मौका मिले ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी आपने जो सुझाव दिया, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री जी को प्रस्ताव लाना चाहिए । वे ला दें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इसको आगे के लिए लम्बित कर दें और आगे वाला ले लें । किन्तु जब तक प्रस्ताव नहीं लाएंगे इसमें मुश्किल होगी ।

श्री विजय सिंह राणा–

इस पर मेरा यह सुझाव है कि जो चर्चा इस समय चल रही है, उसको पूर्ण करायें और अगली दूसरी चर्चा को शुरू करायें और उस पर यह प्रस्ताव लाएं कि वह आगे चलती रहे । इसको पोस्टपोन कराने के बजाए आगे वाली को पोस्टपोन कराना समुचित होगा (व्यवधान)

श्री मित्रसेन–

हमारा निवेदन है कि संकल्प के अतिरिक्त जो नियम 52 की चर्चाएं हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

वह अभी कहां आती है ? मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं ।

श्री अम्मार रिजवी–

अधिष्ठाता जी, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी का जो सुझाव है, मैं समझता हूं कि वह उचित है और जैसा आपने कहा इसमें काफी लोगों को अभी रुचि है, इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको लम्बित कराकर आज की चर्चा ले ली जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

अगर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो सुझाव दिया है उससे अगर सदन सहमत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के सम्बन्ध में समय परिवर्तन की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

मैं एक सूचना सदन को देना चाहूंगा, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक जो आज इस उपवेशन के समाप्त होने पर होने वाली थी वह कल तीन बजे अपराह्न होगी ।

राज्य सरकार के समस्त विभागों के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों जिनके जीवन यापन का स्तर उन्हें मिलने वाले वेतन की अपेक्षा उच्च स्तर का है, के सम्पूर्ण कार्य-कलापों एवं सम्पत्तियों की जांच हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग गठित किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री मैनेजर सिंह–

मैं निवेदन करना चाहता हूं, शासन से और संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिला बांदा के अभियन्ता का ट्रांसफर, दोनों पक्ष के लोगों की शिकायत पर हुआ है अब सूचना मिली है कि कुछ बाहर के लोगों का भी दबाव डलवा रहा कि ट्रान्सफर हो, लेकिन रुकना चाहिये ऐसे लोगों की सूची बनवाइए । इस संकल्प को स्वीकार कर लीजिए। समाज में ही भ्रष्टाचार है । एक डाक्टर दीक्षित जी के विभाग का मेरे कोटवा स्वास्थ्य केन्द्र पर था वह पैसा देने वालों को भगा देता था तो उसे लोग पागल डाक्टर घोषित कर दिया था समाज में भ्रष्टाचार के प्रति रोष नहीं है इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए । इसमें आयोग बैठाइए जो जांच करे, शिकायतों की जांच करे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह चर्चा जारी रहेगी ।

(व्यवधान)

प्रदेश के नागरिकों को अच्छी स्तर की सस्ती दवाएं तथा सभी चिकित्सीय सुविधा एवं व्यवस्था सुदूर ग्रामीण अंचल तक उपलब्ध कराने के लिए एक विस्तृत योजना बनाने हेतु सदन की एक समिति का गठन करने का संकल्प (क्रमागत) †

श्री गोपाल दास यादव–

मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं इस सदन का निश्चित मत है.

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

यह दोनों प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुके हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप भाषण दें । यह प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुके हैं ।

श्री गोपाल दास यादव–

जो आज का प्रस्ताव है, स्वास्थ्य विभाग में हमारे पूरे प्रदेश के अन्दर जो प्रचार होता है वह यह होता है कि आज गरीबों को दवा उपलब्ध नहीं हो पाती है । अगर दवा उपलब्ध होती भी है तो वह नकली होती है या फिर घटिया किस्म की होती है । या फिर जो दवा मिलती है वह बहुत कीमती होती है । उत्तर प्रदेश ऐसा गरीब प्रदेश है । इसमें प्रश्नचिन्ह लग जाता है । हमारे प्रदेश के अन्दर सस्ती दवा और गुणात्मक दवा कैसे उपलब्ध हो सके इसके लिए हमने यह तय किया है कि सदन की एक कमेटी घोषित कर दी जाए, जिससे समस्या का समाधान हो सके । आज आजादी के 40 साल बाद भी उत्तर प्रदेश के अन्दर जो मुख्यतः 85 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं उनको कोई चिकित्सीय सुविधा नहीं दे पाते हैं, उनको दवाइयां नहीं मिल पाती हैं । शहरों के अन्दर देखें

---

†दिनांक 13 जुलाई, 1987 की कार्यवाही से ।

तो यहां अच्छी से अच्छा दवा और मूल्यवान दवा उपलब्ध हो जाती है । विश्व स्वास्थ्य संगठन में हमारे मुख्य मंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के शासन ने, भारत सरकार ने वायदा किया है कि दो हजार तक सबको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायेंगे । मान्यवर, यह कैसे उपलब्ध हो पायगी, कभी शासन ने इस पर विचार नहीं किया है कि हमने जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से लोगों से वायदा किया है कि हम सबको चिकित्सा सुविधा, दवा उपलब्ध करायेंगे और घर घर जाकर दवा और शिक्षा उपलब्ध करायेंगे यह कैसे उपलब्ध हो पायेगी ? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर शासन को गौर करना चाहिये । शासन इसके बारे में क्या सोच रहा है और इसके लिये क्या नीति अपनायी जायगी कि सन् 2000 तक आप सबको दवा उपलब्ध करा देंगे । आप देखें कि हमारे यहां 4 प्रकार की पद्धतियां चल रही हैं । एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी । मैं कहना चाहता हूं कि इसमें से आपको निर्णय करना पड़ेगा कि कौन सी पद्धति इस देश के लिये महत्वपूर्ण है, सस्ती है और हमारे प्रदेश के लिये लाभकर है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, सदन में दूसरा सदन चल रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, लाबी में कुर्सियां हैं ।

श्री गोपाल दास यादव–

यह जो चारों पद्धतियां हैं उत्तर प्रदेश सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया जाय ? आज विदेशों में जो दवायें रिजेक्ट हो जाती हैं, विदेशों में जिनका इस्तेमाल बन्द हो जाता है वह दवायें आपके उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में इस्तेमाल होती रहती हैं । मैं कहना चाहूंगा कि 1865 में इटली के डाक्टर सीजर काउंट मैटी जो एक बड़े साइंटिस्ट और एक बड़े डाक्टर थे उन्होंने एक नयी पद्धति का आविष्कार किया जिसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहते हैं । उनका कहना था कि अगर इस पद्धति का इस्तेमाल किया जाय जिसको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कहते हैं तो देश के अंदर सही दिशा में सही इलाज की व्यवस्था हो सकेगी और जो एलोपैथिक दवाई गरीब आदमी को एक रुपये की मिलती है वह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के माध्यम से केवल 10 पैसे में मिल सकती है और गरीब आदमी का आसानी से इलाज हो सकता है । देश के अन्य प्रदेशों जैसे हरियाणा, गुजरात आदि में इस पद्धति को लागू किया गया है लेकिन हमारे प्रदेश में इस प्रदेश के शासन के जिद्दी रवैये के कारण इस पद्धति को लागू नहीं किया जा सका है । प्रदेश सरकार इस पद्धति को लागू नहीं करना चाहती है ।

मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या ? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दो नियमों को प्रतिपादित किया गया है । एक है ला आफ सिमिलरटी और दूसरा है प्रजेंस आफ इलेक्ट्रिकसिटी इन प्लांट किंगडम । यह दो सिद्धांत इस चिकित्सा पद्धति में प्रतिपादित किये गये हैं । मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश में पहाड़ों पर चले जांय, वहां के जंगलों में चले जांय तो वहां पर मेडिसिनल प्लांटस का अपार भंडार पड़ा हुआ है जिसका उचित उपयोग करके अनेक प्रकार की दवायें तैयार की जा सकती हैं । लेकिन किसी को फुरसत नहीं है कि जाकर वह पौधे लाये और अनुसंधान करके दवाइयां तैयार करे । सीजर काउंट मैटी जो इटली के निवासी थे उन्होंने बताया कि जब पौधों में फोटोसेंथिसिस होती है तो विद्युत पैदा होती है । प्रकाश में 7 रंग होते हैं । वीबग्योर

7 रंगों से मिलकर प्रकाश बनता है । वायलेट, इंडिगो आदि रंगों से मिलकर प्रकाश बनता है । जब सूर्य की किरणें पौधों पर पड़ती हैं तो उनमें फोटोसेंथिसिस के जरिये इनरजी या विद्युत पैदा होती है । यदि उसको पौधों से एक्सट्रेक्ट कर लिया जाय तो उससे दवाइयां तैयार की जा सकती हैं और इस तरह से इन मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल अनेक प्रकार की दवाइयां बनाने में किया जा सकता है । लेकिन माननीय मंत्री एलेक्ट्रो-होम्योपैथ के बारे में आपने मान्यता नहीं दिया । आपने आयुर्वेदिक, और यूनानी को मान्यता दे दिया । आयुर्वेद को मान्यता विदेशों में मिली, होम्योपैथ को मान्यता विदेशों में मिली । प्राचीन काल को आप देख लीजिए, जब लक्ष्मण जी को तीर लगी, तो कौन सी दवा काम में आई । मैं एलेक्ट्रो-होम्योपैथ का नमूना देना चाहता हूं । जब हनुमान जी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने गये, तो उन्होंने देखा कि वह जड़ी-बूटी जो बिजली की तरह से जगमगाती थी, उसे वह ले करके आ गये और वही दवा लक्ष्मण जी के तीर लगाने पर काम आई । तो मैं यह कहना चाहता हूं जो एलेक्ट्रो-होम्योपैथ है, जो आपके प्लांट हैं, पौधे हैं, जिसके माध्यम से हम अनेकों प्रकार से इलाज कर सकते हैं, उसको आप मान्यता दें । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि एलेक्ट्रो-होम्योपैथ को उत्तर प्रदेश में मान्यता दे दें, जिससे आपके प्रदेश के अन्दर जो गरीब लोग हैं, उससे उनको लाभ मिल सकें ।

98 करोड़ रुपया आपका परिवार नियोजन पर खर्च होता है । मैं कहता हूं कि आप केवल इलाहाबाद के 4 ब्लाकों का डेटा मंगवा कर, उसे देख लीजिए, 90 प्रतिशत फर्जी नसबन्दी होती हैं । अगर इसमें से 50 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेजेज के लिए दे दीजिए, जो हृदय रोग से तड़प कर मर जाते हैं, जो डायलेसिस के लिए तड़पते हैं, अगर उनका गुर्दा खराब हो जाता है, तो वे डायलेसिस के लिए तड़पते हैं, उनके इलाज के लिए केवल 50 करोड़ रुपये में आपरेशन कर दें, जिसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता है, तो वे लोग बच सकते हैं । अगर एलेक्ट्रो-होम्योपैथ के माध्यम से परिवार नियोजन चलाया जाय तो केवल 40 करोड़ रु0 में पूरे हिन्दुस्तान का परिवार नियोजन हो सकता है ।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एलेक्ट्रो-होम्योपैथ के माध्यम से कुष्ठ रोग का इलाज बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर होता है और वह बिलकुल रामबाण की तरह से इलाज हुए हैं । इस कुष्ठ रोग के निराकरण के लिए एलोपैथ के अन्दर कोई गारन्टी नहीं है, लेकिन शासन कहता है कि हम इसमें सक्सेज हो गये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि कुष्ठ रोग के जो केसेज थे, एलेक्ट्रो-होम्योपैथ से ठीक हुए हैं । मैं हरियाणा का उदाहरण देना चाहता हूं । हरियाणा में एलेक्ट्रो-होम्योपैथ के माध्यम से कुष्ट रोग का इलाज सक्सेज रहा है । तो मैं कहना चाहता हूं कि इतनी सस्ती एलेक्ट्रो-होम्योपैथ की अगर मान्यता उत्तर प्रदेश में मिल जायगी, तो इससे बहुत से गरीब लोगों का लाभ मिल जायगा । हमारी सरकार एलोपैथ के पीछे पड़ी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि एलोपैथ पद्धति जो है यह बहुत मंहगी पद्धति है । जब तक पैथालोजी की रिपोर्ट न आ जाय, तब तक किसी भी डाक्टर को यह मालूम नहीं है कि

वह कोई दवा प्रेस्क्राइब कर सके । लेकिन आप यह देख लें कि डाक्टर जो पद्धति जानता है जो दवा देता है वह 5 रुपये से 10 रुपये की होती है उसके बाद भी पैथालोजी की रिपोर्ट के बिना किसी डाक्टर को अधिकार नहीं है कि वह उसको दे सके लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्दर आप आकड़े मंगा ले आप देखेंगे कि डाक्टर जो है वह दवा लिख देता है और जब पैथालोजी की रिपोर्ट आती है एक हफ्ते के बाद तो दो सौ ढाई सौ रुपये उस मरीज के चले जाते हैं तो डाक्टर को यह मालूम होता है कि जो एन्टीबायटिक की दवा दी है एन्टी बायटिक वह सही नहीं है और दूसरी दवा प्रभावशाली है तो एक तो उस गरीब का पैसा खर्च होता है और दूसरे साइड इफेक्ट होता है वह मरीज को भुगतना पड़ता है । यहां पर मैं एलोपैथी की बात कर रहा था । देश और मानव कल्याण के लिए मैं बात कर रहा था । आज दवा का जो हमारा उपयोग है दवा के लिए आज जो सबसे बड़ी चीज होती है, हर मुल्कों में देख लें ब्रिटेन को देख लें अमरीका को देख लें आप देखेंगे कि वहां पर जो दवा का कार्यक्षेत्र है वह बहुत ही व्यापक है । रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट के ऊपर आप अमेरिका को देख लें । मैं यह बताना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

यादव जी कितना समय लेंगे ?

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं 2 घन्टे बोलूंगा

श्री अधिष्ठाता–

ऐसा करते हैं कि आज चर्चा को स्थगित करते हैं ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, अगर सबको दवा मिल जायेगी----

श्री अधिष्ठाता–

हमने आपको बोलने से रोका नहीं है यह चर्चा आपकी जारी रहेगी अब आप बैठ जांय । अब 8 बज रहे हैं आज सदन की कार्यवाही स्थगित करते हैं आपकी चर्चा जारी रहेगी ।

आज की कार्यसूची में निर्धारित नियम-52 की सूचनाओं पर चर्चा हेतु कार्यमंत्रणा समिति द्वारा पुनः समय निर्धारण किये जाने की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

जो नियम 52 की सूचना है उनमें कल कार्यमंत्रणा समिति में विचार करके उनके लिए निर्धारित किया जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 52 की जो सूचना लगी थी वह लैप्स नहीं हुई है कल कार्यमंत्रणा समिति में उस पर विचार किया जायेगा और उन पर समय निर्धारित किया जायेगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसी संदर्भ में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है नियम 52 के अन्तर्गत मेरा निवेदन है कि यह दोनों सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण सूचना है और प्रदेश इससे पीड़ित है। मेरा आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन सूचनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें प्राथमिकता दी जाय ताकि इस पर इसी सत्र में विचार हो जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अभी माननीय शाही जी ने एक अपेक्षा की कि जो नियम 52 के चर्चा लगी हुई थी, आइटम नम्बर 38 है प्रदेश के देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, गोण्डा आदि जनपदों में अगस्त 1988 से अब तक 400 से भी अधिक व्यक्तियों की मस्तिष्क ज्वर से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह विषय तत्कालिक है, कार्यमंत्रणा समिति कल विचार करेगी, अगर अन्यथा न हो तो इसे जल्दी लगा दिया जाय।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 की 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं माननीय अध्यक्ष ने श्री सूर्य प्रताप शाही की सूचना जो देवरिया जनपद के तरकुलवा नामक स्थान पर विद्युत के टूटे तार से करेन्ट लग जाने से 3 व्यक्तियों की हुई मृत्यु के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लिया है।

दूसरी सूचना श्री शतरुद्र प्रकाश जी की है जो वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा पन्नालाल पार्क में बनाये जा रहे भवन के गिर जाने से कुछ मजदूरों के दब जाने के सम्बन्ध में है, इसे मात्र वक्तव्य के लिये मा0 अध्यक्ष ने स्वीकार किया है।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन रात्रि 8 बजे बुधवार, अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
4-10-1988

लाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 32 पर)

कस्बा फिरोजाबाद में वर्ष 1986–87, 1987–88 में हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट और चोरी का विवरण।

अपराध	1986–87			1987–88		
	कुल कितनी घटनायें हुई	कितने अभि0 गिरफ्तार किए गए	कितने अभि0 की गिरफ्तारी शेष है	कुल कितनी घटनायें हुई	कितने अभि0 गिरफ्तार किये गये	कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है
हत्या	21	54	..	20	42	2
बलात्कार ..	1	3	.	6	19	–
अपहरण ..	23	50	..	19	34	3
डकैती ..	1	5	..	2	10	–
लूट	21	24	..	15	30	2
चोरी	150	112	..	113	67	1

आगरा नगर में वर्ष 1986–87, 1987–88 में हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूट और चोरी का विवरण।

अपहरण	1986–1987			1987–88		
	कुल कितनी घटनाएं हुई	कितने अभियुक्त गिरफ्तार किये गये	कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है।	कुल कितनी घटनाएं हुई	कितने अभि0 गिरफ्तार किये गये	कितने अभि0 की गिरफ्तारी शेष है।
हत्या	32	59	..	41	83	3
बलात्कार ..	15	18	..	15	32	1
अपहरण ..	57	68	6	66	79	2
डकैती ..	6	33	3	14	31	3
लूट .	32	79	..	52	95	–
चोरी ..	765	337	2	835	334	–

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0सं0 66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59 पर)

मेसर्स एन्वायरोटेक कन्सेल्टेन्ट नई दिल्ली द्वारा मेसर्स ओरियन्टल कार्बन एण्ड केमिकल्स लि0, गाजियाबाद की चिमनी के उत्सर्जन की जांच आख्या।

संदर्भ—ओ0सी0पी0यू0 अपर/विविध/13-12-85

जांच की तिथि—3 एवं 4 जनवरी, 1986

ब्रस्टैक उत्सर्जन

क्रम-संख्या	चिमनी का वि0	भौतिक तापमान डिग्री सें0	परिचालक व्यास मी0/मी0।	गति मी0/सें0	बहाव घन मी0 सें0	प्रदूषण की घनता एस0पी0एम0 मि0ग्रा0/घन मी0	एस0ओ0टू0 पी0पी0एम0	एन0ओ0 पी0पी0	एक्स0सी0 पी0एम0
1	एस0एस0 ..	185	0.9	23	9.52	88	18	10	6.9
2	एस0एस0-ए0 ..	200	0.9	30	12.02	38	7	8	7.2
3	एस0एस0-11 ..	115	0.35	17	1.25	51	13	11	7.1
4	एस0 एस0-11ए.	115	0.35	19	1.40	231	19	13	5.8
5	डी0-1 ..	275	0.9	11	3.81	382 (शुष्क आधार पर) 229.2 कुल आयतन के आधार पर)	13	35	0.3
6	डी0 2 ..	375	0.9	16	4.68	327 (शुष्क आधार पर) 196.2 (कुल आयतन के आधार पर)	48	39	0.2
7	ब्यालर ..	170	0.9	10	4.28	126	18	9	2.1

टिप्पणी:—1. उपरोक्त तालिका में सभी परिचालकों की मात्रा शुष्क आयतन के आधार पर दी गयी है चूंकि चिमनी के उत्सर्जन में 40-45% आर्द्रता होती है अतः कुल आयतन के आधार पर प्रदूषण की मात्रा उपरोक्त परिचालकों का 55-60% होगा।

2. उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि इस उद्योग उत्सर्जित होने वाले परिचालक इस प्रकार के उद्योगों के परिचालकों की सीमा के अन्दर हैं।

वास्ते इन्वायरोटेक कन्सेल्टेन्ट,

ह0 (एम0एल0 तिखे)

नत्थी 'ग'

(देखिए अला0 प्र0 सं0 69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

प्रमाण-पत्र

श्री हनुमान प्रसाद कुरील, विधायक, बिल्हौर, कानपुर देहात द्वारा प्रस्तुत अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ का प्रमाण-पत्र दिनांक 5-3-87 व उनके शपथ-पत्र व सत्यापन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री हनुमान प्रसाद स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं। वे धारा 147/448 के अन्तर्गत दिनांक 9-5-47 को तीन माह के लिए दण्डित किये गये थे तथा आदेश संख्या 50146-48/जी0एस0-1 दिनांक 9-7-47 के अन्तर्गत 10-7-47 को कारागार से मुक्त कर दिये गये थे (मुक्ति रजिस्टर नम्बर 7, क्रमांक 14027 माडर्न जेल, लखनऊ)। 19-3-1987।

19-3-1987

ह0 (पी0 एस0 मिश्र),
जिला मजिस्ट्रेट
कानपुर देहात।

(सील)

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 126 का उत्तर पीछे पृष्ठ 82 पर)

रमा शंकर चौधरी,
अनु सचिव।

अर्द्धशा0प0सं0-एस-3-एम-20/दस-511/76
उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-3
लखनऊ: दिनांक: 29 जून, 1988

प्रिय महोदय,

श्री बृजनारायण श्रीवास्तव, सहायक कोषाधिकारी, बस्ती की रुकी हुई तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां तथा निलम्बन अवधि का वेतन भुगतान करने विषयक आपके पत्र संख्या-170/आजपा/1988, दिनांक 11 अप्रैल, 1988 के संदर्भ में आपको यह अवगत कराने की मुझसे अपेक्षा की गयी है कि श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध फर्जी हस्ताक्षर करा कर पेंशन प्राप्त कराने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर उन्हें निलम्बन अवधि का वेतन न दिए जाने तथा उनके तीन वार्षिक वेतन वृद्धियां रोके जाने का दण्ड दिया गया था। श्री श्रीवास्तव की इस मांग पर कि उन्हें निलम्बन काल का वेतन तथा रोकी गयी वेतन वृद्धियां दिलायी जायं। शासन द्वारा भलीभांति विचार किया जा चुका है तथा उसे स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

सादर,

भवदीय,
(ह0) रमा शंकर चौधरी,
अनु सचिव।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी
बी-104, बहुखण्डी निवास,
लखनऊ।

विधान परिषद उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 142 का उत्तर पीछे पृष्ठ 88 पर)

अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास

(1) माता बक्श सिंह, पुत्र बदलू सिंह, थाना खण्डासा, जिला फैजाबाद

क्रम-संख्या	अपराध सं0	धारा	थाना	परिणाम
1	31/86	147, 148, 149, 427 भा. दं. वि.	खण्डासा	आरोप पत्र
2	24 ए/86	395, 397, भा0दं0वि0	खण्डासा	अंतिम रिपोर्ट
3	35/86	394, 376, 504, 506, भा0दं0 वि0	खण्डासा	आरोप पत्र
4	113/86	302, 201 भा दं0वि0	खण्डासा	अपराध शाखा द्वारा विवेचना हो रही है

(2) बृज भूषण मणि त्रिपाठी, ब्लाक प्रमुख, थाना इनायतनगर, फैजाबाद

क्रम-संख्या	अपराध संख्या	धारा	थाना	परिणाम
1	327/86	143, 501, 506 भा0दं0वि0	इनायत नगर	अंतिम रिपोर्ट
2	154/84	147, 148, 307, 323, 335, 336, 427, 504, 506 भा0दं0वि0	इनायत नगर	स्थगित

(3) दान बहादुर पाण्डेय पुत्र श्री राम सरदार पाण्डेय, नि0 खण्डासा, फैजाबाद

क्रम-संख्या	अपराध संख्या	धारा	थाना	परिणाम
1	175/77	308 भा0दं0 वि0	खण्डासा	आरोप पत्र दिया
2	9/86	147, 148, 149 364, 452, भा0दं0वि0	खण्डासा	आरोप पत्र
3	34/86	143, 384, 420 भा0दं0वि0	खण्डासा	जांच प्रचलित
4	41/87	147, 148, 302, 201 भा0दं0वि0	खण्डासा	आरोप पत्र

बी0एस0यू0पी0—एल 214 विधान सभा (360)--1989--813।